नवम माला, खंड 5, अंक 3

मंगलवार, 8 मई, 1990
18 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 8 मई, 1990/18 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
33	नीचे से 9	"राय" के स्थान पर "साय" पढ़िये।
74	17	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
78	10	"श्री लरंग साय" के स्थान पर "श्री एल० रंग साय" पढ़िये।
96	9	"तअ" के स्थान पर "तक" पढ़िये।
	11	"सुखदेव" के स्थान पर "सुकदेव" पढ़िये।
98	नीचे से 10	"राधवा" के स्थान पर "राथवा" पढ़िये।
103	13	"रमेश कुमार यादव रवि" के स्थान पर "रमेन्द्र कुमार रवि यादव" पढ़िये।
110	2	"होरे" के स्थान पर "डोरे" पढ़िये।
112	नीचे से 9	"जादव" के स्थान पर "जाटव" पढ़िये।
125	नीचे से 12	"7944" के स्थान पर "7946" पढ़िये।
130	4	"अराक्षण" के स्थान पर "आरक्षण" पढ़िये।
137	अंतिम	"7665" के स्थान पर "7965" पढ़िये।
149	नीचे से 5	"7978" के स्थान पर "7988" पढ़िये।
155	13	"वाड्किर" के स्थान पर "वाड्यिर" पढ़िये।

173	नीचे से 15	"ईश्दर" के स्थान पर "ईश्वर" पढ़िये।
176	4	"श्री पाल मन्टोष" के स्थान पर "श्री पाल आर० मन्टोष" पढ़िये।
183	7	"विंवानन" के स्थान पर "विमानन" पढ़िये।
192	नीचे से 15	"मददलाल" के स्थान पर "मदनलाल" पढ़िये।
204	नीचे से 12	"एल०टी०संख्या 779" के स्थान पर "789" पढ़िये।
206	7	"घोषी" के स्थान पर "घोसी" पढ़िये।
216	18	"बेतल" के स्थान पर "बेतूल" पढ़िये।
234	2	"वेगा राम" के स्थान पर "बेगा राम" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 37, मंगलवार, 8 मई, 1990/18 वैशाख, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—16
*तारांकित प्रश्न संख्या : 739, 741, 742 और 744	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	17—175
तारांकित प्रश्न संख्या : 740, 743 और 745 से 758	17—26
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7794 से 7917, 7919 से 7995 और 7997 से 8025	26—175
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	176
एअर बस ए-320 के सौदे से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाने के बारे में	176—203
सभा पटल पर रखे गए पत्र	203—205
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	206—216
दिल्ली में हाल ही में हुई बम विस्फोट की अनेक घटनाएं	
श्री कल्पनाथ राय	206
श्री सुबोध कांत सहाय	206
श्री एम० कृष्ण कुमार	209
श्री मदन लाल खुराना	210
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट	212
प्रो० पी० जे० कुरियन	213

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न + इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय | पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले 216—220

(एक) उड़ीसा के कोरापुट जिले में मलकानगिरि में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का आना रोके जाने के प्रश्न पर श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत किए जाने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी 216

(दो) गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट 217

(तीन) दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की मांग

प्रो० रासा सिंह रावत 217

(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी कार्य क्षेत्रों में आरक्षण किए जाने की मांग

श्री राम कृष्ण यादव 218

(पांच) ऐसी व्यवस्था किए जाने की मांग जिससे कि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित मलयालम के कार्यक्रम मालाबार के उत्तरी जिलों में भी देखे जा सकें

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 218

(छः) बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ा दण्ड दिए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू 219

(सात) मध्य प्रदेश में सतना और रीवा के बीच रेल लाइन बिछाई जाने की मांग

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री 219

(आठ) बिहार के मधुबनी जिले में झंझारपुर के समीप कमला-बलान नदी पर बने रेल पुल पर ऊपरी पुल बनाए जाने की मांग

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 220

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 220—280

जल संसाधन मंत्रालय
और
कृषि मंत्रालय

श्री प्रेम प्रदीप 220

विषय	पृष्ठ
श्री रुद्रसेन चौधरी	222
श्री भजन लाल	225
श्री मनोरंजन सुर	230
श्री बेगा राम	234
श्री नानी भट्टाचार्य	234
श्रीमती विजयाराजे सिंधिया	238
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	242
श्री राम प्रसाद सिंह	245
श्री एस० सी० वर्मा	247
श्री एम० बागा रेड्डी	251
श्री अमर रायप्रधान	254
श्री राम बहादुर सिंह	257
श्री कल्पनाथ राय	259
श्री शोपत सिंह मक्कासर	263
श्री एस० सिंगरावडीवेल	268
श्री राम कृष्ण यादव	269
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	272
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू	274
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	276
श्री आर० जीवरत्नम	279

लोक सभा

मंगलवार, 8 मई, 1990/18 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11.04 म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नमक उत्पादन एकक

[अनुवाद]

*739. श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक उत्पादन एकक, राज्यवार, किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं; और

(ख) किन-किन उद्योगों में नमक का बड़े पैमाने पर रसायनिक प्रयोग किया जाता है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वे स्थान जहां नमक का उत्पादन करने वाले एकक कार्य कर रहे हैं

I. गुजरात

1. जामनगर
2. भावनगर
3. पोरबन्दर
4. मीठापुर
5. सिगांच
6. सलाया
7. राजुला
8. कच्छ (गांधी धाम, मुद्रा जखाव)
9. दहेज—केम्बे
10. धारासाना

11. मालिया (लावणपुर)
12. संतलपुर
13. नमकनगर
14. पट्दी
15. खरखोदा
16. धरंगेधरा

II. राजस्थान

1. साभर
2. पचपदरा
3. दिदवाना
4. पलोदी
5. जबादीनगर—नावा
6. नवा कूचा मान—सरगोठमिथी
7. सुजानगढ़
8. पोखरन

III. तमिलनाडु

1. टूटीकोरिन
2. अरुमुगनेरी
3. वालिनोक्कम
4. रामनद
5. कुड्डालोरे
6. वेदारणयम
7. खम्बी कोट्ई
8. मद्रास
9. कोवेलोंग और
10. नागेरकोइल

IV. आंध्र प्रदेश

1. काकीनाडा
2. पेनुगुदरू
3. गुरुजानापल्ली

4. चिनागंजम
5. इसकापल्ली
6. मछलीपतनम और
7. कृष्णापतनम

V. पश्चिम बंगाल

1. कोनटाई

VI. उड़ीसा

1. गंजम
2. सुमाधी
3. सुरला
4. गोका
5. असतरंग और
6. बोलोंग

VII. महाराष्ट्र

1. भायंदर
2. भांडुप और
3. उरन

VIII. कर्नाटक

1. सन्नीकट्टा

IX. दमन और दीव

X. पांडिचेरी

1. कराईकल

XI. हिमाचल प्रदेश

1. मण्डी

उद्योग में नमक का इस्तेमाल मुख्यतः कास्टिक सोडा, क्लोरीन और सोडा ऐश बनाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

श्री एन० डेनिस : भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से नमक उद्योग को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोधाभास ही है कि अधिक उत्पादन के कारण ऐसा हो रहा है। हमारे देश में नमक का उत्पादन एक करोड़ टन से ऊपर हो गया है और हमारी घरेलू खपत लगभग 75 लाख टन है। आने वाले कुछ वर्षों में इसकी खपत की मात्रा में वृद्धि के कोई आसार नहीं हैं। दक्षिण के अधिक नमक उत्पादन वाले क्षेत्रों में नमक पर आधारित उद्योगों की स्थापना

करके और अन्य देशों को नमक का निर्यात करके भी नमक उद्योग में संकट को कम किया जा सकता है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या नमक उद्योग को संकट से बचाने के लिए सरकार उन क्षेत्रों में, जहां नमक का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, नमक पर आधारित उद्योग स्थापित करने और अन्य देशों को नमक का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कदम उठायेगी।

श्री अजित सिंह : महोदय, कुल नमक उत्पादन का लगभग आधा विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। मूलत: ऐसे उद्योग कास्टिक सोडा, क्लोरीन और सोडा ऐश उद्योग हैं। ये उद्योग पहले से ही उन राज्यों में चल रहे हैं, जहां नमक का उत्पादन होता है। जहां तक नमक की खपत और उसके निर्यात का सम्बन्ध है, इतना अधिक नमक बचा नहीं रहता है। कुछ इकाइयां पहले से ही नमक का निर्यात कर रही हैं। लेकिन यह कहना कि अगर निर्यात अधिक किया जाएगा तो नमक का मूल्य कम हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता।

श्री एन० डेनिस : नमक उद्योग में संकट से इस पर निर्भर अनेक उत्पादनकर्ताओं के रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। देश में गुजरात और तमिलनाडु नमक का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। राजस्थान को छोड़कर, अन्य राज्यों में नमक का उत्पादन बहुत ही कम होता है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नमक का उत्पादन करने वाले राज्यों, तमिलनाडु और गुजरात में नमक पर आधारित और समुद्रीय उत्पाद पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगी, जिससे कि नमक उद्योग में आये संकट के कारण बड़ी संख्या प्रभावित लोगों को सहायता दी जा सके। इससे जुड़ा एक अन्य मामला भी है। कन्याकुमारी जिले में कई क्षेत्र ऐसे हैं··· (**व्यवधान**) जहां नमक का उत्पादन होता था लेकिन वे अब अप्रयुक्त पड़े हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे क्षेत्र में नमक पर आधारित उद्योग लगाकर या अन्य प्रकार के उद्योग स्थापित करके उन क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा।

श्री अजित सिंह : महोदय, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि इसमें काफी लोगों को रोजगार मिलता है। इस समय, 9000 से अधिक इकाइयां नमक का उत्पादन कर रही हैं और उनमें से बहुत-सी सहकारी समितियां हैं। उन्होंने ठीक बताया है कि गुजरात राज्य में नमक का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वे उद्योग जो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं वे कच्चे माल के उद्योग हैं। इनमें से बहुत-सी इकाइयां पहले से ही वहां चल रही हैं।

[**हिन्दी**]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि सबसे ज्यादा नमक गुजरात में होता है और गुजरात वाले लोग मानते हैं कि दिल्ली में जो भी सरकार आए, वह गुजरात के खिलाफ होती है। इस देश को आजादी दिलाने में जितना गुजरात का हाथ है उतना और किस का है? अगर गांधी जी नहीं होते, तो देश आजाद नहीं होता और अगर सरदार पटेल नहीं होते तो सारे राज्य एक नहीं होते। जबकि सबसे ज्यादा साल्ट गुजरात में पैदा होता है लेकिन इसका आफिस जयपुर में है। क्या मन्त्री जी यह आफिस गुजरात में लाने के लिए तैयार हैं?

श्री अजित सिंह : जहां सबसे ज्यादा साल्ट होता है वहां आफिस बनाना है या जहां कंज्यूमर ज्यादा हैं वहां आफिस बनाना है? (**व्यवधान**)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या राजस्थान में कंज्यूमर ज्यादा हैं? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कोंटाई जिले में नमक के छोटे कारखाने हैं। वे नमक में आयोडीन मिलाने की स्थिति में नहीं हैं। इस कारण इन छोटे-छोटे कारखानों को उस एकमात्र कारखाने से सम्पर्क करना पड़ता है, जिसके पास नमक में आयोडीन मिलाने का एकाधिकार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोन्टाई में इन छोटे नमक उत्पादकों को नमक में आयोडीन मिलाने वाली प्रौद्योगिकी और मशीनरी उपलब्ध करायेगी।

श्री अजित सिंह : इस समय लगभग आधा खाने का नमक आयोडीनयुक्त है। और कोई भी नमक में आयोडीन मिलाने के लिए एक इकाई स्थापित कर सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : मन्त्री जी उत्तर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राज्य, केरल में ऐसी कोई इकाई नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है, क्या सरकार केरल में कुछ इकाइयां स्थापित करेगी, जहां पर बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है ?

श्री अजित सिंह : वह ठीक कह रही हैं कि केरल में कोई नमक उत्पादन करने वाली इकाई नहीं है। सरकार की नमक उत्पादन करने वाली कोई इकाई स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : उड़ीसा की 480 कि०मी० लम्बी तट रेखा पर नमक उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता है। लेकिन छतरपुर में नमक बनाने की एक इकाई है, जो बंद होने जा रही है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्योंकि उड़ीसा में इस तट रेखा पर नमक का उत्पादन नहीं किया जाता तो क्या सरकार इन नमक इकाइयों को उपयोग में लाने के लिए उड़ीसा की सहायता करेगी ? और दूसरा, क्या सरकार उड़ीसा तट पर पुराने उद्योगों के स्थान पर नए उद्योग स्थापित करेगी ?

श्री अजित सिंह उड़ीसा में, छः स्थानों पर नमक का उत्पादन किया जा रहा है।

श्री लोकनाथ चौधरी : लेकिन इनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

श्री अजित सिंह : वर्ष 1984 से उड़ीसा में नमक का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

श्री लोकनाथ चौधरी : लेकिन यह इससे भी अधिक उत्पादन हो सकता है अगर केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार की सहायता करे।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने सभापटल पर जो उत्तर रखा है, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में मण्डी में भी नमक पाया जाता है, लेकिन वहां पर जो खदानें हैं उनमें साईंटिफिक ढंग से खुदाई नहीं की जाती। क्या प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा मिलकर इसको आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है या प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है, ऐसा कोई पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

श्री अजित सिंह : राज्य सरकार से इस बारे में अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही कोई इस बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : गुजरात में, नमक का उत्पादन भी अधिक है और नमक की खपत भी अधिक है। लेकिन गुजराती लोग जिस बात से परेशान हैं, वह यह है कि नमक का उत्पादन और उसकी खपत गुजरात में अधिक होने पर भी इसका मुख्यालय जयपुर में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर फिर से विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : जैसा मैंने अभी बताया कि जयपुर से आफिस हटाने पर अभी सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण में बताया गया है कि महाराष्ट्र में भायंदर, भांडुप और उरन स्थानों पर नमक का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। आज नमक पैदा करने वाले किसान बड़ी तकलीफ में आ गए हैं और वहां रासायनिक ढंग से नमक उत्पादन करने की सारी चीजें टाटा को सौंपा दी गई हैं, इस कारण कई किसानों को उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता है। क्या इस कारण से पिछले 4-5 सालों में नमक उत्पादन में कोई कमी आई है और मन्त्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या सरकार बड़े उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखेगी या किसानों के हितों का भी ध्यान रखेगी। नमक का उत्पादन जो कम हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या कोई योजना बनाएगी ?

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन बड़ी कम्पनियां हैं जो आयोडाइज्ड नमक बनाती हैं। उनका टोटल प्रोडक्शन लाइसेंस्ड कैपेसिटी के अनुसार डेढ़ लाख टन से कम है। जबकि हमारे देश में 35 लाख टन से ज्यादा नमक पैदा होता है। यह कहना कि बड़ी कम्पनियां ही नमक तैयार करती हैं, तथ्यों के अनुसार ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति : हम सब जानते हैं कि साधारण नमक मुख्य रूप से कास्टिक सोडा और सोडा ऐश के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके अलावा, शेष 'मदर लिकर' को नमक का उत्पादन करने के बाद निकले 'मदर लिकर' का, जो सामान्यतः फेंक दिया जाता है, हैलोजन के मूल्यवान उपोत्पाद, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और विशेषतया ब्रोमीन और आयोडीन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या सरकार का इस सम्बन्ध में भी कोई इकाई स्थापित करने का विचार है ?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि इण्डस्ट्री में यूज होता है, चाहे कास्टिक सोडा है या कास्टिक है। वहां क्लोरीन का प्रोडक्शन भी हो रहा है। यूनिट्स आलरेडी गैस प्रोडक्शन कर रहे हैं।

श्री नन्दी येल्लैया : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नमक उत्पादन में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में एक टी० वी० सीरियल में बताया गया कि जब उनका देहांत हो जाता है तो उनके पैर नहीं जलते ? क्या इन कर्मचारियों की आपके पास कोई जानकारी है ? क्योंकि वे कर्मचारी नमक की खुराई पैरों से करते हैं, क्या इन बीमारियों को रोकने के लिए आपके पास कोई उपाय है ?

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य, जो कह रहे हैं, यह जानकारी हमें नहीं है। जो इस तरह के लोग हैं, माईनिंग्स में काम करते हैं उनको प्रोटैक्ट करने के लिए सभी इण्डस्ट्रियों में लॉज हैं, बाकी आपने जो कहा है, सरकार इस बारे में विचार करेगी।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि राजस्थान में बुलेरा के पास साम्भर, डीडवाना, पचपदरा है, जहां पर भारत का सबसे बढ़िया नमक पैदा होता है और राजस्थान से नमक बाहर जाता रहा है? क्या यह सत्य है कि राजस्थान में खारवाल और देसवाल में लाखों टन नमक पैदा होता है और लाखों लोगों को इम्पलायमेंट मिलती है? इन दोनों बातों का श्रीमान उत्तर दें।

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा है वह सच है। इनकी जानकारी बिल्कुल सत्य है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अब सरकार की नीति आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करने की है। यह लाभप्रद तो है और संभवतः तराई क्षेत्र के लिए आवश्यक भी है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या यह तटीय क्षेत्र में लाभप्रद है और क्या आयोडीन-युक्त नमक देश के कतिपय क्षेत्रों में नुकसानदायक है। अगर ऐसा है तो क्या ऐसे क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए?

श्री अजित सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कई क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे मामलों में हम स्वास्थ्य मन्त्रालय की सलाह मानते हैं। जहां तक हम जानते हैं, उन्होंने यह सलाह दी है कि वर्ष 1992 तक समूचे देश में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी यह केवल तराई क्षेत्र के लिए है, जहां गलगण्ड रोग होता है। लेकिन हम इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह ही मानते हैं।

बिहार में लघु पन-बिजली परियोजनाएं

[हिन्दी]

*741. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार में लघु पन-बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की बिहार सरकार के अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि बिहार सरकार ने पनबिजली के लिए कोई मांग भारत सरकार से नहीं की। ऐसी बात नहीं है, जैसा कि मेरी जानकारी में है बिहार सरकार ने भारत सरकार से 1984-85 और वर्ष 1985-86 में पनबिजली

के विकास हेतु सहायता मांगी थी। लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि कोई प्रस्ताव बिहार सरकार ने नहीं दिया है। मेरा चेलेंज है इस पर। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है, वहां पानी की कमी नहीं है, पहाड़ों से पानी आने के कारण, कोसी, सोन और गंगा नदी से पानी आने के कारण वह इलाका बाढ़ से प्रभावित होता रहता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, क्या आप पनबिजली के विकास के लिए बिहार सरकार को पूर्ण सहायता देना चाहते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय सदस्य ने पूछा था, क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार में लघु पनबिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ? मैंने उत्तर में कहा है कि ऐसा कोई अनुरोध राज्य सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को नहीं मिला। माननीय सदस्य को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वह इस सम्बन्ध में स्पष्ट और निश्चित जानकारी दें कि किन लघु पनबिजली संयंत्रों के बारे में बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा, हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे। यही सूचना मुझे उपलब्ध कराई गई है, उसको मैं तुरन्त सही करूंगा, अगर दूसरी सूचना उनके माध्यम से हमें मिलेगी। हमारा पूरा प्रयास है कि देश के अन्दर आर्थिक विकास हो या कृषि का विकास हो, इनको पूरा करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बिहार में उसकी कमी है हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में इस कमी को जल्दी दूर किया जा सके, ताकि आर्थिक विकास की गति को और तेज किया जा सके।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं मन्त्री जी से आग्रह करता हूं, क्या आप नेपाल सरकार से बात करके कोसी नदी पर पनबिजली लगाने का कार्य करेंगे और यदि करेंगे तो कब तक वह होगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, कई वर्षों से हमारा प्रयास है कि ऐसी नदियों पर जो नेपाल से भारत में आती हैं उन पर बिजली के उत्पादन की परियोजनायें लगाई जा सकें। यह मामला नेपाल सरकार के सम्मुख बार-बार उठाया है और विचार करने की दृष्टि से वह कई स्टेजेज पर है। मेरे लिए यह सम्भव नहीं हो सकता कि इन मामले पर मैं विस्तार से बता सकूं, लेकिन इस मामले पर हमा पूरा ध्यान है और हमारी कोशिश है कि उन योजनाओं को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जा सके।

श्री राधा मोहन सिंह : बिहार में चम्पारण के इलाके में नेपाल में कुछ स्थानों पर बिजली मुहैया कराई जाती है और जिन इलाकों में नेपाल से बिजली सप्लाई की जाती है वहां देखा जाता है कि नियमित बिजली रहती है। मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है कि अन्य इलाकों में भी ऐसा करने के लिए नेपाल के साथ इस बात को आगे बढ़ाया जाये और हमारे अन्य इलाकों में भी बिजली मुहैया कराई जाए ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह दूसरे देश के साथ का मामला है और यदि माननीय सदस्य किसी नयी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ऐसे इलाके के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां से किसी अन्य बिजली घर से बिजली लेने की बात है तो उसको भी देखा जा सकता है। वैसे बुनियादी तौर पर तो यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह बिजली उपलब्ध कराये लेकिन केन्द्रीय सरकार ने भी जिम्मेदारी ली है कि केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से उस कमी को पूरा किया जा सके।

श्री जोरावर राम : अध्यक्ष जी, जैसाकि अभी कहा गया है कि पलामू से जो नदी कोयल और सोन निकला है, उससे पटना शहर बह जाता है जोकि परमानेंट रूप से ऐसा हो रहा है। पटना शहर

के बचाव के लिए अरबों रुपया खर्च होता है। कनहर नदी से 400 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। यह नदी पलामूं में भी पड़ती है। कोयल नदी पर कुट-कुट डैम बन रहा है, उससे भी बिजली पैदा होगी। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कनहर नदी से जो 400 मेगावाट बिजली पैदा होगी तथा कुटकुट डैम से भी बिजली पैदा होगी, इसे पूरा करने के लिए सरकार क्या कोशिश करेगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, मैं यह बता सकता हूं कि 7वीं योजना में सोन पश्चिमी, गण्डक, उत्तरी, कोयल नार्थ, सोन उत्तरी, तेनूघाट, मुजफ्फरपुर, पतरातू कुल मिलाकर 477.९09 मेगावाट बिजली की क्षमता निर्धारित की गयी थी कि 7वीं योजना के अन्दर इसको जोड़ा जाएगा लेकिन यह सब का सब कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और उसमें से 220 मेगावाट जोड़ी गयी है। 8वीं योजना के अन्तर्गत जो कार्यक्रम हैं उसमें चान्दील, तेनूघाट, नार्थ कोयल, तेनूघाट एक्सटेंशन, तेनू बोकारो, सोनवँद, उत्तरी कपदली, सोनू ईस्ट इत्यादि योजनाओं को केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा पूरा करने का संभव प्रयास किया जाएगा ताकि जो बिजली की कमी है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, चाहे बिहार सरकार ने छोटे जल विद्युत संयन्त्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति अथवा सहायता ली हो या नहीं किन्तु इन संयंत्रों का होना हमारी अर्थव्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमने विगत में भी ऊर्जा मन्त्रालय अथवा सलाहकार समिति में इस विषय पर कई बार चर्चा की। आप जानते हैं कि बड़े जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण, ग्रामों के जलमग्न होने आदि से इन दिनों काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे क्षेत्रों में कोएलकारो परियोजना इन्हीं कारणों से पिछले 15 वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। सुवर्णरेखा परियोजना का हाल भी यही है। उनमें 750 मेगावाट बिजली तैयार होनी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि छोटे बांध अच्छे हैं और बड़े बांध बुरे हैं। किन्तु मैं इस सन्दर्भ में यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार, विशेषकर ऊर्जा मन्त्रालय इन छोटे जल विद्युत संयंत्रों की सम्भावनाओं, भविष्य और उपयोग के बारे में नए सिरे से विचार करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सन्दर्भ में भारत में विशेषकर छोटा नागपुर पठार में छोटे जल विद्युत संयंत्र स्थापितकरने के बारे में आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विचार किया है या कोई योजना बनाई है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। वास्तव में जिन मुद्दों का उन्होंने उल्लेख किया है, हमें इनकी पूरी-पूरी जानकारी है। छोटे मिनी और माइक्रो संयंत्रों की स्थापना के लिए देश की विद्युत क्षमता का सुव्यवस्थित मूल्यांकन करने के लिए इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अध्ययन कार्य तेजी से हो रहा है और यह अध्ययन पूरा होने की सम्भावित अवधि 1991-92 है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में छः लघु जल-विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। अब एक और प्रस्ताव है जिसके अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को यह अनुमति दी जाए कि वह राज्य विद्युत बोर्डों को नियमित आधार पर 3 मेगावाट क्षमता से अधिक की छोटी जल-विद्युत परियोजनाएं लागू करने के लिए वित्तीय सहायता दे। 100 किलो वाट से लेकर 3 मेगावाट की क्षमता तक की मिनी और माइक्रो जल-विद्युत परियोजनाओं का एक अंश गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग को सौंप दिया गया है ताकि वे बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम आरम्भ कर सकें।

बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के लिए कृतिक-बल

***742. श्री चित्त बसु :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए एक कृतिक बल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस मामले के कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में 6`0 मेगावाट (3 × 210) की बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना के लिए सोवियत ऋण प्राप्त किए जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया है। भारत सरकार ने आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में भारत तथा सोवियत संघ के बीच दिनांक 24 नवम्बर, 1987 को हुए करार के अन्तर्गत उपलब्ध सोवियत सहायता को "सिद्धान्त रूप से" बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रदान करने का निर्णय किया है। परियोजना की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने और ऋण की मात्रा जिसके लिए सोवियत सरकार की सहमति भी आवश्यक होगी, का निर्धारण करने के लिए 4 अप्रैल, 1990 को एक कृतिक बल की स्थापना की गई है। उक्त कृतिक बल ने परियोजना स्थल का पहले ही दौरा कर लिया है। कृतिक बल का कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है और इसके द्वारा शीघ्र ही सिफारिशें दे दिए जाने की संभावना है।

श्री चित्त बसु : महोदय, यह विवरण एक मुद्दे को छोड़कर निश्चय ही स्पष्ट और संक्षिप्त है। विवरण में विशेष रूप से यह कहा गया है कि बक्रेश्वर परियोजना एक राज्य परियोजना है। यह भी कहा गया है कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय किया है कि उपलब्ध सोवियत सहायता को बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वियन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदान कर दिया जाएगा। किंतु विवरण की यह बात और भी उलझाने वाली है जिसमें यह कहा गया है कि परियोजना की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाए और सोवितत सहायता की ऋण की मात्रा निर्धारित की जाए। अड़चनें इसी में हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि 'परियोजना की स्पष्ट रूप से व्याख्या' करने से क्या तात्पर्य है ? क्या यह ए० बी० एल०-बॅब कॉक द्वारा सप्लाई किए गए बॉइलर्स, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्रमादेश दिए गए हैं और सोवियत रूस द्वारा सप्लाई किए गए टरबाइन जनरेटरों में तकनीकी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्न है ? इस मामले में यह बात याद रखनी है कि मूल परियोजना में 3 × 210 मे० वा० संयंत्र की स्थापना का विचार किया गया है और बॉइलर्स का क्रमादेश इन्हीं विशिष्टियों के आधार पर दिया गया है। किंतु सोवियत रूस, जिनसे हम टरबाइन जनरेटरों का आयात करना चाहते हैं, केवल 225 मे०वा० क्षमता के टी० जी० सेटों का निर्माण करता है। वह हमारी विशिष्टियों के अनुरूप अर्थात 3 × 210 मे०

वा० क्षमता के टी० जी० सेट तैयार नहीं करते हैं। क्या यह दोनों को आपस में मिलाने का प्रश्न नही है और क्या यह परियोजना के शीघ्र पूरा होने में बाधा बना है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : वास्तव में माननीय सदस्य परियोजना के विभिन्न पहलुओं से पूर्ण रूप से भिज्ञ है और उन्होंने अपना प्रश्न पूछने के साथ उत्तर भी दे दिया है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही समस्या का उल्लेख किया है। कुछ समय तक, किसी विशेष स्थिति में हम यह कार्य नहीं वर सके। ऐसा इसलिए था कि एक निर्णय यह लिया गया था कि द्विपक्षीय विदेशी ऋण ऐसी परि-योजनाओं के लिए नहीं दिया जाएगा, जो राज्य क्षेत्र में लागू हो रही हैं। केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार की यह स्थिति थी। उन्होंने तय किया था कि यदि बक्रेश्वर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए द्विपक्षीय ऋण उपलब्ध नहीं किया जाता, तो वे अपने स्वयं के संसाधन जुटाकर इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे। ऐसा निर्णय करने के बाद उन्होंने आगे कार्यवाही की और कुछ उपकरणों के लिए स्वदेशी निर्माताओं को क्रमादेश दिए। अब समस्या यह है कि यदि द्विपक्षीय सहा-यता उपलब्ध करा दी जाती है, तो इसमें अनेक प्रश्न उठते हैं जैसे द्विपक्षीय राशि का उपयोग उस देश से उपकरणों के आयात के लिए करना, जो देश यह धन राशि ऋण सहायता के रूप में दे रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का समाधान किया जाना है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य यह महसूस करें कि इसमें भारत सरकार की ओर से कोई हिचकिचाहट है अथवा कोई रुकावट है।

पिछले दिनों मैंने कहा था कि हमने सिद्धांत रूप में एक निर्णय लिया है कि हम इस द्विपक्षीय सहायता को बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराएंगे। जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है, कार्य दल ने परियोजना स्थल का दौरा कर लिया है। वे यहां पर किए जा रहे कार्य की प्रगति से सन्तुष्ट हैं। हमने रूसी दल से भी सम्पर्क किया है, जो कि पहले से ही भारत में है और यह रूसी दल उपकरणों और डिजाईनों के बारे में वित्तीय सहायता को अन्तिम रूप देने के लिए 15 मई के बाद परियोजना स्थल का दौरा करने जाएगा और उसके बाद सोवियत संघ के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न को अच्छी तरह समझ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री चित्त बसु : जहां तक सोवियत ऋण का सम्बन्ध है, इसकी राशि का पहले ही निर्णय किया जा चुका है। अब क्या कारण है कि सोवियत ऋण के पुनर्निर्धारण का प्रश्न उठा है। दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की दूसरी एजेन्सियों ने इस परियोजना के लिए मंजूरी सरकार को दे दी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, मैं नहीं समझता कि यह कहना ठीक होगा कि सहायता राशि का निर्धारण पहले किया गया था। पहला निर्णय यह था कि जो परियोजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। परन्तु भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए हुए समझौते के अन्तर्गत 700 मिलियन रूबल की कुल राशि उपलब्ध है। जैसाकि मैंने पहले कहा था, उपकरण और डिजाईनों आदि के लिए एवं कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जाए, ये सभी बातें विस्तार की हैं जिनका कार्य दल और रूसी दल के बीच निर्णय किया जाना है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में आशंका रखने का कोई कारण है। इस परियोजना के लिए इस सहायता को उपलब्ध कराएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह परियोजना समय के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी।

श्री रूपचन्द पाल : बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना पिछली सरकार के कारण काफी लम्बे समय से लटकी हुई है। पश्चिम बंगाल के लोगों की यह न्यायोचित मांग है। अब, नई सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह विदेशी ऋण अर्थात रूसी सहायता इसे उपलब्ध करायी जाएगी। सरकार ने इसके प्रारूप, डिजाइन और दूसरी आवश्यकताओं के बारे में भी अपनी संतुष्टि जाहिर की है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या मंजूरी और सहायता की राशि के बारे में निर्णय की घोषणा दो या तीन महीनों में कर दी जाएगी जिससे कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले से की गयी प्रगति को बरकरार रख सके।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने पहले ही यह बात कही है कि कार्य दल की बैठकें 16 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल, 1990 को हुई हैं। कार्य दल के अध्यक्ष ने इसके तीन सदस्यों के साथ परियोजना के बारे में अब तक की गयी प्रगति की स्वयं जानकारी हासिल करने के लिए बक्रेश्वर परियोजना स्थल का दौरा 20 अप्रैल, 1990 को किया था। मैंने यह भी बताया है कि रूसी दल, जो अभी भारत में मौजूद है, 15 मई के बाद परियोजना स्थल का दौरा करेगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य किसी तारीख विशेष की घोषणा के लिए जोर नहीं डालेंगे परन्तु मुझे आशा है कि माननीय सदस्य के द्वारा बताये गये समय से पूर्व ही प्रत्येक बात के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा।

श्री अजित पांजा : माननीय मन्त्री महोदय ने लगभग तीन सप्ताह पूर्व इस प्रश्न का जवाब दिया था और मुझे याद है, कि उस समय उन्होंने एक सीधे प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य को सीधे सोवियत ऋण देने का निर्णय लिया है। अब उनके शब्द बदल गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस परियोजना के सभी समर्थक इस बात को देखेंगे। अब शब्द इस प्रकार हैं :

> "भारत सरकार ने आर्थिक एवं तकनीकी सम्बन्ध में भारत तथा सोवियत संघ के बीच दिनांक 24 नवम्बर, 1987 को हुए करार के अन्तर्गत उपलब्ध सोवियत सहायता को 'सिद्धांत रूप से' बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रदान कराने का निर्णय किया है।"

माननीय मन्त्री महोदय जानते हैं कि जब किसी दूसरे देश से प्राप्त परियोजना सहायता सीधे राज्य को दी जाती है, तो इससे पूरी राशि उस राज्य को मिल जाती है। यदि यह भारत सरकार के माध्यम से दी जाती है, तो परियोजना कार्यान्वयन के लिए पूरी राशि राज्य को नहीं पहुंचती है। यह स्वीकार किया गया था कि सोवियत सहायता की कुल राशि 600 करोड़ रुपए होगी और इसमें से संयुक्त क्षेत्र की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 350 करोड़ रुपए राज्य को दिए जाएंगे। शायद मन्त्री महोदय ने फाइल नहीं देखी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है। यह इसलिए किया गया है, क्योंकि यह एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना होगी। मेरी दलील यह है कि सम्पूर्ण सोवियता सहायता राशि, जैसाकि स्वीकार किया गया था, जो 600 करोड़ रुपए है, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य को सीधे दी जानी चाहिए और भारत सरकार को इसमें से कोई राशि नहीं रखनी चाहिए। दूसरे, इसके लिए कुल 1800 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 600 करोड़ रुपये के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि यह राशि घटाकर 350 करोड़ रुपये कर दी गयी है। सात दिन पहले ही हमने विभाग में किसी को कहते सुना कि यह राशि लगभग 180 करोड़ रुपये होगी क्योंकि दो बायलरों का क्रयादेश पहले ही दिया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि पहले सहमत हुई राशि कितनी है और

क्या भारत सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है और क्या यह सम्पूर्ण सोवियत सहायता राज्य को सीधे दी जाएगी अथवा नहीं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय सदस्य एक बहुत ही अनुभवी संसदविज्ञ हैं । तथापि, यह अच्छा होगा यदि वे पूर्ण रूप से अपनी याददाश्त पर भरोसा करने के बजाय दस्तावेजों और सदन के रिकार्ड पर भी विश्वास करें । पिछली बार जब मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया था, तो मैंने यह बात विशेष रूप से स्पष्ट की थी कि यह एक राज्य परियोजना है और हमने विद्युत वित्त निगम के माध्यम से इस परियोजना के लिए द्विपक्षीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है । इसलिए, माननीय सदस्य मुझ पर जो बात कहने का आरोप लगा रहे हैं, वह बात मेरे कहने का कोई प्रश्न ही नहीं है । मैंने यह बात भी कही थी कि एक समय यह निर्णय लिया गया था कि राज्य विद्युत परियोजनाओं को द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाएगी । इस कारण ही पश्चिम बंगाल सरकार ने आगे कार्यवाही की और उपकरणों की प्राप्ति के लिए स्वदेशी निर्माताओं को क्रयादेश दे दिए थे । चूंकि यह क्रयादेश पहले ही किया जा चुका है, हमें ब्यौरे तैयार करने हैं । हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल सरकार ये क्रयादेश रद्द करे । पश्चिम बंगाल सरकार ने बक्रेश्वर परियोजना में उपयोग के लिए बायलरों के क्रयादेश दिए हैं । हमें यह देखना है कि क्या इन उपकरणों का उपयोग इसी प्रकार की किन्हीं दूसरी परियोजनाओं में किया जा सकता है अथवा नहीं । हम इन क्रयादेशों को रद्द कराना नहीं चाहते हैं । ये क्रयादेश स्वदेशी निर्माताओं को दिए गए हैं और ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं । हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि यह परियोजना निर्धारित समय के अनुसार कार्यान्वित हो ।

पेट्रोलियम उत्पाद में आत्मनिर्भरता

***744. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग और उत्पादन कितना होगा;

(ख) क्या इनके मामले में इस शताब्दी के अन्त तक निर्धारित लक्ष्यानुसार आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई संदर्शी योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादों की प्रत्याशित मांग 77.7 मि० टन है ।

उत्पादन अनुमानों के बारे में आठवीं योजना में नई रिफाइनरियों और मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार की परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही पता लग सकता है ।

(ख) इस संबंध में कोई ठोस पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(ग) करनाल, मंगलौर और नूमलीगढ़ (असम) में तीन नई ग्रास रूट रिफाइनरियां तथा कावेरी बेसिन में नागापट्टीनम के निकट एक क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । कम लागत पर विस्तार कार्य करके और बाधाओं को दूर करके शोधन क्षमता में भी और अधिक वृद्धि की जाएगी । तीन अतिरिक्त ग्रास रूट रिफाइनरियों के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं तथापि ये तीन अतिरिक्त रिफाइनरियां नवीं योजना अवधि के दौरान ही पूरी हो सकती हैं ।

सरकार का यह भी प्रयास है कि अन्वेषण कार्यकलापों में तेजी लाकर और तेल अधिप्राप्ति में बढ़ोतरी करने की तकनीकी का इस्तेमाल करके कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की जाए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैंने आठवीं योजना के उत्पादन अनुमानों के बारे में पूछा था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को अभी तक आठवीं योजना काल के दौरान उत्पादन अनुमानों के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस प्रकार कैसे चल सकती है। आठवीं योजना अवधि आरम्भ हो चुकी है परन्तु सरकार को अभी भी अनुमानित आंकड़ों की जानकारी नहीं है। पेट्रोलियम एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में अभी तक अनभिज्ञ क्यों है। सरकार को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस योजना अवधि के अन्त तक कितना उत्पादन होगा।

दूसरे, मैंने पूछा था कि हम इस क्षेत्र में कब तक आत्म-निर्भर हो जाएंगे और मंत्री महोदय ने बताया, "इस सम्बन्ध में कोई ठोस पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।" मैं कहूंगा कि सरकार को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक वृहद योजना तैयार करनी चाहिए। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह बात स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि आठवीं योजना अवधि में उत्पादन के आंकड़े क्या होंगे और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : महोदय, मेरे पास कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन के कुछ वर्षों के आंकड़े हैं। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। वर्ष 1989-90 में कच्चे तेल का उत्पादन 34 मिलियन टन था। वर्ष 1990-91 में कच्चे तेल का उत्पादन 35.90 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 में, अर्थात आठवीं योजना अवधि के अन्त में, जिसके बारे में मेरे मित्र पूछ रहे हैं, कच्चे तेल का उत्पादन 50.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। हमारी योजनायें हैं। मैंने ये आंकड़े सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत किए हैं। उनके मामलों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसमें पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती। हमने लगभग 60 प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इसे आठवीं योजना अवधि में भी बनाए रखा जाएगा। मैं यह भी बता देना चाहता कि आठवीं योजना के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग लगभग 77 मिलियन टन के आस-पास होगी। वर्ष 1994-95 में पेट्रोलियम उत्पादों की 18 मिलियन टन की कमी रहेगी। वर्ष 1999-2000 में यह कमी 42 मिलियन टन की होगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने कहा है कि हमारी आवश्यकताओं का 60 प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाएगा। उन्होंने हमें इस बात के लिए भी सचेत किया है कि हम कभी भी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। यह ठीक है। परन्तु यह बात सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। यह दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।

सर्वप्रथम तो सरकार को उन तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए, जिनके द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कटौती की जा सकती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास यह देखने के लिए कोई योजना है कि पेट्रोलियम, डीजल अथवा पेट्रोल, इसको आप जो कुछ भी कहें, का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाए।

दूसरे, राजीव गांधी की सरकार ने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए एक अभियान चलाया था। गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से बहुत सहायता मिल सकती है। यह पेट्रोलियम उत्पादों के लिए

एक विकल्प होगा । मैं देखता हूं कि यह सरकार उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। वही एक तरीका है जिसके द्वारा पेट्रोलिसम उत्पादों की खपत में कमी की जा सकती है। अतः गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादन को प्रोत्साहन देकर ही सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी कर सकती है । इस देश में उस क्षेत्र के लिए विस्तृत भावनाएं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के सम्बन्ध में राजीव गांधी सरकार द्वारा आरम्भ किए गए प्रयासों को जारी रखेगी । कुछ क्षेत्रों में तेल की खोज पहले से चल रही है। परन्तु सरकार को नए क्षेत्रों का भी पता लगाना है । मेरी जानकारी के अनुसार केरल समुद्र तट पर इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया गया है । मैं यह भी जानता हूं कि वे नए क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां सरकार तेल के बारे में खोज-कार्य करने जा रही है जिनमें केरल समुद्र तट, तमिलनाडु समुद्र तट, कावेरी बेसिन, जो दक्षिण में हैं, शामिल हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन क्षेत्रों में क्या कार्य करने जा रही है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं अपने मित्र प्रो० कुरियन द्वारा उठायी गई अनेक बातों से सहमत हूं । मेरे विचार से, एक देश के नाते हमें पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर नियन्त्रण और रोक के बारे में विचार करना होगा । ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है । और भविष्य में यह अन्तर और भी बढ़ेगा । यद्यपि हम गैर-परम्परागत ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं तथापि हम उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं, परन्तु हम उस दिशा में अपने प्रयास कर रहे हैं । मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं । हमारा यह प्रयास होगा कि गैर-परम्परागत ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए। हम अपने प्रयासों को उस पर केन्द्रित करेंगे । परन्तु इसी बीच मुझे विश्वास है कि सदन इस बारे में मेरे से सहमत होगा कि पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग पर रोक लगानी होगी और उस पर नियंत्रण करना होगा ।

मैंने कुछ दिन पूर्व इस सदन में इस बारे में एक सुझाव दिया था । संसद की मंजूरी से मैं पूरे भारत में पेट्रोल पम्पों के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक छुट्टी लागू करना चाहता हूं । मैं इस सम्बन्ध में आपका सहयोग चाहता हूं । मैं पेट्रोल के इस्तेमाल पर कुछ अंकुश लगाना चाहता हूं । इस वर्ष पेट्रोल की मांग पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। यदि यह इसी प्रकार जारी रही तो हमें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । हम इसके लिए इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकते । हम ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं । हम अनेक क्षेत्रों में अपनी ईंधन खपत कुशलता में सुधार कर रहे हैं । एक अनुसंधान कक्ष है जो बड़े प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। परन्तु, इसकी भी सीमाएं हैं । शायद भविष्य में हमें पेट्रोल के क्षेत्र में एक बड़े संकट का सामना करना पड़े ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम उत्पाद का अधिक उत्पादन करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसके वितरण करने का भी एक महत्वपूर्ण विषय है । इसके वितरण में बड़ी धांधलेबाजी, घपलेबाजी और रिश्वतबाजी हो रही है । मैं मन्त्री महोदय से दो-तीन भागों में प्रश्न पूछना चाहता हूं । पेट्रोलियम उत्पादन वितरण की क्या नीति है ? देश में इसके कितने वितरक हैं ? इनमें अनुसूचित जाति के कितने वितरक हैं और क्या अनुसूचित जाति के वितरकों का कोई अनुपात आरक्षित है ? दिल्ली में आप इस वर्ष कितने वितरक बनाने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह प्रश्न इससे बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उत्तर दें अथवा न दें।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, हम कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु उसकी एक सीमा है। केवल ईश्वर अथवा भाग्य ही हमारी सहायता कर सकता है और हमें दूसरा बोम्बे हाई प्राप्त हो सकता है ताकि हम शत-प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। वर्ष 1989-90 में हमने कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 2 मिलियन टन की वृद्धि की थी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने वितरक के बारे में पूछा है, क्योंकि इस वितरक में धांधलेबाजी हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे उसका उत्तर नहीं दे सकते।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, आप इनको कहिए, वितरण एक आवश्यक पहलू है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मंगलौर में एक तेलशोधक कारखाने और एक पेट्रो-केमीकल्स काम्पलैक्स जिसकी लागत ,600 करोड़ रुपए होगी, की स्थापना के लिए भारत सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। माननीय मंत्री महोदय भी कर्नाटक सरकार में मंत्री थे। अब श्री रामकृष्ण हेगड़े योजना आयोग में हैं। माननीय मंत्री महोदय केवल एक तेल शोधक कारखाने की बात करते हैं, वे पेट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स के बारे में कुछ नहीं कहते। यह मामला अक्टूबर के महीने में पी० ए० सी० के पास आना था जब हम इस सरकार को अपना कार्यभार सौंपने वाले थे।। यह नवम्बर के महीने की बात है। पेट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स का क्या हुआ ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं मंगलौर में पेट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं, जो इस सरकार के सामने लम्बित हैं। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है जिसमें यह देखना है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-सी परियोजना शामिल की जाए और कौन-सी परियोजना नवीं योजना में शामिल की जाए। पिछली सरकार के शासन काल में एक नहीं सभी प्रकार की परियोजनाएं थीं। अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं, जो मेरे मंत्रालय में लम्बित पड़ी हैं। हमें उनमें से चयन करना होगा। इसलिए, मैं सदन को फिलहाल यह नहीं बता सकता कि पेट्रो-कैमिकल्स के क्षेत्र में कौन-सी परियोजना आठवीं योजना में आरम्भ की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अध्यक्ष महोदय, निजी वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है और उसी के अनुपात में पेट्रोलियम की खपत भी बढ़ रही है। निजी वाहनों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि अधिकतर लोग सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, आराम के लिए, अय्यासी के लिए अनेकों वाहन रखते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की दिशा में कोई प्रयास करेगी ? तथा जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, उसको अधिक सक्षम बनाने के लिए भी प्रयत्न करेगी ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दक्षिणी क्षेत्र में मारुति कार के वितरक

[अनुवाद]

*740. श्री ए० एन० सिंह देव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपने उत्पादों की बिक्री करने हेतु दक्षिणी क्षेत्र में वितरक नियुक्त करने का निर्णय किया था;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के लिए वितरक नियुक्त किए जाने थे और क्या वितरकों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे तथा उनसे धनराशि जमा की गई थी;

(ग) क्या इन स्थानों के लिए वितरक नियुक्त कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) मारुति उद्योग लिमिटेड के पास दक्षिण भारत में पहले से ही डीलर मौजूद हैं। बेलगाम के लिए एक नए डीलर के लिए विज्ञापन दिया गया था। कुल बेंतालीस वैध आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से प्रत्येक से 10,000 रुपए की जमा धरोहर राशि ली गई। प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स में ग्राहक सेवा संबंधी उपायों का कार्यान्वयन

*743. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के सामने आ रही कुछ समस्याओं को देखते हुए इसकी छवि को नया रूप देने हेतु ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए एयरलाइन्स ने जनवरी, 1990 में कुछेक एक-मुश्त उपाय करने पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से अब तक कितने उपाय लागू कर दिए गए हैं और किस सीमा तक लागू किए गए हैं; और

(घ) शेष उपायों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1989 में घोषित मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

(क) सूचना का सही और तत्काल प्रचार

(1) अतिरिक्त उच्च आवृत्ति की व्यवस्था-19 और स्टेशनों पर सिंगल साइड बैंड एच० एफ० एस० एस० बी० सेट;

(2) इंडियन एयरलाइन्स के सफदरजंग हवाई अड्डे बुकिंग कार्यालय पर स्वतः उत्तर देने वाली मशीनों की व्यवस्था करना;

(3) 20 अतिरिक्त दूरभाष लाइनों की व्यवस्था; और

(4) सुबह 4 बजे से अर्धरात्रि तक टेलीटेक्सट सेवा का विस्तार।

(ख) सुविधा संबंधी सेवाओं में सुधार

(1) प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राहक सेवा यूनिटों को मजबूत करना और उनका पुनर्गठन करना;

(2) अतिरिक्त केस काउंटरों की व्यवस्था;

(3) हवाई अड्डे के रेस्तराओं पर असहाय यात्रियों को चाय, काफी, जलपान आदि देना;

(4) दीर्घ विलम्ब के मामलों में चुने हुए होटलों तक यात्रियों को परिवहन की व्यवस्था करना;

(5) विलम्बित उड़ानों के मामले में हवाई अड्डे के होटलों पर सूचना प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना;

(6) दीर्घकालीन विलम्बों के मामले में होटलों में व्यवस्था करना;

(7) पैसा वापसी, टैक्सी वाउचर, होटल आवास आदि में सहायता की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को लगाना;

(8) दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वतन्त्र परिपुष्टि के लिए आकस्मिक निरीक्षण करना।

(ग) और (घ) निम्नलिखित के अलावा उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित कर लिया गया है। सभी 19 स्टेशनों पर अतिरिक्त एच०एफ-एस०एस०बी सेटों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है क्योंकि इन उपकरणों का आयात किया जाना था। आकस्मिक निरीक्षण की योजना को बाद में कार्यान्वित किया जाएगा हालांकि ग्राहक सेवाओं का निरन्तर निरीक्षण किया जाता है।

गांधीनगर में एक अतिरिक्त टर्मिनल की स्थापना

*745. **श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में गांधीनगर में एक अतिरिक्त टर्मिनल की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) अहमदाबाद के लिए पूरक कोचिंग टर्मिनल के रूप में गांधीनगर का विकास करने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण अनुमोदित कर दिया गया है।

अजमेर में हवाई अड्डा

*746. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर के समीप किशनगढ़ में हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए वर्ष 1988 में अथवा उसके आसपास कोई स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं है।

विदर्भ क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना

*747. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विदर्भ क्षेत्र की ओर से लम्बे अरसे से यह मांग की जा रही है कि वहां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ बड़े उद्यम स्थापित किए जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के साथ-साथ समग्र संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय पूंजीनिवेश किया जाता है। फिलहाल विदर्भ क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

*748. **श्री समरेन्द्र कुन्डू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण में खामियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्रों का निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है। किन्तु, कमजोर डाटा आधार, शक्तियों का अपर्याप्त प्रत्यायोजन, अप्रचलित परियोजना प्रोफाइल, बड़ी संख्या में रिक्तियां, प्रशिक्षित तथा प्रेरित कार्मिकों की कमी जैसी कुछ खामियां दिखाई दी हैं। संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

विशाखापत्तनम में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

*749. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में कोयले पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क). से. (ख) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 1477.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक ताप विद्युत केन्द्र (2×500 मेगावाट) प्रतिष्ठापित किए जाने के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से सितंबर, 1988 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। राज्य प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने समेत जल एवं कोयले की उपलब्धता आदि जैसे सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना का तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना सम्भव होगा।

क्लोरोक्वीन फास्फेट की मांग और उत्पादन

*750. श्री एस० बी० थोरट : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्लोरोक्वीन फास्फेट की अनुमानित मांग कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में इसका कितना उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) क्लोरोक्वीन फास्फेट के मुख्य उत्पादक कौन-कौन हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा कितना उत्पादन किया गया;

(ग) देश में क्लोरोक्वीन फास्फेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/करने का विचार है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इस समय क्लोरोक्वीन फास्फेट का निर्धारित मूल्य कितना है और यह निर्धारित किया गया था;

(ङ) क्या उत्पादकों ने इसके मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की तुलना में लघु क्षेत्र के उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) देश में वर्ष 1990-91 के लिए क्लोरोक्वीन फास्फेट की मांग जैसा औषध और भेषज से सम्बन्धित 8वीं योजना कार्यदल द्वारा अनुमान लगाया गया है, 200 मीटरी टन है। क्लोरोक्वीन लवणों के उत्पादन और आयात के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं—

	1986-87	1987-88	1988-89
उत्पादन (मी० टन)	177.6	140.10	130.08
आयात (कि० ग्राम)	28870	14270	26977

(ख) क्लोरोक्वीन लवणों के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ग) उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्लोरोक्वीन फास्फेट को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। मेसर्स आई० डी० पी० एल०, बी० आई० एल० और आई० पी० सी० ए० लैब्स ने इसका उत्पादन बढ़ा दिया है।

(घ) क्लोरोक्वीन फास्फेट का वर्तमान मूल्य 6-11-1989 से 833 रुपए प्रति किलो ग्राम है।

(ङ) इस औषध के मूल्य में संशोधन में लिए कोई अनुरोध अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(च) सभी क्लोरोक्वीन उत्पादकों, चाहे वे लघु उद्योग हों या एम० आर० टी० पी० कंपनियां, के लिए समान कीमत निर्धारित की गई है।

विवरण

कम्पनी का नाम	क्षमता की इकाई (मी० टन)	उत्पादन		
		1986-87	1987-88	1988-89
1. आई डी पी एल		0.10	7.36	16.42
2. बी आई एल		0.32	0.78	1.06
3. बी ई सी केमिकल्स		20.70	4.00	9.77
4. सुनीता केमिकल्स		31.17	16.62	6.03
5. रेनबेक्सी लेब्स		53.82	43.96	14.66
6. बेयर (इण्डिया) लि०		33.04	29.87	33.73
7. क्योर ड्रग्स		15.29	—	—
8. आई पी सी ए लेब्स		23.16	37.51	51.41

मिले जुले नामों का प्रयोग

*751. श्री मानिक सान्याल :
चौधरी राम प्रकाश :

क्या उद्योग मन्त्री विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग के बारे में 27 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अन्य शब्द को साथ जोड़कर किसी विदेशी ब्रांड नाम के प्रयोग के प्रति आपत्ति न उठाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस प्रकार का नाम भारतीय ब्रांड नाम बन जाता है;

(ग) क्या यह शर्त के उद्देश्य का उल्लंघन अथवा परिवंचना है कि घरेलू बिक्री के लिए किसी विदेशी ब्रांड नाम के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) भारतीय ट्रेड मार्क के साथ विदेशी ट्रेड मार्क का इस्तेमाल करने के लिए आपत्ति न करने का कारण यह है कि ऐसे मामलों में व्यापार और

पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 अथवा सरकार द्वारा दी गई विदेशी सहयोग स्वीकृति का उल्लंघन नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरी बिहार में बिजली की कमी

[हिन्दी]

*752. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उत्तरी बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तरी बिहार में सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तरी बिहार में वाणिज्यिक आधार पर विद्युत सप्लाई करने के लिए सौर विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित करने हेतु अभी तक किसी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) बिहार में शेष गांवों का विद्युतीकरण किए जाने से सम्बन्धित कार्य आठवीं योजना के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की आशा है बशर्ते निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों।

"जनता एक्सप्रेस" सवारी गाड़ियों को न चलाया जाना

*753. **श्री राघवजी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 को देश में "जनता एक्सप्रैस" नाम की कुल कितनी सवारी गाड़ियां चलाई जा रही थीं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन सी गाड़ियों का चलाया जाना बंद कर दिया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन गाड़ियों को पुनः चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) बीस जोड़ी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इन गाड़ियों के बदले चलायी गई पुनर्गठित युक्तियुक्त गाड़ी सेवाएं यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करती हैं।

विवरण

1985 से 1989 तक की अवधि के दौरान इन गाड़ियों के बदले बेहतर गाड़ी सेवाएं प्रदान

करने के बाद निम्नलिखित जनता गाड़ियों में या तो ऊंचे दर्जे के स्थान की व्यवस्था करके या उनका नाम बदल कर उनके स्वरूप/संरचना में परिवर्तन किया गया था :—

1. 17/18 मद्रास सेन्ट्रल-जम्मू तवी एक्सप्रेस ।
2. 13/14 बम्बई-मद्रास एक्सप्रेस ।
3. 41/42 बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस ।
4. 169/170 बम्बई-भागलपुर एक्सप्रेस ।
5. 913/914 बम्बई-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ।
6. 131/132 हजरत निजामुद्दीन-कोच्चिन/मंगलौर एक्सप्रेस ।
7. 81/82 बम्बई-कन्याकुमारी एक्सप्रेस ।
8. 61/62 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस ।
9. 153/154 मुजफ्फरपुर-दिल्ली एक्सप्रेस ।
10. 45/46 दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस ।
11. 37/38 मद्रास-हावड़ा एक्सप्रेस ।
12. 305/306 कोच्चिन/शोरूवण्णूर एक्सप्रेस ।
13. 165/166 हावड़ा-न्यू बोंगाईगांव एक्सप्रेस ।

मीटर लाइन

14. 31/32 दिल्ली-अहमदाबाद अरावली एक्सप्रेस ।

दुलहस्ती तथा कवास परियोजनाएं

[अनुवाद]

*754. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुलहस्ती तथा कवास परियोजनाएं मैसर्स अल्सथम को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली निगम ने मैसर्स अल्सथम की निविदा-दरों को बहुत ऊंचा पाया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनी को ठेके दिए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना के टर्न-की क्रियान्वयन हेतु ठेका मैसर्स सी० ई० जी० ई० एल० ई० सी० (जो कि इससे पहले सी० जी० ई० ई० अल्सथाम के नाम से जानी जाती थी) के नेतृत्व वाले एक फ्रांसीसी व्यापार संघ को दिया है। फ्रांसीसी व्यापार संघ को ठेका इसलिए दिया गया है, क्योंकि प्रस्तावित वित्त-पोषण पैकेज को ध्यान में रखते हुए निबल मूल्यांकित लागत के संदर्भ में उनका प्रस्ताव अन्य से कम पाया गया था।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कवास गैस आधारित संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना के लिए ठेका, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के अन्तर्गत प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर न्यूनतम मूल्यांकित बोलीदाता मैसर्ज जी० ई० सी० अल्सथाम एस० ए०, फ्रांस को दिया गया है ।

मूल्य नियंत्रण समाप्त की गयी औषध के उत्पादन में बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों के उत्पादन का प्रतिशत

*755. **श्री के० मानवेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा वर्ष-वार लाभ की कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ख) इन कम्पनियों के कौन-कौन से उत्पाद हैं जिनसे मूल्य नियंत्रण हटाया गया था और उनके कुल उत्पादन में ऐसी औषधियों का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) देश में भेषण क्षेत्र में 30 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं । किन्तु 40 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली कम्पनियां अर्थात फेरा कम्पनियां केवल छः हैं । रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग कम्पनियों द्वारा किए गए निवेशों के ब्यौरों को मानीटर नहीं करता है और उनके सम्पूर्ण उत्पादों के ब्यौरों को भी मानीटर नहीं करता है । नए निवेश करने में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा फिर से लगाई गई राशियों को भी इस विभाग द्वारा मानीटर नहीं किया जाता है ।

बम्बई हाई गैस का उपयोग

*756. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री ए० आर० अन्तुले :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से कच्चे तेल के साथ कुछ प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसका औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार प्रयोग करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस का अन्तरण मुख्य भूमि में टर्मिनलों तक करने के लिए कोई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय बम्बई हाई क्षेत्र से लगभग 26.5 मि० घन मी० संबद्ध गैस का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है । इस गैस के एक हिस्से की ढुलाई बम्बई हाई उरन पाइपलाइन के जरिए उरन को और बम्बई हाई उरन के साथ दक्षिणी बेसिन से पाइपलाइन जोड़कर हजीरा को की जा रही है । इस प्रकार

ढुलाई की गई गैस का इस्तेमाल विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) हीरा क्षेत्रों को उरन स्थित तटवर्ती टर्मिनल से जोड़ने के लिए एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इसके 1990-91 में आरम्भ हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त अपतटीय उत्पादन सुविधाओं से तटवर्ती टर्मिनलों तक गैस के संपीड़न और इसकी ढुलाई के लिए अन्य पाइपलाइनों और सम्बद्ध सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है।

वैस्टलैंड हेलीकाप्टरों के बारे में नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

***757. श्री गंगा चरण लोधी :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टलैंड हेलीकाप्टरों के परिचालन और सुरक्षा पहलुओं के अध्ययन के बारे में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इनके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जी, हां। रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश की अनपारा "बी" परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

***758. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से अनपारा "बी" परियोजना के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किए जाने का सुझाव रखा है :—

(1) इस परियोजना के आगामी दो वर्षों के समग्र व्यय की पूर्ति के लिए भारत सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए;

(2) परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपी जा सकती है लेकिन परियोजना का क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, जो कि इस समय परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, द्वारा किया जाना ही जारी रखा जाना चाहिए;

(3) जैसाकि टिहरी जल विद्युत परियोजना के मामले में किया गया है, इस परियोजना को भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार की संयुक्त क्षेत्र परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

परियोजना को केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र में हाथ में लेने में विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए राज्य प्राधिकारियों को सूचित कर दिया है कि इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के अनुरोध का संबंध है, भारत सरकार को इस मामले की जानकारी है।

"विंग डमेज टु बोइंग हश्ड अप" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

7794. **श्री सुदर्शन राय चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित दिनांक 22 अक्तूबर, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "विंग डैमेज टु बोइंग हश्ड अप" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को नागर विमानन महानिदेशक से इस घटना के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। विमान की बाईं तरफ के सबसे पिछले फ्लैप का प्रमुख सिरा एक घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ग) इसके लिए जिम्मेवार पाए गए एक पर्यवेक्षक और एक तकनीशियन को एयर इंडिया द्वारा चेतावनी दे दी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं है।

राजस्थान में गैस चूल्हा योजना

[हिन्दी]

7795. **श्री गोपाल पचेरवाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ जिलों मुख्यालयों, नगरों और शहरों में गैस चूल्हा योजना शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के किन-किन अन्य नगरों और शहरों में इस योजना को शुरू करने का विचार किया गया है; और

(घ) इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) राजस्थान के जिला मुख्यालयों, नगरों और शहरों में न तो ऐसी कोई योजना आरम्भ की गई है और न ही आरम्भ करने का प्रस्ताव है। तथापि एल० पी० जी० सुविधा 20,000 या उससे अधिक आबादी वाले ऐसे नगरों/शहरों में उत्पाद की समग्र उपलब्धता होने पर चरणबद्ध तरीके से मुहैया कराई जा रही है जहां आर्थिक रूप से व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चलाने की क्षमता होती है।

टिकटों के मामले में धांधली करने वाली फर्म को एअर इण्डिया द्वारा काली सूची में डालना

[अनुवाद]

7796. **श्री अमल दत्त :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने 1 करोड़ रुपए मूल्य की टिकटों के मामले में धांधली और धोखा-धड़ी करने वाली किसी फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) मई, 1989 से मैसर्स सुप्रीम ट्रैवल्स से टिकटों का स्टाक वापस ले लिया गया है। सऊदिया एयरलाइन्स द्वारा सितम्बर, 1989 में इस एजेन्सी को दोषी करार किया गया था। जहां तक एयर इण्डिया का संबंध है, इस एजेन्ट की ओर से कोई बकाया नहीं है। यह एजेन्ट भारत से दुबई और वापसी यात्रा के लिए भारतीय रुपयों में दो कूपन संयोजी टिकटें जारी करता था परन्तु इन टिकटों पर यात्रियों के नाम लिखे बिना दुबई भेज दिया करता था और ये टिकटें दुबई में बेची जाती थीं। यात्री दुबई से भारत और वापसी की यात्रा प्रारम्भ करते और नियमों के अनुसार इस प्रकार की यात्रा को अनुक्रम से अलग माना गया अतः इसकी अनुमति नहीं दी गई।

(ग) और (घ) प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, बम्बई ने स्वयं अपनी ओर से एक मामला दर्ज किया है तथा सुप्रीम ट्रैवल्स के परिसरों की तलाशी ली गई है। एयर इण्डिया ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं।

रानीपेट में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारखाने के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

7797. **श्री आर० जीवरत्नम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में रानीपेट में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारखाने में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस कारखाने के उच्च अधिकारी अनेक वर्षों से अपने इन्हीं पदों पर आसीन हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सेवा विषयों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इन अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) किसी को भी दोषी नहीं पाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

'सनराइज" उद्योगों का विकास

7798. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या देश में "सनराइज" उद्योगों के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां तो क्या इनके विकास के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। अत्यंत महत्वपूर्ण "सनराइज" उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस उद्योग में वृद्धि लगभग 35% हुई।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा।

वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं द्वारा आत्महत्या

7799. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय के विभिन्न अनुसंधान संगठनों में आत्महत्या करने वाले वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं की विभाग वार/संगठन वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा ब्रुशों की खरीद

7800. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिए कार्बन ब्रुश सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात करता रहा है;

(ख) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारी औद्योगिक कार्यों के लिए कड़े बालों के तथा कैमिकल/नायलोन रेशे वाले विभिन्न प्रकार के अन्य ब्रुश भी खरीदता है;

(ग) क्या ये ब्रुश आयात किए जाते हैं अथवा स्वदेशी बाजार से खरीदे जाते हैं;

(घ) क्या इन ब्रुशों का निर्माण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भी किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) इन वस्तुओं को सरकारी क्षेत्र के संगठनों से प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाना अपनी आवश्य-

कलाओं की पूर्ति के लिए केवल कुछ महत्वपूर्ण और परिष्कृत मदों का आयात कह रहा है, जहां तक कार्बन ब्रशों का संबंध है, केवल एक बार 1988 में किए गए उस आयात को छोड़कर जो जापान से तकनीकी सहयोग समझौते के अंतर्गत किया गया था, ये स्वदेशी स्रोतों से खरीदे जाते हैं।

(ख) से (ङ) विभिन्न प्रकार के ब्रुश केवल स्वदेशी स्रोत से खरीदे जाते हैं, डीजल कलपुर्जा कारखाना परिमाला को छोड़कर, जो कि रेलों का उत्पादन यूनिट है, चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने के लिए अपेक्षित ब्रशों को बनाने वाली किसी अन्य सरकारी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है।

(च) चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मूल्य के कार्बन ब्रशों की खरीद, विज्ञापित निविदाओं के माध्यम से की जाती है जिनके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यदि कोई हों, अपने उत्पादों के लिए दरें कोट कर सकते हैं।

आई० सी० 173 उड़ान के यात्रियों को हुई क्षति के लिए मुआवजा

7801. **श्री राम नाईक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1989 को आई० सी० 173 उड़ान के मद्रास को जाने वाले यात्रियों ने क्षति के लिए इंडियन एयर लाइन्स से मुआवजा राशि के भुगतान का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यात्रियों को बिना कारण कठिनाई देने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इण्डियन इयरलाइन्स को कोई कारण बताओ कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, इण्डियन एयरलाइन्स को 28 दिसम्बर 1989 को आई० सी०-173 के 123 यात्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जो उक्त उड़ान में हुई क्रमिक विलम्ब और अन्ततः उड़ान को 29 दिसम्बर, 1989 के लिए स्थगित करने के बारे में थी। इस पत्र में यह भी कहा गया था कि उक्त यात्री इंडियन एयरलाइन्स के विरुद्ध क्षति/कारोबार में हानि/उनके स्वास्थ्य में गिरावट आदि के लिए मुकदमा क्यों नहीं चला सकते हैं।

तथापि, यात्रियों को उत्तरी भारत के हवाई अड्डों में कोहरा मौसम के कारण विलम्ब की सूचना दी गई थी। यात्रियों के लिए होटल आवास, परिवहन की व्यवस्था की गई थी तथा उन्हें रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया गया था।

(ग) और (घ) इण्डियन एयरलाइन्स के मामले की जांच की है। यात्रियों को विलम्ब की सूचना से अवगत कराया गया था जो भारत के उत्तरी भाग में कोहरे के कारण हुआथा जिसके परिणामस्वरूप उड़ान सारणी में बाधा पड़ी और कर्मीदल में कमी आई।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में "स्क्रैप" की बिक्री

[हिन्दी]

7802. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में हाल ही में "स्क्रैप" की तोल तथा इसकी बिक्री में बड़े पैमाने पर गोलमाल होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान "स्क्रैप" की बिक्री के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा हाल ही में स्क्रैप की तोल और इसकी बिक्री में भारी गोलमाल करने के किसी मापले का हाल ही में पता नहीं चला है। क्योंकि ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है इसलिए पिछले तीन वर्षों में स्क्रैप की बिक्री की कोई जांच नहीं की गई है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के क्वार्टरों पर अवैध कब्जा

7803. **श्री कल्पनाथ राय : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की आवासीय कालोनी में बड़ी संख्या में क्वार्टरों पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्वार्टरों को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के लगभग 128 क्वार्टरों पर पुलिस कार्मिकों, यूनियनों/क्लबों, भूतपूर्व कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारियों की विधवाओं तथा बाहरी व्यक्तियों आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों का अवैध कब्जा है।

(ग) कम्पनी ने, कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पात्रता प्राप्त करने पर उनका नियमितीकरण करना तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों आदि की सहायता से कानूनन बेदखल करना आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

कोटा-चित्तौड़ परियोजना के निष्पादन में अनियमिततायें

[अनुवाद]

7804. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-चित्तौड़गढ़ बड़ी लाइन परियोजना के कार्यान्वियन में कोई अनियमितताओं विशेष रूप से "ब्लेक कॉटन सायल एण्ड फ्लेकी एण्ड साफ्ट स्टोन बैलस्ट" के उपयोग में कोई अनियमिततायें किए जाने का पता चला है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मिट्टी सम्बन्धी कार्य और पपड़ीदार गिट्टियों

के इस्तेमाल की अनियमितताओं के संबंध में हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जांच-पड़ताल की जा रही है।

1000 सी० सी० मारुति कारों की कालाबाजारी

7805. **श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1990 के "इकानोमिक टाइम्स" में "1000 सी०सी० एम० यू० एल० कार-अलाटीज एनकैश लाटरीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार का इन कारों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या प्रभावशाली उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कारों या आवंटन पत्रों की पुनः बिक्री पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। अतः ऐसी बिक्रियों पर प्रीमियम को कम करने का एकमात्र उपाय उत्पादन बढ़ाना है।

थोक मूल्य सूचकांक में अन्तर

7806. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 जनवरी, 1990 को सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक सर्वाधिक था;

(ख) यदि हां, तो यह थोक मूल्य सूचकांक गत वर्ष की इसी अवधि के मूल्य सूचकांक की तुलना में कितना कम या अधिक था; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान हाई स्पीड डीजल, पैट्रोल, गुड़, चावल की भूसी का तेल, खाण्डसारी, मूंगफली का तेल, बिनौले का तेल, सिगरेट, घास, भूसा, मिलबोर्ड टायरों, रबड़, प्लास्टिक, आतिशबाजी के सामान, पोलिस्टरीन, लीड, पिग आयरन, ब्लूम्स, बिल्लेट्स, स्लेब्स स्क्लेप (अथवा मावल्ड स्टील टेन्सिल प्लेट्स) एसांस्स, चेनल्स एवं सेक्शन्स, ज्वाइन्टस एवं रोल्स, हैवी/लाइट स्ट्रक्चरल्स, शीट एवं टिन डीजल लोकोमोटिव्ज, कार चेसिस, अरहर, कॉफी, उड़द, चने, मसाले, गरी गिन्जली, सीड सूरजमुखी, अपरिस्कृत तम्बाकू, रैफ्रिजेरेटर तथा एयर कंडीशनर्स के मूल्यों में कितना-कितना अन्तर है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 31-3-1990 को समाप्त हुए सप्ताह में सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82=100) 170.7 (अनन्तिम) पर रहा है। इस स्तर पर सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक एक नयी ऊंचाई पर पहुंच गया था।

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात 25-3-1989 को समाप्त हुए सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक 156.9 था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31-3-1990 तथा 25-3-1989 को समाप्त हुए सप्ताहों में चुनिन्दा वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक तथा इस अवधि में प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण।

(आधार : 1981-82=100)

समाप्त हुआ सप्ताह

क्र० सं०	वस्तु	31-3-1990 (अनंतिम)	25-3-1989	% परिवर्तन
1	2	3	4	5
1.	सभी वस्तुएं	170.7	156.9	+ 8.8
2.	हाई स्पीड डीजल इंजिन	139.4	119.8	+ 16.8
3.	पैट्रोल	167.9	145.2	+ 15.6
4.	गुड़	153.7	136.0	+ 13.0
5.	राइस ब्रान ऑयल	225.0	210.3	+ 7.0
6.	खांडसारी	140.5	106.6	+ 31.8
7.	घुलनशील निकाला हुआ मूंगफली का तेल	190.7	139.8	+ 36.4
8.	बिनौले का तेल	219.1	187.7	+ 16.7
9.	सिगरेट	282.2	245.7	+ 14.9
10.	स्ट्रा या मिल बोर्ड	165.2	152.8	+ 8.1
11.	टायर	150.9	139.8	+ 7.9
12.	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	162.7	156.4	+ 4.0
13.	आतिशबाजी	211.7	174.8	+ 21.1
14.	पोलीस्टाइरीन	150.6	144.6	+ 4.1
15.	रांग (सीसा)	262.7	219.8	+ 19.5
16.	कच्चा लोहा	279.1	262.1	+ 6.5
17.	लोहे की छड़ें	204.5	197.2	+ 3.7
18.	बिलेट व स्लैब	175.8	163.7	+ 7.4
19.	स्कैल्प	225.7	219.3	+ 2.9
20.	कोरो-मिल्ड टैनसिल स्टील प्लेट	264.9	257.9	+ 2.7

1	2	3	4	5
21.	ऐंगल्स, चैनल्स तथा सैक्शन्स	203.5	188.8	+ 7.8
22.	जोइस्ट्स एण्ड रोल्स	245.3	238.7	+ 2.8
23.	हैवी/लाइट स्ट्रक्चरल्स	250.9	245.9	+ 2.0
24.	शीट्स	206.5	201.3	+ 2.6
25.	टिन	139.4	126.2	+ 10.5
26.	डीजल लोकोमोटिव	235.3	194.7	+ 20.9
27.	कार चेसिस	184.5	166.8	+ 10.6
28.	अरहर	213.5	162.4	+ 31.5
29.	कॉफी	213.8	198.2	+ 7.9
30.	उड़द	265.6	216.9	+ 22.5
31.	चना	192.9	187.7	+ 2.8
32.	मसाले तथा मिर्च-मसाले	232.8	228.5	+ 1.5
33.	नारियल की गरी	178.9	185.0	— 3.3
34.	जिन्जरली सीड	207.9	135.1	+ 53.9
35.	कुसुम (साफ्लोवर)	175.8	147.3	+ 19.3
36.	कच्चा तंबाकू	188.2	197.2	— 4.6
37.	रेफ्रीजरेटर	148.2	131.9	+ 12.4
38.	एअर कंडीशनर	199.6	170.5	+ 17.1

उत्तर प्रदेश में रायगढ़ में रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

[हिन्दी]

7807. **श्री नन्द कुमार राय** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगढ़ जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पायल गांव के आसपास 100 किलोमीटर के क्षेत्र में रसोई गैस की कोई एजेंसी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में रसोई गैस की एजेंसियां खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ये एजेंसियां किन-किन स्थानों पर और कब तक खोली जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय उस क्षेत्र में नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रायगढ़ शहर में पहले ही एल० पी० जी० सुविधा आरम्भ कर दी गई है। एल० पी० जी० कनेक्शन एल० पी० जी० की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए 20,000 या उससे अधिक आबादी वाले नगरों और शहरों में एक चरणबद्ध तरीके से दिए जाते हैं। एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए कोई अन्य स्थान आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

गोवा के लिए गैस टरबाइन परियोजना

[अनुवाद]

7808. **श्री गोपाल राव मायकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर्याप्त बिजली का उत्पादन करने के लिए एक गैस टरबाइन परियोजना आरम्भ करने के गोवा सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोदावरी घाटी में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

7809. **श्री बासवपुन्नय्या सिंगम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी में कोयला और लिग्नाइट का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा निरन्तर रूप से आंध्र प्रदेश की गोदावरी घाटी में कोयले का क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य किया जाता रहा है। वर्तमान में, जी० एस०आई० गोदावरी कोयला क्षेत्रों के निम्नलिखित सात क्षेत्रों में कोयले के क्षेत्रगत अन्वेषण कार्य कर रही है :—

1. पालमपेट—वेकन्टापुर
2. गोविन्दरावपेट—रंगपुर-मसरा
3. पुनुकुलचिलका—मेरीगुडेम
4. कोयागुडम—कचीमापल्ली
5. मलकापल्ली—अमरावरम
6. कोठागूडम ननम ब्लाक का डिप विस्तार क्षेत्र

7. सतुपल्ली

इस सम्बन्ध में मार्च, 1990 तक चालू क्षेत्र मौसम (फील्ड सीजन) के दौरान इन क्षेत्रों में अब तक कुल 4446 मीटर का ड्रिलिंग कार्य किया गया है।

रेलवे सुरक्षा कोष

7810. **श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान "रेलवे सुरक्षा निधि" शीर्ष के अन्तर्गत एकत्रित की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह धन एकत्रित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) एकत्रित धन को विभिन्न जोनल रेलवे में किस प्रकार आबंटित किया जाता है;

(घ) क्या इसके उपयोग के बारे में कोई समीक्षा की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे सुरक्षा कोष की राशि बढ़ाने के लिए मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) और (ख) रेल संरक्षा कार्य निधि में अंशदान रेलों द्वारा अतिरिक्त लाभांश के भुगतान के रूप में उनके शुद्ध राजस्व से किया जाता है। इस निधि का हिसाब-किताब वित्त मन्त्रालय द्वारा रखा जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान किया गया अंशदान इस प्रकार था :—

1984-85	—	2.76 करोड़ रुपए
1985-86	—	1.55 करोड़ रुपए
1986-87	—	2·36 करोड़ रुपए
1987-88	—	2.20 करोड़ रुपए
1988-89	—	3.21 करोड़ रुपए

(ग) रेल संरक्षा कार्य निधि में भुगतान की गई रकम राज्यों को उसी अनुपात में आबंटित की जाती है जिस अनुपात में रद्द किए गए यात्री किराया कर के बदले रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को भुगताम करने के लिए संबंधित वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश की जाती है।

(घ) इस स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को उपयोग बढ़ाने के लिए कहा जाता है। राज्य सरकारों को रकम की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को 1984 में सरल बना दिया गया है। इस सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकारों के दावों की प्रतिपूर्ति नामित क्षेत्रीय रेलों के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा सीधे ही कर दी जाती है और इसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा रेलों को दिए गए धन से पूरा कर दिया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) मौजूदा सरलीकृत प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है ।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

7811. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष तथा आगामी दो वर्षों के दौरान दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर निर्मित की जाने वाली टर्मिनल प्लेटफार्म इमारतों, स्टेशन इमारतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए और क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान रेल विभाग द्वारा दिल्ली में कितने ऊपरी पुल निर्मित कराए जायेंगे और उनके स्थानों का ब्यौरा तथा प्रत्येक रेलवे पुल को पूरा करने का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) उन टर्मिनल भवनों आदि के निर्माण कार्य का विवरण जिनमें कार्य चल रहा है तथा भविष्य के प्रस्ताव ।

(i) इस समय जिन कार्यों की व्यवस्था की जा रही है, वे हैं :—

(I) नई दिल्ली की धुलाई लाइनों/मरम्मत लाइनों को निजामुद्दीन में स्थानांतरित करके अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म बनाना और

(II) 26.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर हजरत निजामुद्दीन में अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म बनाना, अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना । चरण-I का कार्य पूरा हो गया है तथा चरण-II का कार्य चल रहा है ।

(ii) 14.73 करोड़ रुपए की लागत से आनन्द विहार, होलम्बीकलां और बिजवासन में भविष्य में यात्री टर्मिनलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

(ख) राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण ।

अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है तथा इसे वहां होने वाले यातायात की मात्रा के आधार पर किया जाता है । रेलों के भविष्य के निर्माण कार्यक्रमों में निम्नलिखित अतिरिक्त यात्री सुविधाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो :—

(i) विवेक विहार स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1 और 2 पर प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था करना ।

(ii) नांगलोई में ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करना ।

(iii) नया आजादपुर में अप और डाउन प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए सायबान की व्यवस्था तथा 2 मीटर चौड़े ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करना।

(vi) निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रवेश द्वार की व्यवस्था करना बशर्ते कि भूमि का अधिग्रहण हो जाए।

(ग) अगले 5 वर्षों के दौरान दिल्ली में रेलवे द्वारा निर्माण किए जाने वाले ऊपरी पुलों का विवरण।

(i) दिल्ली में ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल का निर्माण हिस्से की लागत वहन करने या निक्षेप शर्तों पर करने के लिए प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इस समय 7 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों का कार्य प्रगति पर है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	कार्य का विवरण	हिस्से की लागत वहन करने या निक्षेप शर्तों पर है	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4
1.	दिल्ली : क्वीन्स रोड और पुल मिठाई के ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना तथा पुर्ननिर्माण करना।	हिस्से की लागत वहन करने पर	12/90
2.	ओखला : ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था।	हिस्से की लागत वहन करने नर	3/91
3.	तुगलकाबाद : निचले सड़क पुल की व्यवस्था।	हिस्से की लागत वहन करने पर	12/91
4.	दिल्ली : लोथिएन पुल का चौड़ा किया जाना।	हिस्से की लागत वहन करने पर	12/90
5.	दिल्ली : दिल्ली शाहदरा : पुराने यमुना पुल के पास निचला सड़क पुल।	निक्षेप कार्य	रेलवे से सम्बन्धित कार्य का भाग पूरा हो चुका है।
6.	जखीरा-दिल्ली : निचले सड़क पुल को चौड़ा करना।	निक्षेप कार्य	3/92
7.	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास दिल्ली परिहार लाइन पर समपार संख्या 14-ए के स्थान पर निचला सड़क पुल।	हिस्से की लागत वहन करने पर	प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है। लक्ष्य अभी निर्धारित करना है।

निम्नलिखित स्थानों पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्तावों पर दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है :—

1	2	3	4
1.	हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के पास सब-वे का निर्माण	निक्षेप कार्य	दिल्ली प्रशासन ने अभी अनुमानित लागत जमा करनी है।
2.	शाहदरा-शामली-सहारनपुर खंड पर समपार संख्या 2-सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल।	निक्षेप कार्य	—वही—
3.	किशनगंज में निचले सड़क पुल को चौड़ा करना।	निक्षेप कार्य	दिल्ली नगर निगम ने अनुमानित लागत जमा करनी है।
4.	देशबंधु गुप्ता रोड (ऊपरी सड़क पुल) को चौड़ा करना।	निक्षेप कार्य	दिल्ली नगर निगम ने अनुमानित लागत जमा करनी है।
5.	दिल्ली-गाजियाबाद खंड पर विवेक विहार में 8/16 कि० मी० पर समपार संख्या 156-बी के स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण।	हिस्से की लागत वहन करने के आधार पर	दिल्ली नगर निगम से ठोस प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

निर्माण के लिए इन कार्यों की योजना दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएगी।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन-लक्ष्य

7812. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा उत्पादित कोयले का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा आठवीं योजना के दौरान और अधिक कोयला-उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले का किया गया वास्तविक उत्पादन तथा लक्ष्य उत्पादन के वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मि० टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1985-86	17.51	18.17
1986-87	19.00	19.34
1987-88	20.70	21.20
1988-89	21.86	22.06
1989-90	22.70	23.01

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का वर्ष 1990-91 के दौरान कोयले के उत्पादन का वार्षिक योजनागत लक्ष्य 23.60 मि० टन रखा गया है। कोयले के उत्पादन की वृद्धि को चालू परियोजनाओं, कुछ विद्यमान खानों का पुनःनिर्माण तथा नई खानों को खोलकर पूरा कर लिया जाएगा।

रेल दुर्घटनाओं में हेलीकाप्टरों का प्रयोग

7813. **श्री जनार्दन पुजारी :**
श्री आर० एन० राकेश :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई दुर्घटना होने पर यात्रियों को राहत देने के लिए हेलीकाप्टरों का प्रयोग करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को पहले से ही यह अधिकार मिले हुए हैं कि वे गंभीर दुर्घटना वाले स्थल पर शीघ्र पहुंचने के लिए और दुर्घटना स्थल से घायलों और मृतकों को हटाने के लिए विमान/हेलीकाप्टर की मांग कर सकते हैं।

अकोला रेलवे स्टेशन

7814. **श्री भाऊसाहेब पुंडलिक फुंडकर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अकोला रेलवे स्टेशन के नवीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर अकोला सहित 67 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इसके विकास पर 74.39 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। आधुनिकीकरण योजना के भाग के रूप में छोटी लाइन के प्लेटफार्म पर शौचालय ब्लाकों, प्लेटफार्म के बिना छत वाले स्थानों पर छत की व्यवस्था, परिचलन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सुधार कार्यों, प्रतीक्षालयों/प्लेटफार्मों पर बेंचों/कुर्सियों, लाइसेंसशुदा भारिकों के लिए विश्राम स्थलों आदि की व्यवस्था करने से संबंधित निर्माण कार्य 13.36 लाख रुपए की लागत से वर्ष 1989-90 में पूरे कर दिए गए हैं। 53.03 लाख रुपए की अनुमानित लागत से छतदार प्लेटफार्म नं० 1, 2 तथा 3 का विस्तार, मौजूदा ऊपरी पैदल पुल को चौड़ा करने, अप प्लेटफार्म को चौड़ा करने, विश्राम गृह सुविधाओं की व्यवस्था आदि से संबंधित कार्य चल रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1990-91 में 24.95 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। स्टेशन की इमारत सड़कों तथा प्लेटफार्म के फर्श में सुधार करने, स्टेशन की इमारत में फर्नीचर के आधुनिकीकरण तथा विश्राम कक्ष की व्यवस्था करने से संबंधित नए कार्यों को 8.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 1990-91 में शुरू करने का प्रस्ताव है। इन सभी कार्यों के आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते धन उपलब्ध हो।

उड़ीसा में चन्दका में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकक की स्थापना

7815. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का "बोल मिल एक्सेसरिज" के उत्पादन हेतु उड़ीसा में चन्दका में एक एकक स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु उड़ीसा सरकार ने भूमि प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और परियोजना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) छठी योजना में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० का मिल एक्सेसरिज के उत्पादन के लिए उड़ीसा में चन्दका में एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था और इस प्रयोजन के लिए एक औद्योगिक भूखंड निश्चित किया गया था। तथापि, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्रयादेश स्थिति में, विशेष रूप से बॉयलरों के लिए कमी के कारण इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया। कम्पनी ने इन मदों के निर्माण के लिए अपने विद्यमान संयंत्रों में उपलब्ध अधिशेष क्षमताओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

खड़गपुर-खुर्दा रोड सेक्शन का विद्युतीकरण

7816. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-खुर्दा रोड सेक्शन के विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स में नैमित्तिक कर्मचारियों की मंजूरी में वृद्धि करना

7817. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स अपने नैमित्तिक कर्मचारियों को प्रतिदिन कितनी मंजूरी का भुगतान करती है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का इनकी मंजूरी में वृद्धि करके इन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर मंजूरी देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इण्डियन एयर-लाइन्स अपने नैमित्तिक कर्मचारियों और ड्राइवरों को क्रमशः प्रतिदिन 42.70 रुपए और 47.00 रुपए की दर से भुगतान करती है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पंजाब में लंबित रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि

7818. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से कहा है कि यह राज्य में लंबित रेल परि-योजनाओं के लिए अंशदान दे;

(ख) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पंजाब में ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित नई रेल लाइन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है :—

(रुपए करोड़ में)

परियोजन का नाम और लम्बाई	प्रत्याशित लागत	3/90 तक व्यय	90/91 में आबंटन	टिप्पणी
1. नांगल बांध-तलवाड़ा (84 कि०मी०) और मुकेरियां से तलवाड़ा तक साइडिंग को हाथ में लेना (29 कि०मी०) (अनुमोदन का वर्ष 81-82)	100	19.04	5	2 टुकड़ों में पंजाब में केवल 22 कि० मी०
2. ब्यास-गोइन्दवाल (अनुमोदन का वर्ष 89-90)	21.13	0.25	2	—

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के उत्पादन में कमी

7819. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० में खनिकों की अनुपस्थिति के कारण गत तीन वर्षों में वर्षवार उत्पादन कितना कम हुआ है;

(ख) खनिकों के मामले में की गई कामचलाऊ व्यवस्था के कारण वर्षवार कितना उत्पादन कम हुआ है और इसके परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान निर्वाह-मजूरी के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा; और

(ग) भारत कोकिंग कोल लि० की कोयला खानों में एक साथ खनिकों की अधिकता और कमी होने के कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० में खनिको की गैर-हाजिरी के कारण उत्पादन में हुई हानि को नीचे दर्शाया गया है—

वर्ष	उत्पादन की अनुमानित हानि (लाख टन में)
1987-88	0.91
1988-89	0.68
1989-90	4.20

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन निर्वाह मजदूरी के रूप में अदा की गई राशि नीचे दर्शायी गई है—

वर्ष	अदा की गई जीवन निर्वाह मजदूरी की राशि (लाख रु० में)
1987-88	240.80
1988-89	249.84
1989-90	362.09

विद्युत की खराबी, भारी वर्षा, मशीनरी की खराबी तथा अन्य विविध मुद्दों के कारण उत्पादन में वर्षवार हुई हानि को नीचे दिया गया है—

(लाख टन में)

	1987-88	1988-89	1989-90
विद्युत	4.56	3.56	6.18
वर्षा	0.48	0.89	1.62
मशीनरी में खराबी	2.19	1.85	1.84
विविध	1.49	0.78	2.14

जीवन निर्वाह मजदूरी की अदायगी के अधिकांश मामले विद्युत की आपूर्ति में अवरोध होने के कारण पैदा हुए हैं। मजदूरी में संशोधन होने के परिणामस्वरूप जीवन निर्वाह मजदूरी में वर्ष 1989-90 से वृद्धि हो गयी है।

(ग) भारत कोकिंग कोल लि० में खनिकों/लोडरों की लगभग अतिरिक्त रूप में कोई तैनाती नहीं है।

उद्योगों का वित्तीय कार्य निष्पादन

[हिन्दी]

7820. **श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1960-61, 1965-66, 1970-71, 1980-81, 1984-85 और 1989-90 की अवधि के दौरान सम्पूर्ण उद्योग, मूलभूत रासायनिक उद्योग, मशीनी औजार आदि उद्योग तथा काफी, रबड़, तम्बाकू, धातु और औषध उद्योगों ने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया;

(ख) क्या कतिपय उद्योगों के लाभ के आंकड़े ठीक स्थिति नहीं दर्शाते हैं; और

(ग) ऐसी वृद्धि के क्या कारण थे और गलत आंकड़े देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सी० एस० ओ० के अनुसार "वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण" पत्रिका में दी गयी सूचना के अनुसार केवल वर्ष 1979-80 और इससे आगे की लाभ संबंधी सूचना उपलब्ध है। समस्त निर्माणकारी क्षेत्र, मूलभूत रसायन उद्योगों, मशीनरी औजार, कॉफी, रबड़, तम्बाकू, धातु तथा औषधि उद्योगों के सम्बन्ध में वर्ष 1980-81 तथा 1985-86 (वह वर्ष जिसके नवीनतम ए० एस० आई० उपलब्ध हैं) के कुल लाभ के साथ-साथ मूल्य वर्धन प्रतिशत तथा उत्पादन का मूल्य प्रतिशत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। मूल्य वर्धन तथा उत्पादन मूल्य दोनों दृष्टि से लाभ प्रतिशत में प्रायः वृद्धि हुई है।

विवरण

उद्योग	शुद्ध लाभ (करोड़ रु०)		उत्पादन मूल्य के प्रतिशत की दृष्टि से लाभ		मूल्य वर्धन के प्रतिशत की दृष्टि से लाभ	
	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86
1	2	3	4	5	6	7
मूलभूत रसायन उद्योग	48.3	279	1.5	4.2	10.5	25.4
मशीनरी औजार	12.6	24.5	4.3	3.9	14.3	10.5
कॉफी	1.9	5.0	9.0	11.8	37.6	45.7
रबड़	27.1	193.4	2.5	9.0	14.7	43.1

1	2	3	4	5	6	7
तम्बाकू	43	78	5.5	5.6	27.9	27.4
धातु	238.4	354.9	3.3	2.5	19.3	15.1
औषधि	107	190.4	8.3	7.3	32.2	29.4
विनिर्माणकारी	2230	4679	4.0	4.3	21.7	23.6

बिहार में सौर ऊर्जा संयंत्र

7821. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी, 1985 में बिहार में गया और बोधगया में सौर ऊर्जा पर आधारित एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विद्युत संयंत्र केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया गया है जो सौर ऊर्जा पर आधारित 30 मेगावाट बिजली पैदा करेगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1988 और 1989 के दौरान इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुरक्षा उपाय और राहत कार्य

[अनुवाद]

7822. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने रेलवे में कारगर सुरक्षा उपायों और राहत कार्यों के बारे में कोई विशेष सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तो इन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यद्यपि कुछ सिफारिशें पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं लेकिन अन्य स्वीकृत सिफारिशें, मुख्यतः प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा नये तकनीकी उपकरणों का विकास करने में लग रहे समय के कारण लम्बित पड़ी हैं।

विवरण

रेलवे क्षेत्र के बारे में राष्ट्रीय परिवहन संरक्षा बोर्ड द्वारा की गई कुछ सिफारिशों की सूची

क्र० सं०　　　　　　सिफारिशों की विषय-वस्तु

1. पटरी की टूट-फूट के कारण गाड़ियों का पटरी से उतरना-पटरी की टूट-फूट की संख्या की तुलना में, पटरी की टूट-फूट के कारण गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या कम करने के लिए अध्ययन शुरू करना।
2. एल० पी० जी० टंकी माल डिब्बों की शंटिंग के दौरान अतिरिक्त एहतियात बरतना।
3. रेल सवारी डिब्बों में आपातकालिक निकास-द्वार की व्यवस्था।
4. रेल सवारी डिब्बों में अग्निरोधी साज-सामान की व्यवस्था।
5. दोहरी लाइन खंड की निकटवर्ती लाइन पर विद्यमान अवरोधों से होने वाली टक्कर से सुरक्षित रहने के लिए गाड़ी के इन्जनों में रेडियो संचार सुविधाओं की व्यवस्था।
6. खतरनाक सामान की ढुलाई के क्षेत्र में नवीनतम विकासों के आलोक में रेलों की "रेड टैरिफ" की समीक्षा।
7. इस संबंध में प्रत्येक स्टेशन के बारे में "मास्टर प्लान" तैयार करके अलग-थलग क्षेत्रों में गंभीर रेल दुर्घटनाओं के मामले में बचाव-कार्यों के लिए हेलिकाप्टरों का पूर्व-नियोजित उपयोग।
8. दुर्घटना होने की स्थिति में सवारी डिब्बों के एक दूसरे में घुस जाने की संभावना को कम करने के लिए भारतीय रेलों पर आरोहणरोधी सवारी डिब्बे चलाना।
9. रेलवे उपनगरीय सवारी डिब्बों में दरवाजे स्वतः बंद होने वाली प्रणाली की व्यवस्था।
10. खतरनाक सामग्रियों को ढोने वाली टंकी यानों में शेल्फ कपलरों, हेड-शील्डों और थर्मल इंसुलेशन की व्यवस्था।

बड़े एककों का पंजीकरण

7823. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**
श्री डी० अमात :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० टी० डी० के अन्तर्गत पंजीकरण सीमा से परे बड़े, एकक महानगरों के 50 कि० मी० की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नियम का कोई अपवाद भी है; और

(घ) यदि हां तो जिन आवेदनों में ऐसा करने की अनुमति दी गई, उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) महानगरों की 50 कि०मी० की परिधि के भीतर एकक स्थापित करने के लिए जिन

एककों को आशय पत्र जारी किए गए हैं उन आवेदनों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पलट पर रख दिए जाएंगे।

विवरण

अधिसूचना सं० 629(ई) दिनांक 30 जून, 1988 द्वारा सरकार की स्थापना स्थल सम्बन्धी नीति निर्धारित की गयी थी जो उन एककों पर लागू है जिन्हें डी० जी० टी० डी० और औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में पंजीकृत कराया जा सकता है। स्थापना स्थल की अनुमति दी जाती है यदि उक्त एकक निम्नलिखित के भीतर स्थित नहीं हैं :—

श्रेणी—I	25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से 50 कि०मी०
श्रेणी—II	15 और 25 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों से 30 कि० मी०
श्रेणी—III	7.5 और 15 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों से 15 कि० मी०
श्रेणी—IV	अन्य शहरों और कस्बों के मानक शहरी क्षेत्र अथवा नगर पालिका की सीमा।

स्थापना स्थल सम्बन्धी नीति से छूट उपलब्ध है यदि :—

(1) निवेश 5 करोड़ से कम है;

(2) उद्योग प्रदूषणकारी नहीं है; और

(3) उपक्रम 30 जून, 1988 से पहले विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य सरकारों अथवा उनके अभिकरणों द्वारा स्थापित किया गया है अथवा यह उपक्रम लघु क्षेत्र से मझौले क्षेत्र में बदला गया है अथवा उपक्रम द्वारा रोजगार प्राप्त कुल व्यक्तियों में महिलाओं अथवा विकलांग व्यक्तियों की संख्या दो तिहाई से कम न हो।

बड़े एककों को महानगरों की 50 कि० मी० की परिधि के भीतर डी० जी० टी० डी० के अधीन पंजीकरण की सीमा के बाद आशय पत्र देने पर विचार किया जा सकता है। इन प्रस्तावों पर उपयुक्त अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है।

मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल

7824. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरनगर (उत्तर रेलवे) रेलवे स्टेशन पर शहर क्षेत्र को नई मंडी से जोड़ने के लिए एक पैदल पुल के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह पुल कब तक बन कर तैयार होगा ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, नहीं। आम जनता द्वारा उपयोग के लिए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण तभी किया जाता है जब यह स्थानीय निकाय या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए। मुजफ्फरनगर में शहरी क्षेत्र को मंडी के साथ जोड़ने के लिए ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा मन्त्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

[हिन्दी]

7825. **श्री छविराम अर्गल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में, श्रेणी-वार, कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा इनमें कितने प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद गत तीन वर्षों से, श्रेणी-वार रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का इन रिक्तियों को आगामी वर्ष में ले जाकर उन्हें आगे भरने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) संबद्ध सूचना नीचे दी गई है :

	ऊर्जा मन्त्रालय में कर्मचारियों की कुल संख्या	अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों का %
श्रेणी "क"	677	12
श्रेणी "ख"	487	14
श्रेणी "ग"	1397	18
श्रेणी "घ"	570	30

(ख) अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियां जो पिछले 3 वर्षों से खाली पड़ी हैं।

श्रेणी "क"	1
श्रेणी "ख"	1
श्रेणी "ग"	22

(ग) और (घ) श्रेणी "क" में एक पद सीधी भर्ती द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा तथा अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित शेष पदों पर अ०जा०/अ०ज०जा० के अभ्यर्थियों को नामित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया गया है ।

रायगडा नगर पालिका क्षेत्र में रेलवे भूमि

[अनुवाद]

7826. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगडा नगरपालिका क्षेत्र में बेकार पड़ी रेलवे भूमि का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा तैयार की गई विकास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे भूमि के कुछ भाग को बस अड्डे तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु रायगडा नगरपालिका को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) रायगडा नगरपालिका क्षेत्र में बेकार पड़ी रेलवे की भूमि को कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और सेवा भवनों के निर्माण के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कुमारघाट से गुवाहाटी के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

7827. **श्री के० बी० के० देव बर्मन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लोगों द्वारा कुमारघाट से गुवाहाटी के लिए सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की जोरदार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह रेलगाड़ी कब से चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों और परिचालनिक तंगियों के कारण इस गाड़ी को तत्काल चलाना सम्भव नहीं है।

आठवीं योजना में रेलमार्गों का विकास

7828. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन प्रमुख रेलमार्गों (दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-बम्बई और दिल्ली-कलकत्ता) के बीच रेलमार्गों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन से भाग का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और विलम्ब के कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन से रेलमार्गों का विस्तार करने और नवीकरण करने के संबंध में कार्यक्रम बनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) और (ख) (1) **दिल्ली-मद्रास**—इस मार्ग को दिल्ली छोर से इटारसी तक तथा मद्रास छोर से नागपुर तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेष बचे इटारसी-नागपुर खंड में विद्युतीकरण कार्य पूरे होने वाले हैं। अप्टिक फाइबर संचार प्रणाली की नई प्रौद्योगिकी स्थापित होते ही वर्ष के दौरान इस खंड को चालू कर दिया जाएगा।

(2) दिल्ली-बम्बई (पश्चिम रेलवे के मार्ग के रास्ते)—पूरा हो चुका है।

(3) दिल्ली-बम्बई (मध्य रेलवे के मार्ग के रास्ते)—इस मार्ग को दिल्ली छोर से इटारसी तक तथा बम्बई छोर से भुसावल तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेष बचे इटारसी-भुसावल खंड पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा लक्ष्य के भीतर पूरा हो जाएगा।

(4) दिल्ली-कलकत्ता—पूरा हो चुका है।

(ग) आठवीं योजना में शुरू की जाने वाली विशिष्ट नई लाइन तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं की पहचान अभी नहीं की गई है। आठवीं योजना अवधि के दौरान रेलपथ नवीकरण के लिए 22,350 कि० मी० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा गठिया रोधी ज्वलन-रोधी औषध बनाना

7829. श्रीमती जे० जमुना : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद ने गठिया रोधी और ज्वलन रोधी औषधों का विकास किया है;

(ख) इस औषध के विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई है और क्या यह बाजार में उपलब्ध करायी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके अनुसंधान कार्य से सम्बद्ध कर्मचारियों को पारितोषिक दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूना-दिल्ली के बीच दैनिक उड़ान

7830. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना से दिल्ली तथा दिल्ली से पूना के लिए चलाई जा रही दैनिक उड़ान को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उड़ान को सप्ताह में केवल चार दिन चलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ान सेवा कब से शुरू कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) एयरबस ए-320 विमानों के परिचालन को स्थगित कर दिए जाने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की विमान-

क्षमता काफी कम हो गयी थी इसलिए 5-3-1990 से दिल्ली-पूना को दैनिक उड़ान को घटाकर सप्ताह में चार बार कर देना पड़ गया था।

मचेदा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे)

7831. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे पर स्थित मचेदा रेलवे स्टेशन के नवीकरण के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दून एक्सप्रेस में नागदा और कोटा के बीच आरक्षण

[हिन्दी]

7832. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून एक्सप्रेस (9019 डाउन और 9020 अप) में यात्रा करने वाले यात्रियों को 16 अप्रैल, 1990 से नागदा से कोटा तक की आरक्षण सुविधा समाप्त कर दी गई और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ख) इन दो स्टेशनों के बीच आरक्षण की क्या वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) इन्दौर-देहरादून के बीच चलने वाले दूसरे दर्जे के दो शयनयानों में से एक को कोटा से देहरादून तक चलाने के कारण, 16-4-90 से 9019 देहरादून एक्सप्रेस के लिए नागदा से आरक्षण का कोटा 8 शायिकाओं से घटाकर 6 शायिकाएं कर दिया गया है। नागदा और कोटा के बीच के स्टेशनों के आबंटित आरक्षण के कोटे को उन्हीं स्टेशनों से उसी कोटे के अनुसार आरक्षण की सुविधा सहित कोटा-देहरादून सवारी डिब्बे के लिए निर्धारित कर दिया गया है। 9020 अप के कोटे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) नागदा और कोटा के बीच के स्टेशनों को, उन्हीं स्टेशनों पर आरक्षण की सुविधा सहित, कोटा-देहरादून सवारी-डिब्बे में कोटा आबंटित किया गया है। नागदा और कोटा के बीच कम दूरी की यात्राएं अनारक्षित सवारी डिब्बों में की जा सकती हैं।

समस्तीपुर डिवीजन में कोयले की चोरी

7833. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में जयनगर स्टेशन में कोयले की चोरी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जयनगर, खजौली, निरमली, सकरी, पेरमंगा आदि स्टेशनों में अब भी कोयले की चोरी की जाती है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) इन स्टेशनों पर चोरी का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। यहां तक कि ऊपर भाग (क) में उल्लिखित शिकायत में लगाए गए आरोप भी जांच के दौरान प्रमाणित नहीं हो सके। तथापि, कोयले की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. याडों तथा अन्य भेद्य खंडों में गहन गश्त।
2. चुराए गए कोयले को खरीदने वालों के ठिकानों पर छापे मारना तथा अपराध आसूचना कर्मचारियों को तैनात करना।
3. अपराधियों को पकड़ने के लिए भेद्य खंडों तथा बदनाम स्थानों पर अचानक जांच की जा रही है।
4. निरोधक तथा खुफिया ड्यूटियों के लिए कुत्ता दस्ते भी तैनात किए जाते हैं।
5. अपराधियों तथा चुराए गए कोयले को रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सभी स्तरों पर रे० सु० ब० तथा राजकीय रेलवे पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाये रखा जाता है।

चारबाग (लखनऊ) में पार्सल बुकिंग

7834. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे के चारबाग, लखनऊ स्टेशन में पार्सल, सामान व्यवस्था और ढुलाई के कार्य का स्वरूप स्थायी है;

(ख) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान लखनऊ स्टेशन, चारबाग में कितने पार्सलों की बुकिंग की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान स्टेशन पर पार्सल बुकिंग के माध्यम से वर्ष-वार कितनी आय हुई ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्टेशन पर सम्हाले गए कुल पैकेजों की संख्या वर्ष-वार इस प्रकार है :—

1987-88	1988-89	1989-90
1119820	1309620	1387365

(ग) वर्ष-वार आय (रुपयों में) इस प्रकार है :—

	1987-88	1988-89	1989-90
जावक पार्सल	5316125	5554680	5313796
देय जावक पार्सल	3033315	2920178	3096018

इंडियन एयरलाइन्स में लोडर्स/हैल्पर्स के रिक्त पद

[अनुवाद]

7835. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्र में एण्डियन एयरलाइन्स के इन्जीनियरी विभाग में लोडर्स/हैल्पर्स के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और कितने पद सामान्य श्रेणी के लिए हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स के उत्तरी क्षेत्र के इन्जीनियरी विभागों में हेल्परों की रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित तथा सामान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों की रिक्तियों को अलग-अलग संख्या इस प्रकार है :—

रिक्तियों की कुल संख्या	—	14
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित	—	3
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित	—	1
सामान्य श्रेणी	—	10

इण्डियन एयरलाइन्स की इंजीनियरी विभाग में लोडर की कोई श्रेणी नहीं है।

(ग) 19 फरवरी, 1990 से दिल्ली में इण्डियन एयरलाइन्स ने हेल्परों के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार शुरू किया है जिनकी मई, 1990 के अन्त तक चलने की संभावना है।

(घ) आशा है कि दिल्ली और दिल्ली से बाहर सभी पद जून, 1990 के अन्त तक भर लिए जाएंगे।

एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि और उपदान का भुगतान

7836. **श्री जनकराज गुप्त :**

श्री कृपाल सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से पिछले छह महीनों के दौरान एअर इण्डिया के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को भविष्य निधि और उपदान आदि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उक्त राशियों का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 1 अक्तूबर, 1989 से 31 मार्च, 1990 की अवधि में दिल्ली स्टेशन से नौ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे। श्रेणी-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

स्टेशन अधीक्षक	दो
हैड क्लीनर	एक
लेखा अधिकारी	दो
सहायक-प्रबंधक-मार्गतंत्र प्रचालन	एक
उप प्रबंधक-उड़ान डिस्पैच	एक
फोरमैन	एक
वरिष्ठ प्रचालक	एक

(ख) इन कर्मचारियों को भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं हैं।

दिल्ली और गोवा के बीच सीधी रेल सेवा

7837. **श्री सूबेदार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली और गोवा के बीच सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ी का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि यह केवल दिन के समय ही मिराज और वास्कों के बीच से गुजरे और पर्यटक गोवा के मनोरम दृश्यों का आनन्द ले सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पथ की उपलब्धता तथा अन्य मार्गवर्ती गाड़ियों की अनुसूची। इसके अलावा मिरज और वास्को के बीच पहले ही दिन की गाड़ी मौजूद है।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

7838. **श्री बलवंत मनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की गैस सप्लाई सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही विगत में विभिन्न प्रस्तावों का तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अद्यतन अनुमानित लागत (लाख रु० में)	गैस लिंकेज संबंधी स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	लकवा में संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र	असम	280	20117	गैस लिंकेज की अभी पुष्टि नहीं की गई है।
2.	बेसू जी० टी० सैट हेतु अपविष्ट उष्मा रिकवरी यूनिट	दिल्ली	3×30	7692	—
3.	रोखिया में जी टी सैट	त्रिपुरा	10×7.5	7140	गैस लिंकेज की पुष्टि कर दी गई है।
4.	एन०टी०पी०सी० की अंटा चरण-2 संयुक्त साइकल परियोजना	राजस्थान	3×100 जीटी+ 1×130 एस टी	33994	अभी पुष्टि नहीं की गई है।
5.	अमगुड़ी संयुक्त साइकल परियोजना	असम	3×30 जी टी+ 4×30 एस टी	40827	गैस लिंकेज की पुष्टि कर दी गई है।
6.	कारील करप्पल जी०टी०	तमिलनाडु	1×5	1000	—वही—
7.	करायकल में संयुक्त साइकल संयंत्र	पांडिचेरी	3×5 जी टी+ 1×7.5 एस टी	4950	—वही—
8.	गंधार संयुक्त साइकल परियोजना	गुजरात	615	57375	अभी पुष्टि नहीं की है।
9.	पीपावाव संयुक्त साइकल परियोजना	गुजरात	615	58745	—वही—

1	2	3	4	5	6
10.	एन०टी०पी०सी की गंधार संयुक्त साइकल परियोजना	गुजरात	615	57715	अभी पुष्टि नहीं की है।
11.	एन०टी०पी०सी० की गोदावरी संयुक्त साइकल परियोजना	आंध्र प्रदेश	400	43677	—वही—
12.	एन०टी०पी०सी० की फरीदाबाद संयुक्त साइकल परियोजना	हरियाणा	800	86036	—वही—
13.	बवाना संयुक्त साइकल परियोजना	दिल्ली	800	92548	—वही—

एअर इंडिया द्वारा अमरीका में नए जनरल सेल्स एजेन्ट की नियुक्ति

[हिन्दी]

7839. **श्री बृज भूषण तिवारी :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का अमरीका में एक नए जनरल सेल्स एजेंट का नियुक्ति करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियों का आबंटन

7840. **श्री जगदीश सिंह कुशवाहा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियों के आबंटन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की परिकल्पना की गई है—

नन्दगंज

मोहम्मदाबाद

खानपुर

घुलेपुर बाजार

थाना बिरनो

ये न तो डीलरों के चयन अथवा बिक्री केन्द्रों के चालू होने के विभिन्न स्तरों पर है।

इस जिले में इस समय नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोल/डीजल और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन में अनियमिततायें

7841. **श्री बालेश्वर यादव :**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन में कुछ गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपों का चयन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष रूप से गठित तेल चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। गत 3 वर्षों के दौरान कोई ठोस अनियमितताएं होने की सूचना नहीं मिली है। डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के खिलाफ मिली किसी भी शिकायत की बाकायदा जांच की जाती है और आवश्यक होने पर उपचारी कार्यवाही की जाती है।

लन्दन में एअर इण्डिया के कार्यालय में सामान्य बिक्री एजेन्ट की नियुक्ति

7842. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लंदन स्थित एअर इण्डिया में जनरल सेल्स एजेन्ट की नियुक्ति के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) वर्तमान जनरल सेल्स एजेंट अर्थात गिमवाले लिमिटेड (वेलकम ट्रैवल्स) की 1-11-86 से नियुक्ति के बाद एअर इण्डिया को यू० के० में 31 ट्रैवल एजेन्टों से शिकायत प्राप्त हुई थीं। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एजेन्ट को आए अभी 12 महीनों से अधिक नहीं हुआ है और इसके मालिकों तथा निदेशकों को ट्रैवल ट्रेड में कोई अनुभव नहीं है। एजेन्ट के पास कोई उचित परिसर या प्रशिक्षित कर्मचारी आदि नहीं है। एअर इण्डिया ने इन एजेन्टों को उसकी स्थिति से स्पष्ट कर दिया है।

जनरल सेल्स एजेन्ट की नियुक्ति वाणिज्यिक आधार पर की जाती है और इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है ।

लालमटिया कोयला परियोजना में डीजल की खपत

7843. **श्री जनार्दन यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लालमटिया कोयला परियोजना में डीजल की औसत दैनिक खपत कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस परियोजना से डीजल की बड़ी मात्रा में चोरी होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक की अवधि के दौरान इस परियोजना में प्रतिदिन डीजल की औसत खपत 14,000 लीटर हुई जिसमें से 5,000 लीटर डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए और शेष हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी एवं अन्य वाहनों के लिए प्रयुक्त हुआ ।

(ख) ई० को० लि० को इस आशय की एक शिकायत मिली थी कि राजमहल परियोजना में वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से डीजल की काफी मात्रा में चोरी की जा रही है । कम्पनी के सतर्कता विभाग द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप कुछ अनियमितताओं का पता चला था जिनकी आगे जांच की जा रही है ।

(ग) परियोजना में डीजल एवं अन्य पी० ओ० एल० तथा उनकी खपत के मामले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस कार्य का उत्तरदायित्व कुछ अधिकारियों को सौंपा गया है ।

सुपुर्दगी के समय कोयला वैगनों का कम वजन होना

[अनुवाद]

7844. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
डा० बंगाली सिंह :
श्री ए० के० राय :
श्री राम नाईक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा वैगनों में भेजे गए कोयले के वजन में जब यह कारखानों में विशेष रूप से उत्तर भारत के कारखानों में पहुंचता है, काफी कमी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं को डिलीवरी लेते समय वैगनों का पुनः वजन करने की अनुमति दी जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कोयला उपभोक्ताओं से उनके द्वारा वैगनों के माध्यम से कम मात्रा में कोयले की प्राप्ति होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) कोयले की मात्रा में कमी कोयले के प्रेषण के दौरान तथा चोरी के कारण होती है।

(ग) और (घ) रेलवे के दावा रोकथाम सम्बन्धी संगठन तथा सुरक्षा दलों द्वारा सामरिक क्षेत्रों में कोयले की उठाईगीरी और चोरी रोके जाने की जांच की जाती है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। रेलवे ने कोयले को ब्लॉक रेकों के माध्यम से भेजे जाने की व्यवस्था शुरू की है ताकि कोयला के प्रेषण के दौरान इसकी उठाईगिरी तथा चोरी की सम्भावनाओं को कम किया जा सके।

(ङ) और (च) साधारणतया गंतव्य स्थल पर रेलवे द्वारा कोयले को पुन: तौले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि आपवादिक मामलों में, जब कोयले की काफी मात्रा में कमी की सम्भावना होती है तो उस समय कोयले को पुन: तौले जाने की अनुमति दी जाती है। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई कोयले की आपूर्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जोखिम दर पर की जाती है जिसके अन्तर्गत रेलवे का उत्तरदायित्व सीमित है।

जोहिला कोयला खान (मध्य प्रदेश)

[हिन्दी]

7845. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोहिला कोयला खान, नरोजाबाद, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में लेखन-सामग्री की खरीद में किए गए कदाचार और अनियमितताओं की जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले थे; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। इस संबंध में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के सतर्कता विभाग द्वारा एक जांच की गई थी।

(ख) और (ग) इस संबंध में की गई जांच से यह पता चला है कि एक पार्टी द्वारा बिना कोई औपचारिक आपूर्ति आर्डर प्रस्तुत किए लेखन-सामग्री की वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी और इसलिए सामग्री को वापिस कर दिया गया था तथा इस संबंध में कोई अदायगी नहीं की गई थी। किन्तु इस संबंध में महा प्रबंधक के कार्यालय के एक आशुलिपिक का, जोकि अपरोक्ष रूप से इस मामले से जुड़ा हुआ था, स्थानांतरण कर दिया गया है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पदों का भरा जाना

[अनुवाद]

7846. **श्री रामजी लाल सुमन : क्या नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-

जातियों के आरक्षित कितने पद इस शर्त के साथ सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे गए हैं कि आरक्षित पदों पर पदोन्नत किए गए/भर्ती किए गए उम्मीदवारों को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर, उनके पूर्व पदों पर फिर से पदावनत कर दिया जाएगा; और

(ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) आज की तारीख तक, केवल एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार निजी सचिव के पद पर कार्य कर रहा है। यह पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित है लेकिन पात्र उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण इसे एक सामान्य उम्मीदवार के द्वारा तदर्थ आधार पर भरा गया है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित पात्र विभागीय उम्मीदवार के उपलब्ध होते ही यह पद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की पदोन्नति के द्वारा भर लिया जाएगा।

मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद में रसोई गैस की कमी

7847. **श्री हरपाल सिंह पंवार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के जिलों में विशेषकर कैराना, बड़ौत, शामली और हिन्डन पार क्षेत्रों में, गत छः माह से रसोई गैस की भारी कमी है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के दो या तीन सप्ताह के बाद भी गैस सिलिंडर प्राप्त नहीं हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कमी के और/अथवा विलम्ब से सप्लाई करने के कारण क्या हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर उपरोक्त क्षेत्रों में, रसोई गैस की कमी को तथा विलम्ब से सप्लाई करने सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) ढुलाई समस्याओं के अलावा सर्दी के मौसम के दौरान एल० पी० जी० की मांग में वृद्धि होने तथा इसकी उपलब्धता में भारी मात्रा में कमी आने के कारण मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों में एल० पी० जी० रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी तौर पर कमी हो गई थी। पहले ही किए गए उपायों से अब स्थिति में सुधार आया है। एल० पी० जी० की उपलभ्यता को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

संसद सदस्यों के लिए रसोई गैस का कोटा

7848. **श्री जगपाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के कोटे से रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाने के संबंध में कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को शीघ्र पत्र जारी किए जाने हेतु कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या उनके ध्यान में कुछ ऐसे विशिष्ट मामले भी आए हैं, जहां इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा भेजे गए रसोई गैस के स्वीकृति पत्र उपभोक्ताओं को विलम्ब से मिले हों अथवा मिले ही न हों; और

(च) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले ध्यान में लाये गए हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) प्रत्येक सांसद की सिफारिश पर प्राथमिकता आधार पर वर्ष में 24 एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किए जा सकते हैं। मन्त्रालय द्वारा ऐसे अनुरोधों को समेकित किया जाता है और प्राथमिकता आधार पर एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने के लिए इन्हें तेल कम्पनियों को भेजा जाता है। तेल कम्पनियों के क्षेत्रीय/क्षेत्र कार्यालयों द्वारा प्राथमिकता पत्र संबंधित व्यक्तियों को रजिस्टर्ड ए० डी० पत्र से जारी किए जाते हैं। तेल कम्पनियों ने ऐसे पत्रों को अविलम्ब जारी करने हेतु अपने क्षेत्रीय/क्षेत्र कार्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं।

(ङ) और (च) दिसम्बर, 89 से फरवरी, 90 के दौरान इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने मूल पत्रों के प्राप्त न होने की रिपोर्टों के जवाब में लगभग 491 प्राथमिकता पत्रों की अनुलिपि जारी की गई।

एयरबस ए-320 के हाइड्रालिक सिस्टम में खराबी

7849. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अगस्त, 1989 को बम्बई के लिए उड़ान भरने वाले एयरबस ए-320 (आई० सी० 805) के इन्जन से, दिल्ली से उड़ने से कुछ पहले ही चिनगारियां निकलने लग गई थीं;

(ख) क्या दो एयरबसों ए-320 (आई० सी० 803 और आई० सी० 807) को हाइड्रालिक सिस्टम में खराबी के कारण, बंगलौर और बंबई में 12 से अधिक घंटों के लिए रुकना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च हुई और उन्हें उड़ान योग्य बनाने में कितना समय लगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में नैमित्तिक श्रमिक

7850. श्री एम० सेल्वारासू : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तमिलनाडु स्थित पीलामेडु और

कोयम्बटूर एल० पी० जी० संयंत्रों पर गत तीन वर्षों या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) इस एल० पी० जी० संयंत्र और पी० ओ० एल० प्रतिष्ठान में पिछले कई वर्षों से लगातार कोई नैमित्तिक श्रमिक नहीं लगाए गए हैं। आवश्यकता होने पर दैनिक कार्य पर रखने के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए 26 व्यक्तियों को 1986 से पैनल में रखा गया है। इन 26 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों का चयन किया गया है और इन्हें 15 फरवरी, 1990 से कारपोरेशन की सेवाओं में सामान्य श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्णतः नैमित्तिक और आवर्तक कार्यों पर स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के बीच क्षेत्रों का आदान-प्रदान

7851. **श्री राम दास सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स (पश्चिम बंगाल) के कुछ क्षेत्र, जैसे बजना क्षेत्र, कपासोरा क्षेत्र लालमटिया क्षेत्र बिहार में स्थित हैं तथा भारत कोकिंग कोल लि० के कुछ क्षेत्र, जैसे क्षेत्र संख्या 12 अर्थात विक्टोरिया वेस्ट और बेनगुनिया कोलियरी पश्चिम बंगाल में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार स्थित क्षेत्रों को भारत कोकिंग कोल लि० को देने एवं पश्चिम बंगाल स्थित क्षेत्रों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को देने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बिहार में स्थित संदर्भगत खानों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से भारत कोकिंग कोल लि० को स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा उक्त खानें अकोककर कोयले का उत्पादन करती हैं। विक्टोरिया वेस्ट तथा बेगुनिया कोककर कोयला खानें हैं जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और इन खानों को भारत कोकिंग कोल लि० से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे कुलियों की सेवाएं

[हिन्दी]

7852. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाइसेंसधुवा रेलवे-कुलियों को वर्दी उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या उनका दर्जा निर्धारित करने का, जैसाकि पहले किया था अथवा उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) लाइसेंस शुदा कुलियों को प्रत्येक वर्ष दो सेट वर्दियां मुहैया की जाती हैं, जिनकी लागत उनसे इकट्ठी की गई लाइसेंस फीस से पूरी की जाती है। यदि उनके द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो उन्हें निर्धारित नमूने और गुणवत्ता के अनुसार अपने स्वयं की वर्दियों के प्रबन्ध करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) से (घ) लाइसेंसशुदा कुलियों को न तो कभी चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों का दर्जा दिया गया था और न ही ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वे लाइसेंसशुदा हैं और यात्रियों का सामान ढोकर तथा सीधे यात्रियों से कुली प्रभार प्राप्त करके अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

पुरवा खेड़ा हॉल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलना

7853. **डा० एस० पी० यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की चन्दौली-बरेली शाखा लाइन पर पुरवा खेड़ा हॉल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) से (ग) पुरवा खेड़ा हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

किउल जंक्शन पर कार्य के लिए दावा-राशि का भुगतान

[अनुवाद]

7854. **श्री एल० पी० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किउल जंक्शन पर पार्सल सामान की व्यवस्था का ठेका वर्ष 1967 में गठित लाइसेंसशुदा कुलियों के श्रमिक सहयोग समिति लिमिटेड को दिया जाता है;

(ख) क्या नवम्बर, 1985 से जनवरी, 1987 तक इस व्यवस्था के ठेका संबंधित दावा राशि/बकाया-राशि का ब्यौरा उपर्युक्त समिति द्वारा डिवीजन कार्यालय, दानापुर को भुगतान के लिए भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त दावा-राशि का अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि समिति ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित श्रमिक भुगतान प्रमाण-पत्र तथा कार्य सम्पन्न वाउचर प्रस्तुत नहीं किये थे और बिल काल बाधित हो गए थे इसलिए उन्हें बिना भुगतान किए समिति को लौटा दिया गया था।

गुजरात में नए उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

7855. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार के साथ संयुक्त सहयोग क्षेत्र में गुजरात में नए उद्योगों की स्थापना किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) इन उद्योगों में कितने व्यक्तितों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) 1987 से 1990 (30 अप्रैल, 1990) तक की अवधि के दौरान गुजरात में संयुक्त क्षेत्र के लिए केवल एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और भड़ौच (गुजरात) में स्पन बौंडेड फैब्रिक्स के विनिर्माण के लिए मै० पैट्रो-फाइल्स कोआपरेटिव लि० को 21-12-1988 को आशय पत्र मंजूर किया गया जिससे लगभग 100 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित हुआ।

जापान, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ संयुक्त उद्यम

7856. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान, फांस और ब्रिटेन के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ, देश-वार, किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमियों द्वारा उपाय किए जाते हैं। सरकार उचित जांच के बाद विदेशी कंपनियों एवं भारतीय उद्यमियों के बीच किए जाने वाले ऐसे सहयोगों की मंजूरी देती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय उद्यमियों के साथ जापान, फांस और ब्रिटेन की वित्तीय भागेदारी वाले जिन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग की मंजूरी दी गई है, उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन क्षेत्रों का विवरण जिनके लिए वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई है और जिनमें जापान, फ्रांस तथा ब्रिटेन की कम्पनियों की भारतीय उद्यमों में वित्तीय भागीदारी है।

क्र० सं०	देश	वर्ष	वे क्षेत्र जिनके लिए स्वीकृति दी गई है और जिनमें वित्तीय सहयोग अंतर्ग्रस्त है
1	2	3	4
1.	जापान	1987	1. गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ना 2. हाइड्रोलिक एक्सकेवेन्टर्स तथा व्हील लोडर्स

1	2	3	4
			3. दुपहियों के लिए इलैक्ट्रोनिक इग्निशन सिस्टम
			4. इन्स्टेंट फूड
			5. इलैक्ट्रिक राइस कुकर
			6. रबरवुड बेस्ड प्लाइवुड
			7. टोनर्स
			8. पेफोन/पब्लिक फोन
			9. इब्रुप्रोफीन
			10. श्रिम्प कल्चर
			11. टैकनिकल मानोफिलामेंट्स
			12. प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बम्पर्स आदि
			13. प्रिसिपन नाम फैरस कास्टिंग्स
			14. सोया बीवरेजिज आदि
			15. सिरेमिक क्राकरीज
		1988	1. फूड प्रोसेसिंग
			2. कार सीट्स
			3. इन्डस्ट्रियल प्रोसेस पम्प
			4. डिस्पोजेबल नोडल्स
			5. कैथीटर्स
			6. सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल
			7. वी० सी० आर०/वी० सी० पी० तथा वीडिय टेप डैक मकैनिज्म
			8. रिलेक्सिंग मशीन आदि
			9. कीटाणुओं के लिए पोलीबुटीन बेसिस ट्रैप्स
			10. प्रिसिजन रबड़ उत्पाद
			11. नान आयोनिक तथा केटिओनिक प्रकार के फ्लो-कुलैन्ट्स (पी० ए० ए० एम०)
			12. ब्लैक एण्ड व्हाइट टी वी पिक्चर ट्यूब के लिए ग्लास शैल
			13. पोलीअस्टर फिलामेंट यार्न

1	2	3	4
			14. वी० सी० आर०/वी० सी० पी०
			15. ग्लास शैल्स, कलर टी वी पिक्चर ट्यूब्स
			16. सिले सिलाए वस्त्र
		1989	1. हाई एनर्जी एक्वाकल्चर फीड्स
			2. मैट्रिक्स प्रिन्टर्स
			3. कार्बुरेटर्स तथा फ्युल पम्प
			4. कलर पिक्चर ट्यूब
			5. स्मारक तथा मकबरों के तराशे व चमकाए हुए ग्रेनाइट पत्थर
			6. आरमेनिक पिगमैंट्स
			7. इन्स्टैंट प्रोसेस्ड फूड
			8. पोर्टलैंड सीमेंट (सफेद)
			9. बिवोल्टाईन (मल्टी बिवोल्टाईन सीड एग्स)
			10. स्पन स्लिक यार्न
			11. पेपर, पेपर बोर्ड, फिल्टर पेपर्स
2.	फ्रांस	1987	1. तैल उद्योग के लिए भूभौतिकीय कार्यकलाप तथा सम्बद्ध कार्य करना
			2. 35 एम० एम० 3-डायमेंशनल स्टिरियोस्कोप दर्शक एवं स्टिरियोस्कोप कार्डस इत्यादि
			3. ट्रांसफार्मर बुशिंग्स टेपचेंजिंग स्विच तथा रोटरी स्लेक्टर स्विच
			4. पशु प्रजनन हेतु पशु पालन, संकरण कृत्रिम गर्भाधन भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी फ्रोजन वीर्य बैंक तथा विटामिनयुक्त पशु खाद्य
			5. सिलाई एवं कढ़ाई, धागा तथा गोला बनाना
			6. सूती कढ़ाई एवं दस्तकारी के धागे
			7. बैंग डी डस्टिंग उपकरण, इलैक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें, इलैक्ट्रानिक डाक टिकट रद्द करने वाली मशीनें इत्यादि
			8. रबर पार्ट्स/प्रोफाइल बनाने वाली मशीनरी

1	2	3	4
			9. स्लिक एवं स्पारल ग्रोव ड्रिल कूलर, स्टेबलाइजर ढांचे, स्टीब्य, रीमर कटर्स
			10. राक एवं पैनल कनैक्टर्स
		1988	1. मुख्य फ्रेम कम्प्यूटर्स
			2. बाटरी साइकलिंग एककों के लिए उपकरण
			3. एसेप्टिक्स पैकेजिंग मशीन टाईप ए० एम०-2
			4. मध्यम दर के होटलों का डिजाइन, योजना बनाना एवं निर्माण करना
			5. पालीमरिक रसायनिक संयोज्य
			6. पेट्रोलियम उद्योग हेतु सेवाएं
			7. हाई प्रोटीन केलोरिफिक कैटल फीड
			8. पाइप लाइन प्रणाली का निर्माण
			9. बाधा मुक्त विद्युत आपूर्ति प्रणाली
			10. डे ओल्ड ब्रायलर चिक्स
			11. सर्किट ब्रेकर्स इत्यादि
			12. कम्प्यूटर साफ्टवेयर
			13. स्पन यार्न हेतु एक के स्थान पर दो ट्विस्टर
		1989	1. टर्न की परियोजनाएं
			2. खसरा का टीका पोलियो का टीका इत्यादि
			3. चिकित्सकीय एक्सरे उपकरण
3.	यू०के०	1987	1. चीनी क्षेत्र एवं सम्बद्ध उद्योगों में परामर्श
			2. सिविल इंजीनियरिंग संबंधों कार्य विशेष रूप से सड़क निर्माण
			3. नायलान वेस्ट रीप्रोसेसिंग एवं नायलॉन मोनोमर कास्टिंग्स
			4. इलैक्ट्रानिक ग्रेड कैमिकल्स
			5. फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रूडेड स्नैक्स एटसटरा
			6. आफ शोर सर्वेक्षण करना
			7. रंग रोगन स्प्रे दुकानों में प्रयोग में आने वाले उत्पाद

1	2	3	4
			8. इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग
			9. एथिलीन, प्रोपलीन, एच० पी० डी० ई० ई० ओ० ई० जी० एक्रिडोमिट्रायल बुटीडियन इत्यादि
			10. होटल एवं रेस्ट्रां
			11. मोडेम्स, एरर्स, करेक्टर्स
			12. चमड़े के जूतों के अपर्स
			13. ग्लास रीइनफोर्स्ड मिश्रित उत्पाद
			14. पोलिओल्स
			15. स्पायरल वेल्डेड स्टील पाइपें
			16. उपकरण व प्रणालियां
			17. वेडगो वायर स्क्रीनें
			18. भू-भौतिकीय सेवाएं
			19. भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण
			20. ब्लेड और शेविंग सिस्टम्स
			21. पूर्णतया डिजाइनदार साड़ियां
			22. शुद्ध इन्सटेंट काफी
			23. इलेक्ट्रोनिक मकैनिकल पेस मेकर आदि
			24. मैटिरियल हैण्डलिंग उपकरण
			25. इन्सटेंट मोलिक्यूलर रिपेयर प्रोसेस
			26. कपड़ा मिलों में नम प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण और एफलूएंट ट्रीटमेंट
			27. कनैक्टर्स
		1988	1. डीजल जनरेटिंग सैट
			2. तट के समीप व तट से दूर "मड इंजीनियरिंग सेवाएं" उपलब्ध कराना
			3. तेल और प्राकृतिक गैस खोजने के लिए भू-भौतिकीय तथा जिओलोजिकल आंकड़े प्राप्त करना
			4. यू०एच०एफ०/वी० एच० एफ० प्रणालियां तथा रेडियो रिले, मिनी कंप्यूटरों, माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली।

1	2	3	4
			5. पोलिएस्टर फिल्म आदि की कोटिंग करना
			6. हैल्थ फूड/प्रोसेस्ड फूड
			7. वैल्डिंग करने व कटाई करने के उपकरण, सहायक सामान व प्रणालियां
			8. मिनरल साइजर्स तथा कनवेइंग उपकरण
			9. कंप्रेसर एयर/आक्सीजन ब्रीदिंग एप्रेटस
			10. बुलेट रोधी तथा फ्रैगमेंटेशन वेस्टे/जैकेटें
			11. खनिज तथा मोल्डिंग कंपाउंड
			12. औद्योगिक वाल्व
			13. कंप्यूटर साफ्ट वेयर
			14. चीनी क्षेत्र में परामर्श
			15. मिनरल तथा मोल्डिंग कंपाउंड
			16. वैक्यूम क्लीनर्स
			17. इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर कोटिंग उपकरण
			18. सोलर फोटोवोल्टैक मोड्यूल्स और प्रणालियां
			19. विशेषीकृत फ्रिक्शन वेल्डिंग उपकरण व सहायक सामान
			20. पेपर साइजिंग रसायन
			21. सबल ऊर्जा संरक्षण व प्रदूषण मानिटर्स
			22. मिनी/माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर्स
			23. व्यापारिक सेवाएं
			24. टायर पंचर सीलेंट
			25. हाइब्रिड सर्किटें
			26. सिलाई व कढ़ाई के धागे
			27. आयल फील्ड उपकरण
			28. एयर आयल सैपरेटर्स आदि
			29. सिलाई मशीनें
			30. कोयला और खान बेनेफिसिएशन संयंत्र बनाना
			31. मध्यम तथा लम्बी दूरी के लिए विशेष कनवेइंग प्रणालियां

1	2	3	4
			32. मोल्ड कोटिंग इत्यादि/ड्रेसिंग्स
			33. पोलीमर आयल
			34. बिजली के उपकरण तथा सहायक सामान/इन्ट्रसिंग उपकरण
			35. बिजली तथा इलेक्ट्रोनिक्स प्रयोगों . लिए एडहेसिव टैप्स
			36. रेलवे के लिए एयर ब्रेक्स
		1989	1. टर्नकी प्रोजेक्ट्स
			2. क्रिप्रोजेनिक कंबिनेट्स
			3. एयर ब्लास्टर सिस्टम
			4. सुरक्षा मुद्रण परियोजना
			5. रोटरी डिस्चार्ज मशीन
			6. मेरीन पम्प्स स्टीम टरबाइन्स इत्यादि
			7. फाइबर ग्लास रीइन्फोर्समेंट तथा वस्त्र
			8. इलेक्ट्रीकल हीट ट्रेसिंग केबल्स इत्यादि
			9. सोयाबीन का तेल
			10. कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं सेवाएं
			11. कंप्यूटर साफ्टवेयर
			12. आयल फील्ड केमिकल्स
			13. बायोक्सियली ओरियंटेड पोलीप्रोपीलीन फिल्म प्रोजेक्ट
			14. हाई वेट मोड्यूल्स सेलूजोजिक फाइबर्स
			15. सिलेसिलाये वस्त्र
			16. पर्यटकों के लिए गाइड्स और डिस्काउंट कार्ड्स
			17. मल्टी फ्यूल पोर्टेबल जनरेटर्स
			18. लुब्रीकेटिंग/डीजल आयल फिल्ट्रेसन सिस्टम
			19. महिलाओं के हैंडबैग, इत्यादि (चमड़े का सामान)
			20. इनट्रिंसिक सेफ्टी बैटरीज
			21. कंप्यूटर साफ्टवेयर

प्रकाश-सुग्राही पदार्थ तैयार करने के लिए लाइसेंस जारी करना

[अनुवाद]

7857. **डा० गुलाम याजदानी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड प्रकाश-सुग्राही पदार्थ तैयार करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी को उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 18 जुलाई, 1986 को जारी अधिसूचना सं० एस० ओ० 428 (ई०) में अपेक्षित शर्तं के अनुसार इस कार्य हेतु लाइसेंस जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) मै० हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को विभिन्न प्रकाश सुग्राही सामग्रियों के निर्माण हेतु, जिसके लिए उक्त कम्पनी के पास औद्योगिक लाइसेंस सं० एल/20(1)(1) एनयू/च० 1/61, दिनांक 20-3-61 है, प्रकाश सुग्राही सामग्री के काटने/अवलेहन के कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस में "केटरिंग सर्विस"

[हिन्दी]

7858. **डा० खुशाल परसराम बोपचे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस में कुछ खाद्य वस्तुओं को परोसने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों ने इन प्रतिबन्धित वस्तुओं की पुनः बिक्री किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की व्यवस्था करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) केवल ऐसी मदें, जिनकी यात्रियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में मांग की जाती है, ए-ला-कारटे व्यंजन सूची में शामिल की जाती हैं। हालांकि चिकेन ए-ला-कारटे व्यंजन सूची में शामिल नहीं था फिर भी इसे बिना किसी प्राधिकार के परोसा जा रहा था, इसलिए इसका परोसा जाना बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर अन्य लोकप्रिय मदें जैसे पैटीस, मसोसे आदि परोसे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

कम दूरी की यात्रा करने वाले व्यक्ति

[अनुवाद]

7859. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति यात्रियों को कम दूरी की यात्रा करने से निरुत्साहित करने की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम दूरी के यात्रियों के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क से (ग) सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने सामान्यतया यह देखा है कि लम्बी और मध्यम दूरी की यात्रा और महानगर क्षेत्रों तथा अन्य संघन क्षेत्रों में भारी दैनिक यातायात के लिए रेलवे यातायात का अधिक उपयुक्त साधन है और कम दूरी के यात्री यातायात के लिए सड़क परिवहन अधिक किफायती और उपयुक्त साधन है, इसलिए, रेलें लम्बी और मध्यम दूरी के अन्तःनगरीय यातायात को उच्च प्राथमिकता देती हैं।

उत्तर प्रदेश में सलेमपुर में "एरोमेटिक" और "पी०टी०ए०" निर्माण परियोजना

7860. **डा० बंगाली सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में "एरोमेटिक" और "पी० टी० ए०" निर्माण परियोजना स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब शुरू होगा; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी होगी और इसको कब चालू किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्पनी ने सूचित किया है कि उन्होंने भूमि के अधिग्रहण स्थल परीक्षण, पानी के लिए व्यवस्था, बिजली, पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति लेने के लिए कार्रवाई, प्रौद्योगिकी के चयन, परियोजना के वित्त पोषण आदि के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। विदेशी सहयोग और उपकरणों के आयात आदि हेतु अनुमोदनों के लिए पार्टी ने अभी अनुरोध नहीं किया है। सभी सरकारी अनुमतियां लेने के पश्चात परियोजना के पूरा होने में साधारणतः 4-5 वर्ष लगते हैं।

राज सहायता वापस लेना

7861. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेल मन्त्री ने कुछ विषयों और विकल्पों के बारे में 1 मार्च, 1990 को रेलवे पर स्थिति रिपोर्ट जारी की है;

(ख) क्या सरकार का सभी राज सहायताओं को, विशेषकर द्वितीय श्रेणी की यात्रा पर दी जाने वाली सभी अनुदान सहायताओं को वापस लेने का तथा आवश्यक वस्तुओं की लागत में वृद्धि को कम करने के लिए मालभाड़े पर दी जाने वाली सकल राज सहायया को धीरे-धीरे कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि सभी वर्तमान राज सहायताओं और छूट को वापस ले लिया जाए और सेवाओं को लागत के आधार पर दिया जाए तो भारतीय रेल को होने वाले लाभ का सेवावार ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1989-90 के लिए भारतीय रेलों पर सामाजिक दायित्वों के वित्तीय प्रभाव का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :—

	रुपए/करोड़
कोचिंग सेवाओं पर हानि :	1763.47
कम दर वाले पण्यों पर हानि :	216.05
कुल	1979.52

यदि रेलों को इन सामाजिक दायित्वों की क्षतिपूर्ति की जाती है तो रेलों को 1979.52 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी ।

राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड को क्रयादेश

7862. **श्री बिप्लव दास गुप्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से सरकारी उपक्रमों से क्रयादेश दिलाकर इसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या "नाइट वीजन गागल्स" और "वायनाक्युलर्ज" के उत्पादन हेतु रक्षा मन्त्रालय ने नैशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड को 5 करोड़ रुपये का जो क्रयादेश दिया था उसे रद्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे क्रयादेश पुनः देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि० का वित्तीय कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों)

वर्ष	सकल हानि (सरकार ऋण पर ब्याज मूल्य ह्रास तथा विकास व्यय निकालने से पूर्व)	शुद्ध हानि
1987-88	(—) 151.96	(—) 444.34
1988-89	(—) 118.44	(—) 516.52
1989-90 (अनन्तिम)	(—) 92.85	(—) 542.52

(ख) सरकार तथा कम्पनी द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ समस्त राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके सर्वेक्षण उपकरणों की आवश्यकता नेशनल इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड से पूरी करने हेतु तथा एकल क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की दृष्टि से उत्पाद मिश्र विविधीकरण करने के लिए अधिकाधिक सहयोग देने के लिए लिखे गए पत्र आदि शामिल हैं।

(ग) से (ङ) रक्षा मन्त्रालय ने नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि० द्वारा "नाइट वीजन गागल्स" और "बायनाक्युलर्स" के निर्माण तथा सप्लाई करने के 5.75 करोड़ रुपए मूल्य का क्रयादेश अन्य स्रोतों से कम कीमत पर उपलब्धता का पता लगाने की सम्भाव्यताओं को ध्यान में रखकर रोक दिया है। रक्षा मन्त्रालय के साथ इन मामलों पर विचार-विमर्श पहले ही शुरू कर दिया गया है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

7863. श्रीमती सुमति उरांव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिगृहीत भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के कब्जे में है;

(ख) क्या हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा यह अधिगृहीत भूमि कुछ बाहरी लोगों एवं बाहरी संस्थाओं को आवंटित की है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची के पास लगभग 7187 एकड़ भूमि है। कुछ भूमि को रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विद्यालयों एवं सामाजिक संस्थानों आदि जैसी विभिन्न एजेन्सियों को आवंटित किया गया है।

महादेई परियोजना की स्वीकृति

[अनुवाद]

7864. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने महादेई विद्युत परियोजना का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दीमापुर हवाई अड्डे के लिए भूमि

7865. श्री शिक्हो सेमा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर में हवाई अड्डे के मूल ढांचे के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) अभी तक धावनपथ के विस्तार के लिए 1500 फुट अपेक्षित भूमि राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई है। तथापि, टर्मिनल भवन, तकनीकी भवन, अग्नि-शमन स्टेशनों, कार पार्क, कार्गो काम्पलैक्स, एयरलाइन कार्यालय, आवासीय मकान आदि के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि अभी असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर (ए० आर० टी० सी) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी० आर० पी० एफ०) के पास है। ये निर्माण कार्य तभी शुरू किए जा सकते हैं जब असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा यह भूमि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी।

महुआ और शीरे से निर्मित शराब की लागत

[हिन्दी]

7866. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महुआ और शीरे से निर्मित शराब की लागत में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या महुआ से निर्मित शराब के मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा शराब की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं लगाया गया है। अतः महुआ से बनी शराब की कीमतें निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता

[अनुवाद]

7867. **श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय औसत तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण क्षेत्र के लिए विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता की नियोजित वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में बिजली की कम मांग का अनुमान लगाने के कारण यह राज्य बिजली सप्लाई के मामले में सबसे अधिक गम्भीर रूप से प्रभावित होगा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस बारे में नए सिरे से विचार करने और असंतुलन को ठीक करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) देश में आठवीं योजना के दौरान लगभग 38,369 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित किए

जाने की अनन्तिम रूप से परिकल्पना की गई है। प्रत्याशित अभिवृद्धि का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

	(मेगावाट)
उत्तरी क्षेत्र	9561.3
पश्चिमी क्षेत्र	10899.7
दक्षिणी क्षेत्र	7906.5
पूर्वी क्षेत्र	8307.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1694.5
जोड़ अखिल भारत	38369.4

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

"डैथ राइड ऑन एयर इण्डिया एयरबस" शीर्षक से समाचार

7868. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितंबर, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रेस" बम्बई में "डैथ राइड ऑन एयर इण्डिया एयरबस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना की जांच कराने के लिए कोई आदेश जारी किए थे;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दुर्घटना की जांच उड़न योग्यता नियंत्रक, नागर विमानन विभाग द्वारा की गई थी तथा उन्होंने पाया कि विमान रखरखाव इंजीनियर असावधानीपूर्वक निरीक्षण के लिए उत्तरदायी था, और इसके परिणामस्वरूप विमान के मुख्य अवतरण गियर एक्सल को क्षति पहुंची। सम्बन्धित विमान रखरखाव इंजीनियर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडित किया जा चुका है। इस खराबी के कारण यात्रियों के जीवन को खतरा नहीं हो सकता था।

दामोदर घाटी निगम के कार्य में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम

7869. **श्री बी० एस० बासवराज :**
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने देश में बिजली पैदा करने वाली सबसे उत्तम एजेंसियों में

अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने कार्यों में सुधार लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे लागत में कितनी कमी हुई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम के प्रचालन में सुधार करने के लिए एक योजना बनाई गई है; इस योजना में कई कार्यकरण शामिल हैं, उदाहरणार्थ शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके निगम एवं संयंत्र स्तर पर संगठनात्मक ढांचा में अमूल-चूल परिवर्तन करना, परियोजना का प्रबोधन करने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना एवं प्रचालन तथा अनुरक्षण संबंधी कंप्यूटरीकृत स्कीमों का क्रियान्वयन, विद्यमान एवं पुरानी ताप विद्युत यूनिटों का प्रभावी ढंग से नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जनशक्ति का बेहतर समुपयोजन आदि, जिनसे अन्त में लागत पर काफी प्रभाव पड़ने की अपेक्षा की जाती है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए महंगाई भत्ते का फार्मूला

7870. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**
श्री यशवंत राव पाटिल :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री सरजू प्रसाद सरोज :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस" और "आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस" सहित सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों ने केन्द्रीय सरकार से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते के फार्मूले पर लिए गए अपने निर्णय पर पुनः विचार करने तथा फिर से वार्ता आरम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संगठनों की केन्द्रीय सरकार के साथ हाल ही में कोई बैठक हुई है और यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों, संगठनों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय श्रमिक सम्मेलन में उपस्थित होने वाले केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन के प्रतिनिधियों ने 21-4-90 को संघीय श्रम मन्त्री से अलग से मुलाकात की तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के प्रश्न पर संघीय वित्त मन्त्री के साथ एक बैठक आयोजित करवाने का अनुरोध किया । औपचारिक बैठक शीघ्र ही तय की जाएगी ।

अधिक कन्टेनर-फ्रेट-स्टेशनों की स्थापना

7871. **श्री के० एस० राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कन्टेनर-फ्रेट-स्टेशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या नौवहन द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी स्थायी समिति ने हाल में देश में और अधिक कन्टेनर-फ्रेट-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया था; और

(ग) यदि हां, तो इन स्टेशनों के किन-किन नगरों में स्थापित किए जाने की संभावना है और कब ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) नौ।

(ख) और (ग) नौवहन द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी स्थायी समिति ने अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और मदुरै में कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने का सुझाव दिया है। आशा है कि अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे स्थित कन्टेनर फ्रेट स्टेशन चालू वर्ष के दौरान कार्य करना शुरू कर देंगे।

पंजाब स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती नियम

7872. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और पंजाब सरकार के बोर्डों में कर्मचारियों की भर्ती संबंधी क्या नियम हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन नियमों का तदर्थ अथवा दैनिक मजदूरी कर्मचारियों की भर्ती में पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) पंजाब राज्य में सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उपक्रमों ने पंजाब सरकार के मानक नियमों के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपने नियम बनाए हैं। कुछ उपक्रम पंजाब सरकार के नियमों का अनुसरण कर रहे हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से तदर्थ नियुक्तियों के मामले में भी इन नियमों का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है। नियमों के उल्लंघन के किसी मामले की सूचना सरकार को नहीं मिली है।

दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को दैनिक भर्ती नियम से अनुसार नियुक्त किया जाता है तथा वे किसी पृथक नियम द्वारा शासित नहीं होते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को रियायती पास

7873. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को उनके कार्यालय-स्थान और निवास स्थान के बीच की दैनिक यात्रा के लिए रियायती दर पर उपनगरीय मासिक सीजन पास जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कुछ कार्मार्थियों को दिल्ली में सरकारी आवास आबंटित किया गया है और वे झूठी सूचनाओं के आधार पर इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1990 के महीने के दौरान 85 कर्मचारियों को रियायती दरों पर मासिक उप-नगरीय टिकट जारी किए गए थे, कोटि-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. ग्रुप "बी" — 4
2. ग्रुप "सी" —54
3. ग्रुप "डी" —27

(ग) और (घ) इसी प्रकार का ग्रुप "सी" के एक कर्मचारी का एक मामला ध्यान में आया है, संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मध्य प्रदेश में कोयला खानें

[हिन्दी]

7874. **श्री लरंग साय : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सरगूजा, बिलासपुर और शहडोल जिलों में अनेक कोयला खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिलों में कितनी-कितनी कोयला खानें हैं और उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक कोयला खान से प्रतिदिन कितना कोयला निकाला जाता है;

(ग) क्या कोयला कंपनियां राज्य सरकार को रायल्टी देती हैं; और यदि हां, तो किस दर से; और

(घ) प्रत्येक कम्पनी द्वारा जनवरी, 1985 से अक्तूबर, 1989 तक कितनी-कितनी धनराशि का इस रूप में भुगतान किया गया ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में 25 कोलियरियों, बिलासपुर में 11 कोलियरियों तथा शहडोल जिले में 39 कोलियरियों में खनन क्रियाकलाप कर रहा है। इन कोलियरियों से प्रतिदिन उत्पादित कोयले की मात्रा तथा कोलियरियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार को कोयले के विभिन्न ग्रेडों पर देय रायल्टी की दरें नीचे दी गई हैं—

कोयले का ग्रेड	रायल्टी की दर (प्रति टन)
अकोककर कोयला ग्रेड "ए" अकोककर कोयला ग्रेड "बी"	रुपये 6.50
अकोककर कोयला ग्रेड "सी"	रुपये 5.50
अकोककर कोयला ग्रेड "डी" अकोककर कोयला ग्रेड "ई"	रुपये 4.30
अकोककर कोयला ग्रेड "एफ" अकोककर कोयला ग्रेड "जी"	रुपये 2.50

(घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने से अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रवार अदा की गई रायल्टी की राशि का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने वर्ष 1984-85 तथा वर्ष 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित खानों के संबंध में, जोकि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को स्थानांतरित कर दी गई हैं, क्रमश: 1157.65 लाख रुपये तथा 1188.84 लाख रुपये की रायल्टी की राशि की अदायगी की है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर और शहडोल जिलों की कोलियरियों के नाम और इन कोलियरियों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले कोयले के उत्पादन की मात्रा—

सरगुजा जिला

क्र० सं०	खान का नाम	अप्रैल, 1990 के दौरान हुआ प्रतिदिन कोयले का औसत उत्पादन (टन)
1	2	3
1.	नार्थ झगराखंड	120
2.	साउथ झगराखंड (पुरानी)	146
3.	साउथ झगराखंड (नई)	246
4.	वेस्ट झगराखंड	796
5.	बी० सीम	627
6.	कोरिया	669
7.	कुरासिया	
	(क) कुरासिया भूमिगत	539
	(ख) कुरासिया ओ० का०	1867
8.	सोनावनी	313
9.	दुमन हिल	1084
10.	वेस्ट चिरीमिरी	1258
11.	एन० सी० पी० एच०	1433
12.	नार्थ चिरीमिरी	962
13.	चिरीमिरी भूमिगत	944
14.	चिरीमिरी ओपन कास्ट	1027
15.	भटगांव	1577
16.	जयनगर (पुरानी)	808

1	2	3
17.	जबनगर (नई)	538
18.	कुमंडा (पुरानी)	481
19.	कुमंडा (नई)	680
20.	बलरामपुर इंक्लाइन	240
21.	विश्रामपुर ओपन कास्ट	2000
22.	दुग्गा ओपन कास्ट	187
23.	चुर्चा	2038
24.	चुर्चा वेस्ट	2000
25.	कटमोहना	654
बिलासपुर जिला		
1.	बंकी	1154
2.	सुरकाचार (मुख्य)	885
3.	सुरकाचार 3 और 4	459
4.	सुरकाचार 5 और 6	118
5.	बलगी	923
6.	राजगमर	942
7.	मणिकपुर ओपन कास्ट	4667
8.	गेबरा ओपन कास्ट	29833
9.	दिमका ओपन कास्ट	5667
10.	कुसमुन्डा ओपन कास्ट	11167
11.	लक्ष्मण ओपन कास्ट	5167
शहडोल जिला		
1.	बुरहार नं० 1	612
2.	धनपुरी भूमिगत	510
3.	सुभाष इंक्लाइन	375
4.	बुरहार नं० 3	513
5.	नवाई भूमिगत	769
6.	विवेक नगर इंक्लाइन	222
7.	कंगटा कोलियरी	565

1	2	3
8.	अमलाई भूमिगत	462
9.	बंगवार	103
10.	राजेन्द्र	—
11.	नव गांव	—
12.	धनपुरी ओपन कास्ट	1500
13.	शारदा ओपन कास्ट	1167
14.	अमलाई ओपन कास्ट	534
15.	बीरसिंगपुर	432
16.	नोरोजाबाद	868
17.	उमरिया	410
18.	पाली	707
19.	पिनोरा	63
20.	जमुना 1 एवं 2	423
21.	जमुना 9 व 10	168
22.	जमुना 11 व 12	108
23.	कोटमा वेस्ट	914
24.	कोटमा	308
25.	गोविन्दा	2154
26.	भद्रा	315
27.	जमुना ओपन कास्ट	1562
28.	राजनगर	423
29.	न्यू राजनगर	538
30.	राजनगर 7 व 8	1231
31.	रामनगर	423
32.	भिमार (पुरानी)	769
33.	साउथ सिमार	462
34	मालगा	423
35.	बिजुरी	1254
36.	बहेराबंध	400
37.	राजनगर ओपन कास्ट	2667
38.	डोला ओपन कास्ट	200
39.	पालकीमारा	38

विवरण-2

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रवार की गई रायल्टी की अदायगी

(रु० लाख)

विवरण	कोरबा (ईस्ट)	कोरबा (वेस्ट)	चिरीमिरी	बैकुंठपुर	हसदेव	सोहागपुर	जमुना कोटमा	जोहिला	जोड़
अप्रैल, 86 से मार्च, 87	374.75	अविकसित क्षेत्र	216.16	150.82	190.03	132.91	88.13	—	1152.80
अप्रैल, 87 से मार्च, 88	119.61	291.52	240.91	200.05	200.29	141.42	101.75	—	1295.55
अप्रैल, 89 से मार्च, 89	118.41	346.72	249.60	211.56	222.00	160.51	108.83	—	1417.63
अप्रैल, 89 से दिसम्बर, 89	100.07	330.87	174.31	168.82	171.96	87.07	95.41	22.67 नया क्षेत्र	1151.18

टिप्पणी—साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के खातों को 1-4-86 से तैयार किया गया।

बिहार में कोयला खानों से कोयला निकालना

7875. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की कुछ और कोयला-खानों से कोयला निकालने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में कुछ और कोयला-खानों से कोयला निकालने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में लगभग 40 नई तथा पुनर्गठित कोयला परियोजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है। इस संबंध में क्रियाकलापों को शुरूआत, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित मुद्दों पर निर्भर करेगी—तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता तथा अन्य अपेक्षित अनुमोदन।

कोयला खनन के लिए प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

7876. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक कोयला उत्पादन के लिए राष्ट्रीयकृत कोयला खानों द्वारा अपने खनन कार्यों में क्या प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है; और

(ख) वर्ष 2000 ईस्वी तक कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) देश में कोयले की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियां अपनी खनन क्रियाकलापों में निम्नलिखित आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है—

(1) खान आयोजना तथा विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित अति-आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की शुरूआत की जा रही है—जैसे विद्युत रैस्टीविटी सर्वेक्षण, मैगनेटिक सर्वेक्षण, ग्रैविटी सर्वेक्षण, इनसीम सिसमिक सर्वेक्षण तथा रेडियो प्रतिरूपण आदि।

(2) कोयले की निकासी किए जाने के लिए 5 से 10 मि० टन की प्रतिवर्ष की क्षमता वाली ओपनकास्ट खानों को उच्च क्षमता के उपकरणों तथा गहन यांत्रिकरण के साथ खोला जा रहा है। भूमिगत खनन कार्य को भी यांत्रिकृत लांगवाल उपकरण की तैनाती, गैलरी ब्लास्टिंग प्रणाली की शुरूआत तथा शील्ड खनन प्रणाली, आदि के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रगामी प्रयोग किया जा रहा है।

(3) कोयला रख-रखाव के क्षेत्र में यांत्रिकृत कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। यह संयंत्र कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादित संपूर्ण कोयले का अन्ततः रख-रखाव कर सकेंगे।

(4) संचार के क्षेत्र में निम्नलिखित बेहतर संचार की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं—माइक्रोवेव सर्किट, अर्थ-स्टेशन के जरिए सेट लाइट पर आधारित संचार नेटवर्क, कम्प्यूटर नेटवर्क तथा भूमिगत खानों का विद्युतीकरण।

(ख) सरकार ने वर्ष 2000 ईस्वी तक कोयला उत्पादन के लक्ष्यों को स्थापित किए जाने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। किन्तु वर्ष 1999-2000 तक कोयले का संभावित उत्पादन 418 मी० टन होने का प्रक्षेपण किया गया है।

दिल्ली और औरंगाबाद के बीच विमान सेवा

[हिन्दी]

7877. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र, अजन्ता-एलोरा के लिए जाने वाली उड़ान सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली और औरंगाबाद के बीच दैनिक उड़ान शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) औरंगाबाद अजंता और एलोरा गुफाओं के सबसे नजदीक का हवाई अड्डा है। इण्डियन एयरलाइन्स दिल्ली-जयपुर जोधपुर-उदयपुर-औरंगाबाद क्षेत्रों और वापसी मार्ग पर दैनिक बोइंग 737 सेवा का परिचालन करती है। इसके अतिरिक्त वायुदूत औरंगाबाद के मार्ग से निम्नलिखित सेवाओं का परिचालन करती है :—

—बम्बई-औरंगाबाद-नांदेड और वापसी मार्ग पर सप्ताह में चार दिन (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार) डोर्नियर सेवा।

—बम्बई-औरंगाबाद-अकोला और वापसी मार्ग पर सप्ताह में तीन दिन (मंगलवार, वृहस्पतिवार और शनिवार) डोर्नियर सेवा।

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइन्स दिल्ली और औरंगाबाद के बीच पहले से ही दैनिक परिचालन कर रही है।

विदेशी पूंजी निवेश नीति

7878. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने, देश की ही शर्तों पर विदेशी पूंजी निवेश के सम्बन्ध में भारत की नीति को स्पष्ट रूप से दोहराया है;

(ख) क्या प्रधानमन्त्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत इस सम्बन्ध में मुक्त व्यापार नीति नहीं अपनायेगा;

(ग) क्या अमरीका की सरकार ने इस संबंध में अपना रोष प्रकट किया है तथा इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार और अमरीका सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) तारीख 9 अप्रैल, 1990 को विश्व आर्थिक मंच तथा इन्जीनियरी उद्योग महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत के संबंध में

राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमन्त्री ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि देश के उद्योग को आधुनिक बनाने, भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से और अधिक प्रतियोगी बनाने तथा विश्व के अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में इसे विपणन संबंधी संपर्क उपलब्ध कराने के प्रयासों में विदेशी निवेश जो महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है उसे भारत स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा था कि देश प्राथमिकता वाले जनहित के क्षेत्रों में विदेशी निवेश का स्वागत करेगा। किन्तु प्रधानमन्त्री ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि देश का विदेशी निवेश पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा कर एक मुक्त व्यापार नीति अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और देश विदेशी निवेश के सम्बन्ध में चयनात्मक नीति पर चलता रहेगा।

(ग) और (घ) हाल में अप्रैल, 1990 में हुई भारत-अमरीका आर्थिक तथा वाणिज्यिक उप-आयोग की बैठक में अमरीकी प्रतिनिधि मंडल ने यह विचार व्यक्त किया था कि विदेशी निवेश-कर्त्ताओं से उचित तथा न्यायोचित व्यवहार करना भारत के हित में होगा। भारतीय पक्ष ने विदेशी निवेश के बारे में सरकार की नीति की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की और यह बात दोहरायी कि विदेशी निवेश नीति में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि भारत की विदेशी निवेश नीति की औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीति का एक भाग है और इसे प्रतिबिम्बित करती है। भारतीय पक्ष ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि भारत की नीति भेदभावपूर्ण नहीं है तथा यह विदेशी निवेशकर्त्ताओं को कार्य करने में उचित माहौल उपलब्ध कराती है।

भरूच स्टेशन पर ऊपरी-पुल का निर्माण

7879. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर भरूच रेलवे के निकट एक ऊपरी-पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए अपने हिस्से के खर्च की स्वीकृति दे दिए जाने के बाद ही रेलवे इस कार्य को शुरू कर सकती है।

नारियल-जटा उद्योग को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

7880. **प्रो० के० वी० थॉमस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल-जटा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) नारियल-जटा मजदूरों के कल्याण के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) नारियल-जटा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केरल सरकार को कितनी सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) केरल में नारियल-जटा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए कयर बोर्ड/सरकार

द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम, वित्तीय सहायता, तकनीकी मदद, प्रशिक्षण और विस्तार सुविधाएं दी गई हैं :

1. केन्द्रीय सहकारीकरण योजना।

2. बाजार विकास के लिए छूट योजना।

3. निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता।

4. आई० टी० सी०/एस० आई० डी० ए० परियोजना के अधीन विदेशी प्रचार कार्यक्रम और बाजार विकास मिशन।

5. वर्कशेडों के निर्माण/नवीकरण के लिए संगठित क्षेत्र को सहायता।

6. उत्पादकता में सुधार करने, गुणवत्ता के उन्नयन और नारियल-जटा कामगारों की कौशल में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम।

7. केरल में नारियल-जटा उद्योग से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना और संकलित करना।

(ख) केरल के नारियल जटा कामगारों के कल्याण के लिए किए गए उपाय :—

1. केरल के 53 गांवों में लगभग 140 लाख रुपये की लागत से आदर्श नारियल-जटा ग्रामीण योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नारियल जटा कामगारों के आवास की व्यवस्था करना, सैनिटरी शौचालय, ईंधन बचाने वाले धुंआ रहित चूल्हे, शेड, सामुदायिक केन्द्र/विश्राम कक्ष, पीने के पानी की योजनाएं, बांध इत्यादि का प्रावधान करना शामिल है।

2. चिकित्सा योजना—केरल में यह योजना 200 लाख रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है (जिसके लिए लिए धन राशि केन्द्र और केरल सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में दी जायेगी)। इस योजना में दवाइयों, विटामिन और खनिजों की आपूर्ति करना, चिकित्सा कैम्प और व्यवसाय सम्बन्धी रोगों का निदान करने और नारियल जटा मजदूरों के अन्तरंग रोगी उपचार के लिए मौजूदा अस्पतालों में अस्पताल ब्लाकों का निर्माण करने की व्यवस्था है।

3. कयर बोर्ड ने आंगनवाड़ी के लिए स्थाई भवनों के निर्माण के लिए 20,000 रुपये की दर से सहायता दी है। अब तक 39 ऐसे भवनों को यह सहायता दी जा चुकी है।

(ग) नारियल जटा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केरल सरकार को दी गई सहायता इस प्रकार है :—

(1) नारियल जटा का उत्पादन करने वाले लघु एककों के वर्क शेडों का निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए 3000 रु० की दर से 293 एककों को सहायता दी गयी है।

(2) सातवीं योजना अवधि के दौरान नारियल जटा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने और उनके कार्यों के आधुनिकीकरण के लिये सहकारीकरण योजना के अन्तर्गत केरल सरकार को कुल 187 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी थी।

(3) कयर बोर्ड द्वारा गुणवत्ता के उन्नयन के लिए 85 नारियल जटा समिति के कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया।

वैगनों में निर्धारित मात्रा से कम कोयला पाया जाना

7881. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :**

श्री ए० चार्ल्स :

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को रास्ते में कोयले में हेराफेरी और इसकी चोरी दुर्घटना के कारण बिखर जाने तथा वैगनों में कोयले की कम मात्रा पाए जाने के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले की वैगनों में कमी की मात्रा और इससे लघु उद्योगों को होने वाले नुकसान के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कोयले के उपभोक्ताओं को वैगनों के माध्यम से प्राप्त कोयले की मात्रा में कमी प्राप्त होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) लघु उद्योगों द्वारा कोयले के परिवहन किए जाने के दौरान कोयले की कमी की मात्रा का तथा इस सम्बन्ध में उठाई गई हानि का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। रेलवे की दावारोधक मशीनरी तथा सुरक्षा विभाग कोयले की सामरिक क्षेत्रों में उठाईगिरी तथा चोरी के मामलों की जांच करता है ओर यह विभाग अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करता है। रेलवे ने रास्ते के दौरान उठाईगिरी तथा चोरी के मामलों को न्यूनतम करने की दृष्टि से ब्लाक रैकों में बहुत तीव्र परिवहन किए जाने की भी शुरूआत की है। कोयले कम्पनियां आमतौर पर कोलले का लदान रास्ते में परिवहन के दौरान कोयले की उठाईगिरी से बचने के लिए टूट-फूटी वैगनों में कोयले का लदान नहीं करतीं हैं। कोयला कंपनियों ने कोयले को प्रेषित किए जाने से पूर्व कोयला वैगनों का लदान करने के लिए वे-ब्रिजों की भी स्थापना की है।

सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट संयंत्र को पुनः चालू करना

[हिन्दी]

7882. **डा० किरोड़ी लाल मीणा :**

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जयपुर उद्योग लिमिटेड का सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट संयंत्र के बन्द पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ख) इसे फिर से चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या श्रमिकों ने इसे सीमेंट संयंत्र को सहकारिता के आधार पर चलाने के लिए राज्य

सरकार अथवा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड, जिसका सवाई माधोपुर में एक सीमेंट संयंत्र है, को राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक ने कार्यशील पूंजी की सुविधाएं दी थीं। तथापि, 1-7-1988 से बैंक से लेन-देन बंद कर दिया गया है क्योंकि गारंटी का नवीनीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार तथा कंपनी द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने एक पुनः स्थापना योजना तैयार करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बंक को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। आई० आर० बी० आई० द्वारा तैयार की गयी योजना और मामले के सभी संबद्ध तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बोर्ड की विशेष बेंच अपनी 30 जनवरी, 1989 की सुनवाई में मुख्यतया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मै० जयपुर उद्योग लि० को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन चालू नहीं किया जा सकता है और इसे बंद कर देना ही न्यायोचित होगा। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से सुझाव/टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया गया था जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 5-4-1989 निर्धारित की गयी थी।

इसी बीच, एकक को बन्द कर देने के बारे में औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड द्वारा 30 जनवरी, 1989 को जारी किए गए आदेश को एकक के एक प्रवर्तक ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण अपील प्राधिकरण में चुनौती दी थी। अपीक प्राधिकरण ने अपने तारीख 12-6-1989 के आदेश के जरिए यह मामला प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जांच के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड के पास पुनः भेज दिया था।

बी० आई० एफ० आर० ने अपने 25 जुलाई, 1989 के आदेश के द्वारा आई० आर० बी० आई० को अपील प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक नयी योजना तैयार करने और 15-9-1989 तक बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। अब आई० आर० बी० आई० ने बी० आई० एफ० आर० को अपनी संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसने आदेश जारी करने के लिए 30 अप्रैल, 1990 की तारीख निर्धारित की है। बी० आई० एफ० आर० के अन्तिम विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिल्ली में रसोई गैस एजेन्सियों का आबंटन

[अनुवाद]

7883. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 से दिल्ली में कोई भी नयी रसोई गैस एजेंसी आबंटित नहीं की गई है जबकि मुख्य रूप से विधवाओं, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणियों के 25 वितरकों को इसके लिए चुना गया है और ये पांच वर्षों से इसके प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन एजेंसियों को कब तक आबंटित और चालू कर दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) जी, नहीं। 1987 से अब तक दिल्ली में 36 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरम्भ की गई हैं। तथापि, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, जिनके लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं, मुख्यतः भूमि का आबंटन होने/कब्जा लेने में हुए विलम्ब के कारण अभी तक आरम्भ नहीं हो पाई है। जैसे ही भूमि उपलब्ध होती है और अन्य अपेक्षाएं पूरी होती हैं, इन्हें आरम्भ कर दिया जाएगा।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

7884. **डा० विश्वनाथम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस का पश्चिम गोदावरी से श्रीकाकुलम जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में स्थित गैस पर आधारित कुछ विद्युत संयंत्रों को गैस की सप्लाई का वचन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विजेश्वरम में लगाए जाने वाले 3 × 33 मेगावाट के एक विद्युत संयंत्र को 400000 घन मी० प्रतिदिन प्राकृतिक गैस देने का वचन दिया गया है। काकीनाडा में एक बड़े विद्युत संयंत्र के लिए गैस उपलब्ध होने के बारे में बताया गया है।

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश

7885. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कम उपलब्धता का मुख्य कारण वहां विद्युत क्षेत्र में अपर्याप्त केन्द्रीय निवेश का होना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत सातवीं योजना के अंत में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 630 मे० वा० थी। आठवीं योजना के अन्त तक क्षमता अभिवृद्धि के अनन्तिम कार्यक्रम के अनुसार यह बढ़कर 4030 मे०वा० हो जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि क्षेत्र में ऊर्जा की कमी जो कि इस समय 14.15% है, आठवीं योजना के अन्त तक घटकर 2.3% रह जाएगी।

"पैलेस आन व्हील" रेलगाड़ी को आरम्भ करना

[हिन्दी]

7886. **श्री गोपाल सिंह मक्कासर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पैलेस आन व्हील" रेलगाड़ी को आरम्भ करने के क्या उद्देश्य हैं और सरकार को इस बारे में कितनी सफलता मिली है; और

(ख) इस रेलगाड़ी को चलाने पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और पिछले

तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने और देश को विदेशी मुद्रा आय की वृद्धि के लिए "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी आरम्भ की गयी थी। 1988-89 में इस गाड़ी का स्थानाग्रहण 93.4 प्रतिशत था और विदेशी मुद्रा आय 12.55 लाख अमेरिकी डालर थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस गाड़ी को चलाने में रेलों द्वारा किए गए व्यय लागत और उठाए गए लाभ/हानि इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

1. लागत	1986-87	1987-88	1988-89
(क) पूर्णत: वितरित	101.25	113.76	128.82
(ख) सीधी	70.80	77.52	81.44
2. आमदनी (रेलों के अंश)	65.00	91.25	121.80
3. लाभ/हानि	1986-87	1987-88	1988-89
(क) पूर्णत: वितरित लागत के आधार पर	(—) 36.25	(—) 22.51	(—) 7.02
(ख) सीधी लागत के आधार पर	(—) 5.80	(+) 13.73	(+) 40.36

रेलवे विभाग में कर्मचारियों से प्रतिभूति प्राप्त करने में विलम्ब

[अनुवाद]

7887. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग कुछ श्रेणियों के अपने कर्मचारियों से बचत खाते आदि की पास-बुक के रूप में प्रतिभूति लेता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेल विभाग कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को और सेवा-निवृत्त होने पर पेंशनभोगी कर्मचारी को प्रतिभूति राशि लौटाने में बहुत विलम्ब करता है; और

(घ) उत्तर रेलवे द्वारा अभी कितने मामलों में प्रतिभूति राशि लौटाई जानी शेष है और इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार, उन रेल कर्मचारियों को जिन्हें नगदी/भंडार सम्हालने का

काम सौंपा जाता है, नगदी/भंडार के सम्हालने में हुई संभावित हानि से रेलों के हित की रक्षा के लिए नगदी जमा, सरकारी प्रतिभूति भारतीय स्टेट बैंक की जमा रसीद, अनुबंध पत्र और मांग देय ड्राफ्ट, डाकखाने में बचत बैंक/राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उत्तर रेलवे से सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"डेसू" के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

[हिन्दी]

7888. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान के अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) ये मामले कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार 0-4-1990 को स्थिति के अनुसार संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/सरकारी पैसे के दुरुपयोग सम्बन्धी लगभग 540 मामले लम्बित थे।

(ख) और (ग) 31 मामले 1977-1982 की अवधि के हैं और शेष 509 मामले 1983-1990 के दौरान पंजीकृत किए गए थे। दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान ने अपने सतर्कता स्टाफ को लम्बित मामले शीघ्र निपटाने का निदेश दिया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

[अनुवाद]

7889. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में समयबद्ध पदोन्नति की नीति लागू की गई है, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण रोस्टर को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समयबद्ध पदोन्नति के कारण बढ़ी हुई अवधि को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन कर्मचारियों को योग्यता मापदंड में छूट नहीं दी गई है उनकी शिकायतों के निवारण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) सरकार का आरक्षण नीति के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करने का विचार है, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के समानुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति योजना अपनाई है। समयबद्ध पदोन्नति योजना अपनाने वाले उपक्रमों के लिए सरकार द्वारा यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में प्रदान किए आरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों का उल्लंघन न हो।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें आयु सीमा, परीक्षा शुल्क आदि में छूट एवं रियायतें, साक्षात्कारों में उपस्थित होने के लिए यात्रा-व्यय की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग से साक्षात्कार, विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को शामिल करना, मानदंड एवं अनुभव में छूट आदि शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सीधी भर्ती में अनारक्षण पर रोक लगा दी गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

बायो-गैस संयंत्रों के लिए राज्यों को सहायता

7890. **श्री डी० अमात** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बायो-गैस संयंत्रों के विकास हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी सहायता-राशि दी गई है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार, अब तक कितने बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। सरकार बायो-गैस विकास को राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों तथा राज्य नोडल एजेंसियों को केन्द्रीय अनुदान सहायता, सेवा प्रभार अथवा स्टाफ सहायता, टर्न-की जॉब फी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, मरम्मत प्रभारों इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ख) बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात 1987-88 से 1989-90 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों और राज्य नोडल एजेंसियों को कुल 139.38 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1981-82 से 1989-90 (फरवरी, 1990 तक) की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संलग्न विवरण-2 में दिए गए राज्य-वार ब्यौरे के अनुसार 11.87 लाख से अधिक परिवार आकार के बायो-गैस संयंत्र लगाए जाने की सूचना मिली है।

विवरण 1

बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों/राज्य नोडल एजेंसियों को निर्मुक्त की गई निधियों का राज्यवार विवरण

क्र० सं०	राज्य सरकार/संघ क्षेत्र	वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान निर्मुक्त की गई कुल निधियां (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	476.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.62
3.	असम	222.83
4.	बिहार	360.50
5.	गोआ	15.89
6.	गुजरात	1048.44
7.	हरियाणा	218.79
8.	हिमाचल प्रदेश	437.11
9.	जम्मू एवं कश्मीर	20.77
10.	कर्नाटक	913.54
11.	केरल	234.75
12.	मध्य प्रदेश	311.66
13.	मणिपुर	18.30
14.	महाराष्ट्र	4853.66
15.	मेघालय	3.30
16.	मिजोरम	16.72
17.	नागालैंड	0.02
18.	उड़ीसा	693.15
19.	पंजाब	189.41
20.	राजस्थान	359.88

1	2	3
21.	सिक्किम	17.11
22.	तमिलनाडु	1314.56
23.	त्रिपुरा	0.02
24.	उत्तर प्रदेश	1488.31
25.	पश्चिम बंगाल	717.28
26.	अंडमान और निकोबार	2.35
27.	चंडीगढ़	0.32
28.	दिल्ली	2.49
	कुल योग	13938.20

बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से 1989-90 (फरवरी, 1990 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या

विवरण 2

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	स्थापित किए गए कुल संयंत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	88777
2.	अरूणाचल प्रदेश	24
3.	असम	7717
4.	बिहार	56741
5.	गोआ	1361
6.	गुजरात	87553
7.	हरियाणा	17716
8.	हिमाचल प्रदेश	18393
9.	जम्मू एवं कश्मीर	708
10.	कर्नाटक	63865
11.	केरल	22061
12.	मध्य प्रदेश	34882

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	357247
14.	मणिपुर	268
15.	मेघालय	107
16.	मिजोरम	567
17.	नागालैंड	124
18.	उड़ीसा	42450
19.	पंजाब	14588
20.	राजस्थान	34195
21.	सिक्किम	314
22.	तमिलनाडु	122430
23.	त्रिपुरा	83
24.	उत्तर प्रदेश	176547
25.	पश्चिम बंगाल	37659
26.	अंडमान एवं निकोबार	98
27.	चंडीगढ़	72
28.	दादर एवं नागर हवेली	126
29.	दिल्ली	561
30.	पांडिचेरी	443
	कुल योग	11,87,677

हुबली-होसपेट रेल लाइन को बड़ी लाइन मे बदलना

7891. **श्री डी० के० नायकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की जनता हुबली से होसपेट के बीच की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए काफी समय से मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) अपर्याप्त यातायात की संभावनाओं और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल हुबली-होसपेट मीटर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली से जद्दाह के लिए अतिरिक्त विमान सेवाएं

7892. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज तीर्थयात्रियों ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली से जद्दाह के लिए अतिरिक्त विमान-सेवाएं शुरू करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं। सऊदिया और एयर इन्डिया द्वारा पहले पर्याप्त संख्या में अनुसूचित उड़ानें चलाई जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

फारबिसगंज से गुवाहाटी आदि तक वायुदूत विमान सेवा आरम्भ करना

[हिन्दी]

7893. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में फारबिसगंज विमान पत्तन को फिर से खोलने और वहां से गुवाहाटी, पटना और कलकत्ता तक वायुदूत विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) वायुदूत की विमान क्षमता पूरी तरह से लगी हुई होने के कारण इसके नेटवर्क में किसी और स्टेशन को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस समय फारबिसगंज को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

भोपाल और इन्दौर में रसोई गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची

7894. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में रसोई गैस के नए कनैक्शन, प्रतीक्षा सूची में किस वर्ष तक के लिए जारी कर दिए गए हैं;

(ख) क्या इन्दौर रसोई गैस के नए कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 1982 तक दर्ज किए गए व्यक्तियों को गैस कनैक्शन जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को गैस कनैक्शन देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विलम्ब को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 1-4-90 की यथा-स्थिति को भोपाल में इण्डियन आयल कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के वितरकों के मामले में एल० पी० जी० कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची 1987 तक पूरी कर ली गई थी और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के वितरकों के मामले में यह सूची 1988 तक पूरी कर ली गई थी।

(ख) 1-4-90 को यथास्थिति को इन्दौर में नए एल० पी० जी० कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची 1982 से लम्बित पड़ी है।

(ग) और (घ) नए एल० पी० जी० कनैक्शन देश भर में अधिकतम सीमा से नीचे कार्य कर रहे वितरकों के जरिए एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं बशर्ते कि उत्पाद उपस्कर और सुविधाएं उपलब्ध हों। मौजूदा सुविधाओं के अलावा तेल उद्योग की विपणन योजना 1987-88 तक की अवधि के लिए इन्दौर में 4 नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त शताब्दी एक्सप्रेस/राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

[अनुवाद]

7895. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :**
श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने के संबंध में क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुपर फास्ट रेलगाड़ियां कब से चलाई जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) टाटानगर-हावड़ा और सिकन्दराबाद-विजयवाड़ा खण्ड।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण इन खंडों पर शताब्दी जैसी गाड़ियां चलाने के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती।

सूरत और बड़ोदरा के मध्य रेलगाड़ियां

7896. **श्री काशीराम राणा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरत और बड़ोदरा के मध्य अन्तर-नगरीय रेलगाड़ी आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी को आरम्भ करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल पंपों पर छापे

[हिन्दी]

7897. **श्री राम संजीवन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल मिलावट का पता लगाने के लिए पेट्रोल/डीजल पम्पों पर कितने छापे मारे गए और पेट्रोल/डीजल के नमूने एकत्र किए गए हैं;

(ख) इन नमूनों की संख्या कितनी है और इनकी जांच करने वाली प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं तथा जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और कितने दोषमुक्त किए गए; और

(घ) क्या तत्सम्बन्धी नियमों को और सख्त बनाया जाएगा ताकि इस मिलावट से होने वाली हानि से क्रेताओं को बचाया जा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल एक्सप्रेस

[अनुवाद]

7898. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल एक्सप्रेस की औसत क्षमता उपयोगिता कितनी है ?

(ख) इस रेलगाड़ी से अप्रैल, मई और जून के महीनों के दौरान प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इन महीनों के दौरान होने वाली यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 2625/2626 केरल एक्सप्रेस गाड़ियों में सामान्यतया स्थान का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है।

(ख) गाड़ीवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) 24-4-90 को मंगलौर से जम्मू तवी तक और 27-4-90 को जम्मू तवी से मंगलौर तक विशेष गाड़ी चलायी गयी थी। मई, 1990 से मंगलौर-नई दिल्ली और जम्मू तवी के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गई है।

क्लोरोफ्लोरो कार्बन का निर्माण

7899. **श्री एन० जे० राथवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र की एक इकाई के साथ एक सहयोगी निर्माता के रूप में गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने क्लोरोफ्लोरो कार्बन रेफ्रीजेरेंट गैसों का निर्माण प्रारम्भ किया है जिनसे ओजोन परत को क्षति पहुंचती है तथा पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका और अन्य देशों में क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस बनाने पर प्रतिबन्ध लगा है;

(घ) यदि हां, तो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संयुक्त क्षेत्र की इकाई को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) मै० एस० एम० एस० उद्योग प्राइवेट लि० और मै० गुजरात इण्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, पूर्ण रूप से गुजरात सरकार के स्वामित्व वाली कारपोरेशन मै० गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लि० ने 1 अक्तूबर, 1989 से क्लोरोफ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट गैसों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ।

(ग) सी० एफ० सी० का उत्पादन यू० एस० ए० और अन्य देशों में पूरी तरह प्रतिबन्धित नहीं किया गया है ।

(घ) गुजरात प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने मैसर्स गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लि० को क्लोरो-फ्लोरो कार्बन गैसों के उत्पादन के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है ।

(ङ) और (च) इस परियोजना पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में विमान सेवाएं

[हिन्दी]

7900. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के परामर्श से देश के पर्वतीय क्षेत्रों में कम किराए वाली विमान सेवाएं आरम्भ करने का विचार है ताकि स्वदेशी विमान सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों की आम जनता को साधारण किराए पर विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहले से ही हवाई किराए में आर्थिक सहायता दी जाती है । एयरलाइनों की उच्च प्रचालनात्मक लागत के कारण सहायता प्राप्त विमान किरायों में आगे वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना

[अनुवाद]

7901. **श्री हर्ष वर्धन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जो अंग्रेजों और उनके चापलूसों के नाम पर रखे हुए हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कुछ पुराने स्टेशन अंग्रेजों के नाम पर हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार रेलवे स्टेशन के मौजूदा नाम में कोई भी परिवर्तन केवल

गृह मन्त्रालय की सम्यक सहमति से सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही किया जा सकता है। फिलहाल, राज्य सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव उत्तर रेलवे के पास विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक के लिए पृथक जोन

7902. **श्री वी० कृष्ण राव :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य को तीन रेलवे जोनों में बांटा गया है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य में त्रिपक्षीय प्रशासनिक नियन्त्रण को समाप्त करने तथा बंगलौर में मुख्यालय बनाकर एक पृथक कर्नाटक रेलवे जोन बनाने की लगातार मांग की जा रही है;

(ग) क्या रेलवे सुधार समिति ने बंगलौर में मुख्यालय स्थापित कर एक दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन बनाने की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) अत्यधिक वित्तीय तंगी के कारण, रेलें किसी नए जोन के सृजन के बारे में फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

खादी और ग्रामोद्योगों में अच्छे किस्म के कागज का उत्पादन

7903. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योगों में अच्छे किस्म के कागज का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत हस्तनिर्मित कागज की गुणवत्ता में अनुसंधान तथा विकास संस्थानों जैसे हस्तनिर्मित कागज अनुसंधान परियोजना तथा प्रयोगात्मक हस्तनिर्मित कागज एकक, देहरादून के जरिए निरन्तर सुधार किया जा रहा है। 1988-89 में विशिष्ट क्षमता का एक सिलिंडर मोल्ड वेट चलू किया गया ताकि उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। धान का पुआल, गेहूं का पुआल, अरहर की लकड़ियों और बांस जैसी कृषि अवशेष का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक पद्धति का सफलतापूर्वक विकास किया गया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन

7904. **श्री इरा अन्बारासु :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1990 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के

उत्पादन सम्बन्धी कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे प्रमुख उद्यमों, जिनसे मार्च, 1990 को समाप्त हुई वृद्धि तिमाही तक के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, में उत्पादन में सुधार हुआ है । ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	उत्पाद	इकाई	उत्पादन	
				दिसम्बर, 1989 को समाप्त होने वाली तिमाही	मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली तिमाही
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	बिक्री योग्य एवं पिण्ड इस्पात	हजार टन	4053	4362
2.	नेशनल थर्मल पावर कारपो०	विद्युत उत्पादन	एम यू एस	9179	12219
3.	आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन	कच्चा तेल	एम एम टी	7.905	7.919
		प्राकृतिक गैस	एम एम 3	2254	2356
4.	भारत पैट्रोलियम कारपो० लि०	संसाधित कच्चा तेल	"000 एम टी	1843	1848
5.	इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपो० लि०	एल डी पी	एम टी	20224	23024
6.	कोल इण्डिया लि०	कच्चा कोयला	एल टी	460	570
7.	कुद्रेमुख आयरन ओर	लौह अयस्क एवं सान्द्र	एम टी	1.350	1.467
8.	मैंगनीज ओर इण्डिया लि०	मैंगनीज अयस्क	हजार टन	135	148
9.	हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०	पैनीसिलिन	हजार बी यू	192	1125

1	2	3	4	5	6
10.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०	थर्मल सेट्स ब्यालर्स एवं	नग	1 टी+ 1 जी	8टी+ 9 जी
		वाल्व्स	एम टी	35440	52326
11.	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स	उर्वरक एवं रसायन उपस्कर	एम टी	4015	6286
12.	इलेक्ट्रोनिक कारपो० आफ इण्डिया लि०	सभी उत्पाद	लाख रुपयों में	7510	8506
13.	एच० एम० टी० लि०	मशीन औजार	नग	518	1002
		ट्रेक्टर	नग	4353	4871
14.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	सभी उत्पाद	मानक श्रम घंटे लाख में	58.4	64.7
15.	मारुति उद्योग लि०	यात्री वाहन	नग	28790	29972
16.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो०	लेखन/मुद्रण कागज एवं अखबारी कागज	हजार टन	53.8	64.4

लालगढ़ और बीकानेर के बीच बड़ी रेलवे लाइन बिछाना

[हिन्दी]

7905. **श्री बेगा राम** : क्या रेल मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ और बीकानेर के बीच चलने वाली गाड़ी बीकानेर से केवल 5 किलोमीटर दूर लालगढ़ में समाप्त हो जाती है;

(ख) क्या सरकार का जनता को हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए लालगढ़ से बीकानेर तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी हां, इसे मेड़ता रोड के रास्ते लालगढ़ से जोधपुर तक आमान परिवर्तन के भाग के रूप में 1990-91 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड द्वारा बुकिंग राशि वापस करना

[अनुवाद]

7906. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेष स्कूटर्स लि० द्वारा स्कूटर की बुकिंग हेतु वसूल धनराशि की वापसी में विलम्ब किये जाने के बारे में जमाकर्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) बुकिंग रद्द कराने पर मैसर्स आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि० द्वारा अग्रिम जमा राशि लौटाने में देरी किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें हुई हैं। ऐसी शिकायतें उपचारात्मक कार्यवाही के लिये उत्पादक को भेज दी जाती हैं।

(ख) बुकिंग के समय अग्रिम राशि लेना ग्राहक और कंपनी के बीच हुये करार की बाध्यता समझी जाती है। तथापि ग्राहकों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार ने आटोमोबील उत्पादन द्वारा अग्रिम राशि लेने और उसे काम में लगाने के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं।

सहरसा-सोनपुर-वानमंखी के बीच रेलगाड़ियां चलाना

[हिन्दी]

7907. **श्री रमेश कुमार यादव रवि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधेपुरा जिले के लोगों को वहां पर रेल सुविधा न होने के कारण अत्याधिक असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार सहरसा से सोनपुर जाने वाली हरिहरनाथ एक्सप्रैस का मार्ग बदलकर वानमंखी से मुरलीगंज, मधेपुरा और सहरसा होते हुए सोनपुर तक चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) मधेपुरा जिले में स्टेशनों पर उपलब्ध सेवाएं वर्तमान स्तर के यातायात को सम्भालने के लिए पर्याप्त समझी गयी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी।

झांसी और मानिकपुर के बीच रेल संपर्क

[अनुवाद]

7908. **कु० उमा भारती** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी और मानिकपुर जंक्शनों के बीच ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, खरडा को चरणबद्ध रूप में झांसी और मानिकपुर से जोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) और (ख) ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर और खजुराहो के रास्ते प्रस्तावित संरेखन सहित ललितपुर और सिंगरौली के बीच एक नयी बड़ी लाइन के लिए

1988-89 में 30.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर सर्वेक्षण अनुमोदित किया गया था। इस सर्वेक्षण के लिए 1990-91 के दौरार 15.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में वेतनमानों में संशोधन

7909. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन वेतनमानों को संशोधित किया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के संशोधित मजदूरी करार प्रस्ताव का जिसमें 2459 गैर अधिशासी संघबद्ध कर्मचारी शामिल हैं, अनुमोदन सरकार द्वारा 1-7-86 से 31-12-91 तक की अवधि के लिए दिनांक 20-4-90 को कर दिया गया है। दिनांक 24-4-90 के सरकार के अनुमोदन केअनुसार एक करारनामा तैयार करके उस पर यूनियनों की सहमति ली जानी है, जिसके बाद ही, प्रबन्धकों द्वारा संशोधित वेतनमानों में अलग-अलग कामगारों का वेतन निर्धारित किया जाएगा।

परिवेक्षकों एवं कार्यपालकों जैसे गैर संघबद्ध कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकारी उद्यम कार्यालय ने 4 अप्रैल, 1990 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, और अब स्कूटर्स इण्डिया लि० को इन कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के सम्बन्ध में सरकारी उद्यम कार्यालय के दिनांक 4-4-1990 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्दिष्ट मापदण्डों के आधार पर प्रस्तावों का निरूपित करके ऐसे प्रस्तावों को सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

किराया खरीद आधार पर शेडों का आवंटन

7910. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भ में किराए के आधार पर दिए गए औद्योगिक शेडों को अब किराया खरीद योजना में बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने आवंटित फ्लैटों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के अनुसार प्रत्येक योजना के सन्दर्भ में आरम्भ में किराए पर दिए गए औद्योगिक शेडों को किराया-खरीद के आधार पर दे दिए जाने का निर्णय समय-समय पर लिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) शेड किसके कब्जे में हैं इस स्थिति का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण 1988-89 में किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया था कि 840 में 142 शेड "सबलेट" किए हुए थे।

(घ) और (ङ) भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी दिशा-निर्देश डी० एस० आई० डी० सी० में पहले से विद्यमान हैं। आरम्भ में किराये के आधार पर दिए गए औद्योगिक शेडों को बदल कर किराया-खरीद के आधार पर किया जा रहा है। डी० एस० आई० डी० सी० भी अब इस बात की अनुमति दे रही है कि शेडों का हस्तांतरण, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की मामूली दर से भुगतान लेकर, उनके वर्तमान कब्जेदारों के नाम कर दिया जाए।

चार्टर आधार पर वायुदूत विमान

7911. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत विमान किराए पर (चार्टर पर) दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1989 के दौरान स्थायी आधार पर वायुदूत विमान कितनी बार किराये पर दिए गए;

(ग) इन किराए के विमानों द्वारा कितने घंटे उड़ान की गई और इन पर वास्तविक कितना समय लगा; और

(घ) क्या वास्तविक समय के आधार पर भुगतान किया गया था ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1989 वर्ष के दौरान वायुदूत लिमिटेड ने कुल 587.40 घंटों की 151 चार्टर उड़ानें परिचालित कीं।

(घ) निर्धारित नीति के अनुसार किराये परिचालित उड़ान घंटों और इसके साथ ही विमान को रोके गए समय के सन्दर्भ में वसूल किए गये।

चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में कोयला खनन

[हिन्दी]

7912. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) में तहसील चिमूर की बन्दरखान (खंडसिंगी) में पिछले तीन-चार वर्षों से कोयला खनन का कार्य नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त खान में अब तक खनन कार्य आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) खान में खनन कार्य कब से आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस खान पर दिसम्बर, 1989 तक कितना खर्च किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) अभी तक बंदरखान (खंडसिंगी) में कोयला खनन क्रियाकलाप शुरू नहीं हुए हैं। वर्तमान में खनन क्रियाकलापों का विस्तृत अन्वेषण कार्य प्रगति पर है और बन्दर ब्लाक में अन्वेषण कार्य किए जाने के संबंध में केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा दिसम्बर, 1989 तक 83.21 लाख

रु० का व्यय किया गया है। समग्र क्रियाकलापों की शुरूआत, अन्य बातों के अलावा, अच्छे कोयले के भंडारों के पाए जाने तथा परियोजना व्यवहार्यता के सकारात्मक रूप में विद्यमान होने पर निर्भर करती है।

राजस्थान को बिजली की सप्लाई

7913. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण औद्योगिक रूप से पिछड़ गया है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उसे उतनी बिजली नहीं मिल रही है जितनी का वह हकदार है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) राजस्थान को बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन-सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) औद्योगिक उत्पादन कई घटकों पर निर्भर करता है तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उनमें एक अकेला घटक है। 1989-90 के दौरान राजस्थान में लगभग 2.8% की नाममात्र कमी थी।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से 3973 मिलियन यूनिट की पात्रता की तुलना में वास्तविक आहरण 4191 मिलियन यूनिट था जिसके परिणामस्वरूप 218 मिलियन यूनिट का अधिक आहरण हुआ था।

(घ) वित्तीय संसाधनों तथा अन्य निवेशों की उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए 9वीं योजना के दौरान राजस्थान में अन्तरिम रूप में 223.41 मेगावाट क्षमता संवर्धन की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा यह राज्य केन्द्रीय परियोजनाओं जो कि उत्तरी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है, से अपना हिस्सा भी प्राप्त करेगा। राजस्थान में 8वीं योजना में जिन स्कीमों को प्रचालित किए जाने की प्रत्याशा है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)
चारणवाला व पुगल (हाइडल)	2.70
रामगढ़ (गैस)	3
बीरसालपुर व माही आर०एम०सी० (हाइडल)	1.71
इटावा (हाइडल)	0.5
जाखाम (हाइडल)	5.5
कोटा यूनिट-5	210.0
	223.41

कम्पनियों के निगमीकरण के लिए पूर्व मंजूरी

[अनुवाद]

7914. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने हाल ही में इस आशय के स्पष्टीकरण संबंधी निदेश जारी किए हैं कि किसी कम्पनी के निगमीकरण के लिए भी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा जो ऐसी कम्पनी को निगमित कर रहा है केन्द्रीय सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 2(V) के साथ पठित धारा 22 के अनुसार एक नई कम्पनी का निगमीकरण एक उपक्रम की स्थापना होता है और इसके लिए अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। इस उपबन्ध के उल्लंघन के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। किसी शंका के निवारण हेतु व्यापारिक वर्ग को अधिनियम के इन उपबन्धों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से एक स्पष्टीकरण जारी करना वांछनीय समझा गया था।

बड़नेरा-अमरावती सेक्शन पर यात्री गाड़ी पुनः चलाना

7915. **श्री सुदाम देशमुख** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के बड़नेरा-अमरावती सेक्शन पर चलने वाली अनेक यात्री गाड़ियां सितम्बर, 1989 से बंद कर दी गई हैं और जनवरी/फरवरी, 1990 से दो रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) क्या इन गाड़ियों को बंद करने और इनके समय में परिवर्तन करने से यात्रियों को भारी कठिनाइयां और असुविधा हो रही है;

(ग) क्या उक्त गाड़ियों को पुन: चलाने और उनका पुराना समय रखने के लिए 3 जनवरी, 1990 को मंडलीय अधीक्षक, मध्य रेलवे, भुसावल को अभ्यावेदन दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सेक्शन पर सभी यात्री गाड़ियों को पुन: चलाने और उनके पुराने समय रखने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल को 4 फरवरी, 1990 को अभ्यावेदन दिया गया था जो मुख्यत: 1676 अमरावती-बड़नेरा पैसेंजर के समय में परिवर्तन करने के बारे में था।

(घ) रद्द की गयी गाड़ियों को पुन: चलाने का औचित्य नहीं पाया गया। 1676 अमरावती-बड़नेरा पैसेंजर (जिसका नं० बदल कर 1648 अप कर दिया गया है) के समय के 1-5-1990 से परिवर्तन कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में शराब के कारखाने

7916. **श्री वसंत साठे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में शराब के कितने कारखाने हैं और उनकी स्वीकृत क्षमता कितनी-कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित नये शराब कारखानों की संख्या कितनी है और उनकी स्वीकृत क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में गैर-सरकारी, सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र में नए शराब कारखानों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) इसमें यदि विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में शीरे पर आधारित 38 आसवनियां हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 3740.15 लाख लिटर प्रतिवर्ष है।

(ख) सरकार ने पिछले 3 वर्षों में नई आसवन यूनिट के लिए कोई आशयपत्र स्वीकृत नहीं किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अनिर्णीत आवेदन विचार की विभिन्न अवस्थाओं में है। नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत संबद्ध आसवनियां स्थापित करने के लिए नई चीनी मिलों के प्रस्तावों पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया जाएगा।

राधिकापुर, मनिहारीघाट सेक्शन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर कोंचकोस और घचना पुल

[हिन्दी]

7917. **श्री युवराज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अधीन राधिकापुर और मनिहारीघाट सेक्शन के बीच कोंचकोस में लकड़ी के रेलवे पुल को, जो एकमात्र विकास मार्ग था, बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या राधिकापुर और मनिहारीघाट के बीच कचना रेलवे स्टेशन के निकट घचना पुल की चौड़ाई इसके नीचे जल के सुगम बहाव के लिए अपर्याप्त है; और

(ग) क्या रेलवे विभाग के कोंचकोस के लकड़ी के पुल और घचना के पक्के पुल को, इसके नीचे की मिट्टी को हटाकर तथा चौड़ा बनाने के लिए दो स्तम्भ और जोड़कर जनहित में चालू कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक बाढ़-बचाव उपाय किए जाने के बाद राज्य बाढ़ नियंत्रण विभाग की सलाह पर वर्ष 1986 में काटा कोषा (न कि कंचकोस) रेलवे पुल बंद कर दिया गया था।

(ख) कचना रेलवे स्टेशन के निकट डाचना (न कि घचना) पुल की मौजूदा चौड़ाई जल के सुगम बहाव के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए कारणों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल स्थित प्रतिष्ठान में तालाबन्दी

[अनुवाद]

7919. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल स्थित अपने प्रतिष्ठान में 1989 में तालाबंदी की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा समाचार-पत्रों को वक्तव्य जारी करने का औचित्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) और (ख) इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स लि० को एफ०एम०आर०ए०आई० और डब्ल्यू०बी०एम०एस० आर० यू० के सदस्य होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इसके परिसर में अभूतपूर्व हिंसा और गुण्डागिरी करने के कारण 20 अगस्त, 1989 से 20 नवम्बर, 1989 तक पश्चिम बंगाल स्थित अपने प्रतिष्ठान में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

(ग) कम्पनी को चिकित्सा व्यवस्था से संबंधितों, स्टाकिस्टों, खुदरा केमिस्टों और उपभोक्ताओं की सूचना के लिए तालाबंदी के कारणों की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना पड़ा ।

केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से केरल को विद्युत आवंटन

7920. **श्री टी० बशीर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से केरला राज्य के विद्युत आवंटन में वृद्धि करने के लिए केरल सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विभिन्न केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से केरल को निम्नानुसार विद्युत की मात्रा आबंटित की गई है :—

(1) रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र	245 मेगावाट
(2) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन-2	63 मेगावाट
(3) मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र	25 मेगावाट

केरल राज्य को और अधिक विद्युत का आबंटन किए जाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रायचुर ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई

7921. **श्री राजा अम्बाना नायक होरे :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचुर ताप विद्युत केन्द्र में कोयले का जमा भंडार समाप्त हो गया है और कर्नाटक में बिजली की स्थिति काफी संकटपूर्ण हो गई है;

(ख) क्या रायचुर ताप विद्युत केन्द्र को मिल रही कोयले की कम सप्लाई के कारण वहां बिजली का उत्पादन बंद होने वाला है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का रायचुर ताप विद्युत केन्द्र को कोयला उपलब्ध कराने और राज्य के बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) यद्यपि रायचुर ताप विद्युत केन्द्र में कोयले का जमा भंडार मार्च, 1990 के अंत में समाप्त हो गया था तथापि अप्रैल, 1990 में इस केन्द्र ने अपना शत-प्रतिशत लिंक कोयला प्राप्त किया था।

(ग) और (घ) रायचुर ताप विद्युत केन्द्र समेत देश के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की सप्लाई को विभिन्न सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा निरन्तर मानीटरिंग की जाती है तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

मुम्बई-मराठवाड़ा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

7922. **श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-मराठवाड़ा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना बनाई गई थी;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना का कार्य किस स्थान तक पूरा किया जा चुका है;

(घ) इस पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) मराठवाड़ा में अनुमोदित आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

नाम	अनुमोदन का वर्ष	अनुमानित लागत
1. मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-पर्ली वैजनाथ आमान परिवर्तन	1973-74	140.00
2. परभनी-पूर्णा तथा मुदखेड-आदिलाबाद आमान परिवर्तन तथा पूर्णा-मुदखेड समानान्तर बड़ी रेल लाइन 1984-85	1984-85	107.42

(ग) और (घ) ऊपर मद एक पर दिए गए मनमाड-औरंगाबाद खंड (114 कि० मी०) पर कार्य चल रहा है तथा 31-3-1990 तक 31.36 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गयी है।

(ङ) 1990-91 के दौरान मद एक तथा दो के लिए अधिक परिव्यय अनुमोदित किया गया है अर्थात मद एक के लिए 14.00 करोड़ रुपए तथा दो के लिए 9.5 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गैस जलाने से बरौनी तेल शोधनशाला को क्षति

7923. **श्री राम शरण यादव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बरौनी तेल शोधनशाला को गैस जलाये जाने से भारी क्षति हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार जलाई जाने वाली इस गैस के समुचित निपटान हेतु कुछ प्रबन्ध करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) जी, नहीं। रिफाइनरियों में गैस जलाने की प्रणाली की व्यवस्था बुनियादी तौर पर यूनिट में आपातिक स्थिति के दौरान अधिक दबाव के मामले में सुरक्षा वाल्वों से निकलने वाले हाइड्रोकार्बनों की सुरक्षित निकासी हेतु सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के रूप में की जाती है। गैस जलाने वाले प्रमुख बर्नर में रिफाइनरी की ईंधन गैस को एल० पी० जी० के निकासी के बाद हमेशा जलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपातिक स्थिति के दौरान छोड़े गये हाइड्रोकार्बनों को जला कर उनको सुरक्षित रूप से समाप्त कर दिया गया है। चूंकि जलाई जाने वाली गैस उपेक्ष्य है अतः मौजूदा प्रणाली को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली-अहमदाबाद छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

7924. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से जयपुर और अजमेर होते हुए अहमदाबाद जाने वाली मीटर

गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण करा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आमान परिवर्तन किए जाने वाली मीटर लाइन की लम्बाई 1066 किलोमीटर थी और उस समय से प्रचलित दरों पर आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 120.05 करोड़ रुपए थी।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण इसका आमान परिवर्तन शुरू करना सम्भव नहीं हो पाया है ?

विमान-टैक्सी सेवाओं के लिए मार्ग निर्देश

[अनुवाद]

7925. **श्री ए० विजयराघवन :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रस्तावित विमान टैक्सी सेवाओं के लिए कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पुराने और असुरक्षित विमानों तथा विमान टैक्सियों का प्रयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) हवाई टैक्सी परिचालन का लाइसेंस नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा सुरक्षित परिचालनों के लिए सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही दिया जाता है। प्रचालकों को नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना होगा और उन्हें नागर विमानन द्वारा अवधिक निरीक्षण के लिए अपने को प्रस्तुत करना होगा।

धौलपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करना

[हिन्दी]

7926. **श्री धान सिंह जादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के धौलपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस जिले को पिछड़ा क्षेत्र कब घोषित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने पिछड़े जिलों/क्षेत्रों का चयन उन मानदण्डों के आधार पर किया था जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गये थे। चूंकि जिला धौलपुर निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता, इसलिए इसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। धौलपुर सहित किसी और जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

[अनुवाद]

7927. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री रमेश चेन्नीथाला :
श्री आर० एन० राकेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रीष्मकालीन भीड़ से निपटने के लिए अप्रैल से अगस्त, 1990 तक की अवधि के दौरान देश में, विशेषकर दिल्ली-कश्मीर लाइन पर, कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मंगलोर-जम्मू तवी के बीच 24-4-90 को मंगलोर से और 27-4-90 को जम्मू तवी से एक जोड़ी ग्रीष्म कालीन विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। इन दो स्टेशनों के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली एक नई एक्सप्रेस गाड़ी मई, 90 की समय सारणी से चलाई गई है।

विभिन्न मार्गों पर चलने वाली विशेष गाड़ियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. बम्बई-पुणे
2. बम्बई वी० टी०-वाराणसी
3. बम्बई वी० टी०-गोरखपुर
4. बम्बई सेन्ट्रल-निजामुद्दीन
5. अहमदाबाद-वाराणसी
6. बम्बई सेन्ट्रल-अहमदाबाद
7. बम्बई सेन्ट्रल-हापा
8. बम्बई सेन्ट्रल-गांधी धाम
9. हावड़ा-दिल्ली
10. हावड़ा-देहरादून
11. मद्रास-तिरूवनन्तपुरम
12. मद्रास-तिरूनेलवेली
13. मद्रास-कालीकट
14. बेंगलूर-एर्णाकुलम
15. बम्बई वी० टी०-हैदराबाद

16. बम्बई वी० टी०-तिरुवनन्तपुरम

17. हैदराबाद-हवड़ा

18. सिकन्दराबाद-मद्रास

19. सिकन्दराबाद-तिरुपति

20. मंगलोर-जम्मू तवी।

दक्षिणी ग्रिड से मध्य प्रदेश को बिजली सप्लाई का हिस्सा

[हिन्दी]

7928. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से दक्षिण ग्रिड को मिलने वाली बिजली में से 15 मेगावाट बिजली पाने का हकदार है;

(ख) क्या महाराष्ट्र द्वारा दक्षिणी ग्रिड को पर्याप्त बिजली की सप्लाई की जा रही है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड मध्य प्रदेश को इसके हिस्से की बिजली सप्लाई कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) महाराष्ट्र, विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मुख्यतः गैर-व्यस्तमकालीन घंटों के दौरान कर्नाटक को सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड उत्तरी ग्रिड का एक अंग है तथा उत्तरी ग्रिड में केन्द्रीय केन्द्रों की विद्युत में मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं है।

मनमाड़-इन्दौर रेल सम्पर्क

[अनुवाद]

7929. **श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटिल :**
श्री हरिशंकर महाले :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड़ और इन्दौर के बीच बरास्ता धूले और नरदाना रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस समय यह मामला किस स्तर पर विचाराधीन है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर से दिल्ली और लखनऊ के लिए रेलगाड़ियां

[हिन्दी]

7930. **श्री रमेश बंस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के रामनगर स्टेशन से दिल्ली और लखनऊ के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि मुरादाबाद से दिल्ली आने वाले तथा लखनऊ से रामनगर जाने वाले यात्रियों को एक से तीन घंटे तक इन्तजार करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ प्रबन्ध करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) दिल्ली और रामनगर के बीच 4055/4056 के संयोजन से 4055 ए/4056 ए नाम की सीधी सेवा और रामनगर और लखनऊ के बीच 4265/4266 के संयोजन से 4065 ए/4066ए नाम की इसी प्रकार की दूसरी सेवा पहले ही उपलब्ध है।

(ख) इन सेवाओं के गंतव्य की ओर चालन के समय सवारी डिब्बे के जोड़ने/हटाने में परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण मुरादाबाद में इन गाड़ियों को एक या दो घण्टे की देरी हो जाती है।

(ग) और (घ) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिकक नहीं पाया गया है।

रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय कामराज नाडार के नाम पर रखना

[अनुवाद]

7931. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**
श्री हरीश रावत :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एक रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय श्री कामराज नाडार के नाम पर रखने की मांग जनता द्वारा सतत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) दक्षिण रेलवे को काटान कोलत्तूर तथा सिंगपेरूमाल-कोविल स्टेशनों के बीच नये यात्री हाल्ट का नाम "श्री कामराज नाडार" रखने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार नये स्टेशन का नाम रखने के मामले में रेल प्रशासन राज्य सरकार की सिफारिश का अनुसरण करता है। तदनुसार तमिलनाडु सरकार के

साथ मामले पर कार्यवाही की गई थी जिसने उक्त हाल्ट का नाम "मरे मले" नगर अनुमोदित किया है।

केरल एक्सप्रेस में यात्री सुविधायें

7932. **श्री रमेश चेन्नीथाला :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल एक्सप्रेस में विद्यमान सुविधाओं में सुधार करने और उसमें यात्रियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल एक्सप्रेस में यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) सुविधाओं का अपग्रेडेशन करना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, केरल एक्सप्रेस में पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधन तथा परिचालनिक कठिनाइयां।

सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर लाइन

7933. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह लाइन कब तक बिछायी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) 1984 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 63 कि० मी० लम्बी बड़ी लाइन बिछाने पर उस समय प्रचलित मूल्य स्तर के आधार पर 28.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी तथा उससे ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होगा, संसाधनों की तंगी और भारी वचनबद्धताएं होने के कारण इस लाइन पर काम शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

एअर इंडिया की त्रिवेन्द्रम-दुबई उड़ान का किराया

7934. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम और दुबई के बीच उड़ान-दूरी कितनी है और इस सैक्टर में एअर इंडिया द्वारा कितना किराया वसूल किया जाता है;

(ख) बम्बई और न्यूयार्क के बीच उड़ान दूरी कितनी है और इसका कितना विमान किराया वसूल किया जाता है;

(ग) क्या दोनों सैक्टरों में प्रति किलोमीटर किराया वसूली में असमानता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) एक ओर त्रिवेन्द्रम और दुबई के बीच और दूसरी ओर बम्बई और न्यूयार्क के बीच उड़ान दूरी इकोनोमी श्रेणी विमान किराए और प्रति किलोमीटर किराए नीचे दिए गए हैं :—

विवरण	सैक्टर			
	त्रिवेन्द्रम से दुबई	दुबई से त्रिवेन्द्रम	बम्बई से न्यूयार्क	न्यूयार्क से बम्बई
उड़ान दूरी	2952 कि० मी०	2952 कि० मी०	12678 कि० मी०	12678 कि० मी०
एक तरफा इकोनोमी श्रेणी किराया	4454 रुपए	8407 रुपए*	18762 रुपए	26118 रुपए*
प्रति किलोमीटर दर	1.51 रुपए	2.85 रुपए	1.48 रुपए	0.26 रुपए

*स्थानीय मुद्रा किराए को बेंकर की खरीद दर पर आई० एन० आर० में परिवर्तन किया गया है ।

बम्बई और न्यूयार्क के बीच प्रति किलोमीटर दर दुबई और त्रिवेन्द्रम के बीच की दर से कम है । ऐसा होना असाधारण नहीं है क्योंकि अधिकांश मामलों में कम दूरी के लिए प्रति किलोमीटर दर लम्बी दूरी के लिए दर से अधिक है क्योंकि प्रति किलोमीटर लागत अधिक है । निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :—

सैक्टर	दूरी कि० मी० में	एकतरफा एकोनामी श्रेणी किराया	प्रति कि० मी० दर
दुबई-जिबाउटी	2004	9707 रुपए	3.94 रुपए
दुबई-कोपनहेगन	4873	16869 रुपए	3.46 रुपए
दुबई-बगदाद	1395	4780 रुपए	5.43 रुपए
दुबई-त्रिवेन्द्रम	2952	8407 रुपए	2.85 रुपए
न्यूयार्क-लन्दन	5565	24753 रुपए	4.45 रुपए
न्यूयार्क-बम्बई	12678	26118 रुपए	2.06 रुपए
फ्रेंकफर्ट-पेरिस	465	4151 रुपए	8.92 रुपए
फ्रेंकफर्ट-बम्बई	6569	23644 रुपए	3.60 रुपए

किरायों का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (इयाटा) द्वारा किया जाता है और न कि अलग-अलग एयरलाइनों द्वारा।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा औषधियों की बिक्री

7935. **श्री टी० बाल० गौड़ :**
श्री बी० एन० रेड्डी :
श्री के० एस० राव :
श्रीमती जे० जमुना :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित औषधियों की बिक्री अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित औषधियों की तुलना में काफी कम हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मुख्य उत्पादों की बिक्री का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० की कुल बिक्री निम्न प्रकार थी :—

	(रुपए करोड़ में)
1987-88	135.31
1988-89	163.76
1989-90 (अस्थायी)	177.10

(घ) कम्पनी ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये अपने विपणन संगठन को पुनः सुदृढ़ बनाने और पुनः सक्रिय करने के लिये कदम उठाये हैं।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र

[हिन्दी]

7936. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
कुमारी उमा भारती :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा ये किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या चालू एवं आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में ऐसे और संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इस समय कोई गैस आधारित विद्युत संयंत्र प्रचालन में नहीं है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने ग्वालियर, गूना, झबुआ एवं राजगढ़ में प्रत्येक स्थान पर 450-450 मे० वा० (3×100 मे० वा० गैस टरबाइन+1×150 मे० वा० स्टीम टरबाइन) क्षमता के गैस विद्युत संयंत्र लगाने के लिए अक्तूबर, 1988 में परियोजना रिपोर्ट भेजी थी।

सतत आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने समेत समग्र आवश्यक निवेशों की उपलब्धता एवं मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि आदि से स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा सकता है।

भद्राचलम और राजामुंद्री (आंध्र प्रदेश) के बीच सीधी रेल सेवा

[अनुवाद]

7937. **कुमारी कमलाजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में भद्राचलम के तीर्थ स्थलों और राजामुन्द्री के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में योजना तैयार की गई है; और

(ग) यह रेलगाड़ी कब तक शुरू की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड में उत्पादन

7938. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० द्वारा अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुरूप कागज का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौराम इसके संयंत्रों द्वारा वर्ष-वार कितने कागज और लुगदी का उत्पादन किया गया और उनके उत्पादन पर प्रति टन क्या लागत आई ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० की मिलों की पिछले तीन वर्षों की अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन और कागज की प्रति टन लागत के विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं

मिलवार ब्यौरे	क्षमता	वास्तविक उत्पादन	क्षमता उपयोग प्रतिशत	कागज की प्रति टन लागत	टिप्पणी
	एम०टी०पी०ए०	एम०टी०		रुपए	
(क) न्यूजप्रिंट					
1. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०					
1987-88	80,000	81,513	102	9496	
1988-89	80,000	78,660	98	10,131	
1989-90	80,000	86,842	109	10,620	
(ख) लेखन और मुद्रण कागज					
2. नवगांव पेपर मिल					
1987-88	1,00,000	64,584	65	15,763	
1988-89	1,00,000	58,117	58	17,923	
1989-90	1,00,000	69,438	69	18,182	
3. कछार पेपर मिल					अप्रैल, 1988 में प्रारम्भ
1987-88	—	—	—	—	
1988-89	1,00,000	37,435	37	23,915	
1989-90	1,00,000	47,165	47	25,575	
4. मांडला नेशनल पेपर मिल लि०					
1987-88	16,500	9679	59	17,063	
1988-89	16,500	9918	60	22,929	
1989-90	16,500	14,451	88	19,951	
5. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०					
1987-88	33,000	5675	17	46,714	
1988-89	33,000	2180	7	1,21,562	
1989-90	33,000	1059	3	2,39,526	(अनन्तिम)

क्ष० उ०—क्षमता उपयोग।

आंध्र प्रदेश सरकार को सहायता

7939. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार को आठवीं योजना में बिजली की भारी कमी से निपटने के लिए सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार जिन प्रस्तावों पर विचार कर रही है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान क्या सहायता दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 1991 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं प्रतिष्ठापित किए जाने की अनन्तिम रूप से परिकल्पना की गई है। 1990-91 के दौरान, विद्युत उत्पादन क्षमता में 179 मेगावाट की अभिवृद्धि करने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश को दक्षिणी क्षेत्र के विद्यमान एवं योजनानुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से भी अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी। विद्युत की कमी की पूर्ति के लिए जहां तक संभव होता है पड़ौसी प्रणालियों/राज्यों से भी राज्य को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विशाखापत्तनम में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

7940. **श्रीमती उमा गजपति राजू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की कमी दूर करने के लिए विशाखापत्तनम में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशक, नागर विमानन के नियंत्रणाधीन रिक्त पद

7941. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानिदेशक, नागर विमानन के नियंत्रणाधीन तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों श्रेणियों के कितने पद हैं और ये पद श्रेणीवार कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) ऐसी स्थिति के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को काफी समय से न भरे जाने के कारण निदेशालय के कार्यकरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) खाली पड़ी हुई रिक्तियों की संख्या के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) रिक्त पद मुख्यतः सेवानिवृत्ति, त्यागपत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के न मिलने, विदेश में अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने, खुले बाजार से संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सुयोग्य अधिकारियों के उपलब्ध न होने आदि के कारण हो जाते हैं।

(ग) और (घ) रिक्तियों के बने रहने से उन अधिकारियों पर अतिरिक्त भार पड़ जाता है जिन्हें अपने स्वयं के कर्तव्यों के साथ-साथ रिक्त पड़े पदों का कार्य भी करना पड़ जाता है। इससे नागर विमानन महानिदेशालय की विनियामक प्रणाली पर खराब प्रभाव पड़ा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया गया है कि रिक्तियों को तेजी से भरा जाए।

विवरण

क्र०सं०	श्रेणीवार रिक्तियां	रिक्तियों की सं०	कब से रिक्तियां हैं
1	2	3	4
	तकनीकी पद		
1.	उपमहानिदेशक सामान्य	1	मार्च, 1990
2.	निदेशक सूचना और विनियमें	1	जनवरी, 1989
3.	निदेशक प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग	1	सितम्बर, 1986
4.	उड़ान निरीक्षक	1	फरवरी, 1988
5.	कार्मिक निरीक्षक	1	सितम्बर, 1988
6.	उपनिदेशक (उड़ान कर्मीदल मानक)	1	अक्तूबर, 1981
7.	उड़ान योग्यता निदेशक	4	3 पद-1988 1 पद-1989
8.	वरिष्ठ उड़न योग्यता अधिकारी	7	1 पद-1987 6 पद-1990
9.	उड़नयोग्यता अधिकारी	19	7 पद-1987 12 पद-1990
10.	उपनिदेशक/विमान सुरक्षा (इंजी०) के क्षेत्रीय नियंत्रक	2	1990
11.	विमान सुरक्षा (ओ) के उपनिदेशक	1	1979
12.	सहायक निदेशक/वरिष्ठ विमान सुरक्षा अधिकारी (इंजीनियरी)	3	1 पद-1985 2 पद-1988 1 पद-1990
13.	विमान सुरक्षा अधिकारी (इंजीनियरी)	2	1 पद-1985 1 पद-1989
14.	वरिष्ठ ग्लाइडिंग अनुदेशक	1	अक्तूबर, 1988
15.	अनुदेशक इन्चार्ज ग्लाइडिंग	1	—

1	2	3	4
16.	ग्लाइडिंग अनुदेशक	1	नवम्बर, 1987
17.	वैज्ञानिक अधिकारी	1	1 पद-1989
18.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एरो)	6	1 पद-1985 2 पद-1986 2 पद-1987 1 पद-1989
19.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	1	फरवरी, 1990
20.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (परीक्षण)	2	फरवरी, 1990
21.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (परीक्षण)	5	4 पद-1988 1 पद-1989
22.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (परीक्षण)	1	1985
23.	ड्राफ्ट्समैन (आर्टिस्ट)	1	—
24.	वरिष्ठ कारपेंटर	2	1987, 1988
25.	कारपेंटर ग्रेड 2	1	मई, 1989
26.	फाइबर ग्लास मैके, ग्रेड 1	1	मार्च, 1989
27.	फाइबर ग्लास मैके, ग्रेड 2	2	मई, 1988
28.	विमान साधारण इंजीनियर	1	अक्तूबर, 1988
	गैर-तकनीकी पद		
1.	पुस्तकालय सहायक	1	सितम्बर, 1989
2.	केयरटेकर	1	मार्च, 1988
3.	लेजर पोस्टर	1	अप्रैल, 1984
4.	वरिष्ठ कम्प्यूटर	2	फरवरी/अप्रैल, 1990
5.	प्रयोगशाला अटेंडेंट	1	जुलाई, 1986
6.	वरिष्ठ क्लर्क	2	—
7.	एम० टी० ड्राईवर	4	मार्च, 1989
8.	खलासी	2	—
9.	चपरासी	6	—
10.	ट्रैफिक हैंड	2	—

कलकत्ता भूमिगत रेल

[हिन्दी]

7942. श्री छेदी पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता भूमिगत रेल परियोजना को पूरा करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) इस परियोजना की शीघ्र पूरा करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा भूमि के प्लाटों के अधिग्रहण में विलम्ब ।

(2) ठेकेदारों द्वारा सामना की जा रही श्रम समस्याएं, जो कार्य की प्रगति में बाधक बन रही हैं ।

(ग) भूमि के प्लाटों के तत्काल अधिग्रहण तथा श्रम समस्याओं के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से सहायता मांगी गई है ।

कवास परियोजना

[अनुवाद]

7943. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बहुराष्ट्रीय कम्पनी ओ० जी० ई०ई० अलस्थाम को कवास ताप विद्युत परियोजना की स्थापना का कार्यभार सौंपने के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस परियोजना को स्थापित करने के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि इस सौदे में कोई बिचौलिया नहीं है और कोई दलाली नहीं दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए ठेका, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विश्व बैंक प्राप्ति प्रक्रिया के तहत प्रवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति के आधार पर मैसर्ज जी०ई०सी०-अल्सथॉम, एस० ए० को दिया है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के कनेक्शन काटा जाना

7944. श्री बबन राव ढाकणे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों ने अप्रैल, 1990 के पहले सप्ताह में अपने उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन काटे जाने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने नोटिस जारी किए गए हैं और इसके क्या कारण है;

(ग) कितने मामलों में बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों को गंभीर अनियमितताएं बरते जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बूटाडाइन और स्टाइरीन रसायनों का आयात

[हिन्दी]

7945. **श्री राजवीर सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूटाडाइन और स्टारीन रसायनों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन रसायनों का आयात किस मूल्य पर किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) हां।

(ख) बुटाडाइन और स्टाइरीन का वर्तमान निर्देशक कीमतें निम्न प्रकार हैं :—

बुटाडाइन	620-640 एफ० ओ० बी० अमरीकी डालर/टन
स्टाइरीन	1015-1020 एफ० ओ० बी० अमरीकी डालर/टन

गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

7944. **श्री डी० पंडियन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं तक गैस की ढुलाई हेतु कम्प्रेसन की पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण प्रतिवर्ष भारी मात्रा में गैस जलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, बेकार जाने वाली गैस का लाभकारी प्रयोजनों के लिए उपभोग करने हेतु परिष्कृत उपकरण खरीदने का विचार है;

(ग) क्या दक्षिणी राज्यों में समुद्री तटों पर प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्रों को समुद्र मार्ग से गैस अन्तरण करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) पर्याप्त संपीड़न और ढुलाई संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में इस समय लगभग 13.66 मि० घन मी० प्राकृतिक गैस प्रपिदिन जलाई जा रही है। अतिरिक्त सुविधाएं सृजित किए

जाने का प्रस्ताव है ताकि इस गैस को संपोडित करके तट पर लाया जा सके और उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जा सके।

(ग) और (घ) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र से दक्षिणी राज्यों को प्राकृतिक गैस की ढुलाई के लिए एक गैस ग्रिड स्थापित करने से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन समिति नियुक्त की गई है।

केरल को विद्युत आबंटन

7947. **श्री के० मुरलीधरण :**
श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को केन्द्रीय पूल से वास्तविक रूप में कितना विद्युत कोटा आबंटित किया गया है;

(ख) क्या केरल को प्रतिदिन नियमित रूप से विद्युत का कोटा दिया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय पूल से की जाने वाली सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) 1989-90 के दौरान केरल केन्द्रीय क्षेत्र के न्द्रों से वास्तव में 1594 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त करने का हकदार था इसकी अपेक्षा में इसको वास्तविक विद्युत सप्लाई 1138 मिलियन यूनिट की गई।

(ग) 1989-90 के दौरान केन्द्रीय केन्द्रों से केरल को कम विद्युत सप्लाई किए जाने का मुख्य कारण, मानसून अवधि के दौरान केरल में विद्युत सप्लाई सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक होने के कारण, चक्रवात के परिणामस्वरूप 400 के०वी० कुड्डापाह-बंगलोर लाइन की बंदी जैसी प्रणालीगत कठिनाइयां आदि होना था।

(घ) आवर्तिता सम्बन्धी परिस्थितियों में सुधार करने तथा केरल सहित सभी लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को उनके हक के बराबर हिस्से की विद्युत सप्लाई करना सुनिश्चित करने हेतु दक्षिणी क्षेत्र में समुचित रूप से भार प्रबन्ध का सहारा लेते हुए ग्रिड में नियंत्रण बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं।

तमिलनाडु में पेरून्दुराई में विमान पट्टी का निर्माण

7948. **श्री पी० आर० नारायणन :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में इरोड के निकट पेरून्दुराई में एक विमान पट्टी का निर्माण कराने का प्रस्ताव सरकार के पास अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) अपेक्षित इंजीनियरी/वाणिज्यिक सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार, बंगाल और असम में रेल दुर्घटनायें बार-बार होना

[हिन्दी]

7949. श्री राज मंगल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में बिहार, बंगाल और असम में आये दिन रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) दुर्घटनाओं के आकड़े रेलवे-वार रखे जाते हैं राज्य वार नहीं। पूर्व रेलवे अधिकांशतः पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों को सेवित करती है। असम पूर्व रेलवे में नहीं पड़ता है। पूर्व रेलवे पर दुर्घटनाओं की संख्या 1985-86 की 86 से घटकर 1989-90 में 70 रह गयी है।

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा खतरनाक वस्तुएं ले जाने के विरुद्ध अभियान चलाना।
2. विवेचनात्मक कोटि के ड्राइवरों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखना।
3. कारखानों के उत्पादन में सुधार करना।
4. पहचाने गये संवेदनशील रेल पथ तथा रेल संस्थापनाओं का गहन निरीक्षण करना।
5. उपयुक्त रोशनी तथा कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सिगनलों का निरीक्षण करना।
6. उपयोगकर्ताओं के बीच शिक्षाप्रद प्रचार करना।
7. रेल कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए समपार फाटकों पर अचानक जांच करना तथा सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना।

पटपड़गंज रेल फाटक पर भूमिगत पैदल पार-पथ का निर्माण

7950. श्री एम० एस० पाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटपड़गंज रेल फाटक पर रेल दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये हैं;

(ख) क्या सरकार को रेल फाटक पर एक भूमिगत पैदल पारपथ के निर्माण के बारे में जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1989-90 के अन्त तक इस समपार फाटक पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) जी हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) नियमों में अनुसार इस सुविधा के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ आवश्यक प्रस्ताव प्रयोजित किए जाने के बाद ही रेलवे इस मामले पर कार्रवाई कर सकती है।

बख्तियारपुर और राजगीर मार्ग पर रेलगाड़ियों को डीजल इंजन से चलाया जाना

7951. **श्री आर० एस० प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बख्तियारपुर और राजगीर (पूर्व रेलवे) के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां अब भी भाप इंजन द्वारा चलाई जा रही हैं जिसके कारण गंतव्य स्थान तक पहुंचने में अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों को डीजल इंजन से चलाने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) बख्तियारपुर और राजगीर के बीच चलने वाली 2 गाड़ियां डीजल इन्जनों से चल रही हैं।

(ख) जब कभी और अधिक डीजल इंजन उपलब्ध हो जाएंगे, तो इस खंड पर चलने वाली शेष जोड़ी गाड़ी का भी डीजलीकरण करने के बारे में विचार किया जाएगा, रेलों ने नीति के रूप में 2000 ए डी तक भाप कर्षण को डीजल/विद्युत कर्षण में बदलने का विनिश्चय किया है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर पुस्तकों की दुकानें

[अनुवाद]

7952. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पर आबंटित पुस्तकों की दुकानों के लिए स्वीकृत अधिकतम बोली की राशि कितनी थी;

(ख) इन दुकानों के आबंटन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी और ये कितनी अवधि के लिए आबंटित की गई थी; और

(ग) इस हवाई अड्डे को चालू किये जाने से लेकर अब तक किन-किन पक्षों को पुस्तकों की दुकानें आबंटित की गई हैं और उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के शुरू होने पर खुली निविदा के आधार पर 15-5-86 से प्रभावी पांच वर्षों की अवधि के लिए 21,311 रुपए प्रति महीने की राशि की किताबों सहित यात्रियों की आवश्यकताओं के लिए मैसर्स आई०टी०आर० (इन्टरनेशनल ट्रैवलर्स रेक्विजिट) शाप को स्टाल हेतु एक ठेका दिया गया है जिसमें शर्त यह थी कि बाद के वर्षों में इसमें 10% कम्पाउन्ड की वृद्धि होती जाएगी।

(ग) उपर्युक्त पार्टी के साथ मौजूदा ठेका 14-5-91 तक वैध रहेगा। इस समय उक्त स्टाल के लिए पार्टी से 31,200 रुपये प्रति महीने लाइसेंस शुल्क की वसूली की जा रही है।

केरल को जाने वाली गाड़ियों में सवारी-डिब्बों को बदला जाना

7953. **श्री पी० सी० थामस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल को जाने वाली गाड़ियों में पुराने और जीर्ण-शीर्ण सवारी डिब्बे लगे होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केरल को जाने वाली गाड़ियों में पुराने और जीर्ण-शीर्ण डिब्बों के स्थान पर नए डिब्बे लगाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सवारी डिब्बों को आयु एवं हालत के आधार पर नाकारा किया जाता है तथा बदला जाता है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वे ही सवारी डिब्बे, जो संरक्षा और यात्री सुविधा मानक की दृष्टि से पूर्णतः उपयुक्त हों, सेवा में बनाए रखे जायें।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के अन्तर्गत बोकारो में कार्यरत नैमित्तिक कामगारों को नियमित करना

7954. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (कोटा) के अन्तर्गत बोकारो में 260 से अधिक दिनों से काम करने वाले नैमित्तिक कामगारों की संख्या कितनी है; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इनकी सेवा-अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन्हें स्थायी कामगारों से भिन्न वेतन तथा सुविधाएं दी जाती हैं जबकि वे समान कार्य करते हैं और इस प्रकार सामान्य श्रमिक व्यवहार के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) क्या ये कामगार वर्षों से नैमित्तिक कामगार के रूप से रखे जाने के बाद नियम के अनुसार, स्थायी होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में इस समय 172 अस्थायी कामगार हैं जिन्हें बोकारो स्थित कार्यालय में काम करते हुए 260 दिनों से अधिक हो गए हैं। उनके सेवा-काल की अवधि 7 वर्ष या उससे ऊपर की है।

(ख) उन्हें 1987 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सभी लाभ एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) और (घ) कामगारों की मांग को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने उन 100 कामगारों

को जिन्होंने आवेदन दिया था, नियमित वेतनमान की पेशकश की है तथा शेष को अस्थायी स्तर दे दिया गया है। समझौते के अन्तर्गत मिले लाभों को लेने के बावजूद अधिकांश कामगारों ने याचिका दायर की है जिसे पटना उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।

पंजाब में यात्री अराक्षण को कम्प्यूटर द्वारा करना

7955. **श्री कृपाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के जालंधर, लुधियाना और अन्य बड़े नगरों में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण को कम्प्यूटर द्वारा कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसकी व्यवस्था कहां-कहां करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक केवल नौ शहरों अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सिकन्दराबाद, अहमदाबाद, बेंगलूरू, भोपाल और लखनऊ की यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। चालू वर्ष के दौरान नौ और शहरों अर्थात पुणे, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, गोरखपुर, तिरूवनन्त-पुरम, जम्मूतवी, भुवनेश्वर और कटक की यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इन शहरों का चयन, उनके आरक्षण संबंधी कार्य-भार तथा महत्व के आधार पर किया गया है। पंजाब के शहरों सहित अन्य शहरों के बारे में विचार, उनकी बारी आने पर किया जाएगा। तथापि, प्रयोग के तौर पर दिल्ली प्रणाली से जुड़े कुछ आरक्षण टर्मिनल अमृतसर में स्थापित किए गए हैं।

पंजाब में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना

[हिन्दी]

7956. **स० अतिन्दर पाल सिंघ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा विशेष रूप से पंजाब में, पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने की है अथवा तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) देश में उद्यम लगाने के लिए अनिवासी भारतीयों को अनेक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। ये संक्षेप में नीचे दिए जाते हैं :—

(1) अनिवासी भारतीयों की परियोजना की कुल प्रदत्त पूंजी का 40% तक पूंजी निवेश तथा उस पर अर्जित आय देश में भेजने का लाभ दिया गया है।

(2) प्राथमिकता वाले उद्योगों के सम्बन्ध में निवेश की गई पूंजी तथा उस पर अर्जित आय परियोजना की प्रदत्त पूंजी के 74% तक देश में भेजने का लाभ देना स्वीकार्य है। गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों में भी पूंजी निवेश पर इसी प्रकार के देश में भेजने के लाभ उपलब्ध हैं, बशर्ते कि मद लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित न हो तथा एकक अपने उत्पादन का न्यूनतम 60% भाग का निर्यात करने का दायित्व ले और यदि मद लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है तो न्यूनतम 75% उत्पादन का निर्यात दायित्व ले।

(3) अनिवासी भारतीयों को आयात तथा निर्यात नीति, 1990-93 के अनुसार औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए पूंजीगत माल, उपकरणों तथा कच्चे माल का आयात करने का प्रोत्साहन भी दिया गया है।

(4) अचल संपदा व्यवसाय, कृषि तथा पौधारोपण कार्यकलापों को छोड़कर सभी कार्यकलापों के लिए अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति दी जाती है।

पंजाब में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए भी अनिवासी भारतीयों को उपर्युक्त प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इनके अलावा, पंजाब की औद्योगिक नीति, 1989 में अन्यों की अपेक्षा अनिवासी भारतीयों के लिए अधिक अनुकूल राजकोषीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है ताकि अनिवासी भारतीयों द्वारा पंजाब में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। पंजाब सरकार/पंजाब लघु उद्योगों तथा निर्यात निगम द्वारा विकसित औद्योगिक भूखंडों में केन्द्रीय स्थानों पर आवंटन में भी अनिवासी भारतीयों को 5% आरक्षण दिया गया है।

खनिज तेल की खोज

[अनुवाद]

7957. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खनिज तेल की खोज करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) निम्नलिखित राज्यों के भीतर पड़ने वाले विभिन्न तलछटी बेसिनों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अन्वेषणात्मक खुदाई के जरिए हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण का कार्य चलता रहा :—

असम

नागालैंड

त्रिपुरा

मिजोरम

मेघालय

अरुणाचल प्रदेश

पश्चिम बंगाल

बिहार

उत्तर प्रदेश

पंजाब के मैदानी क्षेत्र और हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

राजस्थान

गुजरात

मध्य प्रदेश

आंध्र प्रदेश

तमिलनाडु

पूर्वी अपतटीय क्षेत्र और

पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र

इन प्रयासों के आधार पर हाइड्रोकार्बन वाली कई संरचनाओं/क्षेत्रों की खोज की गई है और गुजरात, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्रों में संरचनाओं/क्षेत्रों से पहले ही उत्पादन किया जा रहा है।

अंगमलि और आर्यनकावु के बीच रेल लाइन

7958. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंगमलि, पेरुम्बवूर, कोथनायलम, मुवाटुपुझा, थोडपुझा, पलाई, पायेनमथिट्टन, रैनी, कोन्नी आदि को जोड़ने के लिए अंगमलि से आर्यनकावु तक एक नई रेल लाइन के निर्माण के बारे में केरल के लोगों के द्वारा की जा रही माग की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का इस रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाकनिया तालाब (कोटा) में नया रेलवे स्टेशन

[हिन्दी]

7959. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा स्टेशन पर अत्यधिक भीड़भाड़ को कम करने की दृष्टि से एक नए स्टेशन का निर्माण करने तथा डाकनिया तालाब स्टेशन पर एक बड़ा प्लेटफार्म बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोटा जंक्शन पर यातायात की मात्रा को देखते हुए मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं; तथापि, डाकनिया तालाब स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए 3 लाख रुपए की लागत से, परिचालन क्षेत्र में सुधार तथा प्लेटफार्मों पर पानी की प्याऊ, शौचालयों और मूत्रालयों से संबंधित निर्माण कार्य प्रगति पर है।

आशय पत्र जारी करना

[अनुवाद]

7960. श्री हमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एककों की स्थापना हेतु कितने आशय पत्र जारी किए गए; और

(ख) इनमें से कितने एककों की स्थापना की गई और कितने एकक अभी स्थापित किए जाने हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1989 के दौरान राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में उद्योग लगाने के लिए कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में शायिकाओं का कोटा

7961. श्री आर० एन० राकेश : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद स्टेशन पर प्रत्येक रेलगाड़ी में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकान का विचार वर्तमान आरक्षित कोटे को बचाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा इसका रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) इलाहाबाद में विभिन्न गाड़ियों के लिए उपलब्ध आरक्षण कोटा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गाड़ियों में स्थान की सीमित उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों पर भारी मांग होने के कारण।

विवरण

गाड़ी का नं०	वातानुकूल पहला दर्जा	पहला दर्जा	वातानुकूल 2 टियर	वातानुकूल कुर्सीयान	दूसरा दर्जा	
					शायिका	सीट
1	2	3	4	5	6	7
2311 कालका मेल	—	—	—	—	3	—
2312 कालका मेल	4	2	8	—	10	—
3003 हवड़ा-बम्बई मेल	2	8	—	—	50	—

1	2	3	4	5	6	7
1108 बुंदेलखंड-एक्सप्रेस	—	8	—	—	48	12
3004 बम्बई-हवड़ा मेल	—	2	4	—	64	—
6040 गंगा-कावेरी एक्सप्रेस						
(मद्रास तक)	—	14	10	—	84	—
(सिकंदराबाद तक)	—	—	—	—	40	—
(बेंगलूर तक)	—	—	—	—	24	—
3005 हवड़-अमृतसर मेल	—	7	—	—	36	—
3008 तूफान एक्सप्रेस	—	—	—	—	24	—
3011 हवड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस	—	—	—	—	101	—
4270 त्रिवेणी एक्सप्रेस	—	2	1	—	6	—
3012 दिल्ली-हवड़ा एक्सप्रेस						
(पटना तक)	—	—	—	—	142	—
(हवड़ा तक)	—	—	—	—	5	—
1028 इलाहाबाद-दादर एक्सप्रेस						
(दादर तक)	—	4	—	—	83	—
(पुणे तक)	—	—	—	—	19	—
(सूरत तक)	—	—	—	—	30	—
3039 जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	56	—
3040 जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
2381 ए० सी० एक्सप्रेस	—	—	—	7	20	—
2382 ए० सी० एक्सप्रेस	—	—	2	4	6	—
2522 एन० ई० एक्सप्रेस	—	2	4	—	24	—
2417 प्रयागराज एक्सप्रेस	8	—	68		499	50
2456 तिनसुखिया एक्स०	—	—	4	—	71	—
4260 दुर्ग एक्सप्रेस	—	4	10	—	35	—

1	2	3	4	5	6	7
7490 वाराणसी-कोच्चिन एक्सप्रेस						
(कोच्चिन तक)	—	2	—	—	18	—
(तिरूपति तक)	—	2	—	—	36	—
8101 मुरी एक्सप्रेस	—	—	—	—	7	—
(हटिया तक)	—	—	4	—	100	—
(टाटा तक)	—	2	—	—	8	—
(बरकाकाना तक)	—	—	—	—	6	—
4163 संगम एक्सप्रेस						
(मेरठ छावनी तक)	—	12	—	—	189	55
(देहरादून तक)	—	4	—	—	128	—
1094 महानगरी एक्सप्रेस						
(बम्बई तक)	—	—	8	—	199	—
(सतना तक)	—	—	—	—	36	—
351 सहारनपुर एक्सप्रेस	—	10	—	—	12	55
4007 मुगलसराय बरेली पैसेंजर	—	5	—	—	51	25
390 इलाहाबाद-इटारसी एक्सप्रेस						
(इटारसी तक)	—	10	—	—	75	—
(जबलपुर तक)	—	8	—	—	—	—
4011 नौचंदी एक्सप्रेस						
(मेरठ छावनी तक)	—	8	18	—	125	—
(बिजनौर तक)	—	—	—	—	26	—
(चंदौसी तक)	—	—	—	—	52	—
2816 सुपरफास्ट एक्सप्रेस						
(पुरी तक)	—	2	4	—	72	—
(खड़गपुर तक)	—	—	—	—	6	—
2415 गंगा-गोमती एक्सप्रेस	—	—	—	40	—	330

1	2	3	4	5	6	7
4017 ऊंचाहार-एक्सप्रेस	—	2	—	—	4	—
2166 वाराणसी-बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस						
(बम्बई वी०टी० तक)	—	6	—	—	68	—
(पुणे तक)	—	—	—	—	20	—
(सूरत तक)	—	—	—	—	18	—
1171 क्षिप्रा एक्सप्रेस	—	—	—	—	17	—
4084 महानंदा एक्सप्रेस						
(कटिहार तक)	—	—	—	10	—	—
7492 वाराणसी तिरूपति एक्सप्रेस						
(तिरूपति तक)	—	6	—	—	68	—
(सिकंदराबाद तक)	—	2	—	—	12	—
(मद्रास तक)	—	—	—	—	20	—

पेट्रो-रसायन कच्चे माल के मूल्य

7962. **श्री कमालुद्दीन अहमद** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक उद्योग के लिए पेट्रो-रसायन कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान पेरेक्सीलीन, एम०ई०जी०, डी०एम०टी० और पी०टी०ए० के मूल्यों में कितनी मात्रा में कमी आई है;

(ग) इन मदों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तथा देश में वर्तमान बाजार मूल्य कितना है; और

(घ) घरेलू उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रो-रसायन वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव अवश्य होता है।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष और इस वर्ष पैराक्सीलीन एम० ई० जी०, डी० एम० टी० और पी० टी० ए० की कीमतों की तुलना और वर्तमान कीमतें निम्न प्रकार हैं :—

	(प्रति टन यू० एस० डालर)	
	जनवरी, 80	जनवरी, 90
पैराक्सीलीन	900-950	500-510
डी०एम०टी०	850-900	600-650
पी०टी०ए०	685-715	680-715
एम०ई०जी०	1400-1500	485-507

(घ) देशी उद्योग के हित का बचाव आयात नीति और प्रशुल्क पद्धति की सहायता से किया जाता है।

त्रिपुरा में रेलवे नेट वर्क

7963. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में कोई समुचित रेल सुबिधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने का है जिससे कि राज्य का आर्थिक विकास तेजी से हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) राज्य में रेल यातायात की मौजूद मात्रा को सम्हालने के लिए त्रिपुरा में पर्याप्त रेल सुविधाएं हैं।

(ख) और (ग) कुमारघाट से अगरतल्ला तक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को आर्डरों की प्राप्ति

[हिन्दी]

7964. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त आर्डर मिल रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कम्पनी को अधिक आर्डर मिलना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची को इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कुछ क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। क्रयादेश स्थिति के आवर्धन के लिए सरकार, संबंधित प्रयोक्ता क्षेत्रों के साथ आंतरिक प्रक्रिया द्वारा कम्पनी की सहायता कर रही है।

उत्तर प्रदेश के घाटी क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

7665. **श्री केशरी लाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इटावा जिले से फतेहपुर जिले तक यमुना नदी के घाटी-क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोक का मूल्य

7966. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोक का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका थोक और खुदरा मूल्य क्या है; और

(ग) आम जनता को निर्धारित दरों पर कोयला उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) हार्ड तथा साफ्ट कोक की पिट हैड कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित की जाती है :—

		(मूल कीमत रुपए प्रति मिट्रिक टन)
1. बी० पी० हार्ड कोक प्रिमियम	—	रु० 1100.00
2. बी० पी० हार्ड कोक सामान्य	—	रु० 1000.00
3. बी० एच० हार्ड कोक प्रिमियम	—	रु० 830.00
4. बी० एच० हार्ड कोक उत्तम	—	रु० 730.00
5. बी० एच० हार्ड कोक सामान्य	—	रु० 500.00
6. घरेलू प्रयोग के लिए साफ्ट कोक	—	रु० 175.00
7. उद्योग के लिए साफ्ट कोक	—	रु० 300.00

उपर्युक्त पिट हैड कीमतों में राज्य और केन्द्र सरकारों के कर तथा लेवी शामिल नहीं है। कोयले की थोक तथा खुदरा कीमतें राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती हैं और यह कीमतें प्रत्येक स्थान पर भिन्न होती हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कोयले की कीमतें निम्नलिखित सूचित की गई हैं :—दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा बेचे जाने वाले साफ्ट कोक की थोक कीमत :— 882.95 रु० प्रति मिट्रिक टन जिसमें बिक्री कर शामिल नहीं है। साफ्ट कोक की खुदरा कीमतें बिक्री कर शामिल किए बिना 1039.95 रु०प्रति मिट्रिक टन, 103.99 रु० प्रति क्विन्टल, 41.60 रु० प्रति 40 किलोग्राम हार्ड कोक थोक बी० एच० उत्तम की कीमत 1628.13 रु० प्रति मिट्रिक टन ।

बी० एच० प्रीमियम की कीमत 1731.15 रु० प्रति मिट्रिक टन ।

उप उत्पाद प्रीमियम की कीमत 2009.23 प्रति मिट्रिक टन।

उपर्युक्त कीमतें 1-4-1990 से प्रभावी हैं।

(ग) कोयले का अधिकांशत: वितरण प्रायोजन पद्धति के माध्यम से किया जाता है जो कि सड़क अथवा रेल द्वारा राज्य तथा केन्द्र सरकार के प्रायोजन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्टन के अनुसार वास्तविक उपभोक्ता की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। छोटे उपभोक्ताओं के लिए कोक इण्डिया लि० कोयले की आपूर्ति की सुविधा देश के विभिन्न भागों में कई स्थानों पर स्थित स्टाक यार्डों से उपलब्ध करा रही है।

साफ्ट कोक का आबंटन राज्य सरकारों को किया जाता है जो कि इसकी अधिप्राप्त तथा संवितरण की व्यवस्था करती हैं।

गुजरात में गैस की उपलब्धता

[अनुवाद]

7967. **श्री प्रभात सिंह चौहान :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विद्युत और घरेलू उपयोग के लिए कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध है;

(ख) क्या इन प्रयोजनों के लिए और अधिक गैस उपलब्ध कराने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) गुजरात राज्य में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 2.80 मि० घन मी० गैस प्रतिदिन देने का वचन दिया गया है। बड़ौदा, अंकलेश्वर, भड़ोच और सूरत नगरों में गैस की घरेलू आपूर्ति हेतु भी वचन दिया गया है।

इसके अलावा पगुथाने में गुजरात विद्युत बोर्ड और गंधार में एन० टी० पी० सी० की विद्युत परियोजनाओं के लिए और पीपावव में एक विद्युत परियोजना के लिए भी गैस की आपूर्ति के लिए सिद्धांत रूप में वचन दिया गया है बशर्ते कि संबंधित गैस विकास परियोजनाओं में निवेश हेतु अनुमोदन दिए जाएं।

(ख) और (ग) गुजरात में विद्युत और घरेलू प्रयोजनों के लिए और अधिक आबंटन विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न प्रदेशों की गैस की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा

7968. **श्री सी० एम० नेगी :** क्या उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश गे औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के बारे में 13 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने आशय पत्र जारी किए गए;

(ख) क्या इन जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशिष्ट प्रोत्साहन दिए जा रहे

हैं अथवा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों को जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या नीचे दी गई है। पिछले तीन वर्षों में उत्तरकाशी तथा चमोली जिलों से उद्योग लगाने के लिए कोई आशय-पत्र जारी नहीं किया गया था।

जिला	जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या		
	1987	1988	1989
पौड़ी गढ़वाल	1	1	शून्य
देहरादून	6	4	5
टिहरी गढ़वाल	1	शून्य	1

(ख) और (ग) पिछले क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाली उद्यमी औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी में प्राथमिकता, रियायती वित्त इत्यादि जैसे कई प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों के लिए एक केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

पटना में गंगा नदी पर रेल पुल

[हिन्दी]

7969. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) पटना के निकट गंगा नदी पर एक रेल पुल के लिए इन्जीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। इस समय यह बताना कठिन है कि इसके पूरा होने में सम्भवतः कितनी राशि व्यय या कितना समय लगेगा।

एयर इंडिया की छवि में सुधार किया जाना

[अनुवाद]

7970. **श्री एम०एस० पल्लम राजू** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण विमान कम्पनी के रूप में एयर इंडिया की पिछली छवि को विश्व स्तर की अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनी का स्वरूप प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) विज्ञापनों, विमानों के अन्दर नवीनीकरण विदेशों में हवाई अड्डों पर ग्राहक सेवा में सुधार इत्यादि से संबंधित इस छवि निर्माण के विभिन्न कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) एयर इण्डिया ने स्वयं को विश्व श्रेणी एयरलाइन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्न कदम उठाए हैं :—

(1) नए डिजाइन और कलर स्कीमों के माध्यम से निगम की पहचान को बदलना;

(2) पुराने उपस्करों का आधुनिकीकरण;

(3) सुधरी हुई ग्राहक सेवा; और

(4) नई छवि का प्रचार।

एयर इण्डिया द्वारा अपनी छवि को सुधारने पर किए गए व्यय में केवल निगम की पहिचान में परिवर्तन की ही बात शामिल नहीं है बल्कि ऐसे बोइंग-747 विमानों में सैक्सन 41 के तहत अनिवार्य तकनीकी आशोधन भी शामिल हैं जिन्होंने 16,000 से लेकर 19,000 चक्र पूरे कर लिए हैं और इसके अंतर्गत विमान के भीतर सीटों, पेनलों, साज-सामानों, शौचालयों आदि का आधुनिकीकरण भी शामिल है।

छवि सुधार कार्यक्रम पर लगा व्यय निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	कुल व्यय	1989-90 के दौरान खर्च राशि
(1) छवि का पुनः डिजाइन	1.53	1.53
(2) उपस्करों का आधुनिकीकरण	57.34	19.63

1989-90 वर्ष के लिए कुल प्रचार बजट के भाग के रूप में निगम पहिचान कार्यक्रम से संबंधित विज्ञापनों पर 11.05 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

सोरों रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश)

[हिन्दी]

7971. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोरों रेलवे स्टेशन एक द्वितीय श्रेणी का रेलवे स्टेशन है;

(ख) क्या वहां जनता को सूचना देने की कोई सुविधा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) यात्रियों, सामान और पार्सलों की बुकिंग के लिए खुला सोरों एक "बी" श्रेणी का क्रासिंग स्टेशन है।

(ख) जी हां।

(ग) इस स्टेशन पर यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए जन उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

एयर इंडिया का विस्तार

7972. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान एयर इन्डिया का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा होने का अनुमान है;

(ग) प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात एयर इन्डिया की स्थिति में कितना सुधार होने का अनुमान है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा अर्जित आय और किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) एयर इन्डिया 217.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1990 में दो एयर बस ए-310 विमान प्राप्त करेगा ।

(ग) एयर इन्डिया इन विमानों को भारत-सोवियत संघ, भारत-जापान, भारत-थाईलैंड और भारत-खाड़ी क्षेत्रों पर लगाएगा और यह आशा की जाती है कि इन विमानों के शुरू होने के परिणामस्वरूप वर्ष 1990-91 के दौरान एयर इन्डिया 6.25 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ अर्जित करेगा ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व और किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए में)

	1988-89	1987-88	1986-87
परिचालन राजस्व	1150.85	995.87	890.[illegible]2
परिचालन व्यय	1084.26	1001.90	843.78
परिचालन लाभ	66.59	(6.03)	46.54
कुल राजस्व	1205.11	1023.95	925.46
कुल व्यय	1161.80	1067.36	895.30
निवल लाभ/(हानि)	43.31	(43.41)	30.16

5547-48 एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

7973. **श्री हुक्म देव नारायण यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5547-48 एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो पहले पहलेजा घाट तक चलती थी, अब केवल

नरकटियागंज और समस्तीपुर के बीच ही चलती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी को बरास्ता छपरा-वाराणसी-इलाहाबाद चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कम लोकप्रिय होने के कारण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु प्लास्टिक उद्योग

[अनुवाद]

7974. **श्री रवि नारायण पाणि :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में कितने प्लास्टिक उद्योग चल रहे हैं; और

(ख) प्लास्टिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मन्त्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) "रबड़ तथा प्लास्टिक" के बड़े उद्योग समूह के अधीन 31-3-81 तक स्थायी रूप से 25709 लघु एकक पंजीकृत थे।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध केन्द्रीय/राज्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त लघु प्लास्टिक उद्योग के संवर्धन के लिए सरकारी नीतियों में अनन्य निर्माण के लिए आरक्षण, चुनिन्दा वस्तुओं के लिए सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम, पर्याप्त कच्चे माल का सुनिश्चय और प्लास्टिक संसाधन में जनशक्ति का प्रशिक्षण शामिल है। भारत सरकान उद्योग की मदद के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर औजार कक्ष स्थापित कर रही है।

भोपाल, बड़ौदा और अहमदाबाद में स्थानीय रेलगाड़ियों को चलाना बन्द करना

[हिन्दी]

7975. **श्री हीरा भाई :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, बड़ौदा और अहमदाबाद में स्थानीय रेलगाड़ियों को चलाना स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निर्धन/दैनिक यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इन स्थानीय रेलगाड़ियों को पुनः चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) पूर्ववर्ती 111/112 बड़ोदरा-भोपाल पैसेंजर फरवरी, 1988 में रद्द कर दी गई थी।

(ख) अप्रैल, 1988 में चलाई गई 1269/1270 भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस के चालन हेतु क्षमता सृजित करने के कारण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

कागज उद्योग विकास कोष

[अनुवाद]

7976. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु कागज मिल संघ ने सरकार से लघु कागज मिलों के लिए एक कागज उद्योग विकास कोष स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या लघु कागज मिलें वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं तथा बन्द होने के कगार पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन लघु कागज मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) सरकार को बजट से पूर्व दिए गए अपने ज्ञापन में अखिल भारतीय लघु कागज मिल्स एसोसिएशन ने अन्य बातों के साथ-साथ आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराने एवं कागज निर्माता एककों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए कम सीमा शुल्क पर मुख्य उपकरणों का आयात करने की अनुमति का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) अन्य कागज मिलों की तरह लघु कागज मिलें कच्चे माल तथा बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति एवं पुरानी प्रौद्योगिकी जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समय-समय पर कई नीतिपरक कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में किए गए कुछ विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) 24,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाली छोटी कागज मिलों पर रियायती दर पर उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है।

(2) कृषि अवशेष तथा कम से कम 50% अन्य गैर-परंपरागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाले बड़े/मझोले/छोटे कागज मिलों से रियायती दरों पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है।

(3) कागज, जिसमें खोई कच्चे जूट और मेस्टा से बनी लुगदी का भार कम से कम 75% को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

(4) काष्ठ लुगदी, काष्ठ चिप्स, काष्ठ खंडों तथा रद्दी कागज के आयात को मामूली या कम सीमा शुल्क की दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति दी गई है।

(5) कृषि अवशेष पर आधारित कागज तथा गत्ता उद्योग को न्यूनतम आर्थिक क्षमता, जो 33,000 टी० पी० ए० निर्धारित है, के अन्तर्गत लाया गया है; और

(6) कागज तथा गत्ता उद्योग को बैंड बैंडिंग सुविधा दी गयी है।

इन्दौर-दोहाद रेल लाइन (मध्य प्रदेश)

[हिन्दी]

7977. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर-दोहाद रेल लाइन (मध्य प्रदेश) बिछाने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) यह रेल लाइन कब तक बिछा दी जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) गोधरा-दाहोद-इन्दौर तथा मकसी-देवास बड़ी लाइन के लिए 1989-90 में एक करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

(ख) अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है, भूमि के नक्शे तथा अनुसूचियां तैयार की जा रही हैं। देवास यार्ड में मिट्टी सम्बन्धी कार्य के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। मकसी यार्ड तथा इन्दौर स्थित क्वार्टरों में मिट्टी सम्बन्धी कार्य के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

31-3-90 तक एक लाख रुपए (लगभग) की राशि खर्च की गई है।

(ग) पूरा करने की लक्ष्य तिथि आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

नांदेड़ (महाराष्ट्र) में डिवीजनल कार्यालय

[अनुवाद]

7978. **डा० वेंकटेश काबड़े :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नांदेड़ में दक्षिण मध्य प्रदेश रेलवे का डिवीजनल रेलवे कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां। शुरू में केवल नांदेड़ में एक अतिरिक्त मण्डल कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है।

(ख) इस कार्य के शुरू करने से सम्बन्धित कतिपय औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु भूमि का अर्जन

7979. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु अर्जित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भू-अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास/उन्हें मुआवजा प्रदान करने के हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) राज्य सरकार ने कि० मी० 17.325 तक भूमि सौंप दी है जिस तक रेलवे लाइन बिछा दी गई है।

(ख) जिन व्यक्तियों की भूमि अधिगृहीत की गई थी उन्हें राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार पूर्ण मुआवज़े का भुगतान कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों की भूमि अधिगृहीत की गई थी उनमें से किसी भी व्यक्ति से सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एवं राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पुनर्वास की व्यवस्था अथवा मुआवजे का भुगतान न किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

लखनऊ और कानपुर के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण

7980. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ रेल लाइन के विद्युतीकरण की परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या इसमें छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) लखनऊ-कानपुर खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं व्यवहार्यता सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा अभी तक कार्य के लिए अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं ?

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

[हिन्दी]

7981. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रेवा जिले में अनुमान तहसील में चोड़ाघाट पहाड़ियों और इसके आस-पास के क्षेत्रों में चूना-पत्थर काफी मात्रा में पाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चूना-पत्थर के इन मंडारों का उपयोग करने के लिए इस अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र में एक सीमेंट की फैक्टरी लगाने का है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री संबंधी राष्ट्रीय परिषद द्वारा संकलित "नेशनल इन्वेंटरी आफ सीमेंट ग्रेड लाइम स्टेशन डिपोजिट्स इन इण्डिया" के अनुसार मध्य प्रदेश के रेवा जिले में 3312.9 लाख मी० टन के परिमित तथा चूने पत्थर श्रेणी के मंडार हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किए गए अनुसंधान के परिणामस्वरूप 1-1-1980 की स्थिति के अनुसार रेवा जिले में सभी श्रेणियों के चूना पत्थर के कुल 4693.8 लाख टन मंडार का अनुमान लगाया गया था।

(ख) इस समय, मध्य प्रदेश के रेवा जिले में सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु, मध्य प्रदेश के रेवा जिले में 10.00 एल० टी० पी० ए० की लाइसेंस प्राप्त क्षमता वाला मैं० जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का एक सीमेंट संयंत्र मौजूद है।

कम्पनी को अपने मौजूदा स्थापना स्थल में अपनी क्षमता बढ़ाकर 20.00 एल० टी० पी० ए० करने के लिए 29-3-1988 को एक आशय पत्र भी स्वीकृत किया गया है।

बोइंग विमान के इंजन में अग्नि सचेतक

[अनुवाद]

7982. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1990 को आई० सी-596 बम्बई-कोयम्बतूर उड़ान पर जा रहे बोइंग-737 विमान के इंजन में अग्नि सचेतक (फायर-अलार्म) द्वारा आग लगने को लगातार सूचना देने की कोई जांच की गई हैं;

(ख) क्या इस जांच में बोइंग निर्माताओं के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस संबंध में विशेष रूप से विमान पर बोइंग मैनुअल के संदर्भ में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आग लगने की चेतावनी गलत थी और यह सूचक यन्त्र में खराबी के कारण दी गई थी जिसे अब ठीक कर दिया गया है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्टाफ नर्सों के वेतनमान

[हिन्दी]

7983. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत स्टाफ नर्सों को दिए जाने वाले वेतनमानों और अन्य सुविधायें दूसरे कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का उनके वेतनमान आदि में वृद्धि करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) कोयला उद्योग में मजदूर संघों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी 8 श्रेणियों में विद्यमान हैं, अर्थात "क", "ख", "ग", "घ", "ङ", "च", "छ" तथा "ज" श्रेणी। स्टाफ नर्सें "घ" श्रेणी के अन्तर्गत अर्थात 1222-60-1702-66-2230/- रुपए के वेतनमान में आता है और इसके अधीन 5 श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। उन्हें धुलाई भत्ते के साथ नि:शुल्क वर्दी (यूनिफार्म), सामान्य दरों पर कम्पनी का आवास तथा कोयला कंपनियों के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न अन्य लाभ दिए जाते हैं। अतः स्टाफ नर्सों को देय वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं को अन्य कर्मचारियों की तुलना में कम नहीं कहा जा सकता है।

(ग) से (ङ) कोयला उद्योग के सभी कर्मचारियों के वेतनमान तथा विभिन्न अन्य भत्ते/परिलब्धियों को, जिसमें स्टाफ नर्सों के वेतनमान तथा विभिन्न अन्य भत्ते/परिलब्धियां भी शामिल हैं, कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति द्वारा अन्तिम रूप दिया गया था तथा जुलाई, 1989 में राष्ट्रीय कोयला मजदूर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता दिनांक :0-6-1991 तक प्रभावी रहेगा। अतः वर्तमान में स्टाफ नर्सों के वेतनमानों की पुनरीक्षा किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

बिहार में "शहीद सूरज हाल्ट"

7984. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत बिहार में "शहीद सूरज हाल्ट" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सकरी और तारसराय स्टेशनों के बीच शहीद सूरज पर एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में कर्मचारियों को पेंशन

[अनुवाद]

7985. **श्री एन० डेनिस** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अनेक भूतपूर्व कर्मचारियों ने सरकार से पेंशन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सरकार द्वारा वर्ष 1967 में घोषित उदारीकृत पेंशन लाभों के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो कि 16-6-67 के बाद केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाविष्ट किए गए हैं, वे कर्मचारी केन्द्र सरकार के अधीन अपनी सेवा-अवधि के लिए यथानुपात पेंशन और उपदान पाने के हकदार हो गए हैं। हालांकि इस योजना से ऐसे कर्मचारी लाभान्वित नहीं होंगे जोकि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 16-6-1967 से पूर्व समाविष्ट किये गये थे। ऐसे कुल 46 कर्मचारी हैं जो नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा उक्त दिनांक 16-6-1967 के बहुत पूर्व विभिन्न तिथियों को समाविष्ट किए गए थे। अतः वे उदारीकृत पेंशन लाभों के हकदार नहीं होंगे। इन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों ने केन्द्र सरकार को उक्त लाभों को प्रदान किए जाने संबंधी अभ्यावेदन दिया था। केन्द्र सरकार द्वारा इन मामलों की वित्त मन्त्रालय और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से समीक्षा की गई और इन मामलों को स्वीकार नहीं किया गया। इसकी सूचना नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को दे दी गई है।

रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की कालोनी को सुन्दर बनाने पर व्यय

[हिन्दी]

7986. **श्री पीयूष तीरकी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची ने हाल में हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन कालोनी को सुन्दर बनाने और एफ० पी० पी० गेट के सामने पंडित जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति लगाने पर काफी धनराशि व्यय की है; और

(ख) यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने हाल में अपनी कालोनी को सुन्दर बनाने में कोई राशि खर्च नहीं की है। तथापि, उन्होंने फाउंडरी फोर्ज प्लांट के मुख्य द्वार के सामने पंडित जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति संस्थापित करने पर लगभग 21 लाख रुपए की राशि व्यय की है जिसमें क्षेत्र और पार्क का विकास भी सम्मिलित है।

सीमेंट अनुसंधान संस्थान

7987. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1990 के "सन्डे आबजर्वर" में "अनुसंधान अधिकारी की मनमानी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने वैज्ञानिक सीमेंट अनुसंधान संस्थान छोड़कर चले गए हैं; और

(ग) उनके द्वारा संस्थान छोड़े जाने के क्या कारण हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्यारह वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद (जिसे पहले भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान कहा जाता था) को छोड़ दिया है।

(ग) एक वैज्ञानिक जिसने सूचित किया है कि उसने पर्यावरण मंत्रालय में नियुक्ति लेने के लिए त्यागपत्र दिया था तथा एक अन्य वैज्ञानिक जिसकी एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, को छोड़ कर सभी अन्य वैज्ञानिकों ने वैयक्तिक/परिवारिक कारणों से राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री को छोड़ा।

पंचेट बांध के लिए विदेशी मुद्रा

[अनुवाद]

7978. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी कारपोरेशन द्वारा पंचेट बांध पर कार्यरत आस्ट्रिया के विशेषज्ञों को विदेशी मुद्रा में भुगतान न किए जाने के कारण इस नियम के पंचेट बांध को चालू करने में विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जाना है और इसकी व्यवस्था करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) पंचेत में 40 मेगावाट के प्रतिवर्ती (रिवरसीबल) पम्प टरबाईन विद्युत उत्पादन यूनिट के द्वितीय यूनिट का घूर्णन 31 मार्च, 1990 को किया गया था, फिर भी भू-अर्जन में समस्याओं के कारण यूनिट के प्रतिवर्ती प्रचालन के लिए आवश्यक टेल-पूल-डैम को अभी पूरा किया जाना है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता

7989. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आठवीं योजना-अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं के बारे में अपनी नीति तैयार कर ली है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

"दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान" द्वारा उपकरणों की खरीद

[हिन्दी]

7990. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1990 के "जनसत्ता" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गत एक वर्ष के दौरान 30 ग्रिड वाले उप-स्टेशनों के महत्वपूर्ण उपकरणों के जल जाने के कारण "दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान" को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) भविष्य में अच्छे किस्म के उपकरणों की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में ताप बिजली संयंत्र की स्थापना

7791. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** :
श्री रामेश्वर प्रसाद :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी, दरभंगा अथवा सीतामढ़ी जिले में ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय बिहार में ताप और जल विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आठ (6 ताप विद्युत + 2 जल विद्युत) ।

बड़ी खिड़कियों वाले सवारी-डिब्बे

[अनुवाद]

7992. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी खिड़कियों वाले ऐसे अनेक सवारी-डिब्बों का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिन्हें दुर्घटना की स्थिति में अन्दर से खोला जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन सवारी-डिब्बों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सामान्य काल में ये यात्रियों के लिए सुरक्षित रहें ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) परीक्षण उपाय के रूप में संरक्षा छड़ों को हटाकर तथा आपात समय में निकास द्वार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली भीतरी लॉकिंग प्रणाली में सुधार करके कुछ मौजूदा सवारी डिब्बों की खिड़कियों में आशोधन किया गया है । सवारी डिब्बों में चौड़ी खिड़कियों के अभिकल्प पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) अभिकल्प की कुशलता तथा यात्रियों की संरक्षा प्रमाणित हो जाने के बाद आपात समय में खोली जा सकने वाली खिड़कियों का अधिकल्प अपनाया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों को गैस की सप्लाई

[हिन्दी]

7993. **श्री राघव जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर लम्बी गैस पाइपलाइन बिछी हुई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए और अधिक गैस की सप्लाई मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) एच० बी० जे० पाइपलाइन का लगभग 535 कि०मी० का हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरता है ।

(ख) 450 मेगावाट की प्रति संयंत्र क्षमता वाले गैस आधारित जिन 4 विद्युत संयंत्रों को

झाबुआ, राजगढ़, गुना और ग्वालियर में स्थापित करने का प्रस्ताव है उनके लिए गैस के आबंटन हेतु मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस का आबंटन गैस की कुल उपलभ्यता, प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं और अन्य विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। विभिन्न प्रयोक्ताओं और क्षेत्रों को गैस का आबंटन आठवीं योजना परिव्यय का निर्णय लिए जाने के बाद ही किया जाएगा।

गुवाहाटी से बरास्ता बरौनी, रांची के लिए रेलगाड़ी

[अनुवाद]

7994. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी से बरास्ता बरौनी, रांची के लिए नई रेलगाड़ी चलाने के संबंध में जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) गुवाहाटी और रांची के बीच एक नई गाड़ी चलाने के लिए जनता से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

आई० सी०आई० नेलको कैमिकल्स ज्वायंट वेंचर

7995. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस्पात, तेल, चीनी आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए आई० सी० आई० नेलको कैमिकल्स ज्वायंट वेंचर के अन्तर्गत विशेष रसायन तैयार करने के लिए दो प्रस्ताव, काफी समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है और उन्हें इस समय मंजूरी प्रदान करने में और कितना विलम्ब होने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में आई० सी० आई० नेलको कैमिकल्स संयुक्त उपक्रम के अधीन विशेष रसायन बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि पश्चिम बंगाल में विशेष रसायन आदि बनाने के लिए मैं० नेलको कैमिकल्स यू०एस०ए० के सहयोग से एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए 1986 में मैसर्स आई० ई० एल०लि० की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था और 1988 में आशय पत्र दे दिया गया था। बाद में उपर्युक्त आशय पत्र को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी का नाम बदल कर मैं० नेलको कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। अब उक्त आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंस में बदला जा चुका है।

एयर इण्डिया में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी

7997. **श्री अमल दत्त** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार एयर इण्डिया द्वारा सेवा काल के दौरान मरने वाले कितने कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर स्थायी नौकरी दी गई है;

(ख) एयर इण्डिया के पास नौकरी दिए जाने के संबंध में कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) इन पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) एयर इण्डिया द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकम्पा आधार पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दी गई स्थायी नियुक्ति की संख्या निम्न प्रकार है :—

1987	13
1988	9
1989	12

(ख) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए 105 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं।

(ग) नौकरी के लिए अधिकतर आवेदन पत्र महिला आश्रितों के हैं और ये आवेदन पत्र भारी शारीरिक कार्य वाले पदों की निम्न श्रेणियों से संबंधित है। ऐसे कार्य के लिए हमेशा महिलाओं को नियुक्त करना संभव नहीं होता है। तथापि, विधवाओं को उनके जीवकोपार्जन की सहायता के लिए एअर इण्डिया के प्रबंधकों ने एअर इण्डिया कर्मचारी आश्रित औद्योगिक उत्पादक सहकारी सोसायटी लिमिटेड नामक एक सोसाइटी की योजना शुरू की है। इस समय इस सोसाइटी में 60 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और इस सोसाइटी को आवास, पूंजीगत उपकरण आदि उपलब्ध कराए गए हैं। इस सोसाइटी को हैडसेटों की सफाई, केबिन स्टोर की छंटाई तथा पुनः पैक करने, कैंटीन कूपनों की बिक्री, तौलियों की सिलाई आदि का कार्य दिया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स इंजीनियरों को सुविधायें

7998. **श्री अमल दत्त** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया ने 6 अप्रैल, 1989 को एअर इण्डिया एअरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसियेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर सहमति प्रदान की थी;

(ख) क्या समझौते के अन्तर्गत सुविधाओं को निदेशक मंडल और सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख को;

(घ) क्या सरकार का इण्डियन एयरलाइन्स के इन्जीनियरों को वही सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। 1 अक्तूबर, 1985 से 31 अगस्त, 1990 तक की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि के लिए 6 अप्रैल, 1989 को एअर इण्डिया के प्रबन्धक वर्ग और एअर इण्डिया विमान इन्जीनियर संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन तय किया गया था।

(ख) और (ग) 26 मई, 1989 को एअर इण्डिया के बोर्ड द्वारा यह समझौता ज्ञापन अनुमोदित किया गया तथा 17 जुलाई, 1989 को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

(घ) और (ङ) एअर इण्डिया और इण्डियन एअरलाइन्स में विमान रखरखाव इन्जीनियरों का प्रतिनिधित्व दो अलग संघों द्वारा किया जाता है और प्रत्येक संघ अपने मांग-पत्रों को स्वयं ही रखता है तथा अपने प्रबन्धकों के साथ बैठकर इसका निपटान करता है।

रेल परियोजनायें

7999. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विचाराधीन उन नई रेल परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका कार्य निकट भविष्य में शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन नई परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) नई रेल परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के रेलवे-वार और योजना शीर्ष-वार ब्यौरे "1990-91 के लिए रेलों के निर्माण, मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम" पुस्तक में दिए गए हैं जो 1990-91 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्यों को सप्लाई किए गए बजट प्रलेखों का भाग है।

चामराजनगर-सत्यमंगलम-मैंटुपालैयम (तमिलनाडु) रेल लाइन

8000. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :**
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर जिले के चामराजनगर को रेल सेवा से तमिलनाडु के सत्यमंगलम मैंटुपालैयम से जोड़ने के बारे में जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सत्यमंगलम के रास्ते चामराजनगर से कोयम्बटूर तक वैकल्पिक संरेखण सहित चामराजनगर और मैंटुपालैयम के बीच बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया था और 1986 में रेलवे द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से पता चला कि यह प्रस्ताव वित्तीय रूप से अलाभप्रद था। इसलिए इसे शुरू नहीं किया गया।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए विशिष्ट नई लाइनों के प्रस्तावों की पहचान नहीं की गई है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खुली खानों में खनन

8001. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० का कुछ खुली कोयला खानों से कोयला निकालने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस समय सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के पास कितनी खुली कोयला खानें हैं;

(ग) क्या इन खुली खानों से उत्पादन आरंभ हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान उन खुली कोयला खानों के कोयला उत्पादन के मामले में कितनी उपलब्धि रही ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले का उत्पादन ओपेनकास्ट खानों तथा भूमिगत खानों से किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में 31-3-1990 तक की स्थिति के अनुसार कार्यरत ओपेनकास्ट कोयला खानों की सं० 42 है जिनसे वर्ष 1989-90 के दौरान 23.86 मि० टन कोयले का उत्पादन प्राप्त किया गया है ?

आठवीं योजना में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

8002. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान गैस पर आधारित कुछ विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान ऐसे कितने संयंत्र स्थापित किए जायेंगे;

(ग) क्या यह कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो निगम ने इस सम्बन्ध में क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहमम्द खान) : (क) और (ख) उन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं, जिनसे आठवीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, से सम्बन्धित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत विगम ने अन्ता गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण-दो (430 मेगावाट), गंधार गैस आधारित विद्युत परियोजना (650 मेगावाट), गोदावरी गैस आधारित विद्युत परियोजना (400/800 मेगावाट), फरीदाबाद गैस आधारित विद्युत परियोजना (800 मेगावाट) और दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण-दो (408 मेगावाट) की स्थापना के लिए नए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन परियोजमाओं से आठवीं योजनावधि के दौरान और बाद में लाभ प्राप्त किए जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)	8वीं योजना के दौरान के लाभ (मे० वाट)
1	2	3	4	5
(एक) केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	दादरी सी० सी० जी० टी०	उत्तर प्रदेश	4×31.2+ 2×146	817.2

1	2	3	4	5
2.	काठलगुड़ी सी० सी० जी० टी०	असम	6×30+ 3×30	270
3.	अन्ता सी० सी० जी० टी० एक्सटेंशन	उत्तर प्रदेश	3×100+ 1×130	430
4.	गंधार सी० सी० जी० टी०	गुजरात	650	650
5.	गोदावरी सी० सी० जी० टी०	आन्ध्र प्रदेश	800	800
6.	फरीदाबाद जी० पी० पी०	हरियाणा	4×130+ 2×240	800
7.	त्रिपुरा सी० सी० जी० टी०	त्रिपुरा	500	500
			उप-जोड़	4267.20
(बी)	राज्य क्षेत्र			
1.	रामगढ़	राजस्थान	1×3	3
2.	उरण वेस्ट हीट (डब्ल्यू एच)	महाराष्ट्र	3×120	360
3.	उतरण सी० सी० जी० टी०	गुजरात	135	135
4.	वातवा सी० सी० जी० टी०	गुजरात	102	102
5.	विजेश्वरम	आंध्र प्रदेश	3×33	99
6.	लाकवा जी० टी० फेज-2	असम	3×20	60
7.	लाकवा डब्ल्यू० एच०	असम	1×22	22
8.	करैकाल	पांडिचेरी	3×5+ 1×7.5	22.5
9.	आमगुड़ी	असम	8×30+ 4×30	360.5
10.	रोखिया	त्रिपुरा	10×8	80
11.	डेसू डब्ल्यू० एच०	दिल्ली	3×30	90
12.	गंधार सी० सी० जी० टी०	गुजरात	600	600
13.	पिपवाव	गुजरात	750	750
			उप-जोड़	2683.60
			कुल जोड़ (1 और 2)	6950.70

कर्नाटक में बंगलौर-मिराज रेल संपर्क

8003. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बंगलौर-मिराज संपर्क के लिए रेल लाइन बिछाने पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ख) क्या सरकार ने इस लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) लौंडा, हुबली, बिरूर और अरसीकेरे के रास्ते मिरज और बेंगलूरू के बीच पहले ही मीटर आमान की रेल लाइन मौजूद है। इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बलिया पट्टम पुल (कन्नानौर)

8004. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कन्नानौर स्थित बलिया पट्टम (बलपट्टणम) रेलवे पुल की दशा सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल की दशा के बारे में क्या रिपोर्ट मिली है;

(ग) इसकी मरम्मत के लिए कितना धन आबंटित किया गया है; और

(घ) इस पुल की मरम्मत/रखरखाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समुद्रीय वातावरण के कारण गर्डरों में जंग लगने तथा पहले से रोड डेकिंग विद्यमान होने की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) लगभग 3.74 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(घ) सभी गर्डर बदल दिए गए हैं तथा आनुषंगिक कार्य चल रहे हैं।

केरल को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

8005. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रसोई गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में केरल सरकार अथवा अन्य राज्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित तथा बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कौन से उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) मूलभूत सुविधाएं और विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता होने पर बढ़ाए गए उत्पादन और

आयात के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कदम उठाए जाते हैं। जहाँ कहीं आवश्यक होता है डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क का विस्तार करके वितरण प्रणाली को भी एक चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है।

रोगन बनाने के कार्य में विदेशी सहयोग

8006. **श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रोगन निर्माता कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो विदेशी सहयोग से उत्पादन कर रही है और अपने उत्पाद का निर्यात कर रही है;

(ख) इन कम्पनियों में कितना विदेशी सहयोग है; और

(ग) इनके उत्पाद का किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जिन देशों को रोगनों का मुख्यत: निर्यात किया जा रहा है वे यू० एस० एस० आर०, बहरीन, कुवैत, इराक यू० ए० ई० आदि हैं।

विवरण

प्रमुख रोगन निर्माता एकक जो विदेशी सहयोग से उत्पादन कर रही हैं और अपने उत्पादन का निर्यात कर रही हैं और इन एककों में कितना विदेशी सहयोग है, के ब्यौरे।

क्र० सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	कितना विदेशी सहयोग है	
		विदेशी सहयोगी का नाम	सहयोग का स्वरूप
1.	मै० डा० बेक एंड कंपनी (इण्डिया) लि०, बम्बई।	मै० डा० बेक एंड कंपनी ए० जी० हमबर्ग, एफ० आर० जी०	वित्तीय
2.	मैसर्स गुडलास नेरोलेक पेन्ट्स लि०, बम्बई	मैसर्स निहोन टोकुशू टौरयो कंपनी लि०, जापान	तकनीकी
3.	मैसर्स बरजर पेन्ट्स इण्डिया लि०, कलकत्ता	मैसर्स जेनसन एंड निकलसन लि०, यू० के०	तकनीकी
4.	मैसर्स मोदी पेन्ट्स एंड वार्निश वर्क्स, मोदीनगर	मैसर्स स्कैपमैंस एल० ए० के० फैब्रीकन जेड बोवले, हालैण्ड	तकनीकी
5.	मैसर्स एशियन पेन्ट्स (इण्डिया) लि०, बम्बई	मैसर्स निप्पन पेन्ट्स कंपनी लि०, जापान	तकनीकी
6.	मैसर्स यू० के० पेन्ट्स इण्डिया प्रा० लि०, नई दिल्ली	मै० एस० सी० एम० ग्लिडन इंटरनेशनल, यू० के०	तकनीकी

एयर इण्डिया द्वारा नई निगमित छवि कार्यक्रम पर व्यय

8007. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया द्वारा हाल ही में चलाए गए नए निगमित छवि कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई अथवा करने का विचार किया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी व्यय को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद एयर इन्डिया को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) एअर इन्डिया की छवि में सुधार से सम्बन्धित अभियान में केवल निगम की पहिचान में परिवर्तन की ही बात शामिल नहीं है बल्कि ऐसे बोइंग 747 विमानों में सेक्सन 41 के तहत अनिवार्य तकनीकी आशोधन भी शामिल हैं जिन्होंने 16,000 से लेकर 19,000 चक्र पूरे कर लिए हैं और इसके अन्तर्गत विमान के भीतर पुरानी सीटों, पैनलों, साज सामानों, शौचालयों आदि का आधुनिकीकरण भी शामिल है इस छवि के पुन: डिजाइन पर खर्च की राशि 1.53 करोड़ रुपए थी पुराने और अप्रचलित उपस्करों के आधुनिकीकरण पर खर्च की राशि 57.34 करोड़ रुपए है जिसमें से 19.63 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए और 37.31 करोड़ रुपए चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाएंगे।

(ख) एयर इन्डिया का निदेशक मण्डल इस व्यय की मंजूरी देने के लिए सक्षम है।

(ग) एअर इन्डिया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनी है और इसे उन हवाई कम्पनियों से कड़ा मुकाबला करना होता है जिन्होंने अधिक आधुनिक और नए विमान लगाए हैं। अत: यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एअर इन्डिया को अच्छी सेवा देनी है। यह सुधार इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। इनके परिणामस्वरूप एअर इन्डिया के लाभ में बढ़ोत्तरी होगी।

एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स में नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती

8008. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स में नैमित्तिक श्रमिकों को भर्ती करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) इस समय एयर इन्डिया और इन्डियन एयर लाइन्स में कितने नैमित्तिक श्रमिक नियमित रिक्तियों के एवज काम कर रहे हैं;

(ग) ऐसे श्रमिकों का विमान कम्पनी-वार और स्थान-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बनाने तथा उपरोक्त दोनों विमान कम्पनियों में नैमित्तिक श्रमिक रखने की प्रथा को समाप्त करने का है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स में परिचालनों आदि के हित में, लोडर, सफाई कर्मचारी, चालक आदि जैसी श्रेणियों में यदा-कदा छुट्टी/अनुपस्थिति के समय उनके स्थान पर, मौसमी आवश्यकताओं, कार्यभार में अस्थायी वृद्धि आदि के आधार पर नैमित्तिक/दिहाड़ी के आधार पर कामगारों को रखा जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जब कभी एयरलाइन्स द्वारा अधिसूचित पदों के लिए नैमित्तिक/दिहाड़ी पर नियुक्त कामगारों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनके योग्य होने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

एयर इण्डिया के रिक्त पद

8009. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया में कुछ उच्च पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इन पदों को भरने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) इस समय एयर इन्डिया में उप प्रबन्ध निदेशक के दो और निदेशक के स्तर के चार पद खाली पड़े हैं। हाल ही में एयर इन्डिया के निदेशक मण्डल द्वारा एयर इन्डिया के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया है। इसके कार्यान्वयन की कार्य-विधियां तैयार की जा रही हैं।

मिश्रित नामों का उपयोग

8010. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान किन्हीं कम्पनियों को मिश्रित नामों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें यह अनुमति प्रदान की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) ट्रेड मार्क के इस्तेमाल के लिए व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के अधीन पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करना ट्रेड मार्क के बेहतर कानूनी संरक्षण के लिये ट्रेड मार्क के स्वामी द्वारा की गई एक ऐच्छिक कार्यवाही है।

मैसर्स पेप्सी फूड्स प्रा० लि० के अनुरोध पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है कि कम्पनी "पेप्सी", "7 अप" और "मिरिण्डा" नाम से पहले "लहर" और बाद में पेप्सी संकर नाम का प्रयोग कर सकती है।

मैसर्स पेप्सी फूड्स प्रा० लि० ने बताया है कि उन्होंने ट्रेड मार्क पंजीकार के पास "लहर" ट्रेड मार्क का पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है।

ट्रेड मार्क हेतु रजिस्टर्ड यूजर एग्रीमेंट

8011. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "ट्रेड मार्क" हेतु "रजिस्टर्ड यूजर एग्रीमेंट" को स्वीकार/मान्यता प्रदान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों से; और

(ग) इस नीति के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रायगडा में रेलवे स्कूल

8012. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगडा में एक नया सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल खोलने अथवा वर्तमान रेलवे स्कूल का दर्जा बढ़ाकर हायर सैकेण्डरी स्कूल तक करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

8013. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा में अब तक कुल कितने ब्लाकों को बिजली लगा दी गई है और वर्ष 1990-91 के दौरान कौन-कौन से ब्लाकों में बिजली लगायी जाएगी;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अब तक कितनी धनराशि का ऋण दिया गया और राज्य ने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में क्या प्रगति की है;

(ग) क्या राज्य के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक सुनियोजित व्यापक योजनाएं न होने के कारण इन क्षेत्रों को ये सुविधाएं पूर्णरूप से अभी तक नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 28-2-1990 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा के सभी 13 जिलों के 29847 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 1990-91 के दौरान समग्र उड़ीसा राज्य में 785 नए गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) फरवरी, 1990 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को 216 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत उड़ीसा में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के वर्षवार लक्ष्यों तथा प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
1985-86	1515	1108
1986-87	1359	1363

1	2	3
1987-88	1380	1516
1988-89	1200	1341
1989-90	750	900 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) राज्य में किसी भी पहाड़ी क्षेत्र का पता नहीं लगाया गया है। उड़ीसा में 18683 जनजातीय गांव हैं जिनमें से मार्च, 1990 तक 8518 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ और जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है।

जयपोर (के) से द्वितीय श्रेणी के यात्री डिब्बे का प्रावधान

8014. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपोर (के) रेलवे स्टेशन से विशाखापत्तनम के लिए यात्री रेलगाड़ी में पहले जो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा जोड़ा जाता था, उसे जोड़ना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे जोड़ना कब से बन्द किया गया है और क्या जनता द्वारा इस सुविधा को पुन: आरम्भ किए जाने की निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जयपोर (कर्नाटक) से इस डिब्बे को पुन: जोड़ने का विचार है?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) 1-4-84 से जैपुर-विशाखापत्तनम के रास्ते किरंदुल और भुवनेश्वर के बीच एक दूसरे दर्जे का सवारी डिब्बा लगाया गया था। इसका कम प्रयोग होने के कारण इसे 1-10-86 से हटा लिया गया था। जनता की मांग पर इसे 28-10-89 से फिर लगाया जाने लगा था परन्तु 1-5-90 से इसे फिर से हटाना पड़ा क्योंकि स्थान ग्रहण का प्रतिशत 15% से भी कम बना रहा।

राजस्थान में सीमेंट के कारखाने

8015. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चल रहे सीमेंट के कारखानों और मिनी संयंत्रों के नाम क्या-क्या हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) इस राज्य के उन सीमेंट कारखानों और मिनी संयंत्रों के नाम क्या-क्या हैं जो निर्माणाधीन हैं और जिनका विस्तार किया जा रहा है तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य के संगठित क्षेत्र में अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता सहित उत्पादन कर रहे तथा लगाए जाने वाले सीमेंट संयंत्रों संबंधी ब्यौरे निम्न प्रकार है—

पादन कर रहे संयंत्र

क्र० सं०	संयंत्र का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता (एल० टी० पी० ए० में)
1	2	3
1.	मै० दि० ए० सी० सी० लि०	3.22
2.	,, उदयपुर सीमेंट वर्क्स	6.00
3.	,, बिरला सीमेंट वर्क्स	9.00
4.	,, जे० के० सीमेंट	15.40
5.	,, मंगलम सीमेंट्स लि०	4.00
6.	,, लक्ष्मी सीमेंट लि०	5.00
7.	,, श्री सीमेंट लि०	6.00
8.	,, श्रीराम फर्टिलाइजर्स लि०	2.00
9.	,, इण्डियन रेयन एंड इण्डस्ट्रीज (व्हाइट)	0.80
10.	,, जे० के० ह्वाइट सीमेंट	0.80
11.	,, कल्याणसुंदरम सीमेंट इण्डस्ट्रीज लि०	0.66
12.	,, स्वदेशी सीमेंट लि०	0.66
13.	,, जनलघु सीमेंट उद्योग लि०	0.66
14.	,, सिरोही सीमेंट	0.16
15.	,, देवाश्री सीमेंट	0.33
16.	,, थार सीमेंट लि०	0.33
17.	,, सुदर्शन सीमेंट लि०	0.66
	ापित किए जाने वाले संयंत्र	
1.	मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०	2.00
2.	,, निडन निर्माण सीमेंट (ह्वाइट)	0.80
3.	,, इंडो-निप्पन स्पेशल सीमेंट लि०	5.00
4.	,, श्री सीमेंट लि०	6.00
5.	,, सीरम सीमेंट्स	0.60
6.	,, जे० के० सिंथेटिक्स	6.00
7.	,, रणकपुर सीमेंट्स	5.00

1	2	3
	8. मै० स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लि०	10.00
	9. „ ज्वारी एग्रो कैमिकल्स लि०	10.00
	10. „ सीकर सीमेंट्स लि०	0.66
	11. „ मंगलम सीमेंट्स लि०	2.00
	12. „ जे० के० सिंथेटिक्स (ह्वाइट)	1.00
	13. „ सतिन्द्र पाल सिंह	0.33
	14. „ थार सीमेंट्स	0.33
	15. „ पूर्णिमा सुराना	0.33
	16. „ अशोक कुमार पांडेय	0.33
	17. „ अरविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी लि०	0.16

इसके अलवा, नए उपक्रम लगाने के लिए एक आवेदन पत्र तथा पर्याप्त विस्तार करने हेतु शेष तीन आवेदन पत्रों सहित चार आवेदन पत्र प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

त्रिपुरा में उद्योगों को रियायती दरों पर गैस की सप्लाई

8016. **श्री के० बी० के० देव बर्मन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योगों को गैस की सप्लाई उतने ही कम मूल्य पर की जाए जितने पर असम में की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी , हां।

(ख) और (ग) त्रिपुरा सरकार ने आरम्भ होने वाली सभी विद्युत परियोजनाओं और उद्योगों के लिए उनके आरम्भ होने की तारीख से कम से कम वर्ष की अवधि के लिए प्राकृतिक गैस का मूल्य 500 रुपये/1000 घन मीटर निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस का मूल्य 1987 में निर्धारित किया था। यह मूल्य असम और त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये/1000 घन मीटर नियत किया गया था (जिसमें रायल्टी, कर और अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं थे) और इसमें 500 रुपये/1000 घन मीटर छूट देने की व्यवस्था है। 500 रुपये/1000 घन मीटर का मूल्य देश के बाकी हिस्सों के लिए निर्धारित उन मूल्यों से बहुत कम है, जिसमें 1400 रु०/1000घन मीटर से 2250 रुपये/1000 घन

मीटर का अन्तर रहता है। प्राकृतिक गैस के मूल्य के संशोधन के सम्पूर्ण प्रश्न की इस समय बी० आई० सी० पी० के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण प्राधिकरण

8017. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना में ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए आवर्ती निधि शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या विभिन्न संगठनों से ऊर्जा के अनिवार्य लेखा परीक्षण कराने का भी विचार किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सरकार ने अभी तक ऐसे किसी प्राधिकरण के गठन का निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के लिए निधियों के आबंटन के बारे में स्थिति, आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही स्पष्ट होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की विदेशों में नियुक्ति

8018. **श्री रामजी लाल सुमन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा गृह मन्त्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना विदेशों में नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन-पत्र भेजा था तथा नियुक्ति प्राप्त की थी एवं उन्हें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार बनाये रखने की भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमति भी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ अधिकारियों द्वारा विदेशों में नियुक्तियां प्राप्त करने के लिए उचित माध्यम से आवेदन-पत्र दिए जाने के बावजूद उन्हें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विदेशों में नियुक्तियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने, एक अधिकारी को जिसे उसके सीधे प्रार्थना-पत्र पर विदेश में नियुक्ति के लिए चुना गया था उसके पद पर लियन कायम रखते हुए बिना वेतन की सात माह की छुट्टी लेने की अनुमति दी थी।

(ग) से (ङ) अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को, जो उचित माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकृत था, को 1989 में विदेशी नियुक्ति के लिए इसलिए कार्य मुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें कलकत्ता हवाई अड्डे पर एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। कार्य की अधिकता के कारण 1988 और 1989 में भी विदेशी कार्य के लिए काफी संख्या में सामान्य श्रेणी के अधिकारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका था।

पूर्वी रेलवे यात्री संघ की मांगें

8019. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे यात्री संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में कौन-कौन सी मुख्य समस्याएं और मांगें उठाई गई हैं; और

(ग) सरकार का इन मांगों पर क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) ज्ञापप में उठाए गए प्रमुख समस्यायें और मांगें

प्रमुख समस्यायें : ई० एम० यू० गाड़ी सेवाओं और सुविधाओं की कमी

मांगें—

1. दैनिक यात्रियों को पहले से जो सुविधाएं प्राप्त थीं उनमें पूर्व रेलवे के अधिकारियों द्वारा कमी कर दी गयी है।
2. रेल किराये में कई बार वृद्धि की गयी है लेकिन सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय उसे कम कर दिया गया है।
3. भीड़-भाड़ और संकुचन से बचने के लिए यात्री यातायात से अर्जित राजस्व के आधार पर रेल अधिकारियों को ई० एम० यू० की कम से कम तीन यूनिटों की व्यवस्था करनी

चाहिए। लेकिन ई० एम० यू० गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनमें प्राय: केवल 7 बौगियां लगायी जाती है और इस प्रकार उन यात्रियों की संख्या वढ़ती जा रही है जिन्हें लटक कर यात्रा करनी पड़ती है और दुर्घटना का कारण बनती है।

4. लोकल गाड़ियों में चलते-फिरते टिकट जांच की व्यवस्था करना और लम्बी दूरी की गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में कंडक्टर गार्डों पर निगरानी रखने के लिए कुछ सतर्कता कर्मियों को लगाना।
5. महिलाओं के डिब्बों में पुरुष यात्रियों को अनुमति नहीं देना।
6. रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति, स्टेशन समितियां और अन्य समितियां।
7. जुबिली पुल की मरम्मत करना।
8. वर्षा ऋतु के दौरान हावड़ा कार शेड में पानी के जमाव को रोकना।
9. यात्रियों को चोट से बचाव करने के लिए यात्री डिब्बों में चावल के थैले को ले जाने पर प्रतिबंध लगाना।
10. सभी स्टेशनों और प्लेटफार्मों को साफ रखना।
11. दैनिक यात्रियों के समय और पैसों में बचत करने के लिए मेन लाइन के किसी स्टेशन से और तारकेश्वर शाखा लाइन से वैली हाल्ट होते हुए सियालदह तक यात्रा करने के लिए दैनिक या सीजन टिकट जारी करना।
12. बंडेल, शेयोराफुली और श्रीरामपुर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलना।
13. तीर्थयात्री प्रभारों को, जो पूर्णत: अनुचित है, समाप्त करना।
14. श्रीरामपुर स्टेशन के लिए वेंडिंग एजेंट।
15. बंडेल और वर्द्धमान के बीच शटल गाड़ियां चलाना या बी०-119, पी० एच०-5, बी० 143, बी-157, बी-165 लोकल गाड़ियों को वर्द्धमान तक चलाना।

(ग) प्रत्येक मांग पर सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई

(1) और (2) सुविधाओं को कम करना

यात्री सुविधाओं जैसे प्लेटफार्म शैडों, पीने के पानी की सुविधाओं, अतिरिक्त बुकिंग काउंटरों, बेन्चों पूछताछ कार्यालयों आदि पर पर्याप्त धनराशि खर्च की जा रही है। ई०एम०यू० एवं परम्परागत सवारी डिब्बों में दी जाने वाली सुख-सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है।

(3) ई० एम० यू० गाड़ियों के डिब्बों की संख्या बढ़ाना

हवड़ा मंडल में या तो 8-सवारी डिब्बों वाली गाड़ियां या 9-सवारी डिब्बों वाली गाड़ियां चलायी जाती हैं पर्याप्त संख्या में सवारी डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण 9-सवारी डिब्बों के सभी रेक बनाना फिलहाल संभव नहीं है।

(4) टिकट जांच कर्मचारियों के कार्यों की जांच करना

विभिन्न खण्डों में लोकल गाड़ियों में मोबाइल टिकट चैकिंग, जिसमें सतर्कता संगठनों द्वारा

विशेष जांच शामिल है, नियमित रूप से की जाती है।

(5) **महिलाओं के डिब्बों में पुरुषों का प्रवेश**

महिलाओं के डिब्बे निश्चित रूप से महिला यात्रियों तथा उनके साथ यात्रा कर रहे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के इस्तेमाल के लिए होते हैं। पुरुष यात्रियों को इस स्थान का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। समय-समय पर जांच की जाती है और महिला-डिब्बों में यात्रा करते पाए गए पुरुष यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के उपबन्ध के अधीन कार्रवाई की जाती है। इस सम्बन्ध में राजकीय रेल पुलिस की भी सहायता ली जाती है।

(6) **रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियां**

यह मुद्दा स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, यह सूचित किया जाता है कि हवड़ा मंगल के मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति में पूर्व रेलवे यात्री संघ के प्रतिनिधियों को नामित किया गया था।

(7) **जुबिली पुल की मरम्मत**

इसके आवधिक निरीक्षणों के आधार पर, जब कभी आवश्यक होता है, पुल की मरम्मत की जाती है।

(8) **हवड़ा कार शैड में पानी इकट्ठा होना**

हवड़ा कार शैड और हवड़ा यार्ड में पानी इकट्ठा होने से रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पानी इकट्ठा होने कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से नाली व्यवस्था में सुधार करने के लिए हवड़ा नगर निगम प्राधिकारियों को लगभग 32 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। हवड़ा कार शैड क्षेत्र में रेलपथों को भी लगभग 6" से 12" तक ऊंचा किया गया है परन्तु समस्या पूरी तरह हल नहीं की जा सकी क्योंकि साथ लगने वाला म्यूनिसीपल क्षेत्र रेलवे क्षेत्र से ऊंचे स्तर पर है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कलकत्ता महानगर जल एवं स्वच्छता प्राधिकरण के इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और एक उपयुक्त नाली व्यवस्था की योजना कलकत्ता म० ज० एवं स्वच्छता प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली थी। तथापि रेल अधिकारी क०स०ज० एवं स्व० प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं।

(9) **डिब्बों में चावल के थैलों को ले जाने पर प्रतिबन्ध**

इसे मुख्यत: राजकीय रेल पुलिस द्वारा लागू किया जाना है। इस समस्या को पुलिस अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह की जाने वाली 'टास्क फोर्स मीटिंग' में भी विशिष्टता दी जाती है।

(10) **स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर सफाई**

स्टेशनों/प्लेटफार्मों को साफ रखने के लिए सदा प्रयत्न किए जाते हैं।

(11) **बाली हाल्ट के रास्ते सियालदह तक दैनिक/सीजन टिकट जारी करना**

इस प्रस्ताव की जांच की गयी है और इसका औचित्य नहीं पाया गया है।

(12) **बन्डेल, शेवकुली और श्रीरामपुर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलना**

इन तीन स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है। अन्य सभी रेलवे स्टेशनों की तरह इन स्टेशनों के सहायता स्टेशन मास्टरों के पास प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की

व्यवस्था की जाती है। विशेष अवसरों जैसे बड़े-बड़े मेलों, रेल दुर्घटनाओं को छोड़कर, किसी भी स्टेशन पर विभागीय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं खोले जाते हैं।

(13) **तीर्थ-यात्री प्रभार वसूल करना**

तीर्थ यात्री/टर्मिनल कर यात्रियों से अलग से वसूल नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे प्रमुख मेलों के दौरान, जहां विशेष रेल गाड़ियां चलाने, अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां खोलने, शेडों आदि का निर्माण करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलों द्वारा विशेष प्रबन्ध किए जाते हैं वहां इस लेखे पर रेलों द्वारा किये गये खर्च को पूरा करने के लिए मेला अधिप्रभार वसूल किया जाता है।

(14) **श्रीरामपुर स्टेशन पर वेंडिंग एजेन्ट**

फिलहाल, श्रीरामपुर स्टेशन पर कोई वेंडिंग ठेका नहीं है। श्रीरामपुर स्टेशन पर वेंडिंग ठेके की व्यवस्था करने के लिए प्रबंध किए गए थे और श्री पी० के० साहा को ठेका आवंटित किया गया था। इसके बाद ही श्री राम रे नामक एक आवेदक ने उक्त आबंटन के विरुद्ध न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज कर दिया। यह अदालती मामला अभी लंबित है।

(15) **बन्डेल और वर्धमान स्टेशनों के बीच शटल गाड़ियां चलाना**

इस समय, हवड़ा मंडल के बंडेल वर्धमान खंड पर एक जोड़ी शनिवार लोकल गाड़ी सहित 46 गाड़ियां चल रही हैं। उपर्युक्त गाड़ी सेवाएं बंडेल-वर्धमान खंड के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। बंडेल-वर्धमान खंड पर ई०एम०यू० रेक की कमी तथा लाइन क्षमता की तंगी के कारण मौजूदा गाड़ियों के अलावा बंडेल और वर्धमान के बीच शटल गाड़ियां चलाना संभव नहीं है।

निम्नलिखित कारणों से स्थानीय गाड़ियों की चालन दूरी बढ़ाना संभव है :—

बी/119 गाड़ी 11.03 बजे बंडेल पहुंचती है और 11.22 बजे पुनः बी/128 के रूप में बंडेल से रवाना होती है।

पी० एच०/5 गाड़ी 14.55 बजे पुन्डूहा पहुंचती है और 15.15 बजे पुन्डूहा से पुनः पी० एच०/4 के रूप में रवागा होती है।

बी/143 गाड़ी 18.08 बजे बंडेल पहुंचती है और 18.28 बजे बन्डेल से पुनः बी/152 के रूप में रवाना होती है।

बी/157 गाड़ी 20.55 बजे बन्डेल पहुंचती है और 21.32 बजे बन्डेल से पुनः बी/164 डाउन के रूप में रवाना होती है।

बी/165 गाड़ी 22.23 बजे बन्डेल पहुंचती है और अगली सुबह को डाउन लोकल गाड़ी के रूप में चलने के लिए बन्डेल पर खड़ी रहती है।

उपर्युक्त को देखने से यह पता चलता है कि बी/165 गाड़ी को छोड़कर अन्य गाड़ियों के पहुंच और प्रस्थान के बीच की अवधि इस बात की अनुमति नहीं देती कि सम्बन्धित गाड़ियों को वर्धमान तक चलाया जाये। जहां तक बी/165 गाड़ी का संबंध है, इस गाड़ी का चालन-दूरी बढ़ाने से बंडेल में प्रातः की डाउन लोकल गाड़ी के लिए रेक की कमी पड़ जाएगी। वस्तुतः, 16-8-1989 से वर्धमान और बंडेल के बीच बी०बी०-4 नाम की एक गाड़ी चलायी गयी थी।

मध्य प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

8020. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और वर्ष 1989-90 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के कितने-कितने गांवों के विद्युतीकरण की अनुमति दी;

(ख) क्या जिन गांवों के विद्युतीकरण की अनुमति दी गयी थी उन सभी में बिजली लगा दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अनुमति दी थी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश के क्रमशः 2650, 2700 और 2400 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी अपेक्षा उपलब्धि क्रमशः 3929, 4337 और 4065 (अनन्तिम) रही।

गांवों के विद्युतीकरण के लिए जिलेवार लक्ष्यों को अंतिम रूप, निधियों की उपलब्धता तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर राज्य स्तर पर ही दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों का जिलेवार ब्यौरा (इसमें वे गांव भी शामिल हैं जिनको राज्य ने अपनी योजना में शामिल किया है) संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 (31-1-1990 तक) के
दौरान विद्युतीकृत गांवों का जिलेवार ब्यौरा

क्र० सं०	जिला	1987-88	1988-89	1989-90 (31-1-90 तक)
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	70	107	43
2.	बस्तर	259	276	171
3.	बेतूल	75	87	24
4.	भिंड	—	1	—
5.	भोपाल	—	—	—
6.	बिलासपुर	228	221	218
7.	छतरपुर	102	75	7

1	2	3	4	5
8.	छिदवाड़ा	—	—	—
9.	दामोह्	67	73	33
10.	दतिया	31	3	—
11.	देवास	36	66	3
12.	भार	60	80	130
13.	दुर्ग	153	66	63
14·	गुना	88	67	138
15.	ग्वालियार	—	—	—
16.	हौसंगाबाद	55	71	26
17.	इन्दौर	—	—	—
18.	जबलपुर	140	203	63
19.	झाबुआ	80	89	64
20.	खंडवा	44	58	9
21.	धारगोने	70	108	134
22.	मांडला	214	219	56
23.	मन्दसौर	—	—	—
24.	मौरेना	57	94	104
25.	नरसिंघपुर	63	75	8
26.	पन्ना	65	77	42
27.	रायगढ़	160	181	106
28.	रायपुर	227	275	216
29.	रायसेन	103	84	92
30.	राजगढ़	90	133	138
31.	राजनन्दगांव	165	168	113
32.	रतलाम	40	72	42
33.	रेवा	165	200	71
34.	सागर	76	111	40
35.	सतना	120	152	63

1	2	3	4	5
36.	सिहौर	41	63	32
37.	सियोनी	105	99	22
38.	शाहदोल	140	197	131
39.	शाजापुर	91	81	22
40.	शिवपुरी	26	62	—
41.	सिधि	124	67	41
42.	सुरगुजा	150	148	98
43.	टिकमगढ़	60	101	12
44.	उज्जैन	—	—	—
45.	विदिशा	110	94	51
	जोड़ :	3950	4404	2626

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई

8021. **श्री नन्दलाल मीणा : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में बिजली सप्लाई के संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने राजस्थान के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति हेतु जाखम मिनी जल विद्युत स्कीम का प्रस्ताव किया है। 12.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2×4.5 मे० वा० के प्रतिष्ठापन हेतु इस स्कीम को योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 1984 में अनुमोदित किया गया था। भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण बाद में इस प्रतिष्ठापना को संशोधित करके 1×5.5 मे० वा० कर दिया गया है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधित परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की गई थी तथा कुछ टिप्पणियों के साथ उसे राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया गया था कि वे इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इसे पुनः प्रस्तुत करें।

मिनी और माइक्रो पन-बिजली परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

[अनुवाद]

8022. **श्री पुरुषोत्तम कौशिक : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनी और माइक्रो पन-बिजली परियोजनाओं के निर्माण हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ख) इसमें से कितनी राशि मध्य प्रदेश में मिनी और माइक्रो पन-बिजली परियोजनाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) विदेशी सहायता से किन-किन परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) लघु एवं सूक्ष्म पन-बिजली परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा ये स्वदेशी जानकारी एवं उपकरणों से कार्यान्वित की जा सकती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान और बिहार की छोटी/मिनी पनबिजली परियोजनाएं

[हिन्दी]

8023. **श्री नाथू सिंह :**
श्री यदुनाथ पाण्डेय

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और बिहार की छोटी/मिनी पन बिजली परियोजनाओं में पूंजीनिवेश की स्वीकृति के किन्हीं प्रस्तावों पर योजना आयोग विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कब से विचाराधीन है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

8024. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को वर्ष 1989-90 के दौरान दिए गए ऋण की धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को ऋण देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार की व्यवस्था करने संबंधी योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 404.39 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना के अलावा, बेरोजगार लोगों के लिए स्व-रोजगार हेतु चल रही अन्य योजनाओं में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, शहरी गरीब लोगों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम तथा नेहरू रोजगार योजना शामिल हैं।

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत आने वाले लक्ष्य समेह् को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत भिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार की व्यवस्था करने संबंधी योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मंजूर की गई धनराशि।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	मंजूर की गई ऋण की राशि (रु० लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3278.72
2.	असम	1372.68
3.	बिहार	4904.94
4.	गुजरात	647.82
5.	हरियाणा	908.04
6.	हिमाचल प्रदेश	272.97
7.	जम्मू तथा कश्मीर	192.66
8.	कर्नाटक	2019.38
9.	केरल	2643.64
10.	मध्य प्रदेश	2638.93
11.	महाराष्ट्र	2537.44
12.	मणिपुर	434.50
13.	मेघालय	6.12
14.	नागालैंड	36.52
15.	उड़ीसा	1985.23
16.	पंजाब	3259.04
17.	राजस्थान	1967.80
18.	सिक्किम	4.25
19.	तमिलनाडु	3080.84
20.	त्रिपुरा	136.84
21.	उत्तर प्रदेश	5340.60

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	2462.71
23.	अंडमान तथा निकोबार	12.64
24.	अरुणाचल प्रदेश	14.61
25.	चंडीगढ़	44.62
26.	दादर तथा नगर हवेली	9.70
27.	गोवा, दमन एवं दीव	59.52
28.	मिजोरम	91.30
29.	पांडिचेरी	73.10
30.	लक्षद्वीप	1.30
	योग :	40438.52

टिहरी बांध का निर्माण पूरा होने पर भूमि की सिंचाई

[अनुवाद]

8025. **श्री वाई० एस० महाजन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध का निर्माण पूरा होने पर जितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) बांध के निर्माण के लिए जिन लोगों की भूमि उपयोग में लाई गई है, उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, एटा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फर नगर तथा सहारनपुर जिलों में मध्य गंगा-नहर तथा ऊपरी गंगा नहर प्रणाली, निचली गंगा नहर और आगरा नहर प्रणाली की विद्यमान परिसीमा में टिहरी बांध परियोजना 2.7 लाख हेक्टेयर तक अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध करवाएगी, इसके अलावा गंगा/यमुना के मैदानी इलाकों में 6.04 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई निश्चित करेगी।

(ख) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत लगभग 268 करोड़ रुपए पुनर्वास उपायों पर खर्च किए जायेंगे। पुनर्वास योजना के अन्तर्गत अन्य लाभों के अलावा भूमि के बदले भूमि आबंटित किए जाने, भूमिहीन कृषि मजदूरों को भूमि दिए जाने, मकान के बदले प्रतिपूर्ति राशि दिए जाने और गृह निर्माण हेतु वास्तविक लागत आधार पर आवासीय प्लाट आबंटित किए जाने के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। न्यू टिहरी टाउन में नगरीय पुनर्वास के लिए उपयुक्त आकार के भूमि प्लाट रियायती दरों पर आबंटित किए जाते हैं और वाणिज्यिक वस्तुओं तथा घरेलू मालभत्ते को लाने ले जाने के लिए नकद राशि का भुगतान किया जाता है।

12.01 म० प०

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री जौस फर्नान्डीज (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय)

श्री पाल मन्टोष (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

12.04 म० प०

एअर बस ए-320 के सौदे से सम्बन्धित पत्र सभा पटल पर रख जाने के बारे में

श्री बसंत साठे (वर्धा) : महोदय, आपको याद होगा हाल ही में हमने एअर बस के मामले पर विस्तार से चर्चा की थी, और आपको यह भी याद होगा कि सदन में यह बताया गया था कि कोई भी दस्तावेज बिना संदर्भ के सभापटल में नहीं रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, हमने देखा है कि 2 अगस्त के तथाकथित दस्तावेज जो एअर बस के मामले में थे—कुछ निर्णय और कुछ नोट को सभापटल पर रखने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि यह सोचा गया था कि केवल इन्हें ही सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि इसके साथ अन्य दस्तावेज भी रखे जाने चाहिए। यह स्वीकार किया गया था कि उन दस्तावेजों का जिनका जसवंत सिंह जी तथा अन्य लोगों ने हवाला दिया था, उन सभी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। जैसा कि आज हम पाते हैं, मुझे विश्वास है संबंधित माननीय मंत्री को रहस्योद्घाटन के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री बसंत साठे : मुझे ऐसा लगता है। सरकार प्रेस के माध्यम से अभियोजन चलाना चाहती है इसीलिए, सरकार रहस्योद्घाटन कर रही है। यह कैसे हो सकता है, कतिपय दस्तावेज सी०बी० आई० से लीक हुए हैं और आज के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए है ? मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं। क्या वे एअर बस के मामले में एक निष्पक्ष आंकलन और जांच तथा चर्चा करना चाहते हैं या क्या वे प्रेस के माध्यम से यह अभियोजन चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, कम से कम सभी पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। कुछ भी छिपाया नहीं जाना चाहिए, इससे संदेह उत्पन्न होगा और आरोप लगेगा कि सरकार का कुछ अप्रत्यक्ष उद्देश्य है। मुझे आशा है, सभी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि श्री जसवंत सिंह जी भी मेरी इस मांग का समर्थन करेंगे।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : माननीय श्री वसन्त साठे द्वारा मुझे यह बताया गया है। और कतिपय दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया जो आज के समाचार पत्रों में छपे हैं। वास्तव में कतिपय दस्तावेज जिसे सदन में नियम 193 के अधीन एअर बस के मामले पर चर्चा के दौरान उद्धृत किया गया था, प्रधानमन्त्री के कार्यालय के सारांश से सम्बन्धित थे। मैं श्री वसन्त साठे की राय से सहमत हूं कि सदन में सभी सदस्यों ने यह मांग की थी कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज····(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रासंगकि और अप्रासंगिक···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री जसवन्त सिंह को अनुमति दी है।

श्री जसवन्त सिंह : मेरे विचार से विपक्ष को 'सब' और 'प्रासंगिक' पर इतना जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। और हम सभी प्रासंगिक पर विचार करेंगे 'अप्रासंगिक' पर नहीं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : इसमें दो या तीन पहलू हैं जिनको मैं माननीय श्री वसन्त साठे को स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रथम, अनुमति देने से इन्कार नहीं किया गया था। माननीय वसन्त साठे ने जोर देकर कहा है कि उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। अनुमति देने से इन्कार नहीं किया गया था।

श्री वसंत साठे : मैंने कहा था कि सर्वसम्मति ली गई थी कि न केवल एक दस्तावेज बल्कि सभी दस्तावेज रखे जाने चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : पहली बात यह कि अनुमति देने से इन्कार नहीं किया था। दूसरा, माननीय मन्त्री उस समय भी संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, लेकिन विपक्ष उस समय सहमत नहीं हुआ था। तीसरा विशेषतया संबंधित दस्तावेज जो आज के समाचार पत्रों में छपे हैं, उस दिन भी जब मैंने इसे उद्धृत किया था और उस दस्तावेज का उल्लेख किया तो विपक्ष ने प्रशंसा की थी कि मैंने केवल ठीक दस्तावेजों को उद्धृत किया है और वे दस्तावेज हमेशा मेरे ही कब्जे में रहे हैं। वास्तव में, माननीय मन्त्री ने भी स्पष्ट किया और कहा कि यह दस्तावेज एक ठीक दस्तावेज है। इसलिए मैं समझ नहीं पाया हूं कि अब विपक्ष आज के समाचारों में छपे उस विशेष दस्तावेज के बारे में क्या चाहती है···(व्यवधान)

अन्ततः मैं माननीय श्री वसन्त साठे से और विपक्ष से और उन सब लोगों से जो सरकार का समर्थन करते हैं, से सहमत हूं कि एअर बस से सम्बन्धित सभी दस्तावेज जो इस सौदे से सम्बन्धित हैं, सरकार के निर्णय के अनुसार सदन के सभापटल पर रखे जाएंगे···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलिकारा) : महोदय, चर्चा के दिन माननीय मन्त्री कुछ दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना चाहते थे। यद्यपि, श्री जसवन्त सिंह को आभारी होना चाहिए था माननीय श्री जसवन्त सिंह ने स्वयं कहा था कि सभा पटल पर सभी पत्र रखे जाने चाहिए। पीठासीन अधिकारी ने सदन की सर्वसम्मति से सभापटल पर चुने हुए दस्तावेज रखने से इन्कार किया था। सर्वसम्मति यह थी कि शुरू से लेकर अन्त तक सभी पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। चुने हुए पत्रों को रखने का कोई प्रश्न नहीं है और इस बात का निर्णय कौन करेगा कि क्या प्रासंगिक है और क्या अप्रासंगिक है? ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम आरम्भ से लेकर अन्त तक पूरी फाइल सभापटल पर रखना चाहते हैं। वे निश्चय नहीं कर सकते कि क्या प्रासंगिक है और क्या अप्रासंगिक। पूरी फाइल सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी···

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो दस्तावेज समाचार पत्र में छपे हैं। उनके बारे में हम नहीं जानते। यह सरकार के रिकार्ड का हिस्सा है। लेकिन सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रेस को लीक करने के सम्बन्ध में है और इसी कारण सदन में मुद्दे उठाये गए हैं और इसको खत्म करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई

गई है अब भारतीय जनता पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है। सरकार श्री जसवन्त सिंह का उपयोग कर रही है···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह सदन के सदस्य हैं····

(**व्यवधान**)

श्री जर्नादन पुजारी : जी, हां। महोदय, मैं सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहा हूं। दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए सरकार श्री जसवन्त सिंह का इस्तेमाल कर रही है न केवल यही वे इन दस्तावेजों को लीक करने के लिए कुछ समाचार पत्रों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। न्याय के हित में सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने चाहिए। यह सरकार दस्तावेजों को लीक करने वाली सरकार बन गई है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री जर्नादन पुजारी : आपको इस सरकार को गलत काम करने से रोकना होगा।

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अब तक जितने भी कागजात सदन के पटल पर रखे जाते हैं, वे अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाते हैं। यह पहली बार बहस खड़ी नहीं हुई है। मुझे स्मरण है कि एक बार बोफोर्स के संदर्भ में भी, आल पेपरस का क्या अर्थ है, इस बारे में विवाद खड़ा हो गया था। मैं चाहूंगा कि इस बार जो भी निर्णय हो वह आगे के लिए एक परम्परा

[**अनुवाद**]

बन जाए। यहां से मांग हुई है कि एअर बस ए-320 के सौदे से सम्बन्धित सभी पत्र सभा पटल पर रखे जाने चाहिए।

[**हिन्दी**]

अब आल शब्द है, उसका अर्थ है छोटे से छोटा कागज भी जिसमें ए-320 का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो उसका कोई रेलिवेंस हमारी डिबेट हो या नहीं हो वह रखना चाहिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं।

[**अनुवाद**]

आप मुद्दे न उठाइए बल्कि यह देखिए कि ऐसा निर्णय लिया जाए जो भविष्य के लिए एक परम्परा बन जाए।

[**हिन्दी**]

मेरा निवेदन है कि सरकार को एक तरफ यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि सलेक्टिव यहां पर ही रखे जिससे हम मिस लीड हो सकें। दूसरी तरफ सरकार को आल शब्द के द्वारा यह भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि यहां पर पूरे के पूरे पुलिन्दे लाकर रखे जिसको हम पढ़ भी न सकें। मैं आपसे निवेदन करूंगा मोटे तौर पर यहां सदन में ठीक प्रकार से बहस हो और सदन को किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं किया जा सके। इस दृष्टि से जितने भी कागजात आप उपयोगी समझें, आप एक्जामिन करके फिर, वह सारे कागजात जो हमारी बहस के लिए जरूरी हैं वह यहां सदन में रखवाएं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, अगर आप उस दिन की कार्यवाही को देखें तो आप पाएंगें कि जब मैं बोला था और मैंने श्री जसवन्त सिंह का हवाला दिया था तो एक विवाद खड़ा हो गया था मैंने कहा था और मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि ऐसा केवल पहली बार ही नहीं हुआ है। यह सरकार कुछ लोगों को खुश करके कुछ तथ्यों के साथ जैसे तारीखों, शब्दों, वाक्यों को लेकर चर्चाएं शुरू की जाती है और ऐसा ढोंग रचाया जाता है कि उनमें से कुछ लोग सरकार से यह मांग करेंगे और फिर सरकार यह कहेगी "यह दस्तावेज है।" हम इस तरह की चालों के प्रति सचेत हैं। यह चाल जनता पार्टी ने 1977 और 1979 के दौरान चली थी और मैं समझता हूं कि श्री आरिफ मोहम्मद खान, जो केवल एक माननीय मन्त्री ही नहीं हैं बल्कि एक आदरणीय व्यक्ति भी हैं, ऐसा कार्य नहीं करेंगे।

महोदय, उस दिन मैंने उन्हें चुनौती दी और मैंने कहा, 'आप यह चाल कर रहे हैं, हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे, हम आपको केवल एक या दो दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देंगे।' महोदय, मैंने भी और एक सदस्य, मेरे विचार से श्री आडवाणी ने बोफोर्स दस्तावेजों का जिक्र किया था। जो कुछ हुआ हम उसे याद करते हैं। बोफोर्स के मामले में भी उसी प्रकार का विवाद उठा था और मैं पूर्ण रूप से माननीय सदस्य श्री आडवाणी की बात का समर्थन करता हूं कि बोफोर्स में भी सभी पत्रों के लिए मांग की गयी थी, जवाब भी सभी पत्रों के मांगे गए थे, परन्तु अन्त में केवल दो दस्तावेज ही सामने आए। इसे रोका जाना चाहिए। यह संसद को धोखा देना है। दो समाचार-पत्रों अथवा तीन समाचार-पत्रों को चुन कर उनमें दस्तावेज प्रस्तुत करके संसद का उपहास किया जा रहा है जिन्हें संसद के पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए था। अतः हम अब जो कुछ पूछना चाहते हैं वह यही है। सभी दस्तावेजों से तात्पर्य सभी दस्तावेजों से है, निश्चय ही एक दस्तावेज का मतलब सभी दस्तावेज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री लोढा ने उस दिन हमारी बात का पूरी तरह समर्थन किया था और कहा था कि सभी दस्तावेज सदन के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। महोदय, अब सदन की यही मांग है। वे इसे उस दिन नहीं कर सके। श्री आरिफ मोहम्मद खां आप इस कार्य को करने में असफल रहे हैं। जब आप उस दिन सभापति, डा० तम्बि दुरै को इस बात, जिसे आप पहले प्रस्तुत करना चाहते थे, के लिए सहमत नहीं कर सके। तो आपने जो कुछ किया वह एक विश्वासघाती चाल है, आपने इस बात को दो समाचार पत्रों को बताया। अतः सभी दस्तावेजों को सदन के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सदन इस बात का निर्णय करेगा कि क्या संगत है और क्या संगत नहीं है। हम किसी को यह निर्णय करने की अनुमति नहीं देंगे कि क्या संगत है। सभी दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, एक विशेष दिन, एक विशेष समाचार-पत्र में भी प्रकाशित हुआ अथवा नहीं हुआ, उसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ भी प्रकाशित हो सकता है और कुछ प्रकाशित नहीं हो सकता। विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि सभी दस्तावेजों को सदन के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और मेरे विचार से यही बात श्री जसवन्त सिंह ने भी पहले ही दिन से कही है। किसी भी मामले में क्या संगत है अथवा संगत नहीं है, यह निर्णय करना पूर्ण रूप से आपका विशेषाधिकार है। यह आप पर छोड़ा जाता है और मुझे आशा है कि उस पर प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। मुझे याद है इस सदन में श्री तुलमोहन राम, जो इस सदन के सदस्य थे, का मामला उठा था और इस सदन का सदस्य होने के नाते उनके खिलाफ दुर्व्यवहार के अनेक

प्रकार के आरोप लगाए गए थे और उस मामले से सम्बन्धित दस्तावेजों के सम्बन्ध में उस मौके पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अन्त में जो प्रक्रिया अपनायी गई वह एकदम भिन्न थी सभी दस्तावेज दलों के नेताओं को उपलब्ध करा दिए गए थे, वे दूसरे कक्ष में रखे गए थे और सदस्यों को यहां जाने, उन्हें पढ़ने, मशविरा करने और बोलने की आजादी थी। वह एक अलग तरीका था जिसे अपनाया गया। वे दस्तावेज यहां सदन के पटल पर नहीं रखे गए थे।

दूसरे, हमेशा कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिन्हें पटल पर रखना संभव नहीं हो सकता। मैंने एक पत्रिका में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया गया था कि इस एअर-बस सौदे के सम्बन्ध में श्री राजीव गांधी और तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात अथवा बातचीत हुई थी। उस समय इस प्रस्तावित सौदे के बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमन्त्री ने विचारों का कुछ आदान प्रदान किया था। मैं नही जानता कि रिकार्ड में यदि ऐसा कोई दस्तावेज है जिसका सम्बन्ध दो देशों के अध्यक्षों के बीच बातचीत से है, यह निर्णय करना आपके ऊपर है कि क्या उसे भी सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

इसलिए, हम सभी इस बात के इच्छुक हैं कि इस मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए और उसके लिए उससे सम्बन्धित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने चाहिए और यह निर्णय, कि क्या संगत है और क्या नहीं और क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, आप पर है। ये सब बातें पहले से पता चलने की बात वे भ्रमित करने और ध्यान दूसरी ओर बदलने के लिए उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम पत्र के कारण विपक्ष की तकलीफ और बेचैनी को हम समझ सकते हैं, दो समाचार पत्रों में जो पत्र छपा है उससे उनके द्वारा किया गया दावा समाप्त हो जाता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमने श्री चिदम्बरम की बात सुन ली है। हमें श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनने दीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने श्री चिदम्बरम की बात सुन ली है। अब आप श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उनकी तकलीफ को बिल्कुल समझते हैं। हमारा सम्बन्ध संगत दस्तावेजों से है।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उसका निर्णय कौन करेगा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। यह उनके द्वारा निश्चित नहीं किया जाता कि क्या उससे सम्बन्धित है क्या नहीं। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए यह जान बूझकर किया गया एक प्रयास है क्योंकि यदि दस्तावेज होंगे तो वे दोषमुक्त हो जाएंगे। वे यही बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि केवल सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच करनी होगी। (**व्यवधान**) आप इस सदन के और सदन के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं। अब यह दावा करके कि सभी दस्तावेज इस सदन में पेश किए जाने चाहिए, वे एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं कर सकते जिसके द्वारा अध्यक्ष की शक्ति कम की जा सके।

उस समय क्या हुआ जब ठक्कर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ? उनकी इच्छाओं के बावजूद यह प्रकाशित हुई और उन्हें अन्ततः इसे पेश करना पड़ा । और यह प्रश्न उठा कि क्या अनुबंध रिपोर्ट के अंश थे । आखिर में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि अनुबंध रिपोर्ट के अंश नहीं थे क्योंकि यह कहा गया था कि केवल सम्बन्धित भाग अर्थात रिपोर्ट, न कि अनुबंध, सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी । वह माननीय अध्यक्ष द्वारा तय किया गया था । उन्होंने उस समय हमारी मांग को नहीं सुना ।

इसलिए, केवल आप ही सभी दस्तावेजों के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि इससे संबंधित कौन से दस्तावेज हैं । वे मामले को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं । सभी दस्तावेजों का हवाला देकर, बिना यह बताये कि दस्तावेज क्या हैं, असली मुद्दे को बदलने नहीं देना चाहिए ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कोई और विवाद खड़ा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है । माननीय सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कुछ कहा है मैं उनकी उस बात से सहमत हूं कि समय आ गया है जब आपको निर्णय लेना है कि किस प्रकार सभी दस्तावेजों को सदन के पटल पर पेश करना है । सामान्य मामले में, एक बार मामला जांच के लिए और, यदि आवश्यक हुआ, मुकदमे के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए तो यह आशा की जाती थी कि वे रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके बाद रिपोर्ट को न्यायालय में ले जाया जाएगा यदि आखिर में एक मुकदमा दायर किया जाएगा । व्यक्तिगत दस्तावेजों को प्रकाशित करना केवल एक कमजोर मामले का संकेत है जिससे जनता में उस वास्तविकता से अलग एक धारणा पैदा हो जाती है । परन्तु मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा । मेरी मुख्य बात यह है कि जब कोई सदन के पटल पर दस्तावेजों के प्रस्तुत करने की बात करता है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार के दस्तावेजों की अनेक फाइलें होनी चाहिए । परन्तु मैं नहीं जानता कि आप फाइल से उन दस्तावेजों को अलग करने की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे । यदि आप उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो निश्चय ही कोई भी सदस्य अध्यक्ष महोदय की निष्पक्षता का कोई विरोध अथवा उससे आशंकित नहीं हो सकता । परन्तु यदि आप उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते तो···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह उनकी जिम्मेदारी है । (**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : मैं जानता हूं कि इस सदन में आपके अनेक समर्थक हैं । हम भी आपके समर्थक हैं और यदि आप इसे करना चाहते हैं, यदि आप सभी दस्तावेजों को पढ़ने के लिए समय तय कर सकते हैं तो किसी दूसरे तरीके की तुलना में हम तथ्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु मैं कह रहा हूं कि यदि आप उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना नहीं चाहते तो दो उदाहरण दिए गए थे । एक यह है कि दस्तावेजों को नेताओं अथवा सदस्यों की समीक्षा के लिए पेश किया जाए । दूसरा यह है कि उन सभी को सदन के पटल पर रखा जाए । अब मेरा विचार है कि असली निर्णय लिया जाना है क्योंकि दस्तावेजों के संगत होने का प्रश्न इस प्रकार से तय नहीं किया जा सकता । सरकार किसी चीज को संगत सोच सकती है । आप नहीं सोच सकते कि वह स्वयं में संगत है । मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक अभी कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया था जिसके अन्तर्गत भारत के प्रधानमन्त्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच हुई कुछ बातचीत थी । मेरे विचार से यह सम्बन्धित दस्तावेज हो सकता है । इसे निश्चित रूप से सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए क्योंकि तब यह इस बात का संकेत देगा कि हमारे पास छिपाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी दोनों, तकनीकी और सर्वोच्च राजनैतिक स्तर पर चर्चा की गई थी । यह ऐसा नहीं

है जिसे निरस्त किया जा सके। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि किसी की इच्छानुसार दस्तावेजों को चयनित स्थान पर पेश करने से सदन सन्तुष्ट नहीं होगा। यह सभी सदस्यों को देखने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब आप कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं वह एक अलग मामला है। परन्तु जनता को इस संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए, सदन में उसका हवाला देने का अवसर मिलना चाहिए ताकि कोई भी बात मामले में छिपी न रहे। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह स्वीकार्य बात है कि न तो सरकार को और ना ही विपक्ष को इसकी सम्बद्धता का निर्णय करना चाहिए। इसका निर्णय आपको ही करना है।

श्री वसंत साठे : मुझे एक सुझाव देना है। आखिरकार, श्री तुलमोहन राम के मामले में और दूसरे मामलों के विपरीत, इस मामले में आरोप स्पष्ट रूप से हमारे दल के नेता के खिलाफ है जब हम सरकार में थे। वही आरोप है। अतः हम ही मुख्य रूप से इससे जुड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कहना चाहते हैं ?

श्री वसन्त साठे : मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि जब ये दस्तावेज आपको उपलब्ध करा‍ए जाते हैं, यदि हमें उन्हें देखने का अवसर मिल जाए तो हमारा प्रतिनिधि उनकी जांच करने में और यह निश्चित करने में कि कौन से दस्तावेजों को हम सम्बद्ध समझते हैं, आपकी सहायता कर सकेगा। इससे आपको सहायता मिलेगी क्योंकि अन्यथा जो होगा वह यह है कि मान लीजिए आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सभी दस्तावेजों की जांच करना संभव नहीं है और इसलिये आप कार्यालय में से किसी की सहायता लेंगे। इसलिए, मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो भी प्रक्रिया तय करें, हमारे प्रतिनिधि को उन दस्तावेजों की जांच का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी जांच की अनुमति दी जाए। परन्तु हमें इन दस्तावेजों की जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला पहले ही समाप्त हो गया था। जब इस पर चर्चा हो रही थी तब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और यह प्रश्न उठाया गया था। सभी पक्षों की बात सुनकर एक विनिर्णय दिया गया था। महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह चर्चा, जिसे हम अब कर रहे हैं, अनावश्यक है क्योंकि यह मामला समाप्त हो गया था। (**व्यवधान**) माननीय मंत्री महोदय किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इन्कार नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा वह यह था कि दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास हैं। उन्होंने कहा था : "यदि सदन चाहता है तो मैं सभी दस्तावेजों को सदन के सामने पेश करने के लिए तैयार हूं।" माननीय सदस्य अब जिसकी मांग करते, मैं उसे सुनकर आश्चर्यचकित हूं.... (**व्यवधान**) जब मन्त्री महोदय सभी दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार हैं तो उनके विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। हम स्वयं पोप से अधिक सच्चे नहीं हो सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री गुमान मल लोढा : यदि ये पेश करना चाहते हैं, यदि उन्हें कोई एतराज नहीं है तो वे एक जीरोक्स प्रतिलिपि पेश कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी पेपर विशेष से कोई आपत्ति है तो जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय इसे देख सकते हैं और मामले को तय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें माननीय मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अम्बारासु जी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अब हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

(**व्यवधान**)

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : महोदय आपकी अनुमति से मैं चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य दो या तीन मिनट तक मेरी बात में हस्तक्षेप न करें जब इस पर चर्चा हुई थी तो श्री बसन्त साठे ने उस दिन कुछ कहा था यदि उन्होंने इसकी विषय वस्तु को पढ़ा हो तो मैंने उन मुद्दों का जो माननीय सदस्यों ने उठाए हैं जो उत्तर दिया था उनसे मुझे विश्वास है कि उनके लिए आज सदन में पुनः यह मांग करना जरूरी नहीं होता। मैंने इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया है, उन्होंने उनसे अंश उद्धृत किए हैं, मैंने कहा था कि मेरे पास दस्तावेज नहीं हैं, वे नागर विमानन मंत्रालय के पास नहीं हैं। सरकार ने कुछ अनियमितताओं और प्रक्रिया के उल्लंघनों को देखने के बाद ही उन घटनाओं पर ध्यान दिया था जो अखबारों में छपी थी। उसके तुरन्त बाद हमने मामले को जांच एजेंसियों को सौंप दिया था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से भी सूचना एकत्रित की है। हमने मामले को उन्हें सौंप दिया है। उन्होंने अनेक दूसरे स्रोतों से भी सूचना एकत्रित की है। मैंने कहा है कि चूंकि कुछ माननीय सदस्यों ने उन दस्तावेजों से हवाला दिया है, मैंने इसे अध्यक्षपीठ के निर्णय पर छोड़ दिया था—यदि माननीय अध्यक्ष निर्देश देते हैं तो मैं निश्चित रूप से उसका अनुपालन करूंगा और उन दस्तावेजों को प्राप्त करने और उन्हें सदन के पटल पर पेश करने का प्रयास करूंगा।

मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। सभी दस्तावेजों के सभापटल पर रखने के लिए अधिक जोर दिया जा रहा है। मैं सम्मानित सदन में स्वीकार करता हूं—यदि आप मुझे निर्देश देते हैं तो मैं उसका अनुपालन करूंगा। मैं उनकी बात सुनना चाहूंगा। मुझे एक मिनट का समय दीजिए। कृपया मुझे गलत न समझिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : किसी ने भी आपकी बात में बाधा नहीं डाली है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कुछ ऐसी बात कहने वाला हूं जिस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

मैं जो बात कह रहा हूं, वह यह है कि महोदय, मैं अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा हूं। महोदय, मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूं। और सह असफलता एवं असमर्थता यह है कि यदि आप मुझे सभी दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने का निर्देश देते हैं तो भी मैं इस स्थिति में नहीं हूं क्योंकि···· (**व्यवधान**) मैं उसी बात पर आ रहा हूं। (**व्यवधान**) ठीक है, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। क्योंकि इस सौदे के सम्बन्ध में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फाईल मंत्रालय से गायब है।

(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : चूंकि वे मुझे बीच में बोलने की अनुमति दे रहे हैं तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूं··· (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्री चिदम्बरम मेरे काफी अच्छे और पुराने मित्र हैं। इसलिए मैं उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : जिन दयनीय परिस्थितियों में श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या मैं उन्हें सुझाव दे सकता हूं कि वे गायब फाईल को बरामद करने के लिए माननीय श्री जसवन्त सिंह की सेवाएं प्राप्त करें? **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने श्री चिदम्बरम को अपनी बात करने की अनुमति दी थी। **(व्यवधान)** कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने श्री चिदम्बरम को बीच में बोलने की अनुमति दी थी **(व्यवधान)** मैं कहना हूं कि केवल जसवन्त सिंह की क्यों? इस फाइल को प्राप्त करने के लिए मैं अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क करता रहा हूं। और मैं श्री चिदम्बरम की सहायता लेने को भी तैयार हूं। **(व्यवधान)** मैं श्री एम० जे० अकबर को अपनी बात कहने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सभी तर्क-वितर्कों को सुनने का धैर्य होना चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : श्री आरिफ मोहम्मद खान को आज इस सदन में एक उच्च सम्मान दिया गया है। अब उन्हें पोप कहा गया है। मुझे यकीन है कि इस हस्तक्षेप के बाद पोप की ख्याति पर गम्भीर आक्षेप लगने की सम्भावना है। जहां तक गायब फाइल का सम्बन्ध है, हम शेष फाइलों को सदन में पेश करने का स्वागत करेंगे। **(व्यवधान)** हम गायब फाइल की संबद्धता पर चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मेरी केवल एक ही समस्या है, मैंने पहले दिन भी कहा है, मैं केवल सूचना दे सकता हूं परन्तु मैं कोई वचन नहीं दे सकता।

श्री वसंत साठे : मेरे विचार से मामला अधिक गम्भीर होता जा रहा है। उस दिन जब हमने चर्चा की थी तो मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी नहीं कहा था कि ऐसी कोई फाइल गायब थी। परन्तु क्या आज आपने इसे देखा है? चर्चा के बाद फाइल गायब है। यदि फाइलें इस गति से गायब होंगी तो मैं नहीं जानता कि हम कहां जाकर रुकेंगे। क्योंकि अब फाईलें उनके कब्जे में भी नहीं हैं जैसा कि उन्होंने अभी कहा था। वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास हैं। क्या ये फाईलें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भी नहीं हैं? यह क्या हो रहा है? अतः इसके बारे में हमें अवश्य पता लगना चाहिए क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है। तब कल आपके सामने क्या पेश किया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह बताएं कि यह मिसिंग कब से है?

श्री वसंत साठे : यह भी बतायें कि कब ध्यान में आया कि यह मिसिंग है? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने पहले ही कहा है, मुझे श्री वसंत साठे के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। मुझे उस पर गर्व है। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। वे मेरे से

वरिष्ठ हैं। मुझे आशा है कि वे मुझ पर इस बात के लिए भरोसा करेंगे कि मैं उन्हें गुमराह नहीं करूंगा।

मैंने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पहले ही प्रथम आसूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जब कोई मामला न्याय निर्णयाधीन है···(व्यवधान)····कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात रोककर आपको बोलने की अनुमति दे दूं तो मैं तैयार हूं; परन्तु मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सरकार में एक मंत्री होने के नाते मैं दूसरी बातों के लिए भी उत्तरदायी हूं। परन्तु जब पूरी तरह से गड़बड़ी हो तो उसके सुधार में समय लगता है। उन्हें फिर से ठीक करने में समय लगता है।

हम अभी यह बात नहीं भूले हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक विशिष्ट राष्ट्रीय चैम्पियन, वह भी एक महिला के घर छापा मारा था तो उसकी निजी डायरी की विषय-वस्तु को समाचार-पत्रों को उपलब्ध करा दिया था। उनकी यही परम्परा रही है···(व्यवधान)···यह इससे सम्बद्ध है क्योंकि आपने मेरे खिलाफ आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

नहीं, मैं उनकी बात सुनने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनने के लिए उन्हें बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं। माननीय सदस्य श्री चिदम्बरम की देखरेख में राष्ट्रीय चैम्पियन की निजी डायरी के लेखों को उजागर कर दिया गया था।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : यह किस प्रकार उससे सम्बद्ध है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यह सम्बद्ध है। निःसन्देह यह सम्बद्ध है। मैं इस बात को इस लिए कह रहा हूं क्योंकि श्री साठे ने कहा है कि यह 'लीक' करने वाली सरकार है। यह 'लीक' करने वाली सरकार नहीं है। हां, यह एक खुली सरकार है। परन्तु श्री चिदम्बरम की देखरेख में इस संगठन में कुछ छेद कर दिए गए थे और हम उन्हें बन्द करने का प्रयास कर रहे हैं। हां, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यह एक खुली सरकार है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस सम्मानित सदन में कह चुका हूं कि मैं इसे आपके विनिर्णय पर छोड़ता हूं। आप जो भी निर्देश मुझे देंगे मैं उसका पालन करूंगा। जिन पत्रों का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है और जिनसे उन्होंने उद्धृत किया है, मैंने उनके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं किया था। जैसा श्री चिदम्बरम ने आरोप लगाया है, मैंने कोई भी पत्र सभा पटल पर रखने का प्रयत्न नहीं किया था। मैंने केवल अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखा था। चूंकि माननीय सदस्यगण कुछ दस्तावेजों का उल्लेख कर रहे थे और उनसे उद्धरण दे रहे थे, मैंने सभा में कहा था कि "वे दस्तावेज मेरे पास नहीं हैं; वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास हैं। यदि अध्यक्षपीठ आदेश देते हैं, अध्यक्ष महोदय आदेश देते हैं तो मैं निश्चय ही इन पत्रों को सभा पटल पर रखूंगा।" अभी भी मैं यही कहता हूं कि मैं यह आप के स्वनिर्णय पर छोड़ देता हूं। महोदय आप जो भी आदेश मुझे देंगे, मैं उसका पालन करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सरकार के नोटिस में यह कब आया कि फाइल मिस हो गयी है ?

आप इनके ऊपर फाइल गायब करने का केस चलवाइये। इस मामले में आप फाइल चोरी होने का केस रजिस्टर करवाइए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं इसको स्पष्ट करता हूं। (**व्यवधान**) पहले मैं श्री खुराना की बात का उत्तर दूंगा फिर मैं औरों की बात का उत्तर दूंगा।

ज्यों ही हमने अनियमितताएं और प्रक्रिया संबंधी उल्लंघनों को नोट किया, हमने मन्त्रालय में उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री अथवा जो भी फाइलें उपलब्ध थीं, एकत्र कीं। तब हमें पता चला कि एक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक फाइल मन्त्रालय के रिकार्डों में से गायब है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चिदम्बरम बोलेंगे क्योंकि इनका नाम लिया गया है।

(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मन्त्री महोदय, श्री आरिफ मोहम्मद खान ने सदा की भांति मेरा उल्लेख अत्यन्त उदारता के साथ किया है। मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने अपनी इस उदारता में मेरे ही ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया है। महोदय, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि वास्तविकता यह थी कि हमने कभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे किसी भी पूछताछ के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिए। आप कितना भी चिल्ला लें, मुझे उनकी बात का उत्तर देना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री पी० चिदम्बरम : यह सत्य है और मैं यह स्वीकार करता हूं—मैं आशा करता हूं कि श्री आरिफ मोहम्मद खान भी आज इसे स्वीकार करेंगे। मुझमें यह स्वीकार करने का साहस है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पूछताछ के दौरान,—मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में दिल्ली स्थित दो समाचार पत्रों ने एक दस्तावेज जिसे 'केस डायरी' के रूप में पकड़ा गया था, के कुछ अंशों का गुप्त रूप से पता लगाया था। यदि श्री आरिफ मोहम्मद खान उस मामले के रिकार्ड देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उस मामले में जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध मैंने स्वयं तुरन्त कार्रवाई की थी। इसके अतिरिक्त, 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' और 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' ने इस काम के लिए अपने ही पत्रकारों के इस कार्य की सम्पादकीय में निन्दा की थी। ऐसा कह कर उन्होंने अप्रत्यक्ष में स्वीकार किया है कि सरकार के किसी आदमी ने इस बात की सूचना समाचार पत्रों में दी है जो आज प्रकाशित हुई है। क्या अब वह उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकाधिकारियों ने यह बातें दो समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाई हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : हम किसी को भी सरकार के ही नहीं अपितु शालीनता की प्रक्रिया और मानदंडों का उल्लंघन करने नहीं देंगे।

श्री एम० एम० पल्लम राजू (काकीनाडा) : महोदय, मैं इस मामले के संबंध में नहीं बोलूंगा। मैं एक अलग मामले के सम्बन्ध में बोलने जा रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, इस मुद्दे पर आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, आडवाणी जी।

[हिन्दी]

कोई नोटिस नहीं है। कोई हो तो मैं एलाऊ कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रश्न यह है कि सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने चाहिए। इन सभी बातों का क्या मतलब है ? इसका अर्थ यह है कि सभी सम्बद्ध दस्तावेजों की जांच की जानी है। सम्बद्धता का निर्णय आपने लेना है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यदि कोई सूचना है तो, मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : चर्चा के दिन हम चाहते थे कि पूरी फाइल सभा पटल पर रखी जाए। तब उन्होंने फाइल गुम होने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था। (व्यवधान) जब उस दिन हमने इस पर व्यापक चर्चा की थी तो सभी सदस्यों ने मांग की थी कि पूरी फाइल सभा पटल पर रखी जाए। मन्त्री जी ने उस समय खोई हुई फाइल गुम होने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए। जब आप नोटिस देंगे तब मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री एम० जे० अकबर : मेरा एक संगत मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, एयरबस की जांच दुर्घटना के पश्चात आरम्भ हुई थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दें, मैं उस पर अपनी रूलिंग दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों ने अपनी बात कह दी है। श्री अकबर आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री पल्लम राजू का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री लोकनाथ चौधरी। श्री खुराना,

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : आपने कहा कि कोई मोशन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मोशन नहीं है। नोटिस नहीं है।

श्री मदनलाल खुराना : मेरा निवेदन यह है कि कन्सेंस है, आडवाणी जी ने कहा, चटर्जी जी ने कहा और उन्होंने कहा, आप अपना आदेश दीजिए कि जो रिलेवेंट पेपर्स हैं, उनको रखा जाए। कन्सेंस बन रहा है। आप आदेश दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जब नोटिस देंगे, मैं तय करूंगा, तो आदेश दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई नोटिस नहीं है। कोई चीज नहीं है।

श्री वसंत साठे : नोटिस का क्या सवाल है ?··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री वसंत साठे : हमने अपनी बात कह दी है और अब हम आपका विनिर्णय चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचूंगा, तो उसके बाद दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पल्लम राजू : श्री लोकनाथ चौधरी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगें ?

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अब यह विषय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब श्री पल्लम राजू बोलेंगे।

———

श्री एम० एम० पल्लम राजू (काकीनाडा) : प्रधान मंत्री, श्री वी० पी० सिंह विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करने हाल ही में विशाखापत्तनम गए थे। यह न केवल देश के लिए अपितु राज्य के लिए भी अत्यन्त खुशी का और महत्वपूर्ण अवसर था। यह दुर्भाग्य की बात है

कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे मुख्य मंत्री डा० चेन्ना रेड्डी का अपमान किया गया क्योंकि निमन्त्रण-पत्र में उनका नाम नहीं था।

इसके अतिरिक्त, मेरे विचार से यह भी खेदजनक है कि दो स्थानीय सांसदों के अतिरिक्त राज्य के किसी भी संसद सदस्य को इस समारोह का निमंत्रण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रधान मंत्री अपना पद ग्रहण करने के पश्चात हमारे राज्य में पहली बार आ रहे थे और हममें से बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित होना चाहते थे। हममें से कुछ लोग प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए विशाखापत्तनम भी गए। किंतु हम उस समारोह में भाग नहीं ले सके क्योंकि हमें कोई निमन्त्रण नहीं दिया गया था। मैं चाहता हूं कि सम्बद्ध मंत्रालय 'प्रोटोकोल' (नयाचार) की इस गम्भीर चूक की ओर ध्यान दें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार घटराएं पुनः न दोहराई जाएं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० लोकनाथ जी, मैंने कहा कि आप बैठिए। मैं बुलाऊंगा। आप मेहरबानी कर के बैठिये। श्री चोक्का राव।

श्री जे० चोक्का राव (करीमनगर) : आंध्र प्रदेश में सपोर्ट प्राईस से 40 रुपये कम में किसानों के धान की खरीद कर के किसानों को लूटा जा रहा है। वहां के ट्रेडर और अफसर मिल कर के यह कर रहे हैं। फूड कारपोरेशन की तरफ से कुछ सेंटर खुले हैं। हजारों किसानों का लाखों टन धान सपोर्ट प्राईस से 40 रुपये कम में बिक रहा है और किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। वहां मैंने कालिंग अटेंशन भी दिया था जिसको कि आपने मंजूर नहीं किया। अब मुझे आपने मौका दिया है। मैंने फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है। वह भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों को इससे काफी नुकसान हो रहा है। किसानों को इस नुकसान से बचाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जनार्दन पुजारी बोलेंगे। क्या आप चक्रवातों के सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : जी, हां। मैंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण सूचना दी है। बताया गया है कि हवा की गति बहुत तेज है और इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जनता के जान व माल की गंभीर क्षति होगी। सरकार ने अभी ऐसे उपाय नहीं किए हैं जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को इस विनाश से बचाया जा सके। क्या मैं सरकार से चक्रवातों के सम्बन्ध में ताजा स्थिति के बारे में पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती उमा गजपति राजू।

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बहुत से मामलों की ओर दिलाना चाहती हूं। हम इस सदन में बहुत से मुद्दे उठाते हैं··· (व्यवधान) अनेक बार, हमने सदन का ध्यान हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की ओर दिलाया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री पुजारी द्वारा चक्रवात के सम्बन्ध में उठाये गये मुद्दे तक सीमित रहेंगी ?

(**व्यवधान**)

श्रीमती उमा गजपति राजू : जी, नहीं, महोदय मैं फतेहपुर में हुई घटनाओं के बारे में मुद्दा उठाना चाहती हूं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फतेहपुर का कल हो चुका है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : सरकार हमें यह क्यों नही बता सकती कि वह क्या करने जा रही है और वे समस्या का कैसे समाधान करेंगे ? हमें प्रधानमंत्री या सम्बन्धित मन्त्री से कोई वक्तव्य नहीं मिला है। हम सरकार के व्यवहार से बिलकुल भी संतुष्ट नहीं हैं। सरकार कोई वक्तव्य नहीं देती। हमारे विरोधों पर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मंगलम, आप चक्रवात के मामले को उठाना चाहते हैं ? आपने इस मुद्दे पर एक नोटिस दिया है।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : महोदय, मेरे विचार से इस समय मेरे राज्य में हवा की रफ्तार 100 कि०मी० से ऊपर पहुंच गई है और तमिलनाडु में किसी भी समय तूफान आ सकता है। यद्यपि तूफान की चेतावनी देने वाले झन्डे लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मछुआरों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किये गये हैं। सिविल अधिकारियों ने अभी तक सुरक्षात्मक उपाय शुरू नहीं किए हैं जबकि वे जानते हैं कि 48 घंटों के भीतर ही इस क्षेत्र में तूफान आ जायेगा। अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। हालांकि तमिलनाडु में तूफान आने वाला है, दुर्भाग्य से कल माननीय मंत्री श्री गुरुपादस्वामी ने सदन में एक दूसरा तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने अचानक घोषणा कर दी थी कि एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में वह आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम, जो श्रमिक वर्ग के दमन के लिए बहुत कठोर कानून को लागू करने जा रहे हैं। मैंने सदैव यह कहा है (**व्यवधान**) जब मैं कांग्रेस (आई)

1.00 म० प०

के सदस्य के रूप में सत्ता दल में था, तब भी मैंने आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम के सम्बन्ध में यही राय व्यक्त की थी मुझे हैरानी है कि सरकार को सशर्त समर्थन वाले राजनैतिक दल भी इस विषय में चुप हैं। आपको माननीय मन्त्री को यह अवश्य बताना चाहिए क्योंकि वह आप लोगों के कारण ही मंत्री है। उन्होंने अपने ही निदेशों का उल्लंघन किया है। मैं सदन को और वामपंथी दलों तथा भारतीय जनता पार्टी तथा सत्तारूढ दल के सदस्यों को भी यही कहना चाहता हूं—मुझे विश्वास है कि वे भी मेरी बात से सहमत होंगे कि वे सब मिलकर माननीय मन्त्री से कहें कि भगवान के लिए आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम का प्रयोग न करें क्योंकि यदि वे इस अधिनियम का इस्तेमाल करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम आवश्यक सेवा बनाये रखने का अधिनियम, 1981 के प्रावधानों को लागू करके तेल उद्योग में अधिकारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय से बड़े चिंतित हैं। यह कांग्रेस सरकार द्वारा अपने शासनकाल में बनाये गये कठोर उपायों में से एक है और हमने उसका पूरी तरह से विरोध किया था। इसे केवल श्रमिक वर्ग के अधिकारों का हनन करने के लिए और उन सभी स्थानों पर हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था जहां इस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की जायेगी। तेल उद्योग में अधिकारियों द्वारा हड़ताल पर जाने का निर्णय लेने की वांछनीयता के बारे में अलग राय हो सकती है। आज सुबह मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें मुझे यह बताया गया है कि यह कम से कम कलकत्ता में पूरी तरह से सफल नहीं रही है लेकिन फिर भी हम ऐसे काले कानून और इस देश के श्रमिक वर्ग के विरुद्ध ऐसे कठोर कानून का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं।

इस देश के श्रमिक वर्ग ने आपको समर्थन दिया है और उसे आपसे काफी आशाएं हैं। कम से कम इस सरकार को इस प्रकार के कठोर, लोकतन्त्र विरोधी, जन विरोधी, श्रमिक वर्ग विरोधी कानून को लागू नहीं करना चाहिए। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना को यथाशीघ्र वापस ले लेना चाहिए। केवल यही नहीं बल्कि उन्हें स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए कि वे आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य काले कानूनों को रद्द करने के उपाय करेंगे।

हम सरकार से भी बातचीत जारी रखने का अनुरोध करते हैं और तेल उद्योग में अधिकारियों से भी सरकार के साथ बातचीत करने और अपने मुद्दों और समस्याओं को आमने सामने बैठकर सुलझाने का अनुरोध करते हैं। एक बार फिर मैं सरकार से और यहां उपस्थित माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस अधिनियम को लागू न करें और इस प्रकार की प्रक्रिया न अपनाएं क्योंकि यह इस देश के आम व्यक्ति के साथ युद्ध के घोषणा करने से कम नहीं है। कृपया इस अधिसूचना को वापिस लीजिए। यही मेरा अनुरोध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि इस विषय पर सरकार के दो मत है। श्रम मंत्रालय ने, जो मेरे विचार से नियोजकों और कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अधिनियम जिसकी अवधि इस वर्ष 30 सितम्बर को समाप्त होनी जा रही है, को जारी रखने का कड़ा विरोध किया है। श्रम मन्त्री ने यह स्पष्ट किया है कि वे इस अधिनियम को एक बहुत ही खतरनाक हथियारों में से एक मानते हैं जिसे तत्कालीन सत्ताधारी दल द्वारा, जो अब विपक्ष में है, श्रम विरोधी कानूनों में शामिल किया गया था। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अधिसूचना द्वारा श्रमिक वर्ग को गलत संकेत न भेजें। हम सब इस अधिनियम को वापिस लिए जाने का इन्तजार कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसे 30 सितम्बर के बाद जारी नहीं रखा जाएगा। श्रम मन्त्री ने इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन अधिकारियों द्वारा एक दिन की इस सांकेतिक हड़ताल पर पेट्रोलियम मन्त्री ने कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि यह सब ड्रिलिंग परिवहन और सभी कार्य जो किए जा रहे हैं, अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। यह बात आसानी से मेरे गले में नहीं उतरती। हम जानते हैं कि अधिकारी कितना काम करते हैं और कर्मचारी कितना काम करते हैं। बहरहाल उनका प्रारंभिक निर्णय तीन दिन की हड़ताल करने का था जिसे उन्होंने एक दिन का कर दिया था। इसका अभिप्राय यह था कि मंहगाई भत्ते के मामले को सुलझाने में होने वाली देरी पर अपनी

नाराजगी व्यक्त करने के लिए कुछ घंटों के लिए सांकेतिक हड़ताल की गई थी। क्या उन्होंने कभी उनके साथ बैठकर बात की है ? उन्होंने केवल अधिकारियों को उनके साथ बात करने के लिए भेजा है। मन्त्री जी ने अधिकारियों के संगठन के नेताओं के साथ स्वयं बातचीत क्यों नहीं की ? यह बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि यदि वह उनके साथ बातचीत करने का प्रयत्न करें तो वे कभी हड़ताल पर नहीं जाते। लेकिन वे उनको आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम, जो इस देश में सबसे खतरनाक दमनकारी हथियार है, का डर दिखा रहे हैं। मुझे आशंका है कि वह अब मंत्रालय की कथनी और करनी से बिल्कुल भिन्न बात कह रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि श्री पासवान और श्री गुरुपादस्वामी के विचार क्या-क्या हैं ? उनके मत एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते। इस देश के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि क्या वह इस खतरनाक हथियार को छोड़ रहे हैं या वह हड़ताल के अधिकार को दबाने के उद्देश्य से फिर से इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा न कीजिए। यह आगे चल कर अहितकर होगा। आप कृपया इसे छोड़ दीजिए और इस मामले को निपटाइए। मैं अधिकारियों से भी टकराव के रास्ते को छोड़ने का अनुरोध करता हूं और इस तरह का वातावरण बनाए जिससे कि सरकार उनके साथ आमने-सामने बैठकर इस मामले पर विचार करने के लिए नैतिक रूप से मजबूर हो जाये। लेकिन आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अधि-नियम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : कल जब पेट्रोलियम मंत्री ने एक वक्तव्य दिया मैंने उनसे निवेदन किया कि वह एसमा को लागू करने के बदले सीधे तौर पर अधिकारियों से सम्पर्क करें और उनके साथ बातचीत करें और चर्चा करें। आज भी मैं यही कहता हूं। अधिकारियों के अपने संघ और नेता हैं। अत: पेट्रोलियम मन्त्री सहजता से उनके साथ इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि सांकेतिक हड़ताल समाप्त होने पर उनके मामले में आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम लागू नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेरा और मेरी पार्टी का एसमा के बारे में निश्चित मत है कि इसको विदड्रा किया जाना चाहिए। पिछली सरकार ने यह एक्ट बनाया था जो कि एंटी लेबरर था, इसलिए मेरी पार्टी इस पक्ष में है कि एसमा को हटाया जाए। इस बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो इशू उठाया है, उसमें मैं अपनी आवाज जोड़ना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इसके बारे में सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत द्वारा मामला हल हो। इस नोटिफिकेशन को विदड्रा करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, जब इसी सदन में यह आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम पारित किया गया था तो हमने पूरी शक्ति से इसका विरोध किया। जब यह अधि-नियम लगभग चार वर्ष पूर्व लागू हुआ उस समय भी हमने इसका विरोध किया। आज भी हम इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार और मन्त्री महोदय से यह निवेदन कर रहे हैं कि आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम जिसको कल लागू किया गया है वापस लिया जाना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं जो इस समय यहां उपस्थित हैं कि वह इसे वापस ले लें क्योंकि यही सभा की राय है और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का आश्वासन भी यही है कि श्रमिक वर्ग के विरुद्ध जो भी कानून है जो संविधि-संग्रह में हैं जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किया गया था जैसे राष्ट्रीय

सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम वापस लिए जायेंगे। इन अधिनियमों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और न ही इन्हें लागू किया जाना चाहिए। अतः मैं मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह वक्तव्य देकर इस बात को स्पष्ट करें और आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम वापस ले लें।

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : मैं एक साधारण सा सुझाव देना चाहता हूं। मैं स्वयं एसमा का शिकार था क्योंकि मैं विशेषकर विद्युत और बिजली मजदूरों के मजदूर संघ आंदोलन का संचालन करता था जहां तक मैं जानता हूं मैंने दल का चुनाव-घोषणापत्र पढ़ा है, इसमें जनता को यह आश्वासन दिया गया है कि संविधि-संग्रह में से सभी श्रम-विरोधी नियमों को निकाल दिया जाएगा परन्तु इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस समय मुझे यह मालूम नहीं है कि हड़ताल क्यों हुई है और यह कानून क्यों लागू हो गया है। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले की ओर ध्यान दें ताकि हड़ताल समाप्त हो जाए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस हड़ताल के खिलाफ, एसमा लागू करने के खिलाफ हमारा क्रोध और अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मैं इस हड़ताल से गुणों का वर्णन नहीं करना चाहता हूं। वह इसलिए, क्योंकि मुझे याद है कि पूरी रात पूरी शक्ति से हम इस अधिनियम इस विधेयक के विरुद्ध लड़े थे। उस समय कांग्रेस सरकार ने केवल एक कारण बताया—"यह एक ऐसा शस्त्र है जो हमारे पास है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अनिवार्य रूप से इसका उपयोग करेंगे।" यह दुर्भाग्य और विडम्बना है कि जिस शस्त्र को उन्होंने रखा उसी का हमारी सरकार प्रयोग कर रही है। उन्होंने इसे बनाया, इसे पारित किया। उन्होंने इसका उपयोग किया किन्तु यह अप्रत्याशित था कि यह सरकार इसका उपयोग करेगी। मैं यह मांग करता हूं कि इस अधिसूचना को शीघ्र अभी वापस लिया जाए। इतना ही नहीं। आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम रद्द किया जाना चाहिए और इसके लिए हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसे इसी सत्र में रद्द किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एसमा के विरोध में अपनी राय जाहिर कर रहा हूं। सदन में करीब-करीब सर्वसम्मत से यह मत व्यक्त किया गया है कि एसमा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपने जो लिखकर दिया है उस पर बोलिए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं उसी पर बोल रहा हूं। मेरी राय यह है कि एसमा का उपयोग न किया जाए और इसको रिपील किया जाए। साथ ही मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि सदन सर्वसम्मति से अपील करे कि इण्डस्ट्री के अधिकारी अपनी हड़ताल वापिस ले लें। सदन की तरफ से सर्वसम्मति से उनको अपील जानी चाहिए। साथ ही सरकार से सदन की ओर से यह अपील जानी चाहिए कि एसमा का जो उन्होंने उपयोग किया है, नोटिफिकेशन इश्यू किया है, उसको विद-ड्रा करे और आगे चलकर इस एसमा कानून को खारिज करे।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर सरोवर की पवित्रता एवं गरिमा की रक्षा की जाए। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित तीर्थराज पुष्कर करोड़ों पौराणिक सनातन धर्मावलम्बी हिंदुओं की तीर्थस्थली है। उस सरोवर में मिट्टी और रेत भर गयी है। मैं भारत सरकार

से अनुरोध करूंगा कि मिट्टी और रेत वहां से निकलवायी जाए··· (**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, हम मन्त्री महोदय से उत्तर मांगते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो अपने स्थान पर विराजमान हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक गंभीर मामला है। (**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम श्री गुरुपादस्वामी की बात सुनते हैं। किंतु इससे पूर्व कृपया प्रो० रासा सिंह रावत अपना भाषण समाप्त करें।

[**हिन्दी**]

प्रो० रासा सिंह रावत : पुष्कर सरोवर के अन्दर इतनी मिट्टी और रेत वर्षा के पानी से बहकर जमा हो गई है कि लाखों करोड़ों तीर्थ यात्री जो पुष्कर जाते हैं उनको बड़ी असुविधा होती है। पानी प्रदूषित हो गया है इसलिए मैं पर्यावरण विभाग, वन विभाग और जल संसाधन मन्त्रालय से अनुरोध करूंगा कि पुष्कर झील की सफाई कराई जाए। झील के किनारे जो विदेशी पर्यटकों के लिए होटल बनाये गये हैं उनका भी गंदा पानी उसमें गिरता है उसे भी गिरने से रोका जाए।

[**अनुवाद**]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : कल जिस समय मैंने सभा में एक वक्तव्य दिया, मैंने उन परिस्थितियों और बाध्यताओं का वर्णन किया जिनके कारण हमें इस स्थिति में एसमा लागू करना पड़ा। मैं सभा की भावनाओं से सहमत हूं। मैं आपकी चिन्ता से सहमत हूं। मैं यह भी मानता हूं कि एसमा एक क्रूर कानून है। यह उन लोगों के हाथों क्रूर बनता है जो इसे क्रूर बनाना चाहते हैं। मैं यह मान लेता हूं कि यह उपाय अपने आप क्रूर है। इसे थोपने की परिस्थितियां तथा विवशताएं क्या हैं। एक पुराने (वरिष्ठ) सदस्य ने कहा है कि मन्त्री महोदय को कर्मचारियों से बात करनी चाहिए थी। कल मैंने स्पष्ट किया कि मैंने दो बार उनसे बात की थी। मैं उनकी कुछ मांगों से सहमत हूं। मैंने उन्हें समझाया कि अपनी मांगों को इतना न बढ़ाओ। मैंने उनके साथ बहस की, कि यह केवल बातचीत के द्वारा हो सकता। यह कोई श्रमिकों की हड़ताल तो नहीं है। मैं इस हड़ताल के विरुद्ध इस तर्क का सहारा लेना नहीं चाहता। इस हड़ताल का नोटिस अधिकारियों ने दिया था। उनकी परिलब्धियां सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही हैं। कुछ अधिकारियों के वेतन तो भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों के वेतन से भी अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें काफी अनुलाभ और सुविधाएं प्राप्त हैं जोकि भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों को भी प्राप्त नहीं होती हैं। मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता हूं। ये लाभ उन्हें इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वे कठोर परिश्रम करते रहे हैं, उन्होंने समर्पण और अथक प्रयासों से अपने संगठन का गठन किया है। मैं समझता हूं कि ये उन सुविधाओं के अधिकारी भी हैं। जब महंगाई भत्ते का मुद्दा चर्चा के लिए उठा था तो उनके

और सरकार के सामने दो विकल्प थे। क्या महंगाई भत्ते का फार्मूला, जो तय किया गया है, संशोधित किया जाए अथवा इन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय महंगाई भत्ते की मांग पर विचार किया जाये ? भारत सरकार के अधिकारियों के दल के द्वारा काफी बातचीत करने के बाद उन्होंने एक सुझाव दिया। सुझाव यह था कि सरकार ने और याचिकादाता ने उच्चतम न्यायालय के सामने जो कुछ कहा है वह उन्हें भी स्वीकार्य होना चाहिए।

दूसरे शब्दों में हमने कहा था कि हम उनके लिये केन्द्रीय महंगाई भत्ता देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि यह एक मुश्त समझौते का एक भाग बने। वह एक मुश्त समझौता यह है कि उन्हें महंगाई भत्ता दिया जायेगा परन्तु उन्हें अनुलाभों की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "नहीं"। वे केन्द्रीय महंगाई भत्ते से अनुलाभों को पूरी तरह अलग कराना चाहते थे। परिणाम यह होगा कि यदि हम उनकी मांग को स्वीकार करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होगा कि सरकार के दूसरे कर्मचारी, केवल केन्द्रीय सरकार के ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारी भी उसी प्रकार की सुविधाओं की मांग करेंगे। यह मसला वहीं पर समाप्त नहीं होगा। स्वाभाविक है कि निचले स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी अथवा श्रमिक भी उसकी मांग करेंगे। वे अपने लिए भी उसी प्रकार का व्यवहार और केन्द्रीय महंगाई भत्ते की मांग करेंगे।

अतः यह एक अत्यधिक जटिल मामला था। हमने उन्हें इसे अथवा उसे चुनने का अवसर दिया था और इस सम्बन्ध में बातचीत जारी थी। हमने कहा था, "भारत के इतिहास में सरकारी प्रतिष्ठानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के उच्च स्तर के अधिकारियों ने कभी भी हड़ताल नहीं की थी। विशेष रूप से तेल के क्षेत्र में उन्होंने कभी हड़ताल नहीं की थी। उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया था। एक लम्बे विचार-विमर्श के बाद वे पिछले महीने की 24 तारीख को कोई हड़ताल न करने के लिए सहमत हो गये।" उन्होंने यह बहुत अच्छा निर्णय लिया था। हमें बहुत खुशी हुई थी।

महोदय, सदस्य यह सोच रहे होंगे कि हमने बातचीत के दरवाजे बन्द कर दिए हैं। जी, नहीं। वह दरवाजा आज भी खुला है। उनका हमेशा स्वागत है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हम केवल आपसे आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम हटवाना चाहते हैं। (व्यवधान) हम केवल आपसे यह अधिसूचना और आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अधिनियम हटवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं उसी बात पर आता हूं। मैं परिस्थितियों और स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हममें से किसी ने भी उनकी इन मांगों का समर्थन नहीं किया है। यह एक ऐसा मामला है जिसे बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा। परन्तु आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम का जो इस्तेमाल किया गया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं उसी पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इस सीरियस सिचुएशन में ई० एस० एम० ए० को ढील करके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सुनिए, वे रेस्पोंड कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

(**व्यवधान**)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं मुख्य बात को नहीं छोड़ रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। धैर्य रखिए। मैं केवल उस स्थिति का जिक्र कर रहा था जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मुझे उस सूचना के बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए।

महोदय, आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अधिनियम लागू करने की स्वीकृति श्रम मन्त्रालय द्वारा भी दे दी गयी है। (**व्यवधान**)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) **:** और प्रधानमन्त्री ने भी स्वीकृति दे दी थी।

(**व्यवधान**)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम को प्रचलन में क्यों लाया गया था ? मुख्य बात यह है कि आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम को प्रचलन में क्यों लाया गया था ? इसे लागू क्यों किया गया था ? हमारा मुख्य उद्देश्य हड़ताल करने वालों को भयभीत करना नहीं है। मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठानों का संरक्षण करना है।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) **:** क्या आप आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम का सहारा लिए बिना प्रतिष्ठानों की रक्षा और संरक्षण नहीं कर सकते ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमें यह सलाह दी गयी थी कि ये अत्यधिक महंगे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रमिक प्रतिष्ठानों का संरक्षण करेंगे।

श्री ए० के० राय : वे अनावश्यक रूप से अधिकारियों को डरा रहे हैं··· (**व्यवधान**)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। मैं जानता हूं कि जब मैं विपक्ष में था मैंने 'एसमा' का विरोध किया था। हमने आपसे जोरदार तरीके से विरोध किया था···(**व्यवधान**) मैं झुकने वाला नहीं हूं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी की बात सुनने दीजिए।

श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी : मैं 'एसमा' का इस्तेमाल हड़ताल करने वालों पर धौंस जमाने, उन्हें तंग करने या उन्हें डराने-धमकाने के लिए नहीं कर रहा हूं। यह प्रतिष्ठानों, उपक्रमों और संस्थाओं के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है इसके अतिरिक्त नहीं····(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सामान्यतः जब हड़ताल की स्थिति नहीं है तो तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाती है यह सांविधिक रूप से गठित बल है जिसे इसी उद्देश्य

के लिए बनाया गया है। सामान्यतः सभी पेट्रोलियम और तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति की गयी है। अधिकारियों द्वारा हड़ताल के दौरान, वे इस कार्य को और ध्यान से करेंगे जब तक कि आप यह नहीं कहते हैं कि अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों को नष्ट करने या उड़ा देने का खतरा है। मेरे विचार से उनके विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रमिक आपकी सहायता करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः एसमा को लागू करके आप प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कैसे करेंगे यह हम समझ नहीं पाये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपसे इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं··· (**व्यवधान**) स्थिति की विवशता ने ही कांग्रेसी सदस्यों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है जोकि इस विधेयक के बनाने वाले हैं। वे इस कानून को इस देश में लाये हैं आप उनके साथ अपनी तुलना न कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्वलोन) : वे इस कानून को पारित करने के लिए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं··· (**व्यवधान**) क्या माननीय मन्त्री सोचते हैं कि इस देश में प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए अन्य विद्यमान कानून होने के बावजूद 'एसमा' का होना जरूरी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जो कुछ माननीय मन्त्री ने कहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अधिकारियों द्वारा एक दिन की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसमा का सहारा लेने के लिए हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं। मुझे विश्वास है मन्त्री जी सदन की भावनाओं को समझने में असफल हुए हैं तथा वे इस कार्यवाही के परिणामों को समझने में असफल रहे हैं जो वह करने जा रहे हैं। हमने इस सरकार को जो समर्थन दिया है और वचनबद्धता दी है उसमें कठिनाई पैदा हो जाएगी। इस सम्बन्ध में हमें विश्वास है कि देश में अनेक कानून विद्यमान हैं जो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं और उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए इन्होंने स्वयं ही मान लिया है कि वह इसको वापिस लेंगे।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, हम उनके समर्थक मित्र हैं। मित्र के नाते मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा···(**व्यवधान**) महोदय, पिछली सरकार में सद्भावना की कमी थी लेकिन क्षमा चाहता हूं, महोदय, वर्तमान सरकार भी अपनी समझदारी को छोड़ती जा रही है यह सबसे सोचनीय बात होगी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मुद्दे दोहराये जा रहे हैं। अगर श्री गुरुपादस्वामी अपनी राय देना चाहते हैं तो मेरे विचार से हम उनकी बात सुन सकते हैं····

(**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ चौधरी : जिन थोड़े से लोगों का लोकतन्त्र में विश्वास है। उन्हें वहीं दबाइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मन्त्री जी की बात सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो कुछ उन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी आप उन्हें अपने पर मत थोपने दीजिए। कृपया इसे समझिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम मन्त्री जी से अपील करते हैं। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी कामगारों के साथ सहानुभूति है। कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति का दुरुपयोग न करने दीजिए। मैं उनसे इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री गुरुपादस्वामी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह कामगारों के साथ सहानुभूति रखने वाली सरकार है और मैं सदन के विचारों को महत्व देता हूं। मैं उनकी चिन्ता में भागीदार हूं, मैं उनके सुझाव मानता हूं, उनके विचार स्वीकार करता हूं। मैंने स्थिति को समझाने का प्रयास किया है। वातावरण को ध्यान में रखते हुए शायद यह युक्तियुक्त नहीं थी और सदन की राय तथा वर्तमान वातावरण को देखते हुए स्थिति पर पुनर्विचार करूंगा। कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना चाहिए। मैं सदन की सर्वसम्मति को ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग...

अध्यक्ष महोदय : ऐरोप्लेन की दुर्घटना के बारे में आपको इजाजत दी है...

श्री नाथू सिंह : नहीं, सर। इसके बारे में भी मैंने इजाजत मांगी है।...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जो कह रहा हूं, उस पर बोलिए।....

श्री नाथू सिंह : सर, मैंने दोनों पर इजाजत मांगी है। इसलिए मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप जो कहना चाहते हैं, कहिए।

श्री नाथू सिंह : आजाद कश्मीर में लगभग दस हजार युवकों को वहां ट्रेनिंग देकर वापिस जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। सरकार को यह सूचना कुछ सूत्रों ने दी है, खुफिया विभाग ने भी सरकार को सूचना दी होगी। यह जो सर्च की उसमें पाया लगभग छः हजार युवक जम्मू कश्मीर से मिसिंग हैं, वहां पर मिलिटेंटस के अड्डों पर छापे मारे गए, तलाशी ली गई। इसलिए इस समय दस हजार या दस हजार से अधिक युवक यदि ट्रेनिंग लेकर वापिस जम्मू कश्मीर में ऐन्टर हो गए, जोकि होने वाले हैं, तो पिछले दिनों पूरे देश में कहीं आग लगी, कहीं बम विस्फोट हुआ, उसके बाद देश में क्या परिस्थिति होगी, इस बात को सरकार को नोट करना चाहिए। सरकार कहती है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं, अब तक सरकार ने कुछ नहीं बताया? केवल पाकिस्तान को मौखिक धमकी के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि कोई ठोस कार्यवाही करें ताकि देश में होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके।

श्री राघव जी (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, एयर इन्डिया का हवाई जहाज हाल ही में दिल्ली के एयर पोर्ट पर उतरते समय आग पकड़ गया। अगर उस वक्त आग बुझाने वाले दल ने होशियारी से काम नहीं लिया होता तो 200 लोग जलकर मर गए होते। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एयर क्राफट पुराने हो चुके हैं, उनका थोरो चैकअप हो, थोरो चैकअप नहीं होता है इसलिए दुर्घटना होती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आग बुझाने वाला जो दल था, उनको पुरस्कार देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने 200 लोगों की जान बचाई है।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने कुछ ईसाई मिशनरीज के निष्कासन के सम्बन्ध में कुछ आदेश दिया था क्योंकि उनकी गतिविधियां मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में संदिग्ध थीं। उसके बाद समाचार पत्रों से इस प्रकार की जानकारी मिली थी कि वे लोग दिल्ली में आए थे और यहां से उनको प्रोटेक्शन मिला था और उनका निष्कासन रद्द हुआ था। अभी राष्ट्रीय एकता परिषद की जो बैठक हुई उसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री सुन्दर लाल पटवा ने फिर से कुछ ईसाई मिशनरीज की संदिग्ध गतिविधियों का सवाल उठाया और कुछ लोगों के निष्कासन की बात कही। उसकी जगह ठीक विपरीत हुआ है कि जिन लोगों के निष्कासन की मांग की गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ अंचलों में वास्तव में उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं, अभी मुझे समाचार पत्र के द्वारा मालूम पड़ा है कि उन लोगों में से तीन लोगों को तो पांच साल के लिए ऐक्सटेंशन दे दिया गया है और दो लोगों को यहां की नागरिकता दे दी गई। यह बड़े दुःख की बात है कि जब एक प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने यह निवेदन किया था कि उन लोगों का निष्कासन होना चाहिए, केन्द्र की सरकार इस प्रकार से उनको ऐक्सटेंशन दे और उनको यहां की नागरिकता दे, यह बड़े शर्म की बात है। मेरा निवेदन है कि क्योंकि यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार उनकी नागरिकता रद्द करे और उनको निष्कासित करे।

प्रो० यदुनाथ पांडेय (हजारीबाग) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार में भीषण पानी की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का अभाव हो गया है। राज्य के नदी, तालाब, पोखर, कुएं सब सूख गए हैं, खासकर छोटा नागपुर, संथाल परगना के क्षेत्रों में पेयजल का काफी अभाव है, अकाल पड़ गया है। छोटा नागपुर के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना के मधुपुर, साहिबगंज, बांका, भागलपुर, मुंगेर जिले का सामान्य जीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। हजारीबाग, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसके आसपास के जितने गांव हैं सभी जगह पानी के बिना त्राहि मच गई है, लोग पानी के बिना व्याकुल हैं, जानवर मर रहे हैं, लोगों को पैसे से पानी खरीदना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तत्काल कोई व्यवस्था करे और बिहार में छोटा नागपुर, संथाल परगना विशेषकर मेरे क्षेत्र हजारीबाग में पानी की कमी से लोगों को छुटकारा दिलाया जाए। हजारीबाग पूर्वांचल का इलाका है। वहां कोयले की प्रचुर मात्रा है लेकिन फिर भी हजारीबाग के लोगों को कोयला नहीं मिल रहा है। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। वहां का सांसद और विधायक भाजपा का है। इसलिए जिला प्रशासन वहां के भाजपा की छवि को धूमिल करने के लिए जन वितरण प्रणाली से सामान नहीं मंगा रहा है। एफ० सी० आई० जो बिहार में है, वह महाराष्ट्र से सामान मंगा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश नजदीक पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिला प्रशासन को यहां से आदेश दिया जाए और जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो सामान मुहैय्या कराया जाता है, वह सब को सुलभ कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान केरल में उत्पन्न गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। केरल के आदिवासी, अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि वहां हाल ही के सूखे से पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। जबकि केन्द्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा सहायता देने के बावजूद भी जल आपूर्ति योजना अभी भी पूरी तरह से दोषपूर्ण है। 18 सिंचाई

परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी देने पर भी ये पिछले 25-30 वर्षों से अधूरी पड़ी हैं और 12 लाख हेक्टेयर भूमि को इन परियोजनाओं से सिंचाई के लिए जल नहीं मिल रहा है ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीब किसानों की स्थिति पानी की कमी के कारण दयनीय है । मैं सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार को कार्यवाही करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करता हूं ।

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : मैं सदन और सरकार का ध्यान पवला ढेंकानाल जिले के एक आदिवासी गांव की गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । पिछले कुछ दिनों और महीनों से कोई खतरनाक बीमारी फैल रही है और इससे केवल पुरुष सदस्य ही प्रभावित हो रहे हैं । यह आशंका है कि अगर यह बीमारी फैलती रही तो समूचा गांव विधवाओं के गांव में बदल जाएगा । राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीम द्वारा सर्वे किया गया है—यद्यपि यह अभी पूरा होना है—यह देखा गया है कि अतिसार और बुखार से मृत्यु हो जाती है लेकिन विशेष बात यह है कि इससे केवल पुरुष ही प्रभावित होते हैं, महिलाएं नहीं मैं सरकार से इस खतरनाक बीमारी जिससे केवल पुरुष ही प्रभावित हो रहे हैं के कारडों के जांच करने और कारगर उपाय करने के लिए एक मेडीकल टीम भेजने का अनुरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जगदगुरु शंकराचार्य की··· (**व्यवधान**)····

अध्यक्ष महोदय : वह हो चुका है ।

(**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढा : अगर आप अनुमति दें तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 7 तारीख समाप्त हो गई है और अब जगदगुरु शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने का किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है । इसके कारण सारे देश में असंतोष फैल रहा है । जगदगुरु शंकराचार्य का वही स्थान है जो कि पोप का है । अतः उन्हें रिहा किया जाये । यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के हित में है । राम जन्म भूमि के शिलान्यास की जो सात तारीख थी, वह अब समाप्त हो गई है । अतः अब उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए ।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने के बाद सरकार पर विश्वास करके एक्स-सर्विसमैन ने प्रधान मन्त्री जी के सम्मुख अपनी कुछ मांगें रखी थीं और उनसे कहा था कि उन्हें पूरा किया जाए। उनकी सबसे बड़ी मांग "एक रैंक, एक पेंशन' की थी और उन्होंने कहा था कि उनकी सर्विस में चांस दिया जाए । इसके अलावा उनकी एक मांग यह भी थी कि जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था उनको भी पेंशन दी जाये। प्रधान मन्त्री जी ने उनसे कहा था कि उनकी मांगों को इसी बजट सत्र के अन्दर पूरा कर दिया जाएगा । मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री जी इन सब की घोषणा इसी बजट सत्र में करें ।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रति केन्द्रीय सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये की वजह से आसनसोल से मुगलसराय वाया पटना होते हुए एक अत्यन्त मुख्य रेल मार्ग है जिसकी योजना केन्द्र सरकार के पास विद्युतीकरण के लिए वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है, विचाराधीन है, उसकी वजह से बिहार के कर्मचारी, खासकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को

कार्यालय आने में विलम्ब होता है और वहां के छात्रों को कालेज और स्कूल जाने में विलम्ब होता है, साथ ही साथ वहां के जन साधारण को भी काफी कठिनाई हो रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वर्षों से लंबित पड़े हुए मुख्य रेल मार्ग आसनसोल से मुगलसराय वाया पटना को विद्युतीकृत किया जाए।

प्रो० प्रेमकुमार धूमाल (हमीरपुर) : अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने इण्डस्ट्रिल डवलमेंट बैंक आफ इंडिया के द्वारा अलग-अलग प्रदेशों में उद्योगों को सहायता देने के लिए टैक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस शुरू की थी और इस तरह की कंसलटेंसी सर्विसज लगभग 17-18 स्टेट्स में हैं लेकिन अब केन्द्र सरकार ने एक नया सिडबी (स्मॉल इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया) बनाने की योजना बनाई है जिससे इन कंसलटेंसी सर्विस की सेवाओं में अवरोध पड़ रहा है और बिहार में स्मॉल स्केल टैक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस के जो आफिसर हैं उनको पिछले दो महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं सरकार का ध्यान इस मसले की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर स्मॉल इण्डस्ट्रीज डवलमेंट बैंक आफ इण्डिया में इन आफिसर्स की सर्विसेज को ले लिया जाए, क्योंकि इसमें चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट और हाइली क्वालिफाइड इन्जीनियर्स हैं, तो उनको वेतन सुनियोजित ढंग से दिया जा सकेगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के कोल इण्डिया में बहुत महत्वपूर्ण खान हैं, धनबाद, रांची और गिरिडीह, यहां के आफिसर्स ने ऊर्जा मन्त्रालय के सख्त विरोध के बाद भी रिटायर्ड महाप्रबन्धकों और निदेशकों को पदस्थापित कर लिया है और वह लोग वहां लूट मचाये हुए हैं और कोल बंटवारे में काफी गड़बड़ करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और लाखों रुपए महीने का उन पर बेकार खर्च हो रहा है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से, कि इस बात की सी०बी०आई० से जांच करानी चाहिए कि वहां लाखों का गोलमाल हो रहा है।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : महोदय, आपके माध्यम से मैं बिहार में भीषण बिजली संकट उत्पन्न हो जाने की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। खास कर के उत्तर बिहार, जहां बिहार की 4 लाख आबादी, करीब आधी आबादी निवास करती है। वहां मात्र दो उत्पादन केन्द्र 100-100 मेगावाट के हैं। वहां पिछले महीने के अन्दर भीषण ओलावृष्टि हुई है और करोड़ों की फसल का नुकसान हो गया है, किसानों की जो थोड़ी बहुत फसल बची हुई है, बिजली के अभाव में उसकी दोहनी नहीं हो रही है और अभी जो स्थिति है उससे लगता है कि आगामी फसल भी मारी जाएगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन होगा कि सरकार आज चिंतित है, कश्मीर के लिए, क्योंकि वहां आतंकवाद है, सरकार आज चिन्तित है, पूर्वांचल के लिए क्योंकि वहां भी आतंकवाद है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर बिजली के इस भीषण संकट में एक आतंकवाद का रूप ले लिया है। मेरा निवेदन होगा कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, पड़ोसी राज्य से मदद ले और अविलम्ब वहां बिजली की आपूर्ति कराए।

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र (बोलनगीर) : 10,000 से अधिक व्यक्तियों को पाक अधिकृत कश्मीर के अर्थात आजाद कश्मीर में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और हथियारों से लैस किया जा रहा है। वे इस देश में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और श्रीमती बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान के जनरल उन्हें काश्मीर आने के लिए खुला समर्थन दे रहे हैं। अतः मैं मंत्री जी से इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बरेली मंडल और तराई के इलाके में जो लखीमपुर, पीलीभीत, नैनीताल जिले हैं, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, बरेली से निकलने वाले कल के सारे समाचार पत्रों, अमर उजाला और जागरण में यह सारा का सारा चिट्ठा निकला है। मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर दो प्रकार के आतंकवादी पहुंच गए हैं, एक तो खालिस्तान वाले आतंकवादी वहां शोर मचा रहे हैं, दूसरे नेशनल मुजाहिदीन्स फ्रन्ट के लोग वहां पहुंच गए हैं। इस कारण वहां के लोग बहुत त्रस्त हैं। अभी दो-तीन दिन पहले वहां के विधायक के ऊपर बम फेंका गया। सौभाग्य था कि वे बच गए, क्योंकि दूसरी गाड़ी से चले गए थे। इस प्रकार सारे देश में आतंक की लहर बढ़ रही है। गृह मन्त्री जी इस बारे में क्या कर रहे हैं और वे इस पर अपने विचार प्रकट करें।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, विश्व बैंक ने भारत का एक ऐसा मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें जम्मू-कश्मीर को नहीं दिखाया गया है। यह बड़े अपमान की बात है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभा को सख्त विरोध प्रकट करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह मामला इस प्रकार का पहला नहीं है क्योंकि सभा को इस बात की जानकारी होगी कि कुछ समय पहले अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संघ ने भी जम्मू-कश्मीर के बिना एक मानचित्र प्रकाशित किया था। निश्चय ही हमने इसका विरोध किया था और फिर इसमें शुद्धि भी गई थी। इस मामले में हमें वास्तव में संदेह होता है कि किसी निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों का हाथ है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि सदन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को विरोध प्रकट करना चाहिए।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, दिल्ली और मुम्बई में कार्य कर रहे बहुत से सामाजिक संगठनों ने घरेलू नौकरों के रूप में काम करने वाले बच्चों की दुःखद दुर्दशा का उल्लेख किया है कि उन्हें पीटा गया है और उन्हें काम-वासना और अन्य गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। यह बाल वर्ष है। अत: मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस गंभीर आरोप की जांच करें। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि इस मामले पर इस सभा में चर्चा भी होनी चाहिए।

श्री अजीत पांजा : समुचित आदरपूर्वक मेरा यह कहना है कि मुझे सदा आखिरी क्षणों में ही बुलाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 10.30 म० प० के बाद नोटिस दिया था।

श्री अजीत पांजा : मैंने पूरे 10.30 म० प० पर नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अब आप यह मामला उठा सकते हैं।

श्री अजीत पांजा : केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा नीति के अध्ययन के लिए उच्च शक्ति प्राप्त सीमित गठित की है। शिक्षक हमारे समस्त देश का आधार हैं। शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु के संबंध में आंदोलन चल रहा है। इस आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया आएगा।

आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अधिनियम, जिसके संबंध में एक घंटे तक हमने चर्चा की थी, उसका उपयोग किए बिना पश्चिम बंगाल राज्य में 2 हजार अध्यापकों को हिरासत में लिया गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मामले को वैस्ट बंगाल ले गए। सारे देश के बारे में बताइए। आप महान सवाल उठा रहे हैं, फिर एक स्टेट में क्यों जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह उच्च शक्ति प्राप्त समिति छः महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी। शिक्षकों और अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु हमारी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है विशेषकर जहां तक हमारे अध्यापकों का संबंध है। अतः इस मामले पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति को विचार करने दिया जाए। जब तक यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब तक यह आयु-सीमा 65 वर्ष तक की ही रखी जानी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

1.53 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम 1989, भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (चौ० जगदीप धनखड़) : उद्योग मन्त्री श्री अजित सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 1989, जो 2 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 109(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी०-786/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय साइकिल निगम लि०, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय साइकिल निगम लि०, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-787/90]

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लि०, नई दिल्ली और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, शिलांग के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण, और ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (चौ० जगदीप धनखड़) : ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इण्डियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवलपमेंट एजेंसी लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवलपमेंट एजेंसी लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-788/90]

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, शिलांग के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, शिलांग का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-779/90]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 788/90 तथा 789/90]

(3) ऊर्जा मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 790/90]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (चौ० जगदीप धनखड़) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री, श्री रशीद मसूद की ओर से मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा

पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 791/90]

लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (चौ० जगदीप धनखड़) : महोदय, मैं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1)	विवरण संख्या 22	सातवां सत्र, 1988	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 792/90]		
(2)	विवरण संख्या 22	आठवां सत्र, 1987	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-793/90]		
(3)	विवरण संख्या 18	आठवां सत्र, 1987 का भाग 2	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-794/90]		
(4)	विवरण संख्या 17	नौवां सत्र, 1987	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-795/90]		
(5)	विवरण संख्या 15	दसवां सत्र, 1988	आठवीं लोक सभा
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-796/90]		
(6)	विवरण संख्या 11	ग्यारहवां सत्र, 1988	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-797/90]		
(7)	विवरण संख्या 8	बारहवां सत्र, 1988	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-798/90]		
(8)	विवरण संख्या 7	तेरहवां सत्र, 1989	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-799/90]		
(9)	विवरण संख्या 4	चौदहवां सत्र, 1989	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-800/90]		
(10)	विवरण संख्या 2	पहला सत्र, 1989	नौवीं लोक सभा
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 801-90]		
(11)	विवरण संख्या 1	दूसरा सत्र, 1990	
	[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-802/90]		

1.54 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दिल्ली में हाल ही में हुई बम विस्फोट की अनेक घटनाएं

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं। श्री कल्पनाथ राय इस मामले को उठायेंगे।

श्री कल्प नाथ राय (घोषी) : मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"दिल्ली में हाल ही में हुई बम विस्फोट की अनेक घटनाओं, जिनके कारण निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक अन्य लोग घायल हो गए, से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : महोदय, चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में बम विस्फोट की छः घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 12 व्यक्ति मारे गए तथा 109 व्यक्ति घायल हुए हैं। इन सभी घटनाओं के बारे में अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

इनमें से तीन मामले बसों में बम फटने से संबंधित हैं। पुलिस प्राधिकारियों ने बस डिपुओं तथा टर्मिनलों पर व्यवस्था कड़ी करने के उपाय किए हैं। दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों ने बसों में इन घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट है कि भविष्य में यात्रियों को कम से कम सामान ले जाने की आज्ञा दी जाएगी और वह भी अपने साथ रखकर ले जाने की। बस में सीट के नीचे या अन्य किसी स्थान पर सामान को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्राइवर तथा कंडक्टरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे बस में पड़े किसी सामान के बारे में जांच कर सकते हैं और उसके मालिक का पता लगा सकते हैं तथा संदिग्ध स्थिति में किसी सामान के लावारिस पाए जाने पर पुलिस को बुला सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम प्राधिकारियों ने किसी संदिग्ध वस्तु के पाए जाने पर यात्रियों द्वारा बस के चालक दल पुलिस को सूचित करने के बारे में सहयोग मांगा है। उनसे कहा गया है कि यदि वे कोई लावारिस सामान देखें तो शोर मचाए तथा बस रोक कर, डी० टी० सी०/पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।

1 मई, 1990 को पुलिस आयुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की गई बैठक में बम विस्फोट की पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों की समीक्षा भी की है। आयुक्त ने ज्ञात संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने, दिल्ली में अजनबी व्यक्तियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश पर निगरानी रखने के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने, सभी सार्वजनिक स्थानों, जहां पर व्यक्ति एकत्र होते हैं, पर कड़ी निगरानी रखने और गश्त लगाने वाले वाहनों द्वारा गहन जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्थानीय पुलिस तथा गश्त लगाने वाले वाहनों को बसों की अचानक जांच तथा पूरी तरह से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

मैंने स्थिति की समीक्षा करने के लिए 2 मई, 1990 को वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों, पुलिस और अग्नि शमन अधिकारियों के साथ बैठक की। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियो के बारे में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आसूचना के त्वरित आदान-प्रदान के लिए व्यवस्था की जा रही है। शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थों से निपटने के लिए पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कारवाई शुरू की गई है। दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को बसों की पूरी तरह से जांच करने के अनुदेश दिए गए हैं। बम विस्फोटों की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के बम निष्प्रभावक दल में उपयुक्त रूप से बढ़ोत्तरी की गई है और विस्फोटकों के नमूनों के शीघ्र परीक्षण कराने के लिए दिल्ली पुलिस के वास्ते एक छोटी प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि इस विषय पर जनता में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिए टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्रों से प्रचार अभियान चलाया जाए।

मैं, सरकार के इस दृढ़ संलल्प को दोहराता हूं कि ऐसे कार्यों में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा और सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि बम विस्फोटों की दुःखद घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं और किए जायेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : उपाध्यक्ष जी, माननीय गृह राज्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। बम विस्फोट की कितनी ही घटनाएं हो चुकी हैं। अभी पार्लियामेंट के गेट पर बम विस्फोट हुआ था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई बम विस्फोट हुए जिनमें बहुत से निर्दोष लोगों की जानें गयीं। चंडीगढ़ से आने वाली बस में बम विस्फोट हुआ और कई निर्दोष लोगों की जानें गयीं। यह केवल दिल्ली, कश्मीर और पंजाब की ही बात नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि तराई के इलाके में भी आतंकवाद और अलगाववाद की ताकतें फैल रही हैं। इन बम विस्फोटों के पीछे इन ताकतों का हाथ है। आपने जवाब दिया है कि हमने पुलिस कमिश्नर को कह दिया है, पुलिस को कह दिया है। विशेष बात हो रही है। इन बम विस्फोटों के पीछे अलगाववादी, साम्प्रदायिक, देश को तोड़ने वाली ताकतों का हाथ है या नहीं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

2.00 म० प०

पाकिस्तान का एक ओर अघोषित, अनडिकलेयर वार है एक तरफ पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो कहती हैं कि हम हजार वर्ष तक हिन्दुस्तान से जंग करेंगे। जंग के कई तरीके होते है—जैसे देश में साम्प्रदायिकता की आग लगा देना और देश को तोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। (व्यवधान)

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस समय सदन में कोरम है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जाये। अब इस समय सदन में कोरम है। माननीय राय जी, आप शुरू कीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : मैं राज्य गृह मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि 3 अप्रैल को बटाला में रामनवमी के जुलूस में जो बम फेंका गया, उसमें 36-40 लोग मर गए। उसके बाद पानीपत में, दिल्ली के थाने में बम विस्फोट हुआ और फिर पार्लियामेंट के सदन के बाहर ही पार्लियामेंट के परिसर में बम विस्फोट हुआ। तराई के इलाके में भी बम विस्फोट हो रहे हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, और बसों में निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। लोग अपने बच्चों को बसों के माध्यम से स्कूलों में भेज नहीं पा रहे हैं।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या बम विस्फोट की घटनाओं के पीछे पंजाब एवं कश्मीर के आतंकवादियों का हाथ है या नहीं ? क्योंकि कश्मीर के आतंकवादियों ने यह स्वीकार किया है कि

बटाला में जो घटनायें घटी हैं उसमें हमारा हाथ है। क्या बम विस्फोट की घटनाओं के पीछे विदेशी राष्ट्रों की भी साजिश है? हमारे प्रधानमन्त्री जी ने, देश की सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के इलाके में हमारे मुल्क के बहुत से स्थानों पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है वही आतंकवादी हिन्दुस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि पंजाब में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वहां बड़ी बेकारी की समस्या है। बेकारी की समस्या तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और मध्य प्रदेश में भी है। हिन्दुस्तान का सबसे विकसित और सम्पन्न इलाका तो पंजाब है। क्या सरकार इन राजद्रोहियों, जनघाती, राष्ट्रघाती ताकतों के खिलाफ कोई जबरदस्त, स्ट्रांगेस्ट स्टैप उठाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद में पक्ष और विपक्ष, सभी दलों के नेताओं को एक होकर देश की एकता और अखंडता को बचाना है। आज आप जानते हैं कि असम में "उल्फा" नामक संगठन कई हत्याएं कर चुका है जो असम को एक देश का दर्जा देना चाहता है। मणिपुर में "मणिपुर लिबरेशन आर्मी" और त्रिपुरा में "त्रिपुरा लिबरेशन आर्मी" काम कर रही है। कल सदन में यह बात भी आई कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री और एल० टी० टी० ई० के लोग मिलकर "द्रविड़िस्तान" की व्यूह रचना करना चाहते हैं। इस तरह से देश की पूर्वोत्तर सीमाओं पर, तमिलनाडु में, पंजाब में, कश्मीर में, सब जगहों पर एक अघोषित युद्ध चलाया जा रहा है, विदेशी ताकतें यह कर रही हैं। इसलिए बम विस्फोट कोई साधारण घटना नहीं है कि पुलिस उसकी जांच कर रही है या पुलिस कमिश्नर इसकी जांच कर रहा है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बम बनाने के कितने अवैध कारखाने पकड़े गए, क्या सरकार के पास इसकी जानकारी है? जिन आतंकवादी संगठनों ने अपने ऊपर विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है, उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या कहना है? जितने राष्ट्रद्रोही, देशघाती, जनघाती लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने क्या बयान दिए हैं? आपका इन्टेलीजेंस आर्गनाइजेशन क्यों असफल हो रहा है, घटना घट जाती है और कभी भी एडवांस में गिरफ्तारी नहीं हो पाती। यह कोई साधारण घटना नहीं है कि सरकार कह दे कि फलां कार्यवाही की जा रही है, पुलिस को हिदायत दी जा रही है, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, धरती खून से लथपथ हो रही है, राष्ट्रद्रोही ताकतों ने अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, विदेशी ताकतें हिन्दुस्तान की अखंडता के लिए खतरा बनी हुई हैं, ऐसे वक्त में पूरे राष्ट्र को, सारे राजनीतिक दलों को, पक्ष और विपक्ष के लोगों को मिलकर इन घटनाओं पर विचार करना चाहिए। इन बम विस्फोटों को साधारण घटना नहीं माना जाना चाहिए। सभी दलों को मतैक्य बनाकर राष्ट्रीय पैमाने पर इस साजिश को, जिसके द्वारा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है और सांप्रदायिक भावनाओं को उभारा जा रहा है, इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि यह विदेशी ताकतों द्वारा छेड़ा गया एक अघोषित युद्ध है। कश्मीर के लोग भागकर पंजाब आ रहे हैं, पंजाब से भागकर दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में भी बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं तो लोग भाग कर राजस्थान और तराई के इलाकों में जा रहे हैं। तराई के इलाकों में भी पंजाब के आतंकवादी और कश्मीर के आतंकवादी पहुंच गए हैं। आज राष्ट्र की एकता और अखंडता को सबसे बड़ा खतरा है और विदेशी ताकतें हिन्दुस्तान में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती हैं, इस काम के लिए करोड़ों-अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। बंगला देश की लड़ाई जो हमने जीती थी, उसका बदला लेने के लिए विदेशी शक्ति उतावली हो रही है और हिंदुस्तान की इन परिस्थितियों का लाभ

उठाकर, मुल्क में अराजकता पैदा करके, बाहर से हमला करके देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है।

आज बम विस्फोटों की यह स्थिति है कि अब सिर्फ लोक सभा का यह सदन ही बाकी रह गया है। थानों में बम विस्फोट हो गया जहां सिक्यूरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, लोक सभा के बाहर बम विस्फोट हो गया, अब लोक सभा के अन्दर विस्फोट होना बाकी है और यह समाचार आना बाकी है कि 40-50 संसद सदस्य मारे गए। (व्यवधान) खुराना जी, आप और हम सारे देश की एकता के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए एक हैं। हम पक्ष में या विपक्ष में हो सकते हैं, मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम एक हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारत की सांप्रदायिक एकता के लिए पूरा राष्ट्र समर्पित है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं आपसे कम राष्ट्र भक्त नहीं हूं। आप अपनी बात कहना, मैंने अपनी बातें उठायी हैं। हम नहीं कहते कि आप अपनी बात न कहो। देश का नागरिक होने के नाते मैंने जो उचित समझा वह कह दिया। हमें विश्वास है कि गृह राज्य मन्त्री, क्योंकि स्थिति गंभीर है, परिस्थिति नाजुक है, समस्याओं की गंभीरता को मद्दे-नजर रखते हुए ऐसे कदम उठायेंगे कि जनघाती और राष्ट्रघाती ताकतें देश को तोड़ने के काम में कामयाब न हो सकें।

[अनुवाद]

श्री एम० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री के वक्तव्य में आम प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और इसमें बहुत ही खतरनाक स्थिति जिसमें आंतरिक सुरक्षा तथा हमारी राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों के जीवन को पूरी तरह जोखिम में डाला गया है, की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। गत दो महीनों में, दिल्ली में बम विस्फोट की 6 घटनाएं हुई हैं। उनमें 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 109 घायल हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, असम में, तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है और वहां बड़ी संख्या में आतंकवादी संगठनों ने राज्य प्रशासन तथा राज्यों में लोगों को निष्क्रय बना दिया है। देश के अन्दर कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर असफलता के साथ-साथ बाह्य खतरे की आशंका भी बढ़ रही है। आज हमने पढ़ा कि 10,000 कश्मीरी युवकों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण दिया गया है और वे भारत में अपराध करने के लिए आने वाले हैं जिसमें वे संपूर्ण देश में अपनी आतंकवादी गतिविधियां फैला सकें।

दिल्ली में 40 लाख लोग दिल्ली परिवहन निगम की बसों तथा निजी वाहनों का उपयोग करते हैं। दिल्ली में बसों में लोगों के जीवन की रक्षा करने का उत्तरदायित्व दिल्ली परिवहन निगम का है लेकिन वह 'चलती-फिरती ताबूत' बन गई हैं। मैं दिल्ली परिवहन निगम के परिपत्र से उद्धृत कर रहा हूं :—

> "पूरी बस की अक्सर जांच कीजिए। इनमें और अधिक अधिकारी नियुक्त कीजिए और लोगों में जागृति पैदा करने वाले नारों का प्रचार कीजिए।"

गृह मंत्री के वक्तव्य में जिन उपायों का ब्यौरा दिया गया है, वे पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। यह बहुत ही चौंका देने वाली स्थिति में पूरी तरह से आम प्रतिक्रिया है जबकि इसके लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए।

गृह मंत्री के वक्तव्य में इस विषय के एक महत्वपूर्ण पहलू को अर्थात स्वयं पुलिस बल में तोड़-फोड़ करने वालों की घुसपैठ को छोड़ दिया गया है। 12 अप्रैल की घटना, जिसमें दिल्ली के दो पुलिस थानों पर बम विस्फोट हुए थे, इस प्रवृत्ति की सूचक है। श्री बेअंत सिंह, उप-निरीक्षक जिसे

उपायुक्त के कार्यालय में नियुक्त किया गया था और उसका लड़का, जो कि एक ड्राइवर सिपाही है, उनकी तोड़-फोड़ करने वालों के रूप में पहचान की गई है। अब पुलिस बल में पुलिस के लिए भी अवांछनीय स्थिति हो गई। इस प्रवृत्ति पर गृह मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ? आसूचना तंत्र पूरी तरह से असफल हो गया। आसूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए, पुलिस दल पर निगरानी रखने के लिए तथा देश के पुलिस बल में तोड़-फोड़ करने वालों की घुसपैठ का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं ? क्या आपने उन स्रोतों का पता लगया है जहां से ये आतंकवादी आ रहे हैं ? पुलिस अधिकारियों द्वारा इस संबंध में दिए गए वक्तव्य पूरी तरह से अस्पष्ट हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह कहा था कि पुलिस आतंकवादियों के खतरों से पूरी तरह से निपटने की स्थिति में नहीं है। आतंकवादी अपनी इच्छा अनुसार राजधानी में कहीं भी हमला कर सकते हैं। लेकिन पुलिस स्थिति पर नियन्त्रण नहीं कर सकती। पुलिस आतंकवादियों भी अभी तक पहचान नहीं कर पाई है चाहे यह जे० के०एल०एफ० अथवा असम से आए अन्य आतंकवादी हैं। यह गृह मन्त्री की प्रतिक्रिया यह है कि इन घटनाओं के संबंध में केवल आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उनके बारे में जांच की जा रही है। बसें अब बहुत ही आसान लक्ष्य हैं और वे आगे भी आसान लक्ष्यों का पता लगाएंगे। जैसे ही हम दिल्ली परिवहन निगम की बसों में इन खतरों का सामना करने की स्थिति में हो जाएंगे, वे कुछ अन्य आसान लक्ष्यों का पता लगा लेंगे। क्योंकि आतंकवादियों की आसूचना तथा योजना काफी उच्च स्तर की है और दिल्ली प्रशासन की वर्तमान क्षमताओं की तुलना में अधिक आधुनिक है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें और पुलिस बल को अति आधुनिक हथियार देकर मजबूत बनाएं। सरकार को घटना घटित हो जाने के बाद बहुत ही साधारण तरीके में स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाए निवारक उपाय करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब का बयान पढ़कर ऐसा लगा जैसे पुराने घिसे-पिटे बयान अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते थे उसी की पुनरावृति है। हम आशा करते थे कि गृह मन्त्री नौजवान हैं और शायद नये तथ्यों को सामने लेकर आएंगे। मैं जब मेट्रोपोलिटिन में था तब से और उससे पहले से भी यही सुनता आ रहा हूं, यही कहा जाता है बसों में चैकिंग करेंगे, रेड अलर्ट कर दिया गया है। ये जो हाल ही में दिल्ली में बम विस्फोट हुए और दो थानों में बम फटे। यह एक गंभीर बात है। दिल्ली पुलिस शानदार कार्य कर रही है उसके ऊपर मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, मैं उसके आगे नतमस्तक हूं क्योंकि किन हालात में वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस में जिस प्रकार से पिछले समय से राजनीति के आधार पर भर्ती की गई है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस में ऐसे लोगों की भर्ती की गई है जो कि असामाजिक तत्व हैं, कई लोग भागे हुए हैं जिनकी भर्ती की गई है, पता नहीं कहां-कहां से लोगों को यहां लाया गया है, गुरदासपुर से लाकर भर्ती किया गया और उनका कोई रिकार्ड नहीं है। किसी पर डकैतियों के, अपहरण के, चोरियों के केस हैं, लेकिन उनका कोई रिकार्ड नहीं है। इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद एक स्क्रीनिंग शुरू हुई थी। मैं यह नहीं कहता कि सारी दिल्ली पुलिस खराब हो गई है, लेकिन जो संदिग्ध लोग हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए और उनका रिकार्ड देखकर कार्यवाही की जाए। दिल्ली की पुलिस दिल्ली के प्रति जवाबदेह न होने कारण उसका कोई लोगों से सम्बन्ध नहीं रह गया है दिनांक 2 मई को आपने एक मीटिंग बुलाई थी, हमेशा से यह होता आया है कि दिल्ली के सांसदों को भी उसमें शरीक किया जाता है, लेकिन इस मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया। आपको तो वे लोग कह देंगे कि हमने यह-यह कदम उठाए हैं, लेकिन समस्याओं की गहराई का

हमें मालूम है और इसलिए हम जो सवाल पूछना चाहते हैं शायद उसका उत्तर वे न दे पायें इसलिए हमें नहीं बुलाया गया। भविष्य में अगर ला एण्ड आर्डर का मामला हो तो उसमें दिल्ली के जो सांसद हैं उनको भी बुलाया जाए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में आपस में को-आर्डिनेशन का अभाव है। जब दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम हो गया था कि पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर से आतंकवादी यहां आ गए हैं तो क्या कार्रवाई की गई, क्या प्रिकोशिएस मेजर्ज किए गए ? आपको एक रिवीलीन बात बता रहा हूं 1985 में ट्रांजिस्टर बम कांड हुआ। उसमें 45 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। यह कांड 10-11-85 को हुआ जिसे आज पांच साल हो गए जिसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट डरते हैं। जो मुख्य अपराधी हैं, वे बेल आऊट हो गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक गुरुद्वारा के अन्दर 1985 के ट्रांसिस्टर बम कांड के अपराधियों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें खालिस्तान की बात कही गयी है। इन सारी गतिविधियों की रिपोर्ट आपको इन्टेलीजेंस एजेंसी से मिलनी चाहिए थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन केसेज का ट्रायल गत पांच सालों से नहीं हुआ है, उनको शुरू किया जाए। दिल्ली के मैजिस्ट्रेट की क्या हालत है, इसके सम्बन्ध में आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली के बहुत ही नामी मजिस्ट्रेट हैं,

2.21 म० प०

[श्री जसवंत सिंह पीठासीन हुए]

जो बड़े ही भले और शरीफ हैं। उनके साथ यहां बम केसेज लगे हुए हैं। उनको गार्ड दी गयी है लेकिन गाड़ी नहीं दी और वे स्कूटर से चलते हैं और तीन गार्ड्स उनके पीछे-पीछे चलते हैं। तो यह हालत हो रही है।

सभापति महोदय. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज से पांच साल पहले एडहॉक बेसिस पर एक बम्ब डिस्पोजल स्कवॉड बना था, उसको बढ़ाया जाए। अगर चार जगह से खबर आ जाए तो वहां के ए०सी०पी० के जिम्मे और कई काम होते हैं, वह उसको पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए उसका इंचार्ज होना चाहिए। अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें बताया गया है कि इन बमों में आर०डी०एफ० बारूद मिला है जो बहुत ही डेंजर्स है और उससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। यह पाकिस्तान और दूसरे देशों से स्मगल किया गया है जो कि दिल्ली पुलिस को मिला है। जो आतंकवादी हैं उनके पास तो आधुनिकतम और नये-नये हथियार हैं और हमारी दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कुछ नहीं है और बम डिस्पोजल स्कवॉड भी एक है और वह भी एडहाक है। इस संबंध में फाईल होम मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है। मेरा तो यही कहना है कि दिल्ली के जितने जिले हैं, उन सब में एक बम डिस्पोजल स्क्वॉड होनी चाहिए ताकि इस तरह की कार्रवाइयों पर काबू पाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही इन्ट्रेस्टिंग बात कहना चाहता हूं। दिल्ली के अन्दर क्राईम ब्रांच, रेलवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की स्ट्रेंग्थ जो 1968 में थी, इन तीनों जगहों पर आज भी वही है। जब दिल्ली की आबादी 33-35 लाख थी और आज वह बढ़कर 90 लाख हो गयी है तो यह स्ट्रेंग्थ भी बढ़नी चाहिए। मैं दिल्ली की क्राईम ब्रांच को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतने केसेज को पकड़ा लेकिन इनकी स्ट्रेंग्थ नहीं बढ़ायी गयी। यही हाल ट्रैफिक पुलिस का है। तो मेरा निवेदन है कि 1968 में एक खोसला कमीशन बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट को अभी लागू नहीं किया गया है, उसे अमली रूप दिया जाए। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जो मेन प्वायंट्स हैं, जैसे पावर स्ट्रेशन, हॉस्पीटल, टेलीफोन एक्सचेन्ज, टी०वी०, आकाशवाणी, एअरपोर्ट्स हैं, यहां पर गार्डज बढ़ा दिए जाएं और इनकी स्ट्रेंग्थ बढ़ायी जाए। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि होम

मिनिस्ट्री के अन्दर जो फाईल पड़ी रहती हैं, उनका जल्दी निपटारा किया जाए जिसमें बंब डिस्पोजल स्कवाड की बात हो या दिल्ली फोर्स की बात हो, उसको बढ़ाया जाए। जैसाकि मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस का कार्य शानदार रहा है लेकिन इसको आधुनिकतम हथियार और साज-सामान मिलना चाहिए जैसाकि आज आतंकवादियों के पास हैं। इससे उनका मुकाबला करने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कामयाब होगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : सभापति महोदय, हमारे गृह राज्य मन्त्री एक नौजवान मन्त्री हैं और हम खुद भी नौजवान हैं। हम उनसे आशा रखते थे कि पुराने ढर्रे से हटकर इस कालिंग अटेंशन नोटिस का जवाब आएगा परन्तु हम इनकी भी मजबूरी समझ सकते हैं। इन्होंने भी वही किया और जैसा जवाब इन्हें मिला, उसे ही उठाकर इन्होंने यहां पढ़ दिया। इस बार तो यह चल जाएगा परन्तु दूसरी बार हम आशा रखते हैं कि वे जब भी सदन में कोई जवाब देने के लिए आएं तो हर विषय का जवाब अपने ढंग से दें। दिल्ली में पिछले दिनों एक के बाद एक लगातार 6 ऐसी घटनाएं हुई, जिनमें 12 व्यक्ति मारे गए और 109 घायल हुए। मन्त्री जी ने अपने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं। सभापति महोदय, ऐसा जवाब सुनने के लिए हम इस हाउस में नहीं आए हैं। हमें जिन लोगों ने यहां चुनकर भेजा है, उनका उद्देश्य था कि हम सारी व्यवस्था में परिवर्तन लायें। लोग इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था का भी परिवर्तन चाहते हैं। यदि ऐसा ही जवाब मिलना था तो हमें यहां आने की जरूरत नहीं थी। यदि आप कहते कि 6 में से दो घटनाओं से संबंधित लोगों को पकड़ लिया गया है, तो भी बात समझ में आती, लेकिन ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, बम विस्फोट की शुरूआत कैसे हुई, जब हम इस ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह देश हमेशा से गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाला देश रहा है, फिर इस देश में बम विस्फोट जैसी घटनाएं कैसे होने लगीं। इसकी शुरूआत पंजाब से हुई। पंजाब में हर रोज बम फटते या कोई दूसरी बड़ी वारदात होती आयी है और यह हर रोज का क्रम बन गया। पंजाब में स्थिति कंट्रोल हो नहीं पायी कि देश के अन्य राज्य से भी ऐसी ही घटनाओं के समाचार आने लगे। अपराधी लोग अपराध करके हिंदुस्तान के बाहर चले जाएं, यह कैसे संभव है। वैसे ही हालात कश्मीर में बनते गए और वहां भी यह रोज का क्रम बन गया है। हमारा गुजरात भी इससे अछूता नहीं रह गया है। गुजरात में भी विगत कई सालों से बम विस्फोट की घटनाएं यदाकदा हो रही हैं। मैं जिस शहर से जीतकर यहां आया हूं, उस बड़ौदा शहर में भी लास्ट वीक बम विस्फोट की घटनाएं हुई। सवाल वही है कि ये घटनाएं होती हैं, एफ० आई० आर० दर्ज की जाती है, कहा जाता है कि मामले की जांच हो रही है, यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है, एक दिन हम उसे भूल जाते हैं, फिर इस बीच में कोई नई घटना हो जाती है, और फिर वही क्रम दोहराया जाता है। मैं यहां खुराना साहब की इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली की जनसंख्या जिस गति से लगातार बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में दिल्ली पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। इसे तुरन्त अब बढ़ाया जाना चाहिए। इस देश के लोग हमेशा से अहिंसा में विश्वास रखते आये हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं, फिर क्यों यहां उग्रवादी बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सारे देश की पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाए। पुलिस की विभिन्न यूनिट्स का यह हाल है, मैं आपको गुजरात के बारे में बताना चाहता हूं वहां स्पेशल ब्रांच क्राइम के अधिकारी की पोस्ट काफी समय से आज भी खाली है। जब किसी अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की जाएगी तो वे क्या काम करेंगे। जयपुर में अभी बम बनाने वाली जो घटना सामने आयी, वहां बम बनाने वाले लोगों को पकड़ा भी गया है, परन्तु उनका लिंक कहां से है, यह जानने की दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि तमाम घटनाओं की गहराई में जाकर पता लगाया जाना चाहिए। इतना

विवरण देने के बाद, मैं आपसे मोटे तौर पर चार प्रश्नों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं :—

[अनुवाद]

1. केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह काम क्यों नहीं सौंपा जा रहा कि वह उन स्थानों का पता लगाए जहां बमों का निर्माण किया जा रहा है ?

2. आसूचना विभाग के साथ समन्वय करने तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों को मजबूत करने के लिए तथा दोषियों को पकड़ने के लिए समन्वय दल को नहीं बनाया जा रहा है ?

3. यह क्या कारण है कि सभी बम विस्फोटक मामलों में अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है ?

4. उन विदेशियों को जो भारत में ठहरने की अवधि समाप्त होने के बाद भी रह रहे हैं, तथा जिन्हें जासूसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, उन्हें पकड़ने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इन बिन्दुओं पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गृह राज्य मन्त्री जी जब इस चर्चा का उत्तर दें तो वे अपने ढंग से स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि वे भी इस सदन में उसी मूवमैंट के अंतर्गत आए हैं, जिस मूवमैंट में हम यहां आए हैं। आज लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। बम बनाने वाले जितने मामले पकड़े गए हैं, उनके दोषी अधिकारियों को इण्डियन पीनल कोड के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस देश में तोड़ फोड़ करने वालों को सबक मिले कि यहां ऐसी हरकतें करना खतरे से खाली नहीं है और वे बच नहीं सकते। इतना ही कह कर मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे प्रो० कुरियन को पहले बुलाना चाहिए था क्योंकि उनका नाम सूची में पहले है लेकिन मेरी गलती की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : जब भी अध्यक्षपीठ की गलती होती है, उसे हमेशा क्षमा कर दिया जाता है। बहरहाल मुझे अब बुलाने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं केवल कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे मित्रों ने जिन बातों का पहले उल्लेख किया है मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में 'आपराधिक घटनाएं' जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। उन्हें केवल आपराधिक घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आतंकवादियों द्वारा किए गए कार्य हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये केवल आपराधिक घटनाएं हैं अथवा इन बम विस्फोटों के पीछे आतंकवादियों का हाथ है वे इसका सही तरीके से पता लगायेंगे ? क्या आपके इन घटनाओं के पीछे कार्य कर रहे कुछ आतंकवादी संगठनों का पता लगाया है ? उस मामले में, क्या आप मुझे ब्यौरा देंगे ? कुछ समाचार पत्रों ने पहले ही समाचार प्रकाशित किए हैं कि इसके पीछे कुछ आतंकवादी हैं, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने समाचार प्रकाशित किया था कि दिल्ली बम

विस्फोटों में बी० टी० एफ० के० का हाथ है। ऐसे समाचार यहां हैं। मैं इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

दूसरा, पुलिस के साथ मिलीभगत के भी समाचार हैं। अब, समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इस सम्बन्ध में एक उप-निरीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है? हमारे पुलिस दलों में किस सीमा तक आतंकवादी अथवा आतंकवादियों के समर्थकों की घुसपैठ हुई है। उस जांच का परिणाम क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि पुलिस दल ऐसे राष्ट्र विरोधी उग्रवादी तत्वों से अलग रहे?

तीसरा, बार-बार होने वाले बम विस्फोटों से हमारी आसूचना एजेंसियों की बुरी तरह से असफलता का पता चलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी आसूचना एजेंसियों ने इन घटनाओं के बारे में पहले से सूचना दी थी? यदि नहीं, तो इससे आसूचना एजेंसियों की असफलता के बारे में पता चलता है। इस संबंध में, आप इस सभा में जो कुछ रहस्योद्घाटन करना चाहते हैं, आप कृपया वह कीजिए। यदि नहीं, तो क्या आप आसूचना एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके?

दुर्भाग्यवश, बसें बहुत ही आसान लक्ष्य बन गए हैं। बसों में बम विस्फोट की बहुत ही घटनाएं हुई हैं और निर्दोष लोग मारे गए हैं। हर रोज बसों में हजारों यात्री यात्रा करते हैं। वे सभी असुरक्षित महसूस करते हैं। अतः यही एक ऐसा क्षेत्र है—हो सकता है कि इस प्रकार के हमले को रोकना शत-प्रतिशत संभव नहीं हो—ये आसान लक्ष्य हैं जिनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मैंने इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखा है। माननीय मन्त्री महोदय ने उन कदमों के बारे में बताया है। मैं यह महसूस करता हूं कि वे कदम बिल्कुल अपर्याप्त हैं। वे कदम ऐसी गंभीर स्थिति में निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि इस प्रकार के विस्फोट बसों में न हों जो कि आतंकवादियों के लिए बहुत ही आसान और संभव लक्ष्य बन गए हैं? मेरे विचार में यह कठिन नहीं है। प्रत्येक बस में किसी प्रकार की जांच अथवा संवाहकों के लिए कुछ विशेष परीक्षण और बसों में किसी प्रकार की जानकारी देने वाले उपाय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बसों में होने वाली बम विस्फोट को समस्या को सुलझाया जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं।

मैं कहता हूं कि मूल रूप से यह सरकार की असफलता है, सरकार द्वारा बरती जा रही सतर्कता में कमी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो विरोधी पक्ष कहते थे : "यह सरकार की असफलता है।" अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं और यह कह कर छुटकारा नहीं पा सकते हैं कि "कांग्रेस शासन काल में भी ये सब वारदातें हुई हैं। अतः अब भी ऐसा होगा।" आप ऐसा नहीं कह सकते हैं और इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मैं यहां यह दिखलाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं कि इस अवधि के दौरान विस्फोट की घटनायें बढ़ गई हैं। उग्रवादियों की गतिविधियां सभी जगह बढ़ गयी हैं। मैं कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं बल्कि यह एक तथ्य है। मैं आपके समक्ष कोई आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे पंजाब हो या कश्मीर अथवा दिल्ली बम विस्फोटों की वारदातों समेत उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं।

यह एक कटु सत्य है। इससे सरकार विशेषकर गृह मन्त्रालय की असफलता सिद्ध होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि चाहे दिल्ली हो या अन्यत्र हमें उग्रवाद की इस समस्या का निपटान बड़े पैमाने पर करना होगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : जिन्होंने शुरुआत की थी और उनका कहने का जो तात्पर्य था कि पूरे देश में इस तरह का माहौल बन रहा है और पाकिस्तान के द्वारा जो घोषणा की गई है, सरकार इस दिशा में कौन सी कार्यवाही कर रही है? दिल्ली, पंजाब और कश्मीर की घटनाओं को देखते हुए यही लगता है कि ये सारे एक-दूसरे से जुड़े हुए सवाल हैं। मैं समझता हूं कि जब "चेंज आफ गार्ड" होता है, सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ जहां एक तरफ लाखों लोगों की उम्मीद बदली है, उनकी कुछ ख्वाइश जगी है उसके साथ-साथ पिछले दस सालों से देश में ऐक्सट्रीनिज्म के फोर्सेज जो ऐक्टिव थे, उन सारे लोगों ने अपने सिर को उठाने का काम किया है। जब हमने पंजाब और कश्मीर में सख्ती से, जहां पिछले दिनों सरकार नाम की चीज नहीं थी, वहां पर सख्ती से सरकार की अथोरिटी को स्टेबीलाइज करने की कोशिश की तो ऐसे फोर्सेज ने आकर दिल्ली में जो घटनाएं कीं, उस घटना से मैं उनके ताल्लुक को नकारना नहीं चाहता, कहीं न कहीं ऐसे फोर्सेज आकर दिल्ली में अपनी गतिविधियां चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि दिल्ली की पुलिस इस देश के जितने भी पुलिस बल हैं, उनसे ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं और ऐसे लोगों के नापाक इरादों को तोड़ने का काम करेगी। बहुत साथियों ने कहा कि कितनी घटनाएं हुई हैं, मैं यह मानता हूं कि जो सवाल माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, अगर उस सवाल को इस स्टेटमेंट में ही मैंने दे दिया होता तो समय बचा होता और जो जवाब देने की प्रक्रिया रही है, उसका उपयोग मैं सही तरीके से कर पाता। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सवाल उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि दिल्ली में थाने में जो घटनाएं घटी हैं उसे लेकर 1987 से आज तक दिल्ली के अन्दर 20 बम ब्लास्ट हुए जिसमें 31 लोगों की जानें गयीं, 285 लोग घायल हुए, 20 केस रजिस्टर किए गए जिसमें से सात केस अन्डर-ट्रायल चल रहे हैं, पांच इनवेस्टीगेशन के हैं और आठ केस ऐसे रहे जो आइडेंटीफाई नहीं किए जा सके हैं। दिल्ली में पुलिस थाने में जो घटना हुई है, उसमें दो नोन टैरोरिस्ट्स को पुलिस और इनटेलीजेंस वालों ने ससपैक्ट किया है, एक ए० एस० आई० वेअंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तीन को आइडेंटीफाई किया है जिसमें तीन ऐबसकौंडिग हैं, उसमें दो गुरजवीर सिंह और मंगलसिंह पहले भी डी० टी० सी० बस के बम कांड से सम्बन्धित है। वे अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस ने इनको पूरी तरह आइडेंटीफाई किया है। यही नहीं सभापति महोदय, पुलिस ने बहुत से प्रिकाशनरी मेजर्स भी लिए हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। मंगल सिंह और गुरजबीर सिंह के फोटोग्राफ भी पेपरों में पब्लिश किए गए हैं। क्लोज वाच किए जा रहे हैं। जो ससपैक्टिड लोग हैं उनकी गतिविधियों के ऊपर पूरी नजर रखी जा रही है। तीन बम इन्स्पैक्टर्स सैटअप किए हैं जो कि बम स्क्वायड के तौर पर काम करते हैं। 9 बम ब्लेंकेट्स भी लिए जा रहे हैं जो कि बम को डिफ्यूज करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाकर काम करेंगे। जो लोग ऐसी घटनाओं में मारे गये हैं उनको 50,000 रुपए तक सहायता राशि दी गई है, जो सीरियसली इनजर्ड हैं उनको 10,000 रुपए तक की राशि दी गई है और जो माइनर इनजर्ड हैं उनको तीन हजार रुपए की राशि दी गई है।

दिल्ली पुलिस के काम के बारे में खुराना जी ने कहा कि इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कमिश्नर आफ पुलिस ने एक कमेटी बनायी है। ऐसे लोग जिनके काम करने की गतिविधियों के बारे

में जरा सा भी शक होगा उनके बारे में कमेटी में विचार होगा। जो इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई है वह रिकमडेशन देने वाली है और इस दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है।

सभापति महोदय, इन्टेरिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हरेक राज्यों के पदाधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लोग आपस में व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं। दिल्ली की घटनाओं को देखते हुए विभिन्न राज्यों में चौकस रहने की कार्यवाही की जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस की कार्यवाही से ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। ऐसे लोग जिनको इनके चलते नुकसान उठाना पड़ा उसके लिए हमें बहुत दुःख है। जब आतंकवादियों की चपेट में इस देश की भूत पूर्व प्रधान मन्त्री आ गयीं और मारी गयीं तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना दूसरी कोई नहीं हो सकती है। इसलिए इन तमाम प्रिकाशनरी मेजर्स के बाद दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया है। पहले इनके पास 30,000 फोर्स थी, उसको बढ़ाकर 50,000 किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देश का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस फोर्स है। इनके पास 700 ह्विकलस हैं, तीन नए पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं और 30 नए पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। ये सब पूरे दिल्ली को चुस्त और दुरुस्त करने के दृष्टिकोण से किया गया है।

इन तमाम चीजों के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन जिस गम्भीर विषय के ऊपर आज ध्यान सरकार का आकृष्ट कराना चाहता है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए हमारे जितने माननीय सदस्यों ने जो-जो सुझाव दिए हैं··· (व्यवधान)

श्री आरिफ बेग (बेतल) : बम स्क्वायड के बारे में बताएं कि उसमें इजाफा क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुबोध कांत सहाय : 3 बम स्क्वायड बनाए गए हैं। तथा 9 बम ब्लैंकेट्स ले रहे हैं जिन्हें बम स्क्वाड के साथ रखते हैं तथा हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक ब्लैंकट रखा जाएगा। दिल्ली में कानून और व्यवस्था की जब कभी चर्चा होगी तो यहां के दिल्ली से संबंधित माननीय सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। मैं एक यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यहां पर जो डी० टी० सी० के ड्राइवर्स और कंडेक्टर्स को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दे करके पुलिस हर बसों में चैकिंग नहीं कर सकती है हम यह मानकर चलते हैं, फिर भी उनको ट्रेनिंग देकर इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए, पूरी तरह से इम्विप करने की दिशा में भी सरकार कार्यवाही करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि एक्स्ट्रीमिस्टों की आने वाली चुनौती से हम पूरी तरह से निपटने में सक्षम होंगे।

———

2.45 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के कोरापुट जिले में मलकानगिरि में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का आना रोके जाने के प्रश्न पर श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : जैसी कि खबर है श्रीलंका के तमिल शरणार्थी जिन्होंने मार्च के महीने में श्रीलंका छोड़ा है, उन्होंने तमिलनाडु में शरण लेना चाहा लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा

आश्रय दिये जाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्हें उड़ीसा के कोरापुट जिले में मलकानगिरि में ले जाया गया है और दो स्थानों पर उन्हें रखा गया है। आगे ऐसी खबर है कि उनके पास घातक हथियार और गोला बारूद है। मलकानगिरि के इस इलाके में पहले बहुत ही सीधे सादे पिछड़े आदिवासी रहा करते थे और 1962 के पश्चात तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वहां लाया गया और घने जंगलों को साफ कर उन्हें वहां बसाया गया था। वहां के स्थानीय आदिवासी जो कि अत्यधिक गरीब हैं अभी भी उसी दशा में है। कुछ समय के लिए इन आदिवासियों और वहां बसने वाले शरणार्थियों के बीच दुश्मनी हो गयी थी। श्रीलंका की स्थिति ऐसी है कि किसी भी समय यहां और भी श्रीलंका के तमिल शरणार्थी पहुंच सकते हैं। मलकानगिरि इस देश के अधिसूचित क्षेत्र का एक भाग और वहां के घने जंगल आदिवासियों की जीविका के लिए उपयोगी थे। इन जंगलों का करीब-करीब पूरी तरह से सफाया हो चुका है जिससे पर्यावरण सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि वहां ज्यादा से ज्यादा शरणार्थी आयेंगे तो उस शांतिपूर्ण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

मैं माननीय विदेश मन्त्री जी का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करता हूं कि वे श्रीलंका की सरकार के साथ मिलकर स्थिति सामान्य बनायें ताकि और शरणार्थी मलकानगिरि या भारत के अन्य किसी भाग में नहीं आ सकें और जिन्होंने श्रीलंका छोड़ दिया है वे जल्द से जल्द स्वदेश लौट जाएं।

(दो) गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : गुजरात देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्यटन केन्द्र है। प्राचीन स्मारक, हथकरघा, कला, दुर्लभ वन्य प्राणी, शांत समुद्र तट, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, पर्वत और मेले तथा त्योहारों के रूप में वैभवपूर्ण विरासत गुजरात में है। हर साल 40 लाख से अधिक देशी पर्यटक गुजरात का भ्रमण करते हैं और 25,000 से अधिक विदेशी पर्यटक प्रत्येक वर्ष गुजरात में आते हैं। देश में रोजगार उत्पन्न करने और आय उत्पन्न करने के इसके प्रमाणित क्षमता के आधार पर वहां पर्यटन को बढ़ावा देने की बात स्वीकार कर ली गई है।

गुजरात सरकार ने पर्यटन महत्व के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का निर्धारण किया है और भारत सरकार को विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं। वर्ष 1988-89 के लिए 516 लाख रुपए के प्रस्ताव, वर्ष 1989-90 के लिए 697 लाख रुपए के प्रस्ताव और वर्ष 1990-91 के लिए 606 लाख रुपए के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए लम्बित पड़े हैं। इन परियोजनाओं को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है—होटल और मनोरंजन पार्क, यात्रा पथ पर दी जाने वाली सुविधाएं और यात्री निवास।

पर्यटन के बढ़ावा देने हेतु मैं सरकार से लम्बित परियोजनाओं को तुरन्त मंजूरी दिए जाने की मांग करता हूं।

(तीन) दिल्ली और अहमदाबाद के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की मांग

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, अजमेर नगर एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक, प्राचीन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर है। यह नगर समस्त धर्मों का संगम स्थल

है। वहीं पर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह शरीफ तथा समीप ही हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। जहां प्रति वर्ष लाखों यात्री जियारत या तीर्थाटन हेतु आकर पुण्य लाभ करते हैं। यह नगर कार्य समाज के प्रवर्त्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती की निर्वाण स्थली है। देश के बड़े-बड़े नेता तथा सत्ताधीश दरगाह शरीफ और ब्रह्मा जी के मन्दिर में जाकर दुआएं मांगते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहीं पर प्रसिद्ध मेयोकालेज तथा अन्य कई शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से अजमेर नगर में अकबर फोर्ट, मैगजीन, आनासागर अढ़ाईदिन का झोंपड़ा, नसियां आदि कई स्थल हैं। परन्तु दुर्भाग्य से राजस्थान राज्य की हृदय स्थली होते हुए भी यह प्रसिद्ध नगर बड़ी रेलवे लाइन (ब्राड गेज) से जुड़ा हुआ नहीं है। फलस्वरूप लाखों यात्रियों को प्रति वर्ष आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। बड़ी रेलवे लाइन से नहीं जुड़े होने के कारण यह नगर आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से निरन्तर पिछड़ रहा है। बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। अतः अजमेर नगर के सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र इस शहर को बड़ी रेल लाइन (ब्राड गेज) से जोड़ा जाए। इस हेतु चिरप्रतीक्षित एवं लम्बित दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में (वाया रिवाड़ी अलवर-जयपुर-फुलेरा-अजमेर-ब्यावर-मारवाड़ जंक्शन-आबूरोड-मेहसाना) अविलम्ब बदला जाए जिससे जनता की चिरप्रतीक्षित आकांक्षायें पूर्ण हो सकें और समस्त राजस्थान का भी पिछड़ापन दूर हो सके।

(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी कार्य क्षेत्रों में आरक्षण किए जाने की मांग

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, लोक सभा एवं विधान सभाओं में था सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण अवश्य मिला है परन्तु केवल उपरोक्त आरक्षण से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक एवं शैक्षणिक जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निकाय जनतन्त्र की प्रारम्भिक कड़ी है। उसके शीर्ष स्थान जिला परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, टाउन एरिया अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख आदि पदों पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। विधान परिषद, राज्य सभा में प्रतिनिधित्व पाने के लिए उन्हें राजनीतिक पार्टियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यपाल, उच्चायुक्त राजदूत, वाइस चांसलर आदि पदों पर उनका प्रतिनिधित्व लगभग शून्य के बराबर है। अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में भी उनका आरक्षण नहीं है। हिंदू धर्म मानने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग, धर्म व्यवस्था के कारण पंडा, पुजारी एवं मठाधीश नहीं हो सकते। अर्द्ध सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए तथा हिन्दू कानून में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके पंडा पुजारी मठाधीश आदि में भी आरक्षण किया जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सरकारी नौकरियों में पूर्व निर्धारित कोटा अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

उपरोक्त व्यवस्थाओं से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन में व्यापक, सामाजिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि संविधान एवं कानून में संशोधन करके अतिशीघ्र जीवन के हर एक आयामों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(पांच) ऐसी व्यवस्था किए जाने की मांग जिससे कि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित मलयालम के कार्यक्रम मालाबार के उत्तरी जिलों में भी देखे जा सकें

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : कन्नानौर, कासरगोड, वयानाड और मालाबार में

कालीकट जिलों के कुछ भागों में लोग त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले मलयालम कार्य-क्रम देखने के लिए उत्सुक हैं। जबकि केरल के अन्य भागों में त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम बहुत पहले से ही देखे जा रहे हैं, मालाबार के इन क्षेत्रों में ये कार्यक्रम लोग नहीं देख पाते हैं। अनेकों बार यह मुद्दा उठाया जा चुका है लेकिन कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं यद्यपि इस सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये हैं। मालाबार क्षेत्र में होने वाली घटनाएं त्रिवेन्द्रम दूर-दर्शन के कार्यक्रमों द्वारा नहीं दिखायी जातीं। त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकांशत: दक्षिणी जिलों तक ही सीमित रहते हैं।

अत: मेरा यह नम्र निवेदन है कि त्रिवेन्द्रम से प्रसारित होने वाले मलयालम कार्यक्रम को मालाबार जिले के चार दूरस्थ उत्तरी भागों में दिखाए जाने के लिये तुरन्त कदम उठाये जायें और त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन द्वारा मालाबार क्षेत्र की घटनाओं को दिखलाने की बात सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें।

(छ:) बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानूनों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ा दण्ड दिए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापत्तनम) : हाल ही में राजस्थान के विभिन्न भागों में शारदा अधिनियम का उल्लंघन कर हजारों बाल विवाह सम्पन्न किये गये थे। इस प्राचीन प्रथा की अत्यधिक निंदा की जानी चाहिये जो अपने में भयावह है। वर्ष 1990 की घोषणा 'सार्क' के बालिका वर्ष के रूप में की गई है। यह विडंबना है कि इस वर्ष ही सरकार इस सामाजिक बुराई पर चुप्पी साधे हुए हैं। यदि भारतीय महिलाओं को समाज में उनका स्थान दिलाना है और एक सम्मानजनक जीवन देना है, यदि बालिका वर्ष का वास्तव में कोई अर्थ है तो सरकार को निश्चित रूप से इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना चाहिए और बाल विवाह कानून और शारदा अधिनियम भंग करने वालों को दंडित करना चाहिए। साथ ही सरकार को इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए लोगों में सामाजिक चेतना जगाने हेतु अभियान चलाना चाहिए।

(सात) मध्य प्रदेश में सतना और रीवा के बीच रेल लाइन बिछाई जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मध्य प्रदेश में सतना से रीवा तक की 51 कि० मी० रेल लाइन के निर्माण हेतु मई 1984 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने शिलान्यास किया था, किन्तु 6 वर्षों के बाद भी अभी तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। रेल लाइन के न होने के कारण रीवा सम्भाव का विकास अवरुद्ध है। चूना, पत्थर, बाक्साइट, कोयला और वन सम्पदा के होते हुए भी इस भू-भाग में उद्योग चालू नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि रेलवे लाइन नहीं है। सब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस भू-भाग में रेलवे लाइन के निर्माण की सिफारिश की थी। किन्तु इस सिफारिश के 34 वर्ष बाद भी रेलवे लाइन नहीं बन सकी।

समूचे देश में रीवा सम्भाग की प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे कम है। बेरोजगार नौजवानों के लिये कोई काम नहीं है।

अत: मैं शासन से मांग करता हूं कि सतना से रीवा तक की रेल लाइन का निर्माण कार्य 1991 तक पूरा करा दिया जाए।

(आठ) बिहार के मधुबनी जिले में झंझारपुर के समीप कमला-बलान नदी पर बने रेल पुल पर ऊपरी पुल बनाए जाने की मांग

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन कमला-बलान नदी पर एक पुराना रेल पुल है। आजादी के 42 वर्ष बीत जाने के बाद यही एकमात्र रेल पुल है जिस पर होकर रेलगाड़ी के अतिरिक्त बस, टेक्सी, रिक्शा, टमटम वगैरह वाहन भी गुजरते हैं। थोड़ी सी असावधानी होने पर भयानक रेल-दुर्घटना हो सकती है और जान-माल की अपार क्षति हो सकती है। नेपाल की ओर जाने वाली, इस रेल पुल से गुजरने वाली यह सड़क अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। गुमटी बन्द रहने पर सड़क यातायात घंटे-दो-घंटे ठप्प हो जाता है जिससे यात्रियों को समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी परेशानी होती है। नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह के रेल पुल की स्थिति का बना रहना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है।

अतः राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जान-माल के संभावित खतरे एवं आम लोगों के यातायात में व्यवधान को देखते हुए मैं जनहित में झंझारपुर के समीप कमला-बलान नदी के रेल पुल के ऊपर एक ओवर ब्रिज के शीघ्र निर्माण की मांग करता हूं।

———

2.59 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

जल संसाधन मंत्रालय

और

कृषि मंत्रालय—(जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम जल संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन क्रमशः अनुदानों की मांग संख्या 78 और संख्या 1 से 5 पर संयुक्त रूप से आगे चर्चा और मतदान करेंगे। माननीय श्री प्रेम प्रदीप जी।

[हिन्दी]

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : माननीय सभापति जी, हमारे देश के अन्दर सिंचाई एक राष्ट्रीय समस्या है। जब से आजादी हुई है और कई पंचवर्षीय योजनाएं हम आजादी के बाद से पूरी हो चुकी हैं लेकिन हम देखते हैं कि सिंचाई की योजनाएं बहुत मंथर गति से चलायी जा रही हैं। अगर ऐसा न होता तो हमें दूसरे देशों से अनाज नहीं मंगाना पड़ता।

[हिन्दी]

3.00 म० प०

हम अपने देश की भौगोलिक बनावट की ओर देखें तो पता चलेगा कि यहां पर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ता है। जहां पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती और नदियों में बाढ़ आती है, परियोजना बनाकर, बांध बनाकर उस पानी

को रोककर उसका उपयोग बिजली उत्पादन में और सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए किया जा सकता है और जिन इलाकों में सूखा पड़ता है, राजस्थान आदि राज्यों में, उन इलाकों में उस पानी को पहुंचाया जा सकता है। आज हम वैज्ञानिक युग में हैं, आदमी चांद तक पहुंच गया है तो क्या हम वर्षा के पानी का उपयोग परियोजनाओं द्वारा नहीं कर सकते, उस पानी को सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की ओर नहीं मोड़ सकते ? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए दूसरे देशों से मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है। जब हम बचपन में भूगोल पढ़ते थे तो पढ़ते थे कि चीन की हुवांगहो नदी और बिहार की कोशी नदी आफत हैं। लेकिन चीन ने तो हुवांगहो नदी को कंट्रोल कर लिया, उससे बिजली का उत्पादन किया और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करके उस आफत को वरदान में परिवर्तित कर दिया। चीन हमारे देश के बाद आजाद हुआ है, लेकिन भारत में अभी यह काम नहीं हो पाया है। उत्तर-बिहार की नदियों की विभीषिका से सभी लोग परिचित हैं, जिनसे प्रति वर्ष करोड़ों के जान-माल का नुकसान होता है और देश को यह नुकसान बराबर उठाना पड़ता है। क्या हमारा देश ऐसी आपदाओं को वरदान में नहीं बदल सकता, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

कुछ आंकड़े मैं बताना चाहता हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि सरकारी आंकड़े हैं। देश की कुल सिंचाई क्षमता 113 मिलियन हैक्टर है, जिसमें 73 मिलियन हैक्टर सतही और 40 मिलियन हैक्टर भूजल के माध्यम से है। इसको हम देखें, हमारा इतना बड़ा देश है और सिंचाई क्षमता कुल 113 मिलियन हैक्टर आंकी गई है। इसके बारे में ब्यौरा दिया गया है कि 73 मिलियन हैक्टर सतही है और 40 मिलियन हैक्टर भूजल के माध्यम से है। 1951 में सुनियोजित सिंचाई विकास के प्रारम्भ में देश की सकल सिंचाई क्षमता 22.6 मिलियन हैक्टर थी। खाद्यान्न उत्पादन लगभग 51 मिलियन टन था। इसको हम देखते और स्वीकार करते हैं कि इसकी मात्रा अपर्याप्त थी। इस बात को स्वीकारा गया है। इसलिए देश में सतही तथा भूतल संसाधन दोनों से सिंचाई के विकास पर बल दिया गया और कहा गया है कि देश में सिंचाई विकास में चमत्कारी वृद्धि हुई। चमत्कारी वृद्धि क्या हुई यह आंकड़े बता रहे हैं हम नहीं बता रहे। सातवीं योजना के अन्त तक सिंचाई क्षमता 89 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ जाने की आशा है अर्थात ऐसी उम्मीद की जाती है। यही हमारे देश का ब्यौरा है।

मेरा कहना यह है कि इस तरह से मंथर गति से चलने से हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सकते। हमने यह भी कहा है कि इस विज्ञान के युग में जब आदमी चांद पर जा सकता है, और ऐसे-ऐसे विनाशकारी बम बना सकते जो मिनटों में किसी भी देश को भस्म कर सकते हैं तो क्या इस विज्ञान के युग में, आबादी का हम रोना रोते हैं। वैज्ञानिक लोग इस तरफ अगर ध्यान दें तो आबादी चाहे जितनी बढ़े, अन्य उत्पादन कर उसकी पूर्ति की जा सकती है। मिनटों में किसी देश को खत्म कर सकते हैं, आदमी चांद पर जा सकता है तो हम चाहेंगे कि नदियों पर बांध बनाए जाएं बिजली उत्पादन की जाए।···घण्टी···मैं केवल दो मिनट और लूंगा। इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा।

जहां से मैं चुनकर आता हूं, नवादा जिला है, बड़ा सूखाड़ इलाका है। जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां एक अपर सकरी जलाशय योजना का शिलान्यास बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह जी ने किया था। उसका शिलान्यास 20-10-84 को ही हुआ था। लेकिन वह योजना आज तक लम्बित पड़ी हुई है। इससे सिंचाई इतनी होगी कि न सिर्फ नवादा जिला बल्कि उससे 1 लाख 50 हजार एकड़ की सिंचाई होगी। इस एक लाख 50 हजार एकड़ में नवादा जिला और नालन्दा जिले की दो प्रखंड गिरियक और अस्थावां शामिल हैं। इसके अलावा मुंगेर जिले का सिकन्दरा, बरबीघा, चतुरा, अरयरी प्रखंड की भी सिंचाई

होगी। नवादा जिला सूखाड़ इलाका है, पथरीला भाग है, उसकी अवस्था अस्त-व्यस्त है। किसान लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं। अभी वहां कैसा पानी और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है इसे आप जानें। मैं हाल ही में वहां गया हुआ था, 30 तारीख को लौटा हूं, उस जिले को सिर्फ दो मैगावाट बिजली मिलती है। वहां बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर उस अपर सकरी योजना को लागू किया जाए जिससे सिंचाई के अतिरिक्त 250 मैगावाट बिजली पैदा होगी तो वह कितने जिले की पूर्ति कर सकती है। हम अनुरोध करेंगे कि इसको आठवीं योजना में अवश्य सम्मिलित किया जाए। एक दूसरी योजना भी चलाई जा रही है तिलैया-ढाढहर अपसरण योजना जिसमें काम रुका हुआ है। काम की हालत यह है कि उसके लिए जितने रुपए की जरूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है। बिहार की सरकार ने यह झूठा दावा किया है कि उसको हम 1992 तक पूरा कर देंगे। लेकिन कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं इन्जीनियर्स से मिला और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा अभी हमें दिया जाता है वह तो हम लोगों के वेतन में चला जाता और कुछ बचता है तो थोड़ा इधर-उधर लगा पाते हैं। हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हमें यदि एकमुश्त रुपया मिले तो हम इस योजना को अपने समय में तैयार कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो परियोजनायें चलाई जा रही हैं और अर्थाभाव के कारण वह रुकी हुई हैं आप उस पर ध्यान दें। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं।

आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रुद्रसेन चौधरी (केसरगंज) : माननीय सभापति महोदय, मुझे कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने जो ग्रामों के लिए ग्राम विकास के लिए और अधिक संसाधन जुटाने का संकल्प किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह संयोग ही कहा जाएगा कि कृषि मन्त्रालय और जल संसाधन मन्त्रालय दोनों का साथ-साथ वाद-विवाद चल रहा है। वैसे तो साथ होना ही चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों मन्त्रालयों को अलग रखा गया है। क्योंकि खेती की और खेती की पैदावार की कल्पना जल के बिना नहीं की जा सकती। अब तक जो खर्चा ग्रामों के नाम पर, उनके विकास के लिए योजनाएं चलाई गई हैं उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको देखते हुए जो विकास हुआ है उसका सही आंकलन अगर गांवों में जाएं तो मैं समझता हूं कि उस खर्चे के हिसाब से कितना विकास हुआ है यह पता चलेगा। पैसे के हिसाब से विकास नहीं हुआ है। इसके पीछे कौन-सी बात है, यह भी बहुत साफ है। मैं समझता हूं इसके पीछे किन्हीं निहित स्वार्थी तत्वों की, विशिष्ट लोगों और वर्गों की एक साजिश है और एक षड्यन्त्र भी इसके साथ-साथ काम करता रहा है।

मुझे याद है यदि मैं गलत नहीं हूं तो पिछली सरकार के प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया था कि जो कुछ भी ग्रामीण विकास के नाम पर पैसा गांवों के लिए और गांवों के गरीबों तथा पिछड़े लोगों के लिए भेजा जाता है उसका दस फीसदी भी उन तक नहीं पहुंचता है। यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। मैं समझता हूं कि शायद वर्तमान सरकार इस बीच में जो गड़बड़ी थी उसको पाटने में और उसको दूर करने में कामयाब सिद्ध होगी और जो भी पैसा ग्रामीण विकास के नाम पर खेती के नाम पर खर्च किया जाएगा वह वास्तविक रूप से गांवों में पहुंचेगा। अभी दुष्चक्र की बात कह रहे हैं। यह षड्यन्त्र है। अभी तीन महीनों की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस समय चुनाव खत्म हुए उस समय खरीफ की उपज बाजार में आ गयी थी। नयी

सरकार ने जैसे ही कार्यभार संभाला, उसके बाद सारे देश में विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि खरीफ उपज के भाव धीरे-धीरे गिरना शुरू हो गए । अब यह बात जरूर थी कि शासनतन्त्र सरकार ने अपने हाथ में लिया ही था। किन परिस्थितियों में लिया था, किस प्रकार का उसका सैट-अप बना हुआ था ? मैं समझता हूं कि सरकार थोड़े दिनों में नहीं रोक पायी लेकिन मेरी पूरी जानकारी है कि यदि आप विस्तार में जाएं और इस बात पर गौर करें तो मालूम होगा कि धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी इन पांचों फसलों के भाव लगातार मार्च के आखिर तक गिरते चले जा रहे थे और साथ ही साथ किसानों की जरूरत की जो चीजें थीं, उनके भाव बढते जा रहे थे। चाहे वह लोहा हो, सीमेंट हो, चाहे ईंट हो, चाहे कपड़ा हो और चाहे वह दवाइयां हों। तो इस प्रकार जहां एक ओर कृषि उत्पादन मूल्य में ह्रास हुआ है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए आवश्यक चीजों में मूल्य वृद्धि हुई है। इसके पीछे कौन सा क्रम काम कर रहा था ? क्या इसमें इस सरकार का दोष कहा जाएगा ? मैं यह समझता हूं कि यह कहना कतई उपयुक्त नहीं होगा। यह वही दुष्चक्र है, वही लोग हैं और वही षड्यन्त्र है जो अभी तक साजिश के आधार पर किसानों के नाम पर दिया हुआ धन चूसने की कोशिश करते रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जाए और ऐसा चक्र बनाया जाए ताकि अगले तीन महीनों में किसानों को सोचने का मौका मिल जाए कि यह सरकार अपने वायदों को पूरा कर पाने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। अभी तक जो कुछ किया गया है, उसकी एक और विशेष जो करनी सामने आयी है, चाहे उधर की हमने नकल की या दूसरे देशों की नकल की है, उससे फायदे की बजाय विकास के नाम पर विनाश ही ज्यादा हुआ है। बड़े-बड़े बांध बने हैं, बड़े और छोटे जलाशय बने हैं लेकिन उनसे सिंचाई की जितनी सुविधाएं हुई हैं, उससे ज्यादा समस्या तो सीपेज की पैदा हो गयी है। उससे जमीन के अन्दर उठता हुआ ग्राउण्ड लेवल वाटर और उससे पैदा हुई लवणता, एक खारापन पैदा हो रहा है। यह समस्या भी साथ-साथ जुड़ी हुई है।

इसके अलावा खेतों में अनाज पैदा होता है, अन्य फसलें पैदा होती हैं, सब्जियां पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं। टमाटर किसान पैदा करेगा लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या अन्य उद्योग टमाटर की चटनी बनाएंगे। किसान को उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा और उसी सही मूल्य के आधार पर अच्छी-अच्छी कम्पनियां अच्छे-अच्छे कारखानेदार अच्छा पैसा कमा कर कोठियां खड़ी करेंगे। मुझे आज ऐसा लगता है कि जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पदार्पण हुआ है, कुछ दिनों के बाद स्थिति ऐसी आने वाली है कि किसान कम्पनियों का बंधुआ मजदूर बन जाएगा। पैदावार वह जैसी चाहेगा, वही किसान पैदा करेगा। मैंने और आपने भी देखा है कि देश के अन्दर चारों तरफ से पेड़ लगाने की आपा-धापी उठी थी कि पेड़ कौन से लगे हैं, यूकलिप्टस के, पेड़ कौन से

3.19 म०प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

लगाए हैं, पापूलर के। किस लिए ? ताकि माचिस के और कागज से कारखाने चल सकें ? किसानों की उसमें क्या भागीदारी होगी ? इस संबंध में एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। थाईलैंड में एक स्पेशल पेड़ लगाने का ड्राइव चला था लेकिन चन्द दिन पहले किसान और ग्रामीण भाई कुलहाड़ी लेकर एक तरह से यूकलिप्टस के पेड़ काटकर गिराने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि इससे हमारी खेती और जमीन का सर्वनाश होता चला जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सी चीजें हैं। जैसा-कि कारखाने में साबुन का उत्पादन होगा तो वह उसी के हिसाब से दूसरी फसल उगाने के लिए कोशिश करनी होगी। दवाईयों के कारखाने के लिए पुदीने की ज्यादा जरूरत होगी। पुदीने की जापानी खेती करनी होगी। यह भी एक दुष्चक्र है, जिसे हमारी सरकार को विशेष रूप से देखना

होगा और इसे दूर करने के लिए योजनाबद्ध रीति से, सोच विचार कर प्रभावी कार्यक्रम अपनाने होंगे।

जहां तक खेती और खेतीहर का सवाल है, उसके लिए प्रमुख रूप से पांच चीजों की जरूरत है—(1) उसे जमीन चाहिए, (2) उसे अच्छा बीज चाहिए, (3) उसे खाद चाहिए, (4) उसे सिंचाई की व्यवस्था चाहिए और (5) उसकी फसलों की सुरक्षा का अच्छा इन्तजाम चाहिए। जहां तक भूमि का सवाल है, इस देश में पहले से भूमि सुधार संबंधी अनेक कानून बने हुए हैं और समय-समय पर बनते रहे हैं। मैं इस सरकार को एक बार पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने भूमि सुधार को संविधान की नौवीं सूची में शामिल करके, उसे ऐसा रूप प्रदान किया है ताकि वह व्यापक और सब तरफ से प्रभावी सिद्ध हो सके। हमारे यहां मुख्य रूप से तीन प्रकार की जोतें हैं—छोटी जोतें मंझली जोतें और बड़ी जोतें। अब हमें विचार करना होगा कि इन जोतों की कल्पना हम किस आधार पर करें, कौन-सी जोत को हम आर्थिक मानें और कौन-सी जोत को अनार्थिक मानें। छोटी जोत भी आर्थिक हो सकती है और बड़ी जोत भी अनार्थिक हो सकती है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि छोटी जोत से किसी भी किसान परिवार का पेट नहीं भर सकता, न उससे कोई किसान समृद्ध बनने की सोच सकता है न कोई दूसरी कल्पना कर सकता है, न आगे बढ़ सकता है। छोटी जोतों से जुड़ी हुई बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी को दूर करने की तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा और इस देश में छोटे उद्योगों की कल्पना को साकार करना होगा, चाहे दुग्ध-पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो या दूसरे छोटे स्तर के घरेलू उद्योग धंधे हों। इन सब चीजों पर विचार करके ग्रामीण विकास के लिए, जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसे तैयार करने की नितांत आवश्यकता है।

इसके बाद सवाल अच्छे बीजों का आता है। हमें कृषि मन्त्रालय की रिपोर्ट छपी हुई मिली है, जिसमें बीजों के आंकड़े दिए गए हैं परन्तु उन आंकड़ों से यह साफ पता नहीं चलता कि कभी इस देश में कोई एस्टीमेट बनाया गया या हिसाब लगाया गया कि इस देश में कुल कितने बीज की वास्तव में आवश्यकता है। मैंने रिपोर्ट को अच्छी तरह देखा, मुझे कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। जब समूचे देश की आवश्यकता का एस्टीमेट ही नहीं लगाया गया तो उसकी पूर्ति किस आधार पर की जाएगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह जरूर है कि इस देश में अच्छा बीज कई स्थानों पर पैदा किया जाता है, इतना जनक बीज और प्रामाणिक बीज पैदा होता है परन्तु हमें यह पता नहीं चलता कि वास्तव में समूचे देश के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता है। जहां तक भारतीय बीजों का सवाल है, मुझे जानकारी है और रिपोर्ट में भी कहा गया है कि विदेशों में भारतीय बीजों की मांग बहुत ज्यादा है। इसके साथ-साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। मैं स्वयं एक किसान हूं और मुझे जानकारी है कि बीजों के उत्पादन से लेकर विक्रय तक इस देश में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, उत्पादन में भी भ्रष्टाचार, वितरण में भी भ्रष्टाचार है। इसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे, अन्यथा किसान की तो हानि होती ही है खराब बीज इस्तेमाल करने पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी फसल उत्पादन में निश्चित रूप से कमी आती है।

तीसरा प्रश्न उर्वरक से जुड़ा है। जैसा मैंने अभी कहा, जिन दिनों यहां नवम्बर में चुनाव होने वाले थे, मैं अपने जिले की बात कहता हूं समूचे उत्तर प्रदेश में रबी की बुआई चल रही थी और बुआई के समय काम आने वाला डी०ए०पी० यानी डाई अमोनियम फास्फेट और काम्पलैक्स फर्टिलाइजर एन०पी०के० दोनों की इतनी कमी थी कि चारों ओर किसानों में हाहाकार मचा था। किसानों के मेले दुकानों पर लगते थे दो-दो और तीन-तीन दिन उन्हें इन्तजार करना पड़ता था।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से बिनती करती हूं कि उनका समय समाप्त हो चुका है।

श्री छत्रसेन चौधरी : यदि मेरा समय समाप्त हो गया है तो मैं अभी खत्म कर देता हूं। किसानों के नाते, जब मैंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो मुझे पता चला कि पिछली सरकार डाई अमोनियम फास्फेट को बनाने के लिए आवश्यक फास्फोरिक एसिड जनवरी और जून के बीच में मंगा नहीं पायी थी, इसलिए सात यूनिटें बंद हो चुकी थीं और यह शॉर्टेज उसके आधार पर नवम्बर में पैदा हो गई जिसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। वह नुकसान यह हुआ कि किसान मारे-मारे फिरे और जो सुपर फास्फेट सिंगल 46 रुपए में बिकती है वह 200 रु० में भ्रष्टाचारियों ने बेची। अब किसान तो अनजान है, उसे पता ही नहीं चला कि यह कौन-सी खाद है। इसीलिए मैंने कृषि मन्त्रालय की पहली सलाहकार समिति में आग्रह किया था कि विशेष रूप से जो डी०ए०पी० और एन०पी० के खादें हैं, उनको ऐसा रंग दिया जाए जिससे पता चले कि कौन-सी खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं।

सभापति महोदया, सघन कृषि उत्पादन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कारण हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों के अन्दर भी आज एक परिस्थिति ऐसी आई है कि जिसके आधार पर ऐसा लग रहा है मानो इस योजना में भी किसानों की दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है क्योंकि उत्पादन बढ़ने के बजाय स्टेगनेंट हो गया है या घटता जा रहा है। इसका कारण यह है कि केमीकल फर्टीलाइजर का अन्धाधुन्ध या असंतुलित प्रयोग हो रहा है। इसके कारण खेत के अन्दर, जमीन के अन्दर, पोषक तत्वों की कमी आई है। विशेष रूप से जिंक और सल्फर की कमी आई है जिसके कारण देश में जस्ते की मांग बहुत बढ़ गई है। इस देश में जस्ते की आवश्यकता 80 हजार से लेकर एक लाख टम तक की है। अगर अब तक के उत्पादन और सप्लाई का हिसाब लगाया जाए तो वह 40 हाजर टन से ज्यादा नहीं बनता है। इस कार्यक्रम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के द्वारा यह देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना रहे, उसके लिए यह आवश्यक है कि किसान को पोषक तत्वों की जानकारी हो और उर्वरकों की उपलब्धता सुलभ हो, यह प्रयास मन्त्रालय करे। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदया, मैं आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं और मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे सुझावों पर ध्यान देते हुए अपनी कार्यवाही में उन्हें शामिल करेंगे।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : आदरणीय सभापति महोदया, कृषि और सिंचाई के पानी दोनों की मांगों पर बहस चल रही है। ये दोनों बातें इतनी बड़ी अहमियत रखती हैं कि इनका ताल्लुक देश की अर्थ-व्यवस्था से है, देश की इकनौमी से है। महोदया आप जानती हैं कि देश ने पिछले 42 वर्षों में कृषि में और जल संसाधन में बेपनाह तरक्की की है। (**व्यवधान**) सही बात को तो सही कहना ही चाहिए। "आह" कहने से काम नही चलेगा। (**व्यवधान**) आप तो सही बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कैसे काम चलेगा। क्या 40 साल में तरक्की नहीं हुई है?

(**व्यवधान**)

सभापति महोदया, जहां हमारे देश में आजादी के पहले तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, लाखों लोग भूख के मारे सड़कों पर तड़फ-तड़फ कर मर गए थे और आजादी के बाद देश ने इतनी तरक्की की है कि एक भी आदमी भूख से नहीं मरा, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने ज्यों ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, सबसे पहले उन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश को जब तक हम अनाज के मामले में अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर लेंगे, तब तक हम दूसरे मुल्कों के सामने अपना सिर ऊंचा करके नहीं चल सकेंगे। इस बात को लेकर उन्होंने इस देश में अनेक पानी

के बांध बनाए ताकि किसान के खेत को पूरा पानी दिया जाए। बड़े-बड़े बिजली के तापघर और दूसरे तापघर लगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट इस मुल्क में लगे ताकि किसान के खेत को पानी और बिजली दी जाए, भाखड़ा जैसे अनेक बांध इस मुल्क में बने। यदि ऐसे अनेक बांध इस मुल्क में नहीं बनते, बड़े-बड़े बिजली के तापघर नहीं लगते, खाद के कारखाने, ट्रैक्टर के कारखाने नहीं लगते, बड़ी-बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां नहीं बनतीं तो क्या यह मुल्क इतना आगे बढ़ सकता था? आज यह कहना कितना आसान है कि कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं जब मुल्क आजाद हुआ, उस समय मुल्क की 34 करोड़ की आबादी थी, 34 करोड़ की आबादी के लिए हमारे पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं था और हमारे देश के बहादुर नेताओं को अमरीका जैसे मुल्क के सामने जाकर अनाज मांगना पड़े कि देश के लोगों का पेट भरना है, उनकी गर्दन कट तो सकती थी लेकिन सिर झुक नहीं सकता था। देश के लोगों का पेट भरने के लिए उनके सामने सिर झुकाकर अनाज मांगना पड़ता था। आज जिसकी आबादी 80 करोड़ है, 80 करोड़ के मुल्क के सामने आज अनाज की कोई समस्या नहीं है, कितना भारी उत्पादन मुल्क में हुआ है। जब देश आजाद हुआ था उस समय देश में पांच करोड़ टन अनाज पैदा होता था, आज 18 करोड़ टन अनाज मुल्क में पैदा होता है। यह कोई जादू से, मन्तर से नहीं हुआ है, यह काम करने से हुआ है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से हुआ है। (व्यवधान)

ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में भी भूख से मरे हैं, एक भी आदमी भूख से मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता साबित कर दें। मैं जब कृषि मंत्री था उस समय इस बात का चेलेंज किया था और आज भी चेलेंज करता हूं कि देश आजाद होने के बाद एक आदमी भी भूख से नहीं मरा है। इनकी अगर भैंस भी दूध नहीं देगी तो कह देंगे कि कांग्रेस की वजह से है, इनको रात को नींद नहीं आए तो कह देंगे कि कांग्रेस की मेहरबानी से नींद नहीं आती। ये इस बात को कब तक कहते रहेंगे। कम से कम सही बात को तो सही कहना चाहिए। बीच में तीन साल आपको भी मौका मिला था। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज देश कितना आगे बढ़ बढ़ गया है, कृषि में हमने कितनी उन्नति की है, कितनी तरक्की की है, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। इतने थोड़े समय में हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया और 80 करोड़ की आबादी को अनाज के मामले में आज कोई समस्या नहीं है। आज इससे आगे और कुछ भी करने की जरूरत है। जब हम दूसरे देशों का मुकाबला करते हैं तो महसूस करते हैं कि उत्पादन में और बढ़ोतरी होनी चाहिए।

आज एक-एक बूंद पानी को इस्तेमाल करके उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। गंगा, जमना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र अनेक ऐसी नदियां हैं देश में जो विनाश करती हैं, उन नदियों में बाढ़ आती है और कितना विनाश होता है। हमने इसके लिए एक स्कीम बनाई थी कि सारे पानी को इकट्ठा करके पूरा उपयोग किया जाए और बांध बनाकर जहां भी पानी की आवश्यकता हो, पानी भेजा जाए। आज राजस्थान, गुजरात और बहुत सारा हरियाणा का एरिया है जो कि बगैर पानी के है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी का पूरा उपयोग किया जा सकता है और उस पानी से सस्ती बिजली बन सकती है। आज जो बिजली बनती है वह एक रुपया यूनिट घर में पड़ती है। अगर पानी से बिजली बनायी जायेगी तो 20 पैसे यूनिट से कम खर्चा उस पर आएगा। अगर इस पानी से बिजली बनायी जाएगी तो बिजली की कहीं भी कमी नहीं रहेगी। आप बड़े-बड़े बांध बनाकर उस पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाएं। आप बिजली का नेशनल ग्रिड बनाएं। पहले राजीव गांधी जी की सरकार ने इससे संबंधित कई स्कीमें बनायी थीं और कहा था कि सारे मुल्क के पानी का नेशनल ग्रिड बनाया जाए और सारी बिजली का नेशनल ग्रिड बनाया जाये। ताकि सारे मुल्क में उस बिजली का सही उपयोग हो सके, उद्योग लग सकें और जहां बिजली की आवश्यकता हो वहां उसको भेजा जा सके।

आज यह सरकार कहती है कि हमने 50 परसेंट पैसा इस बजट का गांवों में खर्च करना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि मन्त्री चौधरी देवी लाल आज यहां हाजिर नहीं हैं। अगर वह यहां होते तो मैं उनसे बात करता लेकिन फिर भी हम आपसे बात करेंगे। मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था। बजट का 44.8 परसेंट यानी 45 परसेंट पैसा खर्च देहात पर होता था। आज आप कहते हैं कि 49 परसेंट हम देहात पर खर्च कर रहे हैं। अनाज और खाद पर जो सबसिडी देते हैं उसको हम 45 परसेंट में शामिल नहीं करते थे। 2300 करोड़ रुपए की सबसिडी एक साल में अनाज पर देते थे और 3600 करोड़ रुपए की सबसिडी एक साल में खाद पर देते थे। अगर ये सब मिला लें तो 49 परसेंट के करीब बैठ जाता है। अब आपने कौन-सा पहाड़ तोड़ दिया। जो स्कीमें पहले चलती थीं वही आज भी चल रही हैं। इसमें कोई नयी बात नहीं है। हां, एक नई बात जरूर की है और वह यह है कि जो राजीव गांधी जी की सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का कार्यक्रम शुरू किया था और एक साल में 2600 करोड़ रुपए उस पर खर्च करने का जो प्रावधान था, उसके बारे में आज जब गांवों में लोगों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। हमने पचायतों के द्वारा जवाहर रोजगार योजना के प्रोग्राम बनाकर आम आदमी और गरीब आदमियों को जिसके पास काम नहीं था उनको काम देने के लिए 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान एक साल में किया था। आप 1989-90 के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो खुद यह महसूस होगा कि 2600 करोड़ रुपए अकेले जवाहर रोजगार योजना के लिए रखे थे और उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1990-91 में आपने इसके लिए कितना प्रावधान किया है और एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० की स्कीमों के लिए कितना पैसा रखा है? आपने तो एक गोलमोल बात कह दी कि हम 49 परसेंट पैसा देहात पर खर्च करेंगे। वह तो हम भी कह रहे थे। जब बजट का आकार बढ़ गया है तो साथ साथ परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर और इरिगेशन आदि पर उस पैसे के आकार को भी बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर हम समझेंगे कि किसानों के लिए कुछ आपने किया है। किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा।

किसान को अच्छा बीज और अच्छा खाद मुहैया कराया जाना चाहिए। हम 3600 करोड़ रुपए की सबसिडी अकेले खाद पर देते थे। आज खाद की क्या हालत है? जिस दिन से हम छोड़कर गए हैं, 20 रु० कट्टा खाद का भाव महंगा हो गया है, यह रिकार्ड की बात है। आपमें से किसान भाई यहां बैठे हुए हैं, बहुत से एम० पी० साहेबान किसान हैं, वह इस बात को बतायेंगे कि 20 रुपए खाद का भाव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पिछले 5 महीने में। कैसे बढ़ गया? जो कहते हैं कि किसान की हितैषी सरकार है उससे 20 रुपए खाद के कट्टे के भाव बढ़ा दिए। इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि····

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : आपके समय में खाद में मिलावट थी इसलिए खाद सस्ता था।

श्री भजन लाल : श्रीमान जी, आपको यही दिखता है। किसी ने पीले रंग का चश्मा लगा रखा हो तो उसको सारा कुछ पीला ही दीखता है।

श्री जनार्दन यादव : बिहार में इसकी जांच हुई है, विधान सभा के सदस्यों के द्वारा और खाद में मिलावट पाई गई, आपके राज में।

श्री भजन लाल : पहली सरकार ने बाकायदा इस बात की घोषणा की थी कि कृषि को हम

उद्योग का दर्जा देंगे। उसके अन्दर सारा हिसाब लगाकर कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे और यही नहीं, इसके साथ-साथ जो जमीन का मालिक है, पहले उसकी लेबर का थोड़ा हिसाब लगाकर एकाउण्ट रखते थे लेकिन पहली सरकार ने फैसला किया कि नहीं, बाकायदा मैनेजर की तरह से, किसान को मैनेजर साबित करके, मैनेजर बनाकर, उसकी पूरी सैलरी का हिसाब लगाकर बाद में हम उसको फायदेमन्द कीमत देंगे···

एक माननीय सदस्य : सीलिंग के बारे में क्या किया था ?

श्री भजन लाल : जहां तक सीलिंग की बात है, सीलिंग के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, आप ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : भजन लाल जी, यदि आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो आपका समय बरबाद होगा।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : मेरा ध्यान आपकी तरफ है, आप टाइम को नोट करके रखियेगा। इस साइड में 200 मेंबर्स हैं, आप जानते हैं कि 200 मेंबर वालों को टाइम तो देना ही पड़ेगा जबकि 10-10, 15-15 मेंबर वाले भी 10-10, 20-20 मिनट ले जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किसान के बारे में अपनी पालिसी स्पष्ट करें कि पालिसी क्या है, क्या नीति है ? कैसे किसान को लाभकारी मूल्य देंगे, क्या करना चाहते हैं ? आज की सरकार ने किसान के नुमाइन्दे उसमें रखे हुए हैं और पहले वाली सरकार ने अपनी पालिसी बनाकर किसान के नुमाइन्दे रखने की बात करके उसमें रखे और यही नहीं, इसके साथ-साथ हमने यह भी किया कि किसान को लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने एक ऐसी नीति बना दी कि किसान को फसल बोने से पहले हम एक भाव बतायेंगे कि आप यह फसल बोने जा रहे हैं, आपको इस जिंस का यह भाव मिलेगा, उसके बाद फसल आने के बाद देखेंगे कि किसान को महंगा पड़ता है, लेबर महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गयी, पानी महंगा हो गया तो उस हिसाब से मार्केट में क्या पोजीशन है, बाहर से मंगाएं तो क्या भाव में आकर पड़ेगा तो ज्यों ही अनाज मार्केट में आएगा, उसके एक हफ्ते पहले उसका भाव बढ़ाएंगे। हमारी उसी नीति के तहत ही 15 रुपए गेहूं का भाव बढ़ाया है, अच्छी बात की है लेकिन वह पालिसी इनकी नहीं है, वह पालिसी हमारी बनाई हुई है। हम चाहते हैं कि नई पालिसी आप क्या बनाएंगे, उस नीति के बारे में आप अपनी बात को स्पष्ट करें कि आपकी नीति क्या है ?

दूसरा, राजीव गांधी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम और किया है कि किसान को आम शिकायत रहती थी कि जब अनाज निकलता है तो उसका अनाज सस्ते भाव में बिक जाता है, क्योंकि उसे मजबूरीवश बेचना पड़ता है, शादी करनी है, भात है, छूछक है और बैंक से कर्जा ले रखा है, वह देना पड़ता है, और कामों के लिए उसको पैसा चाहिए तो उसको मजबूरी में अनाज बेचना पड़ता है। चार महीने बाद उसी अनाज का भाव ड्योढ़ा और सवाया हो जाता है, इसी बात को सामने रखकर हमने एक फैसला किया था कि जिस तरह व्यापारी भाई अपने अनाज को खरीदकर, किसान का अनाज अपने ही घर में, गोदाम में, कोठे में लगाकर 80 परसेन्ट बैंक से एडवांस ले लेता है और जब भाव महंगा होता है तब उस अनाज को वापस बेचता है, हमने पूरे देश के अन्दर यह स्कीम चालू की कि कोई भी किसान अपने घर में, अपने कोठे में किसी किस्म का भी अनाज रख कर उसके बदले में 80% बैंक से एडवांस ले सकता है, उसके बारे में क्या पोजीशन है, मेरा खासतौर से सवाल है, अब हमें

पता लगा है कि वह स्कीम आपने बंद कर दी, कितना भारी नुकसान किसान को उससे होगा। कितना शानदार प्रोग्राम हमने चलाया था। यही नहीं, हम चाहते हैं कि सारे किसानों की फसल का बीमा होना चाहिए, सारी फसल का बीमा होना चाहिए। हमने एक पॉलिसी बनायी लेकिन उसमें सारे किसान कवर नहीं होते, उसमें जिस भाई ने लोन ले रखा है वही कवर होता है और उसकी 10 हजार रुपये तक की लिमिट थी, जिसने 10 हजार या 20 हजार रुपए तक का बैंक से लोन लिया, वही उसमें कवर होता था चाहे कितना भारी नुकसान ही किसान का हो जाये। उसके लिए प्रधान-मन्त्री राजीव गांधी ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी यह बनाई थी कि किस तरह से हम देश के सारे किसानों को कवर कर सकते हैं···(व्यवधान)····

आपको क्या पता है कि खेत में बीज कैसे डाला जाता है, आप क्यों ऐसी बात करते हैं ? हम चाहते हैं कि हर किसान की फसल का बीमा होना चाहिए, चाहे कोई लोन ले या नहीं ले। प्रीमियम सबसे ले लें और सारे किसानों को कवर करें, उसके लिये बाकायदा सीनियर आफिसर्स की कमेटी बनी हुई है, मिनिस्टर्स की कमेटी बनी हुई है, उसकी हमने पांच मीटिंगें कीं, मीटिंगें करके हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गये थे, उसके बाद 6 महीने हो गये, उसका कोई जिक्र नहीं है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान कितनी मेहनत से, कड़ाई से काम करता है, आप जानते हैं। आजकल हम लोग एयर कण्डीशण्ड में बैठे हैं, किसान के खेत में जाकर देखो, किसान की क्या हालत है ! जब खेत में बुवाई करता है तो बैलों के पीछे चलता है, ट्रैक्टर के पीछे फिरता है तो पसीना चोटी से चलता है और किसान की जूती पसीने से भर जाती है। हमने तो करके देख रखा है, अभी भी मेरे हाथ में निशान हैं, मैंने हाथ से दांती से गेहूंकाटकर देख रखा है, अभी भी, दांती का निशान लगा हुआ आपको मिलेगा। हम जानते हैं, किसान की क्या हालत होती है, आपको क्या पता है और बातें किसानों की करते हैं। बहुत से भाई किसान हैं, यहां पर मैं उन किसान भाईयों से कहना चाहता हूं, जो किसानों के नुमाइन्दे हैं कि आज किसान की कितनी भयंकर समस्या है इसलिए किसान की फसल का बीमा होना चाहिए, उसमें सारी फसल कवर होनी चाहिए और नो प्रोफिट नो लॉस पर हम उससे प्रीमियम लें ताकि किसान को कुछ शांति की सांस आ सके। आप जानते हैं, जब फसल पकने को होती है तो ओले पड़ जाते हैं, गर्म हवा आ गई, ठण्ठी हवा आ गयी, फसल बर्बाद हो गई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फसल का पूरा बीमा होना चाहिए।

उसके साथ-साथ इस सरकार ने वायदा किया, इन्होंने किसानों से वायदा किया, इनके इलेक्शन मैनीफेस्टो में है और सारा देश इस बारे में जानता है कि सारे किसानों के 10 हजार रुपये तक के कर्जे हम माफ करेंगे, यह इन्होंने वायदा किया और यह वायदा करके वोट लेकर आज यह इस साइड में बैठे हुए हैं और हालत क्या है, आज किसान की तरफ कितना लोन है 10 हजार रुपए तक का, वह 14 हजार करोड़ रुपया है, यह आपके आंकड़े कहते हैं, भजन लाल नहीं कहता,···(व्यवधान)··· 14 हजार करोड़ रुपया किसान के जिम्मे 10 हजार रुपये तक लोन है और इनके आंकड़े कहते हैं कि 7 हजार करोड़ रुपयें वीवर्स, हरिजन और बुनकर, जूती का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, मुर्गी पालने वाले, सूअर पालने वाले और रेहड़े, झोटा बुग्गी वाले हैं, उनकी तरफ है यानी कुल मिला कर 21 हजार करोड़ रुपया हो गया और इन्होंने कहा है कि आते ही माफ कर देंगे लेकिन अब के बजट में एक हजार करोड़ रुपया रखा है। अगर एक साल में एक हजार करोड़ रुपया रखेंगे तो 21 साल बैठना पड़ेगा तब जाकर पिछला कर्जा माफ होगा और आगे का पता नहीं, क्या होगा। इसमें कण्डीशन लगाई हैं, एक हजार करोड़ रुपये में भी, 8 कण्डीशंस हैं। क्या कण्डीशन है कि जो डिफाल्टर है, उसका माफ नहीं होगा। ठीक कहते हैं न कि डिफाल्टर्स का माफ नहीं होगा ? डिफाल्टर किया किसने, हरियाणा में तो देवी लाल जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं

बने थे तो तीन साल पहले से लगे हुए थे कि भाइयो कर्जा मत दो, बेंक वालों को, मैं आया और माफ कर दूंगा। उसके बाद दो साल पहले से ये सरकार, जो आज बनी हुई है, यह लगे हुए थे कि तुम पैसा मत दो, हम आये और हमने माफ किया तो डिफाल्टर तो इन्होंने कर दिया और अब कहते हैं कि डिफाल्टर का पैसा माफ नहीं होगा। किया किसने डिफाल्टर—यह मेरा आपसे प्रश्न है? डिफाल्टर आपने किया है। 21 हजार करोड़ रुपये के स्थान पर एक हजार करोड़ की व्यवस्था कर आठ कंडीशन्स लगाकर किसका कर्जा माफ करेंगे, मेरे विचार में एक पैसा माफ करने का सवाल नहीं है। इस तरह से लोगों को गुमराह करके, इस तरह से लोगों को धोखा देकर यह सरकार बनी हुई है, जिस तरह से मिट्टी के टीले पर एक आदमी बैठ जाये और जब वह खिसकता है तो एक साथ धड़ाम से मिट्टी के समेत जाता है, यही स्थिति होने वाली है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो किसान के हित के लिए आपको सारी बातें करनी होंगी, लेकिन किसान को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से गुमराह करके आप किसानों से वोट लेकर आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आपका क्या कर्तव्य बनता है? राज्य सभा और लोक सभा के संयुक्त अधिवेशन सेन्ट्रल हॉल में राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि किसानों का दस हजार रुपये का कर्जा माफ करेंगे। राष्ट्रपति जी ने कह दिया और आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है, इसके बावजूद भी आप 21 हजार करोड़ के स्थान पर एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करते हैं। इससे ज्यादा और बड़ा देश के साथ बुरा धोखा कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने वायदा किया है, उसको पूरा करें। अगर पूरा नहीं करेंगे, तो जनता हिसाब-किताब लेना जानती है और जनता आपको माफ करने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी मैंने आपको आंकड़े दिये हैं। कहा गया कि 50 प्रतिशत बजट का हिस्सा हम किसानों के लिए खर्च करेंगे, तो आप सातवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देखिये, 45 प्रतिशत तो हम भी करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जवाहर रोजगार योजना में कितना रुपया रखा है? एन०आर०ई०पी०, आर०-एल० ई० जी० पी० आदि योजनाओं का क्या हुआ? आम आदमी, गरीब आदमी को उससे रोजगार के साधन देने के बारे में आपके क्या विचार हैं?

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि कृषि की तरफ और इरिगेशन की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

[अनुवाद]

***श्री मनोरंजन सुर** (बसीरहाट): सभापति महोदय, यह मेरा पहला भाषण है जिसे मैं अपनी मातृभाषा बंगाली में देना चाहता हूं। मैं इस चर्चा में देश के किसानों की समस्याओं और उनके हल की दृष्टि से भाग लेना चाहता हूं।

आज हमारे अधिकांश किसानों के समक्ष जटिल समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं केवल किसानों की ही हैं ऐसी नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं ने हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था के समक्ष अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं। इस बात का अनुभव दोनों पक्षों अर्थात कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को, जो सत्ता में हैं, करना चाहिए। कांग्रेस के

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

विरुद्ध एक राजनैतिक निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप उनका देश में 42 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भी सचेत करता हूं कि वह जनता को, जिसने उन्हें वोट दिए हैं, दिए गए वायदे पूरे करे। यदि वे आगामी दिनों में किसानों की, जो आज देश की प्रमुख समस्या हैं, समस्या को हल नहीं करेंगे तो किसान निकट भविष्य में अथवा वर्तमान शासन के कार्य-काल में उनके खिलाफ वैसा ही राजनैतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए किसानों की समस्याओं को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा इस माध्यम से ही औद्योगिक और हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके लिए एक सुनिश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मेरे विचार से इस सभा के लगभग 400 माननीय सदस्य किसानों के वोट से चुने गए हैं। हमारे प्रधानमन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उपप्रधानमन्त्री, श्री देवीलाल जी और विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी किसान बाहुल्य क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं। जो किसान हमें चुनते हैं उनमें से 70 प्रतिशत पूर्णतः गरीब हैं। छोटे किसान, बटाईदार, कृषि मजदूर बड़ी मुसीबत में हैं। देश में ये ऐसे लोग हैं जिन पर सबसे अधिक अत्याचार होता है, जिनका सबसे अधिक शोषण होता है और जो सामाजिक अन्याय के शिकार होते हैं। मुझे यह सोचते हुए शर्म महसूस होती है कि स्वतंत्रता के 42 वर्षों के बाद भी हम इन दलितों के प्रति उदासीन हैं जिनके वोटों से हम लोक सभा के लिए चुने गए हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उनको चुनावी वायदों के बारे में स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने वायदा किया था कि वे कृषि विकास को अत्यधिक महत्व देंगे। यदि यह वायदा पूरा नहीं किया जाएगा तो आपको भी कांग्रेस के समान किसानों की विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यदि वे ऐसा करने में असफल रहे तो किसानों उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य मेरी बात को समझ रहे हैं क्योंकि मैं बंगला में बोल रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने गांवों, देश की गरीब जनता, बटाईदारों और कृषि मजदूरों और 70 प्रतिशत लोगों की, जो कृषि पर आश्रित हैं, स्थितियों के बारे में बोल रहा हूं। पश्चिमी बंगाल की स्थिति देश के अन्य भागों से पूर्णतः अलग है क्योंकि उन्होंने इन गरीबों की आंतरिक भावनाओं को समझा है, केन्द्र की आर्थिक और वित्तीय नीतियों तथा अत्यधिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हुए यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार से कोई आश्चर्य की आशा नहीं की जा सकती। परन्तु उन्होंने जिस तरह से, भूमि समस्या को हल करने में पहल की है तथा कृषि को अत्यधिक महत्व दिया है, वह लगभग क्रांतिकारी है। इसके फलस्वरूप आज पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक स्थिति दिखायी देती है। वहां किसानों को केवल सम्मान और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं है बल्कि वे जागरूक हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे सरकारें बनाते हैं, उन्हें चलाना उनका कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है। गरीब किसान यह भी अनुभव करते हैं कि सरकार, जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है, द्वारा बनायी गयी नीति को कार्यान्वित करना उनकी जिम्मेदारी है। किसानों में यह जागरूकता वामपंथी सरकार ने पैदा की है, इसका तात्पर्य उपलब्धि से नहीं है। किसान यह अनुभव करते हैं कि उनकी सरकार उनके आर्थिक उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है यद्यपि उनके समक्ष बड़ी विवशतायें हैं। इन सब कारणों से आप देखेंगे कि पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण गरीबों में उल्लेखनीय एकता है। इस वर्ग एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। जब समूचे देश में साम्प्रदायिकता फैली हुई है परन्तु पश्चिमी बंगाल की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वहां हिन्दू, मुसलमान, संथाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में एकता है, वे एक जुट होकर कार्य करते हैं तथा वामपंथी सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करते हैं और उन्हें सफल बनाने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य भागों में यह अंतर है। अब मैं आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं अन्यथा मेरा निर्धारित समय समाप्त हो जाएगा

और पीठासीन अधिकारी मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहने लगेंगे। इसलिए मैं जल्दी ही आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां 70 प्रतिशत से अधिक जनता प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मानव इतिहास के प्रत्येक भाग में कृषि समस्या को बुनियादी समस्या समझा गया है। वर्तमान समय में इनका महत्व बढ़ गया है, तथा भविष्य में और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उद्योगों का भविष्य इस पर निर्भर है। केवल इतना ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की उन्नति सामूहिक रूप से इस पर निर्भर करती है।

इसलिए राष्ट्र के निर्माण, विकास और कृषि के उत्थान को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

विगत 42 वर्षों से इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए जिसके कारण आज हम देखते हैं कि देश में आर्थिक उथल-पुथल, सामाजिक अव्यवस्था और राजनैतिक अराजकता व्याप्त है। हमारे देश के विभिन्न भागों में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आतंकवाद, अलगाववाद, साम्प्रदायिकता और जातिवाद भयानक स्थिति में फैल रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम कृषि समस्याओं का उचित ढंग से समाधान नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को सामाजिक न्याय दिलाने और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना होगा। जो भूमि सुधारों में आधारभूत परिवर्तन लाये बिना तथा कृषि का पुनर्गठन किए बिना देश में सम्भव नहीं है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान कोई साधारण उपाय नहीं है। कांग्रेस ने, जिसने देश का शासन बहुत दिनों तक चलाया, ऐसी राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया जो ग्रामीण गरीबों को आर्थिक उन्नति और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही। अधिकांश जमीन पर कतिपय जमींदारों, जोतदारों और धनी किसानों का अधिकार था। केवल 29% भूमि पर गरीबों का अधिकार है जो खेती पर अपनी गुजर-बसर करते हैं। शेष 71% जमीन पर धनी लोगों का कब्जा था। इसलिए सभी प्रकार की योजनाएं, जो कृषि विकास और उत्पादन में वृद्धि के लिए बनायी गयी थीं, केवल धनी किसानों के हितों की रक्षा से लिए बनायी गयीं। इसलिए अधिकांश राज्यों में

4.00 म० प०

भूमि सुधार और भूमिहीनों में भूमि वितरित करने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज भी 48 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कुछ किसानों को छोड़कर कृषि मजदूर समेत सम्पूर्ण कृषि समुदाय गरीब है। कृषि समुदाय की, जो हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग है, क्रय शक्ति में भारी गिरावट आयी है जिससे हमारे स्वदेशी बाजार में पर्याप्त रूप से कमी आयी है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी बाधा आई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर 100,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कृषि प्रणाली और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था संकट में है। देश में इन वर्षों के दौरान भूमि सुधारों की उपेक्षा के कारण ऐसी स्थिति है। पश्चिमी बंगाल में कृषि और भूमि नीति हमारी राष्ट्रीय नीति के बिल्कुल विपरीत अपनायी गयी है। कृषि विकास के लिए भूमि सुधार पहली शर्त है। इसलिए पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार से शुरूआत की है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार कार्यान्वित करने के लिए विगत 12 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं। वामपंथी सरकार ने इस नीति को अपनाकर 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। इस अवधि के दौरान उत्पादन में 40 लाख

टन की वृद्धि हुई है। अत्यधिक सीमाओं में कार्य करने के बावजूद भी वामपंथी सरकार ने पश्चिम बंगाल में किसानों और कृषि मजदूरों के सहयोग से 12 वर्षों में भूमि संरचना और कृषि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में 75 प्रतिशत कृषि भूमि पर छोटे और सीमांत किसानों का कब्जा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि राष्ट्रीय स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों का केवल 29 प्रतिशत कृषि भूमि पर अधिकार है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाई गई कृषि नीति और अखिल भारतीय कृषि नीति में मौलिक अन्तर है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए छोटे किसानों का उनकी भूमि से संबंध स्थापित करने के लिए भूमि सुधार अर्थात भूमिहीनों में भूमि का वितरण करना पहली शर्त है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को महत्व प्रदान किया जाए। अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति को भी अधिक महत्व दिया जाए। जमीन और जल किसानों के लिए अत्यन्त जरूरी है। यदि हम उन्हें यह दे सकते हैं तब निश्चय सम्पूर्ण देश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकते हैं। इनके सिवाय राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु कोई अन्य वैकल्पिक साधन नहीं हैं। इसके साथ ही साथ कृषि उपज के लिए उचित कीमतें निर्धारित करने की ओर तथा इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों की ओर अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

मैंने सरकार के प्रयास कहा है क्योंकि जब कृषि उपज की कीमतें निर्धारित हो जाती हैं तब हम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के साथ इसकी कहीं कोई समानता अथवा सम्बन्ध नहीं है। जो व्यक्ति उपज की कीमतें निर्धारित करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि में किसानों द्वारा व्यय की गई लागत को निकालने के पश्चात किसानों को अपनी उत्पत्ति के लिए लाभदायक कीमतें मिलनी चाहिएं तथा कृषि एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो जाये। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक आप किसानों से यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वह घोर गरीबी में रहते हुए कृषि को जारी रखे तथा अपना घर व जमीन बेचता रहे तथा यहां तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी बेच दे। हमेशा के लिए ऐसा संभव नहीं है। अतः जब तक औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के साथ समानता रखते हुए कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित नहीं की जातीं, तब तक किसान स्वाभाविक रूप से कृषि के प्रति उदासीन हो जाएंगे और इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः राष्ट्र हित में यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि उत्पादों की उचित और लाभदायक कीमतें निर्धारित की जाएं।

इससे खाद्य उत्पादन बढ़ेगा तथा खाद्य के मामले में मुट्ठीभर लोगों पर नियन्त्रण समाप्त हो जाएगा।

कृषि श्रमिकों की मजदूरी का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा।

कृषि में लगे करोड़ों लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तथा इससे बदले में यह हमारे बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे औद्योगिक उत्पादों की मांग भी ज्यादा बढ़ेगी। उद्योगों में गिरावट समाप्त हो जाएगी। रोजगार के और-अधिक अवसर दिए जावेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो तो कृषि के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाए। मैं कृषि तथा जल संसाधन मन्त्रालयों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बेगा राम (गंगानगर) : सभापति महोदय, राजस्थान के गंगानगर जिले में 5 परियोजनाएं हैं, जिनमें दो नहरें बनना अभी बाकी हैं। एक सिद्धमुख नहर और दूसरी नोहरफीडर कैनाल, ये दोनों परियोजनाएं बहुत अरसे से मंजूर की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इनका कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। 40 वर्षों के कांग्रेस शासन में सिर्फ आश्वासन ही हमको मिलते रहे, लेकिन नहरें नहीं बनायी गयीं।

सभापति महोदया, सिद्धमुख नहर का उद्घाटन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधीजी द्वारा 5 अक्तूबर, 1989 को किया गया था, जिस पर 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इसी तरह से एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भी इसका उद्घाटन किया जा चुका है। कुल 103 करोड़ रुपए की यह परियोजना है और जिसके उद्घाटन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। इस योजना के पूर्ण होने पर 33620 हेक्टर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। सभापति महोदया, गंगानगर जिला आज प्यासा है, वहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, मिनोहर, भादरा के किसान गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अगर गंगानगर की जनता की तरफ शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो वहां की जनता सरकार को बख्शेगी नहीं। सभापति महोदया, यह प्लानिंग कमीशन है जो यहां से राशि स्वीकृत नहीं कर रहा है। 1987 में 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिससे नहर की थोड़ी खुदाई का काम किया गया था, लेकिन उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उसके बाद से काम बंद है और पानी प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त इन दोनों नहरों को बनाने के आदेश दिए जाएं।

सभापति महोदय, गंग नहर 1932-33 में महाराजा गंगा सिंह जी ने निकाली थी। उसमें 2700 क्यूसिक पानी चलना चाहिए था, मगर 12 सालों से उसमें 1200-1300 क्यूसिक पानी चल रहा है। किसान प्यासे मर रहे हैं और उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। यदि 2700 क्यूसिक पानी मिले तो वहां सिंचाई हो सके और अनाज पैदा हो सके। गंगानगर ऐसा जिला है, जो सारे राजस्थान को अनाज दे सकता है, बहुत उपजाऊ जिला है। एक दूसरी नहर जनता पार्टी की सरकार ने 1977-78 में बनाई थी। पुरानी नहर बैठ चुकी थी और 2700 क्यूसिक पानी उसमें जा नहीं सकता था, इसलिए दूसरी नहर बनानी शुरू कर दी। भजन लाल जी कहते हैं कि हमने यह किया है वह किया है। मैं कहना चाहूंगा कि लिंक नहर बनायी गयी, आप हरियाणा के मुख्य मन्त्री रहे, केन्द्रीय कृषि मन्त्री रहे, करोड़ों रुपये लगाये, लेकिन नहर में पानी नहीं छोड़ पाए।

मैं सिंचाई मन्त्री से निवेदन करूंगा कि गंग नहर को पूरा करवाया जाए और उसमें पानी छोड़ा जाए। 12 साल से लोग प्यासे मर रहे हैं। गंगानगर जिला ऐसा है वहां समतल जमीन है लेकिन पानी नहीं है। अगर वहां पानी हो तो बहुत अनाज पैदा हो। मैं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा दे ताकि वह नहर पूरी हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पांच परियोजनाएं हैं—खारा ब्रांच, सिद्धमुख कैनाल, सरहिंद फीडर, गंग कैनाल और नोहर फीडर, इनमें पानी छोड़ा जाए ताकि किसान खुशहाल हो सकें। किसान खुशहाल होगा यो अनाज मिलेगा और देश में अनाज मिलेगा तो लोग खुशहाल होंगे।

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : मैं अपनी बात को संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा।

महोदया, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दी गयी कार्य सम्बन्धी रिपोर्ट को मैंने देखा है और यह देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि पश्चिम बंगाल में हुई सिंचाई की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं। खैर, उसमें फरक्का परियोजना का कुछ उल्लेख किया गया है और वह भी ठीक प्रकार से नहीं दिया गया है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यह स्पष्ट करें कि कार्य निष्पादन रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ भी उल्लेख क्यों नहीं किया गया है।

अब मैं तिस्ता बांध परियोजना के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। यह अकेली ऐसी परियोजना है जिसका बहुउद्देशीय महत्व है। परियोजना के विस्तार के कारण ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना है। जब यह परियोजना पूरी होगी तब इससे अत्यधिक सिंचाई हो सकेगी।

सभापति महोदय : मंत्री जी के लाभ के लिए तिस्ता बांध परियोजना के बारे में कहा जा रहा है।

श्री नानी भट्टाचार्य : यह बेहतर होता यदि सिंचाई मन्त्री यहां पर उपस्थित होते। यह जो कुछ भी हो यह तिस्ता बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तब इसके अन्तर्गत 9,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी तथा पश्चिम बंगाल के पांच जिले भी इसके अन्तर्गत आ जाएंगे और हममें से अनेक निश्चित रूप से यह जानते हैं कि उत्तर बंगाल के ये सभी पांच जिले ऐसे हैं जहां साल में एक ही फसल उगाई जाती है। यदि इन किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करा दी जाएं तब दुगुनी तथा तिगुनी फसल पैदा होगी। तब केवल थोड़ी सी ही समृद्धि होगी तथा इसका लाभ किसानों को मिलेगा। इससे खेतीहर मजदूर भी लाभान्वित हो सकेंगे। यह परियोजना प्रथम चरण के प्रथम उप-चरण में है तथा इससे कुल 9.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 5.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। पहले ही इस परियोजना से सिंचाई का काम शुरू हो चुका है और इसी बीच में इससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन भी शामिल है। चार स्थानों पर विद्युत उत्पादन का प्रारम्भिक काम आरम्भ हो चुका है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद इसका महत्व तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं समझा था। अतएव उन्होंने इस परियोजना को महत्व नहीं दिया। इसका पुनर्निर्धारित अनुमान इस समय 510 करोड़ रु० है। लगभग 300 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किये जा चुके हैं। सभी बड़े निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इस समय विभिन्न स्थानों पर खुदाई चल रही है। अभी तक कोई केन्द्रीय राज सहायता नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। परन्तु अग्रिम ऋण के रूप में केवल 5 करोड़ रुपये ही पश्चिम बंगाल को इस परियोजना के लिए दिए गए थे। अब यह सुनने में आया है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के बनने के बाद से शायद 10 करोड़ रुपए अग्रिम ऋण के रूप में दिए जाएंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृत किया है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी किनारे की नहर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। परन्तु बीच में ही इसे रोक दिया गया है क्योंकि वन विभाग द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया गया था। यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि केवल 5 कि० मी० क्षेत्र में ही वन क्षेत्र फैला हुआ है। न केवल पश्चिम बंगाल सरकार का सिंचाई विभाग ही बल्कि स्वयं मुख्य मन्त्री ने भी इस मामले को केन्द्रीय सरकार के समक्ष उठाया है जिससे इस पर तुरन्त मंजूरी दी जाए तथा पूर्वी किनारे

की नहर की खुदाई का काम हो सके। अतः अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर तुरन्त स्वीकृति दी जाये जिससे खुदाई का काम आगे बढ़ सके।

तिस्ता बांध के कार्य की प्रगति में दो चरणों से विलम्ब हो रहा है—पहला है वन विभाग द्वारा इन पर तकनीकी स्वीकृति न दिया जाना एवं अन्य है वित्तीय कारण। तिस्ता बांध परियोजना तथा अन्य सहायक कार्यों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार अपने सिंचाई बजट में से लगभग 65 प्रतिशत खर्च कर रही है। उसके लिए केन्द्रीय सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है।

किसी समय तत्कालीन सरकार द्वारा यह बताया गया था कि किसी विशेष परियोजना के लिए सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। जितना भी पैसा दिया गया था वह एक मुश्त अनुदान राशि के रूप में दिया गया था तथा किसी भी परियोजना के लिए अनुदान सहायता देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु जैसा कि मैंने इससे पूर्व कहा था कि यह एक अकेली परियोजना है जिसका अत्यधिक महत्व है, विशेष रूप से उस समय जबकि, जैसा कि आपको विदित है कि बंगलादेश—रायपुर जिले में पहले ही एक परियोजना का निर्माण कर रहा है और पहले ही यह समझौता किया जा चुका है कि तिस्ता का जल बंगलादेश को भी दिया जायेगा। अतः यदि हम सिंचाई की नहर सहित बांध का निर्माण पूरा कर सकते हैं तब हम अपनी जमीन में भी सिंचाई कर सकते हैं तथा जहां तक पानी देने का सम्बन्ध है, भारत एक लाभकारी स्थिति में होगा। उस दृष्टिकोण से भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि तिस्ता बांध परियोजना के काम में तीव्र प्रगति लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

4.21 म० प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए।]

इसके पश्चात महोदय, मैं गंगा नदी के किनारों की भूमि कटाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मैंने पहले ही कहा है कि फरक्का बांध परियोजना के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि स्वयं फरक्का बांध की सुरक्षा के हित में केन्द्र को कुछेक उपाय करने चाहिए और राजमहल से फरक्का तक यदि गंगा को तटबंध बनाकर नियंत्रित नहीं किया जाता है और गंगा का मुख्य प्रवाह यदि गंगा की बीच धारा में नहीं बहता है तब यह संभव है कि फरक्का बांध परियोजना भी असफल हो जाए। मैं सोचता हूं कि पूना शीर्ष संस्थान द्वारा किये गए अध्ययन द्वारा नदी बांधने के कार्यक्रम को मजबूत किया गया है। अतएव इन बातों का ध्यान रखा जाये तथा फरक्का तक गंगा की मुख्य धारा को बांधने का कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र आरम्भ किया जाए जिससे कि फरक्का बांध परियोजना असफल न हो जाये।

तत्पश्चात् जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी किनारों पर भूमि-कटाव लगातार हो रहा है। इस बात पर विश्वास करने का आधार यह है कि जब से फरक्का बांध परियोजना आरम्भ हुई है, भूमि-कटाव बढ़ गया है। मैं यहां पर किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। यह हो भी सकता है और नहीं भी। परन्तु भूमि कटाव हुआ है तथा अत्यधिक भूमि-कटाव हुआ है। इस भूमि कटाव को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? यही मुख्य मुद्दा है। जब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से धनराशि की मांग की थी तब केन्द्रीय सरकार ने यही कहा था कि यह राज्य का विषय था। मैं जानता हूं कि किनारों का कटाव राज्य का विषय है परन्तु यह केवल हमारे देश में बहने वाली नदियां से संबंधित है। परन्तु यदि नदी कई देशों से होकर गुजरती है तब वह इस मामले में ठीक नहीं बैठ सकती। यह एक कटु सत्य है कि किसी भी प्रकार से इस मामले में विवाद नहीं किया जा सकता। मुर्शिदाबाद में

धूलिया से लेकर जालंगी तक 85 से 90 किलोमीटर तक क्षेत्र में गंगा नदी अन्य देशों की सीमाओं से होकर प्रवाहित होती है। यहां कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह केवल धारणात्मक और सैद्धांतिक है। इसका कोई मौलिक सीमांकन नहीं है और कुछ भी नहीं है। अत: यह स्थिति है। भारतीय क्षेत्र की भूमि सीमा हर वर्ष, हर माह और विशेष रूप से वर्षा के मौसम में कम होती जा रही है। भारतीय क्षेत्र की भूमि नदियों में बहती जा रही है और भूमि कटाव इतना तीव्र है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

तत्पश्चात पश्चिमी तट पर रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी राष्ट्रीय सम्पत्तियां भी हैं। प्रीतम सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि भूमि कटाव को रोकने के लिए भूमि कटाव विरोधी कार्यक्रम इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से बनाया जाए कि एक बार भूमि कटाव पर खर्च अधिक न हो। मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने 11 से 12 करोड़ रुपए की लागत के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए। यद्यपि तीन-चार वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु वह पैसा अभी तक नहीं मिला है और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम वहां लगातार भूमि कटाव हो रहा है। इससे न केवल गांव के गांव गंगा नदी में बह गए बल्कि इससे रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों को भी खतरा हो गया है।

इस गंभीर परिणाम का एक और भी प्रभाव पड़ा है। गंगा नदी भागीरथी या हुगली के अत्यंत निकट आ गई है। कुछ स्थानों पर तो यह दूरी केवल 1.02 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक रह गई है। गंगा इस ओर तेजी से बढ़ रही है। यदि इस दबाव को नहीं रोका गया तो गंगा नदी के अपना मार्ग परिवर्तन करने और भागीरथी में बहने का खतरा है। ऐसी स्थिति में लोग मर जाएंगे। सारे कस्बे, ग्राम और जिले पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्जीनियरों ने भी इसी प्रकार की आशंका व्यक्त की है।

मेरे विचार में, यह उतरदायित्व अन्ततः केन्द्र का ही है, पहले क्योंकि फरक्का बांध को नष्ट होने से बचाने के लिए केन्द्र को तत्परता से आगे आना चाहिए और भूमि कटाव को रोकने के उपाय करने चाहिए और दूसरे उन्हें पर्याप्त सहायता देनी चाहिए।

एक बात और भी है। फरक्का बांध के मुहाने पर फीडर नहर में पानी की कमी होने के कारण कलकत्ता बन्दरगाह को भी खतरा पैदा हो गया है। हर बार पश्चिम बंगाल सरकार ने बन्दरगाह की सुरक्षा के लिए चालीस हजार क्यूसेक जल की मांग की है और सिंचाई उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पन्द्रह हजार क्यूसेक जल की आवश्यकता बताई है। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि फरक्का के मुहाने पर फीडर नहर से आपूर्ति धीरे-धीरे और कम होती जा रही है। यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी की घाटी के अन्य राज्यों से औपचारिक विवाद नहीं किया है परन्तु गंगा के ऊपरी भागों में इसके पानी के इस्तेमाल के उद्देश्यों में कुछ परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार फीडर नहर से फरक्का मुहाने पर आपूर्ति कम से कम होती जा रही है। इस प्रकार यह कलकत्ता बन्दरगाह की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। अत: राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि फरक्का बांध को नष्ट होने से बचाएं, गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाएं और भारतीय क्षेत्र की भूमि सीमा को अत्यधिक भूमि कटाव से बचाएं। भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा चाहे यह भूमि सीमा की हो या जल सीमा की—केन्द्र सरकार का कार्य है। यह केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें केवल यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि कटाव राज्य का विषय है। इस मामले में यह सादृश्य उपयुक्त नहीं है। अतः महोदय, गंगा नदी को भागीरथी की ओर बहने या भागीरथी की गंगा

के समीप आने से रोकें। ये दोनों खतरनाक हैं और कलकत्ता बन्दरगाह को बचाएं। ये केन्द्र सरकार के कार्य हैं और पिछली कांग्रेस सरकार इस कार्य से बची और इसका भार पश्चिम बंगाल सरकार के कन्धों पर डाल दिया। अतः मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और शीघ्र ही अपने निर्णय को सुनिश्चित करें।

महोदय, तत्पश्चात पत्थरों की समस्या एक गम्भीर समस्या है। मैंने पहले ही जल संसाधन मन्त्री को कुछ दिन पहले ही पत्थर प्राप्त करने की समस्या के बारे में लिखा है। अब नए वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार पत्थरों का उठाना लगभग निषेध कर दिया गया है और पत्थर ही बांध नियंत्रण के कार्यों का साधन है और यह उपलब्ध नहीं है। जैसाकि मैंने पहले भी अपने पत्र में कहा है कि जब तक केन्द्र सरकार इस मसले को अपने हाथ में नहीं लेती और पश्चिम बंगाल के वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी नहीं करती, तब तक न केवल विकास कार्य रुका रहेगा बल्कि बाढ़ का खतरा और उस क्षेत्र में नदी के मार्ग परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता।

शायद आप सभी नदियों, नालों आदि के बारे में जानते हैं और वर्षा ऋतु में इनका प्रवाह इतना तीव्र हो जाता है कि लोग और गांव के गांव इसमें बह जाते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पत्थरों की इस समस्या का शीघ्रता से समाधान किया जाए। शायद इन्होंने पर्यावरण विभाग से इस बारे में पहले ही बात भी की है।

महोदय, तत्पश्चात स्वर्णरेखा परियोजना के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुमति की प्रतीक्षा है और मुझे डर है कि पर्यावरण विभाग से अनुमति न मिलने के कारण वह विशेष विकास कार्य रुक जाएगा और उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। अतः मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि विशेष रूप से स्वर्णरेखा परियोजना के बारे में विकास कार्य न रुके, जिसके लिए अनुमति पहले से ही मिल चुकी है। परन्तु समस्या केवल यह है कि पर्यावरण अड़चन डालता है।

निचली दामोदर घाटी को बाढ़ से बचाने के लिए अतिरिक्त बांधों के निर्माण की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती विजयाराजे सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, मैं आज जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, वह देश के विकास और उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस देश की 80 फीसदी आबादी गांवों में ही रहती है। अतः यह स्वाभाविक है कि राष्ट्र का भविष्य उनका भविष्य है। इस प्रकार कृषि पर निर्भर लोगों की समृद्धि और सम्पन्नता भी देश की समृद्धि और सम्पन्नता के साथ जुड़ी हुई है। यह इस राष्ट्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वर्ग को विगत 40 वर्षों के कांग्रेस शासन में न्याय न मिल सका और बुनियादी और प्रारम्भिक सुख-सुविधा की बात तो दूर रही, केवल जीने मात्र की आवश्यकताओं से भी वंचित रहे हैं। उनके चेहरे पर कभी-कभी मुसकान दिखायी भी देती है तो वह एक प्रकार से अपवाद समझा जाए। अभी तक हमारी आर्थिक नीतियां, शासन के अधिकांश साधन और धन केवल अमीर, अति अमीर तथा कुछ औद्योगिक घरानों को ही उपलब्ध होता रहा है। कृषक और ग्रामीण वर्गों का स्थान नगण्य रहा है। फलस्वरूप यहां कुछ पूंजीपति घरानों की हैसियत तो विगत 35 वर्षों में 50 से लेकर 100 गुणा तक बढ़ी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की हैसियत, विशेषकर किसानों की, इतनी घटी है कि उनको भुखमरी की हालत में पहुंचना पड़ा है। हमारी विगत साख विकास योजनाओं में कृषि क्षेत्र को मात्र औसतन 30 प्रतिशत साधन

उपलब्ध हुआ है यानि 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए मात्र 30 प्रतिशत और शेष 20 प्रतिशत के लिए 70 प्रतिशत । उस 80 प्रतिशत में भी 40 तो ऐसे हैं जोकि गरीबी रेखा से भी बदतर जीवन स्तर में हैं, दूसरे 40 जो हैं वह भी बेयर सबसिसटेंस लैबल समझे जाने चाहिए । किसानों की जो दुर्दशा हुई है, देखा जाए तो इसमें उनका अपना कोई दोष नजर नहीं आता है सिवाए इसके कि वे संगठित नहीं हैं । शासन की उनके प्रति घोर उदासीनता, एक प्रकार का विश्वासघात कहना चाहिए, उसके कारण कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । पूर्व शासन ने हाई इण्डस्ट्रियल ग्रोथ पैटर्न की ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जिससे ग्रास रूट स्तर पर व्यक्ति को अभावग्रस्त जीवन बिताने को मजबूर कर दिया क्योंकि वे इस योजना के लाभ से वंचित रहे । इससे मात्र उच्च स्तर के सम्पन्न, ऐफ्लूऐंट लोग हैं, भले ही आवश्यकता से अधिक लाभ उठाते रहे हैं । कृषि के लिए शासन ने विगत कई वर्षों से क्या किया, इनके कुछ आंकड़े पेश करना चाहती हूं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह क्षेत्र कितना उपेक्षित रहा है । एक तो सिंचाई, दूसरा बिजली और फिर खाद, फसल बीमा, सड़क आदि ऐसी चीजें हैं जिन्हें उचित मात्रा में उपलब्ध कराना शासन का कर्त्तव्य है परन्तु इस बाबत सरकार की जो परफारमेंस रही है, उनके आंकड़े निम्न अनुसार हैं । सिंचाई पिछले नौ वर्षों में कुल सिलाकर सिंचित एरिया अंडर आल क्राप्स में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह मात्र 2.4 प्रतिशत है । यानी 1979-80 में 30.3 परसेंट से लेकर 1987-88 में 32.7 परसेंट हुआ जिसमें से दलहन मात्र एक परसेंट यानी 8.8 परसेंट से 9.8 परसेंट तक । चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का जो कि जनसंख्या के अधिकांश भाग का मुख्य आहार है, उसमें तो सिंचित एरिया में कमी आई है यानी उसी अवधि के अन्दर 34.4 परसेंट से 31.3 परसेंट वह पहुंची है । मतलब यह है कि स्वतन्त्रता के 40 वर्ष के बाद हमारी समस्त फसली भूमि का 67 परसेंट आज भी असिंचित है ।

अब फर्टिलाइजर को ही लीजिए । 1984-85 में 8.91 मिलियन टन उपलब्ध कराया गया और 1987-88 में 8.79 यानी मात्र 0.58 की बढ़ोत्तरी रही और उधर जो सबसिडी फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीज को दी जाती है, उसका भी लाभ शायद ही किसान तक पहुंच पाया है ।

फसल बीमा यानी क्राप इन्श्यारेंस की तरफ भी देखिए जिसके विषय में बड़ी-बड़ी डींगें हांकी जाती थी । निम्न आंकड़ों से पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है ?

[अनुवाद]

वर्ष 1985 के दौरान इसके अन्तर्गत लाभान्वित किनानोंकी संख्या 38.48 लाख थी और वर्ष 1989 के दौरान यह संख्या 28.0 लाख थी ।

[हिन्दी]

यानी कम हो गया । एरिया कवर्ड 1985 में 76.92 लाख हैक्टेयर और 1989 में 38.69 लाख हैक्टेयर, एमाउंट इन्श्योर्ड 1985 में 781.14 करोड़ और 1989 में 541.39 करोड़ । क्षति-पूर्ति की जो राशि दी गई वह है 87.02 करोड़ यानी 1985 और 1989 में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

प्राकृतिक प्रकोप जो किसानों को प्रति वर्ष सहना पड़ता है, उसके लिए सारे देश भर को मात्र 30 करोड़ रुपए दिए गए ।

महोदय, अब बिजली का नजारा देखिए । 1987-88 में बिजली के कुल उत्पादन में से कृषि के लिए उपलब्ध कराया गया केवल 23.8 परसेंट और उधर औद्योगिक क्षेत्र में 55 परसेंट । इसके

ऊपर बिजली की सप्लाई भी कृषि के लिए सुचारू ढंग से रैगुलर नहीं मिलती है। कई प्रांतों में कभी-कभी दिनों बिजली गायब भी रहती है जिससे समय पर सिंचाई न होने से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। बिजली उनके साथ आंख मिचौली खेलती है।

एक माननीय सदस्य : वह महीनों गायब रहती है।

श्रीमती विजयाराजे सिंधिया : हां, वह महीनों गायब रहती है जिससे सिंचाई न होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा फलक्चुएशन के कारण घड़ी-घड़ी उनके पम्प की मोटरें फुंक जाती हैं जो गरीब किसान मुश्किल से एफोर्ड कर सकते हैं।

अब ग्रामीण महिलाओं की हालत देखिए। एक जमाना था यानी कि 35 वर्ष पूर्व ग्रामीण महिलाएं सोने चांदी के जेवरों से लदी रहती थीं। आज उनके बदन पर उनमें से एक-आध ही गहना मुश्किल से नजर आता है। आखिर ये सब कहां गायब हो गये? असल में यह सब भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट अफसरशाही और भ्रष्ट उद्योगपति तथा व्यापारी के विदेशी बैंकों के खाते में जमा हो गये होंगे।

इस प्रकार शनैः-शनैः ग्रामीण सम्पत्ति का पलायन हो चुका है और रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों के पलायन का क्रम जारी है। इन सब विपरीत स्थितियों के बावजूद भी मैं कहना चाहती हूं कि हमारे किसानों ने पैदावार में जो कमाल कर दिखाया है, वह काबिलेतारीफ है, 1984-85 में अनाज का कुल उत्पादन साढ़े 14 करोड़ टन हुआ और 1988-89 में सवा 17 करोड़ टन हुआ है तो यह सब उत्पादन

[अनुवाद]

सरकार के कारण नहीं बल्कि इसके होते हुए हुआ है।

[हिन्दी]

मेरे ख्याल से शासन का विश्वासघात और कृषकों का पुरुषार्थ, यह दोनों ही भारत के इतिहास में दर्ज होने लायक हैं। यह कहां का न्याय है कि कृषि उपज के दाम किसान स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते। अकेला कृषक ही ऐसा वर्ग है जो खुद की पैदा की हुई सामग्री, माल का मूल्य स्वतः निर्धारित नहीं कर सकता। पैदा करे किसान और उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करे कोई दूसरा, यह कैसी विडम्बना है। किसी भी चीज के उत्पादन में, चाहे वह पिन से लेकर हवाई जहाज तक हो, उत्पादनकर्ता ही सब चीजों का विक्रय मूल्य खुद तय करता है और वह अपनी चीज का मूल्य नहीं गिरने देता है भले ही इसके लिए उसे उत्पादन कम ही क्यों न करना पड़े पर इधर तो देखिए, कैसी विडम्बना है कि जिस वर्ष किसान को बम्पर क्राप मिलती है, उस समय भाव गिर जाते हैं और उससे कारण उसे उसका लाभ नहीं मिलता है बल्कि नुकसान भी उठाना पड़ता है, इस प्रकार दोनों ओर से बेचारा मरा। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तराल में उचित भंडारण की समुचित व्यवस्था बहुत जरूरी है। अभी-अभी भजन लाल जी ने भी जिक्र किया था लेकिन मुझे कुछ अटपटा-सा लगा। उन्होंने इस बारे में यह कहा कि किसान अपने घर में गोदाम बनाकर वहां अनाज रख सकता है, अगर किसान इस हैसियत में होता तो क्या उनके सुझाव के लिए वह ठहरा होता, उसमें अपनी खुद ही भी इतनी बुद्धि नहीं है क्या? लेकिन किसान की हालत इन लोगों ने क्या करके छोड़ी है। आज किसान की हैसियत यह नहीं है कि वह अपने घर में गोदाम बना सके? मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि वर्तमान गोदामों का लाभ भी केवल व्यापारियों को ही मिल रहा है क्योंकि, गोदाम गांवों के अन्तराल में नहीं हैं, वह कुछ शहरों के पास इस तरह से हैं जो दूरी के कारण कृषक अपना उत्पादन उन गोदामों में सुरक्षित नहीं रख पाता।

अतः नजदीक के सरकारी गोदामों में अपना उपज जमा कराके वह उन्हें आसान शर्तों और सहज किश्तों में कर्ज ले सकें ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि किसान की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह अपनी उपज को बिक्री से रोकना चाहे तो जब रोकेगा तो अपने दैनिक खर्चे के लिए मुश्किल में पड़ेगा क्योंकि उनकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर है इसलिए अगर सरकार की ओर से यह व्यवस्था हो कि जब भंडारण करने के लिए भंडार में रखे, अपनी उपज को तो उसके बदले में समय-समय पर जैसी उसे जरूरत पड़े, उनकी सहज किश्तों में कर्जा और आसान शर्तों में मिले, दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह डिस्ट्रेस सेल के लिए मजबूर न हो, क्योंकि, डिस्ट्रेस सेल किसानों के लिए बड़ी कष्टप्रद होती है, वह उसी में सब कुछ खो बैठते हैं।

अब आवागमन और ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं पर आप नजर डालिए, क्योंकि गांवों का असली विकास तो उस पर निर्भर रहता है, सड़कों का जाल बिछाना चाहिए। प्रत्येक गांव को आपस में तथा मंडियों के साथ और साथ-साथ शहरों के साथ भी जरूरी है कि जोड़ा जाए, परन्तु इस ओर भी वांछित प्रगति अभी तक नहीं हुई है। बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।

अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई के अभाव के कारण किसान साल में केवल एक ही फसल ले पाते हैं यानी किसान का कारखाना 1‌ महीने में केवल 4-5 महीने ही चल पाता है और उद्योगपतियों का कारखाना तो 12 महीने ही नहीं, कभी-कभी तो 18 महीने भी चल पड़ता है। मेरा मतलब डबल और ट्रिपल शिफ्ट से है। यह भी एक विसंगति और विडंबना है। खाली समय में कृषकों को अतिरिक्त आमदनी के लिए गेनफुल-एम्पलायमेंट की व्यवस्था होना जरूरी है। जो वस्तु काटेज इन्डस्ट्री में इनके हवाले की जाती हैं, वे बनाते हैं, और वे सफलतापूर्वक गुड-क्वालिटी तैयार कर सकते हैं, पहले भी करते थे और आज भी कर सकते हैं, क्योंकि गांव के कारीगर काफी अच्छे होते हैं, उन चीजों को बड़ी फैक्ट्री के क्षेत्र से हटा दिया जाए। वे वस्तुएं जो वहां पर अच्छी क्वालिटी के रूप में तैयार की जा सकती हैं, बनाई जा सकती है, उन वस्तुओं को फैक्ट्री की हद से निकाल दिया जाए।

कृषक के कर्ज के बारे में भी रोना ही रोना है। कृषक जन्म लेता है, तो सिर पर कर्जे का बोझ लेकर और जीता भी है तो कर्ज के बोझ को ढोते हुए और मरता भी है तो—उसका शरीर तो जरूर छूट जाता है पर कर्जा नहीं छूटता—अलबत्ता आने वाली सीढ़ियों के सिर पर कर्जा लादकर वह चला जाता है। इस सरकार ने हमें खुशी है कि दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने का आश्वासन दिया है। हम उनसे यह आग्रह करते हैं कि उस पर जल्दी कवाही र्यकी जाए, ताकि किसानों के कष्ट का कुछ हद तक निवारण हो सके।

यहां पर मैं औद्योगिक वर्ग को भी चेतावनी देना अपना फर्ज समझती हूं। वे हम से दूर नहीं हैं, वे इसी राष्ट्र के एक अंश हैं और उनका पित भी इसी में है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, ताकि देश की अधिकांश आबादी की क्रयशक्ति बढ़े। इससे औद्योगिक क्षेत्र की मार्केट का भी विस्तार हो सकेगा। आज इण्डियन मार्किट आबादी की दस फीसदी के लगभग होगी, हमेशा एक्सपोर्ट मार्किट पर ही निर्भर रहना कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। केवल एक तरफा हाई-इन्डिस्ट्रियल ग्रोथ में काफी खतरा हो सकता है। चूंकि यह अक्सर इन्टरनल और एक्सटरनल शॉक से वलनरेबल होता है। ऐसे में यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर रहे और लैंड की तरफ माइग्रेशन करना भी चाहें तो भुख-मरी से बचने के लिए इस सैक्टर में इतनी ताकत नहीं होगी कि इस बोझ को बर्दाश्त कर सकें। जापान का 1973 का उदाहरण हैं, वे आदर्श राष्ट्रीय चरित्र के कारण उबर सके थे, लेकिन हमारे यहां तो दुर्भाग्य से इसका भी अभाव है।

हमारी पार्टी—भारतीय जनता पार्टी—ने इस देश के लोगों को आश्वासन दिया है कि हम सम्पूर्ण साधन का 60 फीसदी कम से कम कृषि के क्षेत्र में लगायेंगे। संतोष का विषय है कि इस शासन ने 50 फीसदी लगाने का आश्वासन दिया है, परन्तु एक्सपेंडियर बजट को देखने से इसकी पूर्ति होगी ऐसा नहीं लगता है। केवल 429 करोड़ रुपए ही पिछले वर्ष से अधिक का प्रावधान दीखता है। ग्रामीण विकास के लिए जो 50 फीसदी का आश्वासन दिया है, उसकी पूर्ति कर पायेंगे उससे ऐसा नहीं लगता है। मैं आशा करती हूं कि वित्त मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान देंगे, ताकि आश्वासन थोथे न सिद्ध हों।

अन्त में मैं यहां पर मध्य प्रदेश के जल कष्ट का जिक्र करना चाहती हूं, जिसके कारण विशेष कर ग्रामीण जनता त्राहि-त्राहि हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध स्तरीय स्तर पर काम तो हो रहा है और केन्द्रीय सरकार से भी हमने सहायता के लिए निवेदन किया है। मैं केन्द्रीय सरकार से आपके माध्यम से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करना चाहूंगी कि उचित सहायता जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि कष्ट के निवारण में यथेष्ट सफलता मिले।

इतना कह कर अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1987 में राष्ट्र ने जल नीति को अपनाया और इसमें प्राथमिकताएं विस्तार से निश्चित की गई थीं। जैसा कि जल नीति पर लम्बे समय तक विचार-विमर्श भी हुआ था तो इस पर सदन में अथवा बाहर कहीं भी मतभेद नहीं थे। इन प्राथमिकताओं में सबसे पहला निर्धारण पीने के पानी का था और उसके बाद सिंचाई, जल विद्युत, यातायात, औद्योगिक और अन्य दूसरी प्राथमिकताएं थीं। इसमें रोचक बात यह है कि यद्यपि यह नीति 1987 में अपनाई गई थी और वर्ष 1989-90 के जल संसाधन मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकारें राष्ट्रीय जल नीति को लागू करने के लिए तत्परता से कदम उठा रही हैं परन्तु फिर भी राष्ट्र के सभी नागरिकों को वर्ष 1991 तक पीने का पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य मेरे विचार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कम से कम एक बंजर और सूखा जिला, जहां से मैं आया हूं, और जहां सिंचाई के लिए पानी बहुत दूर की बात है और यहां तक कि पीने का पानी भी दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुओं में एक है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बाल्टी पीने के पानी के लिए हम दो रुपए अदा करते हैं। हम जानते हैं कि दक्षिणी पठार के स्थानों में एक मुख्य समस्या जल स्तर के घटने की है। जल सतह दिन प्रतिदिन नीचे होती जा रही है। वर्ष 1983 में जब मैं पहली बार इस सदन में आया तो हम 100 से 120 फुट की गहराई पर पानी प्राप्त कर लेते थे। आज हमें जल सतह को छूने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के गहरे कुएं खोदने के उपकरणों से 1000 से 1200 फुट गहरा खोदना पड़ता है। मैं सिंचाई के लिए नहीं बल्कि पीने के पानी की बात कर रहा हूं। वह उस स्थिति पर पहुंच गया है कि मेरा विचार है कि हमारा जिला पक्की तरह से सूखा प्रभावित जिला होगा। अपने जिले को मैं केवल एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। यदि कोई आपके द्वारा स्थापित प्राधिकरण द्वारा बनाए गए जल मानचित्र को विस्तार से देखे तो यह स्पष्ट है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह कम से कम भविष्य में शीघ्र उपलब्ध होने वाला नहीं है जब तक कि आप राष्ट्रीय जल नीति को लागू करने में प्राथमिकता के आधार पर तेजी न लाएं और पीने का पानी देने और पीने के पानी के लघु उद्देश्यों को अधिकतम प्राथमिकता पर जारी न रखें। यदि आप इसके लिए खर्च की जाने वाली राशि को अन्यत्र खर्च करते रहे तो मैं

दोहराता हूं कि यदि आप राज्यों को अन्यत्र धन खर्च करने की अनुमति देते रहे अर्थात पीने के पानी की प्राथमिकता को यातायात, औद्योगिक और अन्य आवश्यकताओं के लिए परिवर्तित करते रहे तो संभव है कि आप कभी भी भारत की जनता को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य में सफल नहीं होंगे।

मैं माननीय मन्त्री जी से क्रियान्वयन का स्तर जानना चाहूंगा। दुर्भाग्य से जब पीने के पानी की कमी है और हम पाते हैं कि लोग पानी की कमी से प्रभावित हो रहे हैं तो जल संसाधन विभाग बधाई के पात्र हैं कि किस प्रकार उन्होंने अतिरिक्त सिंचाई क्षमता स्थापित की है।

4.59 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

आपके प्रतिवेदन से पता चलता है कि आपने लक्ष्य का 138 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। इसमें लगभग 26.9 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है। आप अन्य 3.72 लाख हेक्टेयर भूमि को विश्व बैंक से प्राप्त ऋण की सहायता से उपलब्ध करवा पाए हैं। परन्तु इसके प्रकाश में मैं यह जानना चाहूंगा

5.00 म० प०

कि भूमिगत जल के प्रश्न पर जल संसाधन मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है। क्या आप केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के कार्यकरण से संतुष्ट हैं। क्या यह कार्य केवल रीजनल हाइड्रो जिओलोजीकल सर्वे और ग्राउण्ड वाटर एक्सपलीरेशन रिसर्च और वाटर क्वालिटी मोनीटरिंग रिसर्च डेवलेपमेंट एण्ड सर्वेज का है अथवा क्या इसकी योजना यथार्थ रूप से जल के स्रोत या बड़े संसाधनों के पता लगाने में भागीदारी करने के रूप में की गई है ताकि उसका दोहन करके लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को परामर्शदात्री एवं अनुसंधान निकाय तक सीमित करने की योजना बना रहे हैं अथवा क्या आप इसके क्षेत्र को बढ़ाकर और इसे वास्तव में सहायता देने की योजना बना रहे हैं। यह पूछने का कारण यह है कि जो उपकरण केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के पास है, वह राज्य सरकारों के पास नहीं है। उत्तर भारत में अनेक राज्य सरकारों के पास कुएं खोदने के उपकरण नहीं हैं, जो 300 से 400 मीटर तक खोद सकते हैं, अगर एक हजार मीटर और उससे अधिक की बात छोड़ भी दें। मुझे पता है कि मेरे जिले से हर वर्ष ग्रीष्मकाल के दौरान एक हजार कुएं खोदने वाली रिगें उत्तर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और यहां तक कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी ले जाई जाती हैं। अतः यदि राज्यों के पास उपकरण ही नहीं हैं तो क्या भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक 'पूल' बनाने पर विचार करेगी, जहां से राज्य सरकारें कम से कम भूमिगत जल के दोहन के लिए उपकरण ले सकें ? यह तथ्य और भी चौंका देने वाला है कि आपने केन्द्रीय भूमिगत जल निगम के पुनरावलोकन के लिए समिति बैठाई है। आपने एक निश्चित अवधि निर्धारित की है कि यह समिति सन् 1990 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह अन्तिम तिथि अभी भी है या इसे बदल दिया जायगा। अगर यह तिथि अभी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट दे दी गई है, क्या केन्द्रीय और राज्य भूमिगत जल संगठनों की संभावित भूमिका पर कोई अन्तरिम सुझाव दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना पर आपने क्या किया है। मैं समझता हूं कि इन तीन उप-परियोजनाओं को मेरे राज्य में मंजूरी दे दी गई है। मैं जानना चाहूंगा कि ये तीनों परियोजनाएं जो स्वीकृत की गई हैं इनमें से कौन-सी और कहां तक कार्यान्वित की गई है।

मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वह दलीय या राजनैतिक नहीं है। यह मामला मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है और जिसकी हम सबको जरूरत है और वह है जल। आखिरकार यह कहा गया है और यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि हमारी तात्विक संरचना का एक बड़ा भाग जल है। अगर कोई मानव शरीर के तत्वों को विभाजित करे तो हम अधिकतर जल से ही निर्मित हैं। अगर किसी के पास जल नहीं होता तो शायद हम वो नहीं रहते जो हम हैं, चाहे हम कुछ भी दावा करें। इसके साथ ही मैं यह सोचता हूं कि उनके लिए यह सुसंगत है कि वे यह अनुभव करें कि अन्तिम समाधान वास्तव में नदियों को जोड़ने में है। इससे कोई समाधान नहीं निकलता कि आप तथाकथित प्रादेशिक जल संतुलन का खिलवाड़ करते रहें। मैं सोचता हूं कि यह एक पलायन है, बचने का तरीका है जो प्रायः सभी सरकारों द्वारा प्रयोग किया जाता है चाहे वह किसी भी दल की हो। हम बार-बार यह सुन चुके हैं कि गंगा-कावेरी-लिंक बनाया जाना चाहिए।

जब भी सरकार राजनीतिक इच्छा के साथ दबाव डालती है तो हमने देखा है कि तथाकथित तकनीकी नौकरशाह यह कहने के लिए बीच में आ जाते हैं कि यह भौतिक रूप से असंभव है, आर्थिक रूप से असंभव है और इस या उस कारण से यह असंभव है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गंगा-कावेरी लिंक का सपना देखने वाला एक तकनीकी मन्त्री ही था। वह कोई अतकनीकी अज्ञानी नहीं था जो अचानक कहीं से आया और उसने इस योजना का ख्वाब बना लिया। वास्तव में यह सत्य है कि आज हम एक ओर अकाल पर नियंत्रण करन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो दूसरी ओर बाढ़ नियंत्रण के लिए भी करोड़ों—वास्तव में दोनों ओर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आपके पास बाढ़ नियंत्रण के लिए एक मास्टर प्लान है। आप एक या दो उप क्षेत्रों में मास्टर प्लान पूरा कर चुके हैं। किन्तु सिर्फ बाढ़-नियंत्रण से क्या होगा ? क्या हम बाढ़ के पानी का उपयोग नहीं कर सकते ? एक तरफ लोग जल के अभाव में मर रहे हैं और दूसरी ओर जल की अधिकता के कारण वे मर रहे हैं। क्या यह एक ही देश नहीं है। क्या हम इसे इकट्ठा नहीं कर सकते ? मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मामले को गहराई से देखे कि क्या आप गंगा-कावेरी-संपर्क का दोबारा अच्छी तरह पुनरावलोकन कर सकते हैं अथवा नहीं। अगर यह संभव है, तो यह सिर्फ जल की समस्या का समाधान ही नहीं करेगा, सिर्फ बाढ़ और अकाल की समस्या को ही नहीं सुलझाया जा सकेगा बल्कि यह एक हद तक रोजगार की समस्या को भी सुलझायेगा।

अन्त में, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा और यह कहता हूं कि मैं खेद अनुभव करता हूं कि सरकार ने कावेरी के मुद्दे पर एक स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। सरकार जानती है कि यह मामला विवादास्पद है जो वर्ष 1974 से लम्बित पड़ा है। कर्नाटक राज्य ने, उस तिथि से लेकर अब तक कई बांध बना लिए हैं और कावेरी की सहायक नदियों के पानी को, तमिलनाडु को, जो कि निचला तटवर्ती राज्य है, की निरन्तर जरूरतों का ध्यान रखे बिना ही रोक दिया है। कर्नाटक और ऊंचे तट पर है, हमारे अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, यह एक सर्वविदित तथ्य है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार जानती है कि 26 बैठकें हुई और हर बैठक वास्तव में असफल रही। जब तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री—जोकि आपके मुख्य मन्त्री हैं, मुझे दोहराने दीजिए, राजनीतिक रूप से वह आपके आदमी हैं—ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि वार्ता असफल हो गई, कानून के तहत, यह आपका प्राथमिक कर्त्तव्य था कि आप इसे ट्राइब्यूनल को सौंप देते। किन्तु इसकी जिम्मेवारी लेने की बजाय आप इससे बच रहे हैं, भाग रहे हैं और अदालत पर इसे निर्णय के लिए छोड़ रहे हैं। हम उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं कि इसने इसे आखिरकार ट्रिब्यूनल को सौंपने का फैसला किया है। किन्तु मैं यह कह सकता हूं—आपकी ओर से किसी सहायता के बिना—यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसे

मामले में राजनीति चलाने की कोशिश की जो लोगों के जीवन और मरण से संबध रखता है। तमिलनाडु मूल रूप से कावेरी पर निर्भर है। आज से नहीं, किन्तु सदियों से। हम बीस वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और अन्त में जब अदालत निष्कर्ष पर पहुंची है और आपको मौका दिया है और कहा है, "कृपया अपना रुख स्पष्ट करें" तब आप वापस आ गए और कहा कि "हमारा कोई पक्ष नहीं है।" आप को ही इसे स्पष्ट करना है। तब, आप किसलिए सरकार बनाते हैं ? आप ऐसा कानून क्यों बनाते हैं जो कहता है कि अगर वार्ता असफल हो जाती है तो सरकार इसे ट्रिब्यूनल को सौंप सकती है। ऐसे कई निर्णय हैं जिनमें कहा गया था कि अगर एक बार वार्ता असफल हो जाती है तो इसे ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाएगा। मैं इसे और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसे ट्रिब्यूनल को सौंप देने का हम सभी स्वागत करते हैं। किन्तु साथ ही आज समय की मांग है कि किसानों को तुरन्त सहायता दी जाए। हो सकता है कि सरकार इसे इस प्रकार न ले, पर आज, हमारे राज्य में एक तूफान आया है और हम सभी ओर से हवाओं के द्वारा, जिनकी गति 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, उड़े जा रहे हैं। नागरिक प्रशासन ने कोई सहायता की व्यवस्था नहीं की है। सम्पत्ति नष्ट की जा रही है, वृक्ष उखाड़े जा रहे हैं। सिचाई के लिए पानी के प्रश्न को भूल जाइए। तटीय क्षेत्रों के साथ की अधिकांश भूमि पर प्रायः कुछ भी नहीं बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : राम प्रसाद सिंह।

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर (मैसूर) : श्रीमान, क्या मैं एक क्षण के लिए बीच में बोल सकता हूं (**व्यवधान**) मैं मित्रों को यह सूचित करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री वार्ता के एक और दौर के लिए सहमत थे। वे अचानक पीछे हट गए और कहा कि वार्ता असफल हो गई है। यह सिर्फ रिकार्ड को दुरुस्त रखने के लिए था।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह असंगत है। उन्होंने यह कहते हुए लिखा कि बातचीत टूट गई है और आपको इसे एक ट्रिब्यूनल को सौंप देना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसे शीघ्र रोके, अगर संभव है तो तमिलनाडु की सरकार से पता लगाए कि वे क्या सहायता चाहते हैं और इस विपदा से निपटने में हमारी सहायता करें, जिसका हम सामना कर रहे हैं और पीने के पानी के प्रश्न पर हमारी सहायता करने के लिए आगे आएं, विशेषकर सलेम जिले में।

[**हिन्दी**]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं सदन के प्रति, आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत कृषि और सिंचाई की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, 42 वर्षों की आजादी के बाद भी हम भारत के किसानों को, उनके खेतों को पानी नहीं दे सके, उन्हें बिजली नहीं दे सके और उनके लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सके। यह हमारी पिछली सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। मान्यवर, आप देखते हैं कि किसानों की हालत क्या है। हम सभी कहते हैं, चुनाव के दौरान कहते हैं, हमारे नेता बराबर कहते हैं, आजादी के पहले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत किसानों का देश है। भारत में 80 प्रतिशत किसान बसते हैं। किसानों की खुशहाली देश की खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन 42 वर्षों की आजादी के बाद भी पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण हम किसानों के घरों को खुशहाल नहीं बना सके। उनके बच्चों को शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं कर

सके, उनके गांव में बिजली नहीं दे सके, उनके गांव को सड़क से जोड़ने का काम नहीं कर सके। और न ही उनके गांवों में पेय जल की आपूर्ति कर सके।

मान्यवर, उनके चेहरे को देखकर आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कभी भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं झलकती। वे बराबर उदासीन रहते हैं, चिन्तित रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको रोजमर्रा की चीजें भी हम 42 वर्षों में नहीं दे पाए। जहां तक नई सरकार का सवाल है, पहली बार गांव पर, कृषि पर राष्ट्रीय आमदनी का 49 प्रतिशत रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। सरकार की घोषणा सराहनीय है और 42 वर्षों के बाद पहली दफा जनमोर्चा सरकार ने किसानों के हित में काम करने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है और किसानों की ओर ध्यान दिया है। इससे पहले कभी किसानों के प्रति पिछली सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की।

मान्यवर, हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश की हालत, विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशों की तुलना में सबसे नीचे है। आज भी हमारे देश की प्रति एकड़ पैदावार विश्व के सब देशों से कम है। अमेरिका, कनाडा जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में हमारे देश के खेतों में 1/3 फसल होती है। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि पिछली सरकार किसानों के प्रति कितनी उदासीन रही है, उनके लिए उचित बीज की व्यवस्था भी नहीं कर सकी और न सिंचाई की। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए एक नीति निर्धारित की जाये कि उनकी खेती के लिए जो हम खर्च करें और जैसा बजट में पचास फीसदी के करीब उनको देने की बात है वह उन तक पहुंच सके। किसान अपनी पैदावार के मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार यहां पर रखे हैं कि कारखानों के मालिक अपनी वस्तुओं के दाम स्वयं निर्धारित करते है और दाम निर्धारण करने वाली यदि कोई समिति होती है तो उनका प्रतिनिधि वहां रहता है। लेकिन किसानों की खेती की जब फसल उपजती है तो उसका मूल्य किसान निर्धारित नहीं कर सकता और न ही कोई समिति में उसका कोई प्रतिनिधि रखा जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब कभी भी उसकी पैदावार के दाम निर्धारित किए जाएं तो किसानों का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना चाहिए। आज हम कृषि और जल संसाधन मंत्रालयों की मांगों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अच्छी कृषि की कल्पना करते हैं तो जल की भी कल्पना साथ में करते हैं। जल जीवन है। 42 वर्षों में हम केवल 33 प्रतिशत किसानों की खेती को पानी दे सके, पिछली सरकार के सदस्यों ने माननीय भजन लाल जी और कुछ कांग्रेसी मित्रों ने जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, कहा कि हम बहुत उदार थे किसानों के प्रति, क्या यही उदारता है कि 42 वर्षों में केवल 33 प्रतिशत किसानों के खेतों को पानी दे सके। हमारी पिछली जल परियोजनाएं बेकार होती जा रही हैं। मैं बिहार में रोहतास जिले से आता हूं जहां सोन नहर है। यह योजना 1875 की बनी हुई है करीब 115 साल पुरानी है जिसकी अवधि केवल पचास वर्ष तक की आंकी गई थी। लेकिन 115 बरस बाद भी सोन नहर आधुनिकीकरण की परियोजना पूरी नहीं हुई है, जबकि इससे 22 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है। आज उसकी क्षमता खत्म हो गई है। जब ज्यादा बारिश होती है तो किसानों के खेतों में बाढ़ आ जाती है और जब बारिश न हो तो सुखाड़ से उनकी फसल मर जाती है। आज उस जिले के किसानों की स्थिति बहुत चिंतनीय है वह सोचते हैं कि क्या हमारे खेतों को अब सही ढंग से पानी मिल सकेगा। बिहार की सरकार ने सोन नहर के आधुनिकीकरण की एक योजना का प्रस्ताव रखा है जो कि सरकार के विचाराधीन है। सरकार के साथ समझौता हुआ था उस पर 1400 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान था। आज भी वह परियोजना वैसी की वैसी है और उस पर सरकार का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो सोन कैनाल योजना है और बिहार सरकार की बहुत पुरानी योजना है, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है उसके

प्रति सरकार को उदार नीति बरतनी चाहिए। उसके लिए पर्याप्त राशि का आबंटन करना चाहिए। हम नई योजनाएं बनाने की कल्पना करते हैं और उसके लिए नीतियों की घोषणा करते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी नीतियां हैं, जैसे एक योजना के अन्तर्गत भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और पटना ये पांच जिलों में सिंचाई होती है आज वह बेकार पड़ी है। मैं जानता हूं और ऐसा मानता हूं कि नदियां कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं वह राष्ट्र की सम्पत्ति होती हैं और उसमें उन राज्यों का भी हिस्सा होता है। अभी सोन कैनाल के ऊपर मध्य प्रदेश में एक बाण सागर योजना है उसके बन जाने से बिहार का सोन नदी का 10 हजार क्यूसेक पानी देना था जो नहीं मिल रहा है। इसी तरह की एक योजना कदवन सिंचाई योजना है जो उत्तरी बिहार कोइल नदी पर बनाने का प्रावधान है। जिसमें अभी तक कोई काम नहीं लगा है और उसके बनने से हमें पानी के लिए बाण सागर योजना पर आधारित नहीं होना पड़ेगा। अगर वह बन जाती है तो उस सोन नहर का पानी हमें मिलेगा और जो ये पांच जिले सूखे की चपेट में आ जाते हैं वह फिर नहीं आएंगे। सिंचाई योजना के बनने से वहां 450 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बिहार में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है कि मैंने जब पटना में विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों से सम्पर्क किया तो मुझे बताया गया कि इस समय बिहार में केवल 300-350 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस प्रकार इस मायने में बिहार की बड़ी दयनीय दशा है। इस समय पूरे मुल्क में लगभग 5300 हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है और आबादी के लिहाज से बिहार उसका दसवां हिस्सा है और उसके हिस्से में पैदा होती है केवल 300 मेगावाट। देश की आबादी के लिहाज से बिहार दूसरे नंबर का प्रांत है जो 45 प्रतिशत मिनरल साधन देता है और उसके साथ बेईमानी की जाती है और बेइन्साफी की जाती है कि जितनी भी सिंचाई की योजनाएं हैं, चाहे वह कदवन सिंचाई योजना हो, दुर्गवती जलाशय योजना हो, जिसका शिलान्यास स्व० जगजीवन राम जी ने 1976 में किया था, अभी अधूरी पड़ी है। उस योजना के लिए 25-30 करोड़ रुपए दिए गए थे जो अधिकतर खर्च हो गए हैं लेकिन अभी तक उसका 1/4 भाग भी नहीं बना है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की जमानिया लिफ्ट इरीगेशन योजना जिसको गंगा से पानी लिफ्ट करके नहर द्वारा बिहार के पश्चिमी हिस्से में सिंचाई के लिए बना देना था, वह भी अभी अधूरी पड़ी हुई है। मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार की उदासीनता के कारण ही कई योजनायें अधूरी पड़ी हैं। इस उदासीनता के कारण ही बिहार के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसके चलते बिहार पिछड़ा हुआ है।

अन्त में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी जितनी सिंचाई की योजनायें हैं, उन्हें अविलंब पूरा किया जाए और आपके द्वारा और इस सदन के द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के लिए एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनायी जाए। किसानों की उपज को निर्धारित करने के लिए उनका प्रतिनिधि रखा जाए और उन्हें अच्छे खाद और अच्छे बीजों का प्रावधान किया जाए। सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था की जाए। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि जिस नीति से इस सरकार का मान और प्रतिष्ठा बढ़ रहा है और लोकप्रियता बढ़ रही है, विपक्ष वाले घबरा रहे हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए पिछली सरकार ने जो गत 42 साल में नहीं किया, यह सरकार किसानों के लिए करने जा रही है। अन्त में इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एस० सी० वर्मा (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई का संबंध है, अपने देश के लिए जो महत्व है, उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सिंचाई के कारण ही आज हम अपने देश में इतना अनाज पैदा कर पाये हैं जिससे कि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भर सकते हैं। यद्यपि हमारी सिंचाई का प्रतिशत केवल 30 या उसके आसपास है, फिर भी वह सबको

मालूम है कि आज 70 प्रतिशत अनाज पैदा होता है और वह भी 30 प्रतिशत की सिंचाई सुविधा से हो रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम बात को ध्यान में रखें कि इस सदी के अन्त में हमारे देश की आबादी एक सौ करोड़ हो जाएगी और 2024 के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 160-170 करोड़ हो जाएगी तो हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है कि हम सिंचाई को महत्व दें और सिंचाई को बढ़ायें। अकसर बात कही जाती है ड्राई लैंड फार्मिंग की, कि हम सूखी खेती से अनाज पैदा कर सकते हैं। मुझे तो इसका व्यावहारिक अनुभव है क्योंकि मैं आई०ए०एस० अधिकारी रह चुका हूं और 1955-56 से मैं अनेकों पदों पर रहा हूं। कृषि सैक्रेटरी, एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन कमिश्नर वगैरा। यह सूखी सिंचाई या सूखी खेती की बात आज से 20-25 वर्षों से की जा रही है। अब तक हमारे सामने कोई परिणाम नहीं आया है जिसके आधार पर हम कह सकें कि सूखी खेती से हम बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पिछले 30 वर्षों में हमारी फूड अवेलेबिलिटी पर कैपिटा 178 किलोग्राम ही रही है, बढ़ी नहीं है। 30 वर्षों में उसमें कोई अन्तर नहीं आया है। हमने इतना विकास किया, इतनी बड़ी-बड़ी उपलब्धियां कीं, लेकिन सिंचाई का समुचित इन्तजाम नहीं कर पाए जो इन्सान का पेट भरने के लिए जरूरी है। सिंचाई से ही हमें अनाज मिल सकता है परन्तु सिंचाई के मामले में हम आज भी वहीं हैं, जहां हम आज से 30 वर्ष पहले थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देश में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यदि हम सिंचाई को प्राथमिकता नहीं देंगे, सिंचाई को आगे नहीं बढ़ायेंगे तो देश के सामने अनाज की बड़ी समस्या उपस्थित हो जाएगी। सिंचाई के सम्बन्ध में दो कठिनाइयां हैं, जिन्होंने इस समस्या को ज्यादा जटिल किया है : एक तो यह है कि हमारे देश में, बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर कहते हैं कि सिंचाई मत बढ़ाओ, बड़े-बड़े बांधों का विरोध करते हैं। उन्हें यह अहसास होना चाहिए कि इन बड़े बांधों की वजह से ही आज हम पूरे देश की अनाज की आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं। पूरे देश को पंजाब अनाज की आपूर्ति करता है, हरियाणा अनाज की आपूर्ति करता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अनाज की आपूर्ति करता है। आखिर हमारा अनाज कहां से आ रहा है, इन बड़े बांधों की वजह से ही पैदा हो रहा है जो हमारे देश में पहले बने थे। बड़े बांधों की वजह से ही हम अपनी भूमि को सिंचित कर पाए और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सके। आज पंजाब का अनाज पूरे देश में जा रहा है। हमारा मध्य प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, पंजाब की तुलना में, क्षेत्रफल की दृष्टि से चार गुना प्रदेश है, लेकिन हमारी पैदावार पंजाब से बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में सिंचित रकबा केवल 15 प्रतिशत है, जबकि पंजाब में 70-80 प्रतिशत भाग में खेती होती है, अनाज पैदा होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब सारी असलियत हमारे सामने है फिर लोग किस आधार पर कहते हैं कि बड़े बांध मत बनाओ, सिंचाई मत बढ़ाओ। इसे लेकर आंदोलन करते हैं। ये वही लोग हैं, जिन्होंने बिहार का कोयलकारो प्रोजेक्ट बन्द करा दिया। ये वही लोग हैं जो आवाज उठाते हैं कि टिहरी डैम नहीं बनना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा बस्तर का बोधघाट प्रोजेक्ट बन्द करा दिया। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि नर्मदा सागर डैम नहीं बनना चाहिए, सरदार सरोवर डैम नहीं बनना चाहिए। मैं नर्मदा वैली डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं। मैं जानता हूं नर्मदा नदी प्रकृति की सबसे अनमोल देन है, जिसमें 28 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है परन्तु कितने अफसोस की बात है कि जहां यह नदी हमारे देश में अरबों वर्षों से बहती आ रही है आज तक हम उसके सिर्फ 2 मिलियन फीट पानी का ही इस्तेमाल कर पाए हैं यानी 28 में से सिर्फ दो मिलियन एकड़ फीट पानी ही यूटिलाइज कर पाए हैं। नर्मदा नदी से हम साढ़े तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं जबकि हम अभी तक सिर्फ 80-90 मेगावाट

बिजली ही पैदा कर पाए हैं। हमारे देश में जो व्यक्ति अपने आपको पर्यावरण का पण्डित कहते हैं, पर्यावरण के पक्षधर बनते हैं, वे चाहते हैं कि हमारी नदियों का पानी व्यर्थ में बहकर अरब सागर में चला जाए और हम गरीबी में ही पड़े रहें। हमारे यहां अनाज पैदा न हो। आज पर्यावरण का नाम लेकर जो लोग कहते हैं कि बड़े-बड़े बांध नहीं बनने चाहिए, उनसे पर्यावरण बिगड़ने का खतरा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम क्या गरीबी के माहौल में रहकर पर्यावरण को कायम रख सकते हैं ? गरीबी और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते। जब गरीबी होगी तो गरीब जंगल काटेगा, अपना पेट भरने के लिए। यदि हमारे यहां पैदावार कम है तो हमारे मवेशी जंगलों में चरने के लिए जायेंगे, जंगलों की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। यह कहना कि जंगलों का विनाश बड़े-बड़े बांधों की वजह से हो रहा है, बिल्कुल भ्रम है। सच्चाई यह है कि गरीबी की वजह से हमारे वनों का विनाश हो रहा है। आंकड़े भी बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारी कितनी भूमि डूबी है। दूसरी चीज यह है कि वनों के विनाश का ध्यान किए बिना भी हम विकास कर सकते हैं और विकास के साथ-साथ हम पर्यावरण को भी कायम रख सकते हैं। गरीबी और पर्यावरण बिल्कुल एक-दूसरे के दुश्मन हैं लेकिन हम कोई ऐसा मार्ग अवश्य निकाल सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा भी हो सके और हमारा विकास कार्य ही होता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार मिनट और लूंगा। अक्सर कहा जाता है कि बड़े बांध बनने से भूकम्प आयेगा। इसे भी मैं भ्रम फैलाने वाली बात मानता हूं क्योंकि जिसे हमें रिजर्वायर इन्डयूस सिस्मिटी कहते हैं, उसका कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि अगर बांध बनेंगे तो भूकम्प अवश्य आयेगा। कोयना में अवश्य आया और दूसरी कई जगहों पर भी हलचल मची है, लेकिन हमारी साइन्स आज इतनी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, इतनी तरक्की कर गयी है कि हम लोहे और सीमेंट को एक निश्चित मात्रा में इस तरह मिलायें, जिसे सिस्मिक को-एफिशियेंट कहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए, बांधों का निर्माण करें तो ऐसी-ऐसी जगह बांध बनाए जा सकते हैं जहां यदि भूकम्प भी आए तो भी बांध को किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है जिसके आधार पर बड़े बांधों की आलोचना की जाती है। हमने उन परिवारों को ठीक तरह से नहीं बसाया। जिन बांधों के बनने के कारण लोग विस्थापित हुए, हमने उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। चाहे वह नागार्जुन सागर हो, चाहे भाखड़ा नंगल डैम हो और चाहे पांग डैम हो या अन्य प्रदेशों के बांध हों, जो परिवार इनके बनने से विस्थापित हुए, हमने उनकी देखरेख नहीं की जिसके कारण जो बड़े आसूदा किसान थे, आज वे भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो गलती की गई है, वह आगे भी होती रहेगी। इन्सान गलती करता है। इसमें पानी का या बांधों का दोष नहीं है। अगर हम इन परिवारों को ठीक तरह से बसाएं, तो यह कहना कि बांधों के बनने से परिवार अवश्य ही बर्बाद होंगे, ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं और यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हम क्यों विश्व बैंक के चक्कर में पड़ते हैं ? हम हर चीज के लिए, पैसा लेने के लिए विश्व बैंक की तरफ दौड़ते हैं। यह हमारे देश के हित में नहीं है। पहले एक जमाना था, जब विश्व बैंक अपनी अनुमति प्रोजेक्ट के लिए जल्दी दे देता था, लेकिन आजकल बहुत समय लगाता है। यह अनुभव मुझे इसलिए है कि मैंने नर्मदा प्रोजेक्ट को भी विश्व बैंक के साथ हैंडल किया था। पहले तो एक-दो साल में विश्व बैंक से मंजूरी मिल जाती थी, लेकिन नर्मदा प्रोजेक्ट मैंने 1982 में वर्ल्ड बैंक के सामने रखा था और आज 1990 हो गया, वर्ल्ड बैंक ने स्वीकृति नहीं दी है। इधर-उधर की बात

करके टालमटोल कर रहा है। क्यों हम उनसे अनुरोध करें ? अब समय आ गया है जबकि हम विदेशी कर्जा न लेकर स्वयं अपने साधनों से इन परियोजनाओं को बनायें। क्यों हम पर विदेशी हावी हों और वह भी 100 में से मात्र 30 रुपए देते हैं और ऊपर से तमाम शर्तें रखते हैं। वे कहते हैं कि विदेशी कंसलटेंट्स लेने पड़ेंगे। एक-एक कंसलटेंट की 24-25 हजार डालर तनख्वाह है। हमें क्या जरूरत है उनकी। हमारे भारतीय इंजीनियर विदेशी इंजीनियरों से कम नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बांध बनाना चाहेंगे, हम उन बांधों को अपने इंजीनियरों और अपनी तकनीक द्वारा पूरा बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इन बांधों को बनाने में खुद भारत सरकार अवरोध पैदा करती है। बातें तो यहां बहुत बड़ी-बड़ी की जाती हैं कि महीने दो महीने में हम प्रोजेक्ट को क्लियर कर देते हैं, लेकिन ये सब बातें ही हैं, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट यहां पर 3 साल तक पड़ा रहा। जिस प्रोजेक्ट की लागत तीन साल पहले 900 करोड़ रुपए थी, अब उसकी तीन साल बाद लागत, 1400 करोड़ हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? मैं स्वयं एक ब्यूरोक्रेट हूं, लेकिन यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी की कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। 900 करोड़ का प्रोजेक्ट मात्र ब्यूरोक्रेसी की शिथिलता की वजह से 1400 करोड़ रुपए का हो गया। तीन साल तक यह प्रोजेक्ट कागजों में ही पड़ा रहा और ये केन्द्र के ब्यूरोक्रेट उस पर बैठे रहे और अब उसकी कीमत 15 सौ करोड़ रुपए हो गई। यह देश का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा ? क्या उन लोगों को जिनकी वजह से इसमें इतनी देरी हुई, जिम्मेदार ठहराया जाएगा ? वे देश जो विकसित हो चुके हैं, जो सब तरह का विकास कर चुके हैं, वे हमें आज पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं। अभी तो हमारा देश विकास के रास्ते पर एक तरह से रेंग रहा है। यहां, यह स्वीकृति लाओ, वह स्वीकृति लाओ, यह नहीं चलेगा। यदि ऐसा चलेगा, तो हम कोई भी सिंचाई की योजना पूरी नहीं कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं एक बात कह कर अपना निवेदन समाप्त करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश भारत को एक हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। हमारे देश में आज से दस-पन्द्रह हजार साल पहले भी सिंचाई होती थी। जब हम लोग सिंचाई करते थे, तो यूरोप के लोग कपड़े पहनना तक भी नहीं जानते थे, लेकिन आज दुख इस बात का है कि पश्चिमी देशों की, वेस्टर्न कंट्रीज की टैक्नोलोजी को हम अपने यहां एडॉप्ट करते हैं।

[हिन्दी]

मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। एक विदेशी ने लिखा है कि जो गरीब देश हैं, ये क्यों पश्चिम की टेक्नोलोजी एडॉप्ट करते हैं।

[अनुवाद]

"नदी प्रबंध के लिए मिस्र, पाकिस्तान और इराक औद्योगिक देश या इन देशों के समूह से आर्थिक और तकनीकी सहायता पर निर्भर हो गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् नदी प्रबंध की योजना तैयार करने में परम्परागत विधि के साथ आधुनिक विधि मिलाने के विषय पर पुनः जोर डालने की बात से चीन हट गया।"

इसमें आगे निम्न बातें हैं :

"सिर्फ चीन में ही आधुनिक नदी प्रबंध में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्राचीन विश्व के "हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन्स के परम्परागत तरीके पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं।"

[हिन्दी]

हम चाइना से भी पुराने हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन हैं। पुराना इतिहास पढ़कर देखिए, हम उनसे भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन पुराने तरीके छोड़कर वेस्टर्न टेक्नोलोजी ऐडाप्ट करके अपने प्रोजेक्ट को माडर्न कर रहे हैं, यह हमारे देश के हित में नहीं है। इतना निवेदन करके वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की डिमांड का मैं समर्थन करता हूं।

श्री एम० बागा रेड्डी (मेडक) : अध्यक्ष महोदय, कृषि की डिमांड बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड है जिसका ताल्लुक इस देश के 80 प्रतिशत लोगों से डायरेक्टली है और 100 प्रतिशत लोगों से इन-डायरेक्टली है। इस दृष्टि से हम देखें तो पहली चीज यह है कि :

[अनुवाद]

देश का भौगोलिक क्षेत्र 328 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से 186 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है जो कि कुल क्षेत्र का 56 प्रतिशत है। वर्ष 1985 में कुल 141 मिलियन हेक्टेयर बुआई क्षेत्र था जो कि कृषि योग्य क्षेत्र का 76.9 प्रतिशत है। यह एक मानी हुई बात है कि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है अन्यथा शहरीकरण तथा अन्य विकास की गतिविधियों के लिए जमीन पर बढ़ते हुए दबाव के कारण इसमें गिरावट आ जाएगी। कृषि योग्य कुल क्षेत्र 141 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से 70 प्रतिशत सूखी जमीन है और 30 प्रतिशत नम जमीन है।

[हिन्दी]

70 प्रतिशत कलटीवेशन में फूड प्रोडक्ट 40 प्रतिशत होता है और 30 प्रतिशत कलटीवेशन में 58 प्रतिशत फूड प्रोडक्शन होता है।

हर साल अगर हमको फाइनेंस मिले तो 2.5 मिलियन हेक्टेयर हर साल ऐड कर सकते हैं। इस सेन्चुरी के आखिर तक यानि 2000 ऐ०डी० हम ज्यादा से ज्यादा 50 प्रतिशत एरिया ईरीगेशन के तहत कलटीवेशन कर सकते हैं।

[अनुवाद]

बिना किसी संदेह के यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि हमारे देश में कृषि उत्पादन के लिए आधारभूत आवश्यकता जल है।

[हिन्दी]

1989 में इस देश में 172 मिलियन टन्स आफ फूड-ग्रेन्स पैदा हुआ है जबकि टारगैट 15.6 प्रतिशत है। ये जो तमाम तरक्की हुई है यह किसी जादू से, किसी करिश्मे से, किसी वरदान की वजह से नहीं हुई बल्कि इसके पीछे साइंस टैक्नोलोजी रिसर्च डैवलपमेंट वर्क, ऐक्सटेंशन वर्क शामिल है। 40 सालों में मुल्क में जो तरक्की हुई है, उसकी वजह से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बने हैं। उससे भी बढ़ कर बात यह है कि हमारे मुल्क के किसानों और काश्तकारों ने जो मेहनत की है, उसकी वजह से भी इसमें इजाफा हुआ है। जहां इस मुल्क को और ज्यादा तरक्की करनी है तो इरिगेशन के सोर्सिज को बढ़ाना होगा। इरिगेशन के सोर्सिज को तीन हिस्सों में तसलीम किया जा सकता है—एक मेजर इरिगेशन, दूसरा माइनर इरिगेशन है, टैंक्स हैं और तीसरा वैल इरिगेशन। अगर इन तीन इरिगेशनों को देखा जाए तो अधिकतर बाज इलाके खुशकिस्मती से मेजर इरिगेशन के तहत आते हैं। बाज जगह छोटे-छोटे तालाब या माइनर इरिगेशन हैं। बाज जगहों में इस देश में न तो मेजर इरिगेशन आ सके हैं और न माइनर इरिगेशन आ सके हैं। उन्हें वैल्स पर डिपेंड करना पड़ा है। डा० के० एल० राव

ने गंगा कावेरी केनाल का जो नक्शा पेश किया है अगर वह पूरा हो गया तो बहुत से इलाके जो इरिगेशन के इलाके में नहीं आते हैं, वे उसमें आ सकेंगे। अगर हम कास्ट आफ कल्टीवेशन का हिसाब करें तो पायेंगे कि चाहे वह शूगर केन हो, पैडी हो, काटन हो या कोई भी क्रॉप हो डैफिनेटिली मेजर इरिगेशन के तहत या लो इरिगेशन के तहत उनका कास्ट आफ कल्टीवेशन कम आयेगा। मेजर इरिगेशन में गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करके उपज को बढ़ाने की कोशिश करती है। जहां वैल्स हैं वहां काश्तकार खुद पैसा खर्च करके स्ट्रेनिंग वाल बनाते हैं। अगर हम इलैक्ट्रिसिटी का खर्चा व दूसरे खर्चे मिलाएं तो कास्ट आफ कल्टीवेशन उसमें ज्यादा आता है, जो चीज पैदा होती है और वह जब मार्किट में जाती है तो चाहे वह शूगरकेन हो, काटन हो या तम्बाकू हो उन सबकी कीमत दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा नहीं होती है। कास्ट आफ कल्टीवेशन चाहे कुछ भी हो लेकिन मार्किट में उसका रेट एक ही होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इस दिशा में कोई कदम उठाए। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि वाटर टेबल जो है वह दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है। आप जानते हैं कि मैं भी एक कल्टीवेटर हूं। 15-20 साल पहले जो वाटर टेबल 40-50 फीट था आज वह 100 फीट से नीचे चला गया है। आज जरूरत इस बात की है कि किस तरह इस पानी को इकोनोमिकली यूटिलाइज किया जाये। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रीकल इरिगेशन की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो वह इसके लिए किसानों को इनसेंटिव दे। इसके अलावा केन्द्र की हुकूमत बहुत ज्यादा इस चीज को पापुलराइज करे जिससे किसानों को फायदा हो। इससे कुछ हद तक प्राब्लम सोल्व हो सकती है। वाटर टेबल मेनटेन करने के लिए परकुलेशन टैंक या चैक डैम बनाना जरूरी है वरना हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही पूरा पैसा खर्च करते जायेंगे और ड्राई एरिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। इससे एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। आदिवासी लोगों और दूसरे पिछड़े लोगों को उन्नति की तरफ जैसे हम बहुत ज्यादा तवज्जह देते हैं उसी प्रकार ड्राई एरिया की तरक्की के लिए भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

अभी एक सदस्य ने कहा था कि काश्तकार अपना अनाज हारवैस्ट सीजन में मार्केट में लाते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वे उनके लिए प्रिजर्वेशन का इन्तजाम, प्रोसैसिंग का इन्तजाम, पैकिंग और मार्किटिंग का इन्तजाम करें। ये चार चीजें काश्तकारों के हक में होनी चाहिए। बहुत सारे मुकामात ऐसे हैं जहां पिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। जहां टोमेटो पैदा होता है लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से मेरे कान्स्टीट्वेंसी में पूरा पोटेटो उसी वक्त ले जाते हैं और उसकी कीमत तय हो जाती है और इसमें सप्लाई और डिमाण्ड का हिसाग रहता है। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमाण्ड कम है तो प्राइस गिर जाते हैं और उनका नतीजा काश्तकार को भुगतना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट किसानों कीं हमदर्दी चाहती है तो उसे पूरे मुल्क में पिजर्वेशन, प्रोसैसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग के लिए इन्तजाम करना चाहिए जो बहुत जरूरी है।

दूसरी चीज, हमारे मुल्क में कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन, तीनों चीजें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में नहीं हैं। एजुकेशन तो ठीक है, वहां हो जाती है लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं, उनका एक्सटेंशन के जरिए से गांव-गांव में पहुंचाने की जरूरत है और उसमें हुकूमत को ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत है।

शुगरकेन के बारे में मैं एक बात कहूंगा। महाराष्ट्र में शुगरकेन पर काफी काम हुआ है। यह सही है कि शुगरकेन की पैदावार 1960-61 में जहां 30-35 लाख टन थी, गुजिस्ता साल वह 90 लाख टन से ज्यादा हो गई है लेकिन अब भी यह कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क में शुगर खाने के लिए कम हो जाएगी, बाहर से मंगानी पड़ेगी। इसको बढ़ाने के लिए एक ही तरकीब है जो महाराष्ट्र

और गुजरात की फैक्टरियों और कुछ हद तक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी की गई है कि हारवेस्ट एण्ड ट्रांसपोर्टेशन के दोनों काम फैक्टरीज करती हैं। महाराष्ट्र की 104 फैक्टरीज हारवेस्ट और ट्रांसपोर्टेशन खुद करती हैं। उसका नतीजा यह होता है कि हारवेस्ट और क्रशिंग के बीच में पीरियड कम हो जाता है जिसकी वजह से रिकवरी ज्यादा होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र के बोर्डर पर 20-25 मील पर यह सिस्टम रखने की वजह से एक परसेन्ट ज्यादा आन्ध्र और कर्नाटक की फैक्टरीज में ज्यादा रिकवरी आ रही है। महाराष्ट्र की फैक्टरीज में एवरेज तौर पर 12.5 परसेन्ट तक शुगर निकल रही है। अगर हुकुमत, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी तमाम रियायतों को महाराष्ट्र का सिस्टम एडाप्ट करने के लिए कह दे, आर्डर दे या तजवीज करे, इन्सेंण्टिव दे तो वह यकीनी तौर पर हमारे मुल्क में 4-5 लाख टन और शुगर की पैदावार हो सकती है, बाहर से मंगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक अजीब इत्तफाक है कि कुछ अर्से से चुनाव में यह कहा गया कि काश्तकार देश की रीढ़ की हड्डी हैं, इनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, यह बहुत पीछे पड़े हैं, हमारी उनके साथ बहुत जुबानी हमदर्दी रही है लेकिन अब लोग समझ गये, काश्तकार यह समझ गया कि यह नई हुकुमत आई है तो उनके लिए बहुत से फायदे मुहैया करेगी, उनको बहुत-सी सहूलियतें देगी सही तौर पर यह देखा गया है कि आने के बाद हुकूमत ने कहा, मैनीफेस्टो में कहा, बाद में भी कहा कि हम 10 हजार रुपये तक के लोन माफ कर देंगे लेकिन जब काश्तकारों को, किसानों को मालूम होगा कि 10 रु० माफ होंगे तो हर आदमी ने लोन अदा करना बन्द कर दिया, पेमेंट करना, रीपे करना बन्द कर दिया क्योंकि माफ हो जाना है तो क्यों दें। अब यह कहा जा रहा है कि विलफुल डिफाल्टर्स का लेना माफ नहीं होगा। वह विलफुल डिफाल्टर क्यों हुए, इसलिए कि लोन माफ होने वाला है, इस वजह से नहीं दिया और वह विलफुल डिफाल्टर हो गए। बहरहाल, अगर आज भी माफ करें तो बेहतर है वरना शेर है कि :

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतराए खूं न निकला"

इस तरह की जो उम्मीदें वाबस्ता थीं, जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, इसके नतीजे में उन्होंने कुछ नहीं पाया, सिवाय मायूसी के। एक हजार करोड़ रुपया भी कब कम्पलीट होगा। एक बात और मैं और अर्ज करूंगा कि पूरे किसानों की सहूलियत के लिए आज किसी स्टेट में कोआपरेटिव बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक अलग हैं, लैण्ड डवलपमेंट बैंक अलग है, क्राप लोन देने का सिस्टम अलग है, इसके बजाए मैं सरकार को यह मशविरा देना चाहता हूं कि सिंगल विन्डो का सिस्टम किया जाए और काश्तकारों को पासबुक दी जाए, जिसमें उसकी जमीन की वैल्यू और जरूरत बताकर उसको सर्टिफाई कर दिया जाए, ताकि वह किसी बैंक से एमाउन्ट ड्रा कर सके। यदि इस व्यवस्था को कर दिया जाए तो बेहतर होगा।

यह डिमांड इतनी बड़ी है और इसमें कई सब्जैक्ट्स आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट तो इरिगेशन का है और पंचायत राज या रूरल डवलपमेंट भी इसी का एक हिस्सा है। मैं रूरल डवेलपमेंट में सरकार को मशविरा देना चाहता हूं। चूंकि मैं पंचायत राज यूनिट में गांव का सरपंच था, समिति प्रेजीडेंट था, जिला परिषद प्रेजीडेंट था और पंचायत मिनिस्टर भी रहा। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि सारे देश में एक ही पंचायत राज का सिस्टम नाफिस हो, तो अच्छा है। इसलिए आज कर्नाटक में टू टायर सिस्टम है, यानि मंडल पंचायत है और जिला परिषद है। महाराष्ट्र में कुछ अलग सिस्टम है—डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। आंध्र प्रदेश में फोर टायर सिस्टम है। बलवन्त राय समिति ने थ्री-टायर सिस्टम का मश्विरा दिया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने दो-टायर का

और एन० टी० रामाराव ने इसको फोर-टायर बना दिया—ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला परिषद और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट बोर्ड। मेरी यह राय है कि इस किस्म वे न होकर, बल्कि सारे देश में जितनी भी रियासतें हैं, उनमें एक ही सिस्टम नाफिस हों तो मुनासिब रहेगा।

आज तक विलेज डवेलपमेंट बोर्ड को पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर जवाहर योजना के तहत जो पैसा दिया गया है, वह पैसा पिछले 20-25 सालों में गांव के डवेलपमेंट के लिए सरपचों ने पहली मर्तबा देखा है। इतना पैसा कभी नहीं आया है। गांव की जरूरत को पूरा करने के लिए इसमें पंचायत राज का मेन-इन्टेंशन यही होता है कि नॉन-आफिशियल्स को उसमें इन्ट्रोड्यूस किया जाए। आफिशियल्स और नॉन-आफिशियल्स—दोनों को मिल कर काम करने का मौका दिया जाए। नॉन-आफिशियल्स को एक्जिक्यूटिव पावर्स दी जा रही हैं, इस वजह से वे अपने गांवों में सड़कें बनानी हों, स्कूल बनाना हो, रोड्स बनानी हों, ये सब कारोबार अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से कर रहे हैं। इस वजह से यह ज्यादा फायदामंद हो रहा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस योजना को वैसे ही बरकरार रखा जाए। इसके साथ एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० की स्कीमें भी उसी तरह से बरकरार रहें, तो बेहतर होगा।

एक बात और अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज बड़े-बड़े रिवर्स के डिस्प्यूट चल रहे हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी—स्टेट गवर्नमेंट्स कह रहे हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से क्लीरेन्स नहीं आ रही है और हमारे पास बजट में पैसा नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश की बात कहता हूं—श्रीसेलम लैफ्ट बैंक कैनाल के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए रखे गए, मगर उसमें चार करोड़ रुपए ही खर्च हुए। जब दोबारा उनसे पूछा गया तो वे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है, एप्रूव नहीं कर रही है, प्लानिंग एंड डवेलपमेंट कमीशन एप्रूव नहीं कर रहा है, वाटर एण्ड पावर कमीशन एप्रूव नहीं कर रहा है, इस वजह से पेंडिंग है, वरना हम मिनटों में प्रोजेक्ट को बना देंगे। इसी के सम्बन्ध में मैंने इसी हफ्ते एक प्रश्न पूछा था—वहां की सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार के हाथ में पेंडिंग है, तो जवाब मिला कि कुछ रिमार्क्स राज्य सरकार से पूछे हैं, उसका जवाब मिले तो हम मंजूर करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर, चाहे कर्नाटक की समस्या हो, चाहे महाराष्ट्र की समस्या हो या चाहे आन्ध्र प्रदेश की समस्या हो, ऐसे पेंडिंग केसेज आपस में बातचीत करके पूरा करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पहली मर्तबा बोला हूं और आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि को जल संसाधन मन्त्रालय के साथ मिलाने के संबंध में लिए गए सही निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। महोदय, हमारे देश में कृषि बहुत हद तक सिंचाई प्रणाली पर निर्भर है। हमारे देश में कृषि की निर्भरता प्रकृति पर बहुत अधिक है। यदि वर्षा होती है तो फसल होने के आसार अच्छे नजर आते हैं। यदि सूखा पड़ता है तो कोई फसल नहीं होगी। चारों ओर भुखमरी व्याप्त हो जाएगी और स्वाभाविक रूप से इस देश के लोग प्रार्थना करेंगे, "ओह अल्लाह, मेघ दे, पानी दे।" महोदय, इसलिए खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु हमें कृषि का विकास करना होगा और इस उद्देश्य के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। उन जगहों में हम सिंचाई परियोजनाएं लागू करना चाहेंगे विशेष रूप से जहां कि सिंचाई परियोजनाओं की गुंजाइश है। मेरे माननीय मित्र श्री नानी भट्टाचार्य ने तिस्ता बांध परियोजना का मुद्दा उठाया

था। योजना आयोग द्वारा 1974 में इस परियोजना को अनुमति दे दी गयी थी लेकिन इसका प्रारंभ वर्ष 1978 में किया गया और अभी तक यह पूरा नहीं हो गया है। इस परियोजना द्वारा करीब 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना का पहला और दूसरा चरण पूरा होने पर इसकी क्षमता 9.22 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की होगी। तिस्ता नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में परियोजना पूरी हो जाने पर इसकी क्षमता 13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई करने की हो जाएगी। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। लेकिन मुझे दुःख है कि पहले कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना पर सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही खर्च किए और 15 करोड़ रुपये ऋण या अग्रिम राशि के रूप में दिए गए थे। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी बंगाल सरकार इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि खर्च कर चुकी थी लेकिन तत्कालीन केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सहायता प्रदान नहीं की। यह सत्य है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सत्ता में आने पर वह 10 करोड़ रुपये का अनुदान देने पर सहमत हो गयी है। जैसाकि मैंने कहा कि यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के पांच पूर्वोत्तर जिले कूच बिहार, जलपाईगुडी, दार्जिलिंग, पश्चिमी दिनाजपुर और मालदा आ जाएंगे। ये सभी पिछड़े क्षेत्र हैं। इन जिलों में निवास करने वाली कुल आबादी के करीब 5% लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। पूर्व की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की मदद करने के बारे में काफी कुछ कहा लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया। एक कृषि विशेषज्ञ के अनुसार जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी राज्य में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होगा और पश्चिम बंगाल खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जाएगा। यदि यह सच है तो मैं नहीं जानता हूं कि इस परियोजना में विलम्ब क्यों किया गया है। विलम्ब की इस घड़ी में इस कार्य की प्राथमिकता के आधार पर लेने का अनुरोध मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से करता हूं और इसे 50 : 50 के व्यय के भाग पर किया जाना चाहिए।

6.00 म० प०

महोदय, गंगा नदी के संबंध में, जो कि फरक्का से होकर बंगालदेश में जाती है, हमारे विदेश मन्त्री श्री गुजराल ने हाल ही में बंगालदेश का दौरा किया और उन्होंने गंगा नदी के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में एक समझौता किया था। ऐसा कहा जाता था कि वर्ष 1985 के समझौता प्रपत्र के आधार पर उन्होंने गंगा नदी के जल के बंटवारे के लिए एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। श्री गुजराल ने कहा कि वर्ष 1977, 1982 और वर्ष 1985 के तदर्थ बंटवारे समझौते के अंतर्गत गंगा में जल की कमी का अनुचित और असंगतपूर्ण नुकसान भारत ने वहन किया था। बंगलादेश से मित्रतावश ऐसा किया गया था। महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि आप सिर्फ फरक्का के स्तर पर [illegible] जल का बंटवारा कर रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि कलकत्ता बंदरगाह के लिए 40,000 क्यूसेक जल आवश्यक है और इसमें से कितना उपलब्ध है? इसके आंकड़े क्या हैं? फरक्का के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में वर्ष 1948 से 1973 तक एक सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण का प्रश्न नहीं है। आप देखेंगे कि कभी-कभी गंगा नदी के जल का बहाव फरक्का के स्तर में सिर्फ 50,000 क्यूसेक था। क्यों? कलकत्ता बंदरगाह के लिए सिर्फ गंगा नदी में ही 40,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता है। लेकिन आप इस प्रकार से इसका बंटवारा कर रहे हैं कि अन्ततः यह सिर्फ 20,000 क्यूसेक रह जाएगा। इसका अर्थ है कि कलकत्ता बंदरगाह सूख जाएगा। इसी कारण मेरी यह सलाह है कि बारिश रहित मौसम में भी गंगा नदी करीब 2 लाख क्यूसेक जल स्तर के बराबर जल का निस्सरण करती है। क्यों नहीं आप इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से बीच बांट देते हैं? आप सिर्फ फरक्का के स्तर पर ही जल का बंटवारा नहीं करते हैं। आप प्रारम्भ से ही जल का

बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच जल का बंटवारा कर दीजिए। इसके लिए एक समिति गठित कीजिए।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में भी।

श्री अमर रायप्रधान : राजस्थान वहां नहीं है। जो लोग राजस्थान के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं वे गंगा-कावेरी नहर की बात कर रहे हैं। यद्यपि गंगा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है फिर भी उस राज्य को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। यह तो स्थिति है। यह तो ऐसा लगता है मानो यह उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। यदि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है तो इसके लिए अवश्य ही एक समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी प्रतिनिधि हों।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री अमर रायप्रधान : मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बिना बारिश के महीनों में आप गंगा नदी का सम्पूर्ण जल रहे हैं और पश्चिम बंगाल को आप जरा भी पानी नहीं दे रहे हैं। बरसात के मौसम में आप अवश्य अत्यधिक जल दे रहे हैं लेकिन शेष महीनों में आप पश्चिम बंगाल को जल नहीं दे रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति है। (**व्यवधान**)

महोदय, जैसाकि आपने इन दो मुद्दों को एक समय उठाया है, मैं कृषि की भी चर्चा करना चाहूंगा। बेहतर कृषि उत्पाद और सुधार के लिए निश्चित रूप से मैं अपने उन मित्रों से सहमत हूं जिन्होंने कृषि उत ाद के लिए लाभकारी मूल्य की बात की है। जैसाकि मेरे मित्रों ने कहा कि औद्योगिक उत्पादों और कृषि उत्पाद के मूल्यों के बीच समता, विपणन सुविधा और शीतागार सुविधाओं की आवश्यकता है। फसल बीमा की वर्तमान व्यवस्था···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमर रायप्रधान : महोदय, मैं अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

महोदय, आप भी फसलों की व्यवस्था के बारे में जानने को इच्छुक हैं। जब प्राकृतिक विपदाओं जैसे कि सूखा आदि पड़ता है तो कुछ स्थानों में फसल बीमा की व्यवस्था है लेकिन यह व्यवस्था सभी फसलों के लिए नहीं है। सभी फसलों के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं है ? इसकी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। ऐसा नियम है कि प्रखंड स्तर पर इसका निर्णय और सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन यह ठीक नहीं है। यदि ओला वृष्टि होती है तो यह पूरे प्रखंड में नहीं हो सकती। अतः यदि एक-चौथाई से कम क्षेत्र में नुकसान होता है तो क्या आप यह घोषित कर देंगे कि ओला वृष्टि हुई ही नहीं थी। इसलिए नुकसान का निर्णय करने की इकाई ग्राम पंचायत स्तर पर होनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि सुधार का है। वर्तमान सरकार के शासन में भी इसे अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। यह दुःख की बात है कि इसे अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है। हमारे देश में यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पायेंगे कि कुल भूमिपतियों के 2.4 प्रतिशत के पास ही कुल कृषि योग्य भूमि का 22.3 प्रतिशत भाग है। कुल भूमिपतियों के 2.4 प्रतिशत के पास 20 हेक्टेयर और उससे अधिक जमीन है। देश के कुल किसानों के 23.1 प्रतिशत के पास 2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर जमीन है। जबकि कुल किसानों के 74.5 प्रतिशत के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। कुल किसानों के 74.5 प्रतिशत भाग के पास 26.3 प्रतिशत जमीन है।

करीब 74.54 लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है यद्यपि यह अनुमानित अतिरिक्त भूमि से बहुत कम है। इसमें से 57.88 लाख एकड़ भूमि अर्थात कुल घोषित अतिरिक्त भूमि का 77 प्रतिशय अधिग्रहण कर लिया गया था। वर्ष 1989 तक वास्तव में 54.68 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई थी। राजस्व मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भूमि सुधार से संबंधित निर्णय तत्परता से लिया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो, विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। आप यह पाएंगे कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानूनों में एक कमी है जो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है। वह है खुद अपने खेत जोतने के लिए भूमि अर्जित करने की स्वीकृति लेना। भूस्वामी खुद खेती करने के लिए किराएदारों को बेदखल करने की हद तक भी चले गए। इसको कानून में सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। खुद खेती करने में वैयक्तिक निरीक्षण भी शामिल है। इसका दुरुपयोग हो रहा है और इन शब्दों, 'वैयक्तिक निरीक्षण' को भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानून के प्रावधानों से निकाल देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि 1947 में, विभाजन से पूर्व भी, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, उस समय कांग्रेस का नारा था 'जमीन उसकी जो काश्त करेगा'। किन्तु जो जमीन कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या वे खुद भूमि जोतने वाले किसान हैं? जिनके पास इतनी अधिक भूमि है जैसे कि 100, 200, 500 हेक्टेयर भूमि है वे भूमि जोतने वाले किसान नहीं हैं। उन्हें जमीन से बेदखल कर देना चाहिए। बोने वाला ही असली किसान है। कृषि मजदूर ही असली किसान है। भूमि का वितरण इन लोगों में किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का आदर्श वाक्य होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आई० सी० ए० और जो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी रिपोर्ट है कि अगर देश में पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था हो जाए तो पैदावार 50 से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के किसानों का, इस देश का कि 42 वर्षों की आजादी के बाद भी किसानों को पानी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भजनलाल जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में पिछली सरकार की वकालत की, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने असीमित काम कृषि क्षेत्र में किए हैं, इन कामों की कोई पैमाइश नहीं की जा सकती। मैं मानता हूं कि उनकी सरकार ने काम किए हैं, लेकिन जितना समय उस सरकार को काम करने के लिए मिला, उस समय के अनुपात में किए गए काम की मात्रा उतनी ही है जैसे दाल में नमक होता है। इससे साबित होता है कि कृषि के प्रति आपके मन में उदासीनता थी।

मान्यवर, 1950-51 में हमारे देश में बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं से .97 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई होती थी और छोटी योजनाओं से 1.29 करोड़ हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी। कुल मिलाकर 2.29 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता हमारे देश में 1950-51 में थी। 1985 तक यह क्षमता बढ़कर 5.75 करोड़ हेक्टेयर पर आयी है, यानी 35 से 40 वर्षों के भीतर इनकी वफादारी किसानों के प्रति यह रही है कि मात्र 3.49 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता का सृजन कर पाए।

एक तरफ हमारी एक विडम्बना यह है और दूसरी विडम्बना यह है कि जो क्षमता है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। 1970-71 के आधार पर बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं पर 2200 खर्च करते थे तो एक हैक्टेयर की सिंचाई की क्षमता का सृजन होता था और उसके आधार पर मुल्क में सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं होने के कारण रहा है। प्रति वर्ष 14 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह हमारी दूसरी विडम्बना है।

तीसरी विडम्बना यह है कि एक तरफ देश की आधी आबादी खासकर दक्षिणी बिहार के लोग पानी के बिना बेहाल रहते हैं और उत्तर बिहार के साथ-साथ अन्य कई राज्य के लोग सारा देश बाढ़ की विभीषिका से तबाह और तंग रहता है। बाढ़ की वजह से 1983 में 2292 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हुआ था और 1984 में 1650 करोड़ रुपए की फसल का। मान्यवर, फ्लड कंट्रोल कमीशन का कथन है कि यदि यही रफ्तार रही तो प्रति वर्ष हमारे देश में 2000 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान होता रहेगा। इतना ही नहीं जो सबसे बड़ा नुकसान इस देश का होता है यह यह है कि टाप सोईल का छीजन जिसके एक इंच के निर्माण पर प्रकृति को 500 से 1 हजार वर्ष का समय लगता है, 85 लाख हैक्टेयर जो टाप सोईल है उसका प्रति वर्ष बाढ़, वर्षा एवं कटाव के कारण छीजन होता है। इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव खास तौर से उत्तर बिहार पर पड़ता है। बिहार का कुल रकबा 173.50 लाख हैक्टेयर है। उसमें से 64.4 लाख हैक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित है। यानी कुल रकबे का 37 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। जो आबादी प्रभावित होती है उसमें 56 प्रतिशत बिहार के लोग हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि बिहार की बराबर उपेक्षा की जाती रही है। उत्तर बिहार में 1960 में गंडक परियोजना शुरू हुई थी जिसे 1980-81 में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज तक वह परियोजना पूरी नहीं हुई। इसका नतीजा हुआ कि जो इस पर खर्च हुआ है उसका लाभ नहीं मिला। वह खर्चा अनुत्पादक खर्चे के खाते में चला गया।

इसी तरह से कई और परियोजनाएं शुरू हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे बागमती परियोजना और मसान डैम परियोजना। कोसी परियोजना तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। गंगा के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ सारन जिला है जहां के लोगों को गंगा की बाढ़ से बचाने की योजना बरसों से पड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए केन्द्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में योजना का कागज झूला झूल रहा है। इसका एक ही कारण है कि बिहार की उपेक्षा की गई है। नयी सुविधाओं की बात छोड़ भी दीजिए, तो जो पुरानी सुविधा थी उसको भी इस सरकार ने छीनने की कोशिश की है।

सोन कनाल के बारे में सब लोग जानते हैं, रात प्रसाद बाबू अभी इसकी चर्चा कर रहे थे, 115 वर्षों से, अंग्रेजों के जमाने से यहां कनाल सिस्टम चल रहा है। उस कनाल सिस्टम में पानी मिलता था, लेकिन बाण सागर योजना की वजह से पानी मिलना कम हो गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार ने बैठकर तय किया, केन्द्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया, कि रिहंद जलाशय का पानी सोन कनाल में जाएगा। लेकिन उस करार को तोड़कर सोन कनाल को पानी न देने का काम किया जाता रहा है। जिसकी वजह से गया, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास और पटना जिलों की करीब 22 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के अभाव में बंजर होती जा रही है। मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं कुछ सुझाव रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो योजनाएं चालू की गई हैं उनको अविलम्ब पूरा किया जाए। गंगा नदी के उत्तर में बसे हुए लोगों को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिए जो योजना लम्बित है उसको चालू किया जाए। सोन कैनाल को जीवित रखने

के लिए जो पंचायत हुई है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बीच केन्द्र के हस्तक्षेप से, उसके अनुसार सोन कैनाल का पानी दिया जाए। तमाम नदियों का ग्रिड बनाया जाए। वैसी योजनाओं पर केन्द्र सरकार को पैसा देना चाहिए जिनको पूरा करने में सारा पैसा बिहार का लगता है, लेकिन लाभ बिहार को कम होता है जैसे पिपरासी पिपरा घाट बांध योजना, महानन्दा बांध योजना। इन पर सारा खर्च बिहार का होता है, लेकिन पिपरासी पिपरा घाट बांध योजना से दो-तिहाई लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता है और एक-तिहाई लाभ बिहार को मिलता है। इसी तरह से महानन्दा घाट बांध योजना से दो-तिहाई पश्चिम बंगाल को होता है और बिहार को एक-तिहाई लाभ होता है। इसलिए ऐसी योजनाओं पर सारा खर्च केन्द्र सरकार को देना चाहिए। उत्तर बिहार की सारी नदियां नेपाल से निकलती हैं। बार-बार बिहार की सरकार ने केन्द्र सरकार से गुहार की है कि नेपाल के क्षेत्र में बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण कराया जाए और नेपाल में कितना पानी बरसा है, कितना पानी वहां से हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश करता है इसकी जानकारी के लिए केन्द्रों की व्यवस्था की जाए। यह काम केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। लेकिन आज तक केन्द्रीय सरकार ने कोई चिन्ता इस पर व्यक्त नहीं की है। इसलिए नेपाल सरकार से बात करके नेपाल के क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण कराया जाए और ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जाए जिससे हिंदुस्तान को सूचना मिले कि वहां कितना पानी बरसा और कितना पानी हिंदुस्तान में आया। लेकिन इन तमाम उपायों को करने के बाद भी कृषि का विकास नहीं हो सकता जब तक भूमि सुधार के कानूनों को संजीदगी के साथ लागू नहीं किया जा सकता। भूमि सुधार के कानूनों को लागू करने से न केवल कृषि की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि आज जो समाज में तनाव पैदा हुआ है उस सामाजिक तनाव पर अंकुश लगाने का काम किया जा सकता है। सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि आज 42 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारे बिहार में ऐसे कम से कम 10 हजार लोग हैं जिनके पास 500 से लेकर 1000 एकड़ तक जमीन है और ऐसे करीब 500 मठ या मन्दिर हैं जिनके पास 100 से लेकर 5000 एकड़ तक जमीन है। चीनी मिलों को जो छूट दी गई है वह अलग है। जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक न पैदावार बढ़ेगी, न सामाजिक तनाव पर अंकुश लगेगा। इसलिए आपको संजीदगी के साथ भूमि सुधार के कानूनों को लागू करना पड़ेगा। मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने घोषणा की है कि संविधान की नौवीं सूची में भूमि सुधार के तमाम कानूनों को डालकर पूरी तत्परता के साथ भूमि सुधार के काम को किया जाएगा। भूमि सुधार का काम जब होगा तो जो खेत को जोतने वाले हैं उनका जमीन के साथ भावनात्मक लगाव होगा। वे समझेंगे कि हमारी जमीन है और जो बहुत सारी जमीन पड़ती पड़ी रहती है उसमें भी खेती शुरू हो जाएगी। एक सर्वेक्षण का अनुमान है कि कोई व्यवस्था न की जाए, न सिंचाई की, न बीज की और न खाद की। केवल जो कृषि योग्य जमीन है हिन्दुस्तान में उस तमाम जमीन पर खेती की जाए तो हिन्दुस्तान की पैदावार में तीन गुना वृद्धि हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हुआ कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी अपनी बात समाप्त करता हूं और इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां कृषि मन्त्रालय पर बहस हो रही है। इस जन मोर्चा की सरकार ने एग्रीकल्चरल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाने का वचन दिया है। खुद कृषि मन्त्री श्री देवी लाल जी मौजूद नहीं हैं लेकिन मुझे खुशी है कि श्री उपेन्द्र वर्मा यहां मौजूद हैं। केवल एक दूसरे की आलोचना करके किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ़ सकते हैं। यह सरकार क्या करेगी और कौन से ऐसे ठोस और समयबद्ध कदम उठाएगी जिससे हमारा देश सम्पन्न

बन सके और आगे बढ़ सके। आज जब सत्ता में आए हैं तो आपने यह वायदा किया है कि हम हिंदुस्तान के गांवों में बजट का 50 प्रतिशत खर्च करेंगे और किसानों का कर्जा समाप्त करेंगे, हम बूढ़ों को पेंशन देंगे और बेकारों को काम देंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमें खुशी है कि आपने यह वायदा किया है कि इस मुल्क को धन-धान्य से पूरा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को पूरा करें। आपके इस तरह के हर काम में हम आपकी मदद करेंगे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, उन देशों में लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे के माध्यम से जो कृषि जगत में उपलब्धियां हासिल की हैं, वे बहुत ही बेमिसाल हैं। यह कृषि नीति का ही परिणाम है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय देश के अन्दर अनाज का उत्पादन 5 करोड़ टन था जो अब बढ़कर 18 करोड़ टन हो गया है। यह सब हमारे देश के वैज्ञानिकों, सरकारी कर्मचारियों के कड़े परिश्रम का फल है कि अनाज का उत्पादन 18 करोड़ टन हुआ है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। जब भारत आजाद हुआ तो वह नंगा, भूखा, कंगाल हिन्दुस्तान था। क्या आज भी वही है? क्या आज भी भूखा, नंगा और कंगाल है? क्या विदेशों से अनाज ले रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से काम करें लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आयी है, उसने 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तक तैयार नहीं किया है। आज इस बात को छः महीने हो गए हैं। यह मालूम है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च को खत्म हो गयी है और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा बनाना चाहिए था, उसे कैबिनट से एप्रूव कराना चाहिए था, पालियामेंट से अप्रूव करना चाहिए था और नेशनल डेवलेपमेंट कौंसिल से एप्रूव होना चाहिए था लेकिन वह नहीं हो सका है। जब सरकार 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार नहीं कर सकी तो वह अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा करेगी? भाषण करने से, नारेबाजी करने से या चरित्र हत्या से आप किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज भाखड़ा-नंगल से लेकर नागार्जुन सागर तक जितना कृषि का विकास हुआ है, क्या बिना ट्रेक्टर या कारखानों के हो सकता था? क्या हिन्दुस्तान का विकास पैस्टीसाइड्स, इन्सैक्टीसाइड्स या उन्नतशील बीजों के बिना या बिजली के बिना हो सकता था?

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो 1360 मेगावाट बिजली बनती थी और आज वह बढ़कर 62 हजार मेगावाट हो गयी है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 22 हजार 245 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य था तो हमने उस लक्ष्य को सबसे पहले हासिल किया है। नलकूप भी नहीं चल सकते और दूसरे उपस्कर पंप आदि भी नहीं चल सकते। हमारी कृषि नीति वह थी जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बनाया था और उसके तहत ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था ताकि कृषि का उत्तरोत्तर विकास हो और हिन्दुस्तान अनाज के मामले में आत्म-निर्भर बन सके। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इसमें भारी योगदान है, जिन्होंने देश में "जय जवान, जय किसान" का नारा लगाया। उसी का परिणाम है कि आज हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हैं। मैं मानता हूं कि आपकी सरकार इससे भी अच्छा काम करना चाहती है···(व्यवधान)···कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदार है, वह तो दुनिया जानती है। आप किसी को भी भ्रष्टाचारी कह सकते हो, आपकी सरकार कितनी दूध की धुली हुई है। आप 1977 और 1980 के बीच सत्ता में आए थे और चरमराकर टूट गए और चले गए। आपने हिन्दुस्तान के लिए एक पैसे का काम नहीं किया और आपमें से 90% संसद सदस्यों की जमानतें जब्त हो गयी थीं, जो इस देश में चरित्रहत्या की राजनीति करने वाले लोग थे। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है कि जो मन में आया बोल दिया। कृषि पर बहस चल रही है। यहां कोई सच्चा और ईमानदार नहीं है। यदि कोई

ईमानदार है तो वह भारत ईमानदार है। मैं तो उपाध्यक्ष जी के माध्यम से आदरणीय उपेन्द्र नाथ वर्मा जी से दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। इस देश के लिए दो चीजें बुनियादी हैं तभी यहां राष्ट्रीय मतैक्य स्थापित हो सकता है। आज हम देखते हैं कि नदियां को लेकर प्रांत-प्रांत के बीच जल विवाद चल रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, और अभी हमारे मित्र राम बहादुर सिंह जी बिहार के बारे में बतला रहे थे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सारा देश अपना है। इस मुल्क में रहने वाले 80 करोड़ नागरिक अपने हैं इसलिए हिन्दुस्तान की सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हिन्दुस्तान के जिस हिस्से में पानी की आवश्यकता हो, वहां हम कैनाल के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। आप जानते हैं कि हमारा देश बड़ा विचित्र है जहां एक भाग में सूखा पड़ता है तो दूसरे भाग में बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलती है। यह आवश्यक है कि जहां पानी की कमी है उस इलाके में कैनाल के जरिए पानी भेजा जाए तभी पूरे राष्ट्र का उत्पादन बढ़ सकता है। उपाध्यक्ष जी, यदि कोई गंगानगर जाकर देखे तो उसे पता लगेगा कि राजस्थान कैनाल की वजह से वहां कितना बदलाव आया है। जिन इलाकों से होकर वह कैनाल गयी है, वहां स्थिति कितनी बदल गयी है और उसने हरित क्रांति को मूर्त रूप दिया है। वैसी ही स्थिति बिजली की भी है। बिजली के बिना न तो हम खेती को सुधार सकते और न कारखानों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता। बिजली के बिना न तकनीकी क्रांति लायी जा सकती है और न राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक नेशनल ग्रिड फार वाटर बनाया जाए और दूसरा नेशनल ग्रिड फार पावर बने। बिजली का नेशनल ग्रिड बनाने से, जिन इलाकों में बिजली की कमी है, उन इलाकों में बिजली ट्रांसफर की जा सकती है। हमारी राजीव गांधी की सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान को बिजली की दृष्टि से 5 जोनों में बांटा था और एक जोन से दूसरे जोन में बिजली ट्रांसफर करने की नई तकनीक को भी जारी किया था। यही कारण है कि आज नौर्दर्न ग्रिड से वैस्टर्न ग्रिड में बिजली जा रही है। नेशनल ग्रिड बन जाने से हम पूरे देश की बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कम साधनों से बिजली तैयार की जा सकती है, वहां बिजली पैदा करने पर जोर दिया जाए और जिन इलाकों में बिजली नहीं है, वहां ट्रांसफर करके बिजली पहुंचायी जाए। वैसे ही जिन इलाकों में, पानी की कमी हैं, ग्रिड बनाकर, उन इलाकों से पानी वहां ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए देश में कैनाल का जाल बिछाया जा सकता है। जैसा यहां अभी कुमारमंगलम जी ने कहा, हमारा देश इस माने में विचित्र है कि एक हिस्से में यहां सूखा पड़ता है तो दूसरे हिस्से में बाढ़ की विभीषिका से भारी क्षति होती है। हर साल हम सूखे का मुकाबला करने के लिए भी कई सौ करोड़ रुपए खर्च करते हैं और बाढ़ की विभीषिका का मुकाबला करने के लिए भी कई सौ करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इस तरह हमारा कितना पैसा बर्बाद होता है। इसके बावजूद एक भाग में सूखे से लोग मरते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ से लोग मरते हैं और फसलें बर्बाद होती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर एक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए ताकि हम पूरे देश का उत्पादन और बढ़ा सकें।

वर्मा जी से मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने एग्रीकल्चरल गुड्स पैदा होते हैं, सरकार उनके एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी करे। विदेशों में उन एग्रीकल्चरल गुड्स की मार्केटिंग के लिए रिसर्च कराया जाए कि हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले किस माल की दुनिया के किस देश में आवश्यकता है। इससे जहां हिन्दुस्तान के किसानों को रैम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगी वहीं हम अपने एग्रीकल्चरल गुड्स की दुनिया की मार्केट में खपत भी कर पाएंगे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कृषि के साथ पशु-पालन को बढ़ावा दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में तो हिन्दुस्तान ने, दुनिया के विकासशील देशों के बीच में आत्म-निर्भरता हासिल की है, बहुत बड़ी सफलता हमारे भारत की रही है, लेकिन कृषि के साथ जिस प्रकार से पशु-पालन को बढ़ावा मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। हिन्दुस्तान के 80 करोड़ लोगों के लिए दूध की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हमें यह देखना है कि हमारे देश के नागरिकों को प्रति व्यक्ति कितना दूध मिल रहा है। जब देश में "जय जवान" और "जय किसान" का नारा लगाया जाता है, तो यह भी देखना पड़ेगा कि दूध कितना मिल रहा है। जब जवान को दूध मिलेगा, तभी तो वह तगड़ा होगा। पशु-पालन के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में कम काम हुआ है। इस क्षेत्र में भी ज्यादा काम होना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पशु-पालन के काम को राष्ट्रीय स्तर और युद्ध स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पशुओं के माध्यम से हमारे किसानों के खेतों को आर्गेनिक, गोबर की खाद भी मिल सकती है जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी कायम हो सकेगी और वे अपनी पैदावार भी बढ़ा सकेंगे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन में जहां तक मैकेनाइजेशन की बात है, वह भी होना चाहिए। ट्रेक्टर का प्रयोग हो रहा है, वह ठीक है। इसके साथ-साथ मैं, तीसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि देश में फलदार पेड़ों को लगाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हार्टिकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे याद है बचपन में जहां आधे गांव में बाग-बगीचे होते थे, जहां आम, जामुन खूब पैदा होते थे और तरह-तरह के फलदार वृक्ष होते थे, वे आज स्थिति यह है कि लगातार खत्म हो रहे हैं। इसलिए हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के इकलौजीकल बैलेंस को बनाने के लिए और हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए करोड़ों की संख्या में फलदार वृक्षों का लगाया जाना अनिवार्य है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदम, हमारे देश में रिसर्च एण्ड डिवलेपमेंट की दिशा में भी काम बढ़ना चाहिए। अभी हमारे मित्र ने सही कहा है कि महाराष्ट्र मे शुगरकेम की रिकवरी हिन्दुस्तान में हाइएस्ट है। जबकि सबसे पहले शुगर मिलें बिहार और उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने में लगीं, लेकिन महाराष्ट्र में, शुगरकेन से शुगर की रिकवरी सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले में वहां की मिलें मुनाफे में रहती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए बीज का विकास किया जाना चाहिए। किस क्लाइमेट में, किस मिट्टी में, काली मिट्टी में, दियारा, भाटी या ऊपर मिट्टी में, किस तरह के सीड से ज्यादा पैदावार हो सकती है, यह रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है वहां रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारे देश की कृषि की उन्नति, पशुओं की उन्नत किस्म की नस्लें, फलदार वृक्षों की उन्नत किस्म की नस्लें हम रिसर्च सेंटर्स खोलकर ही विकसित कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश में ज्यादा से ज्यादा कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर जोर देना चाहिए।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के एक महान वैज्ञानिक डा० स्वामीनाथन हैं। उनको मैं भारत माता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हिन्दुस्तान के कृषि के जगत में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट का बहुत बड़ा काम किया है। देश के करोड़ों किसान आज उनके आभारी हैं। अभी हमारे मित्र ने बिहार में बाढ़ की बात की, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक नेपाल से निकलने वाली नदियों पंचेश्वरी, करनाली और भालूबांध पर बांध नहीं बनते हैं, तब तक उत्तर कदेश, बिहार और बंगाल को बाढ़ की विभीषिका से नहीं बचाया जा सकता है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत और नेपाल सरकार के बीच वार्ता हो रही है। पंचेश्वरी, भालूबांध और करनाली नदी पर बड़े-बड़े डैम बनाए जाएं, तो जहां एक ओर हम बाढ़ की विभीषिका को रोक सकेंगे, वहीं दूसरी ओर इन तीनों बांधों से 25 हजार मैगावाट बिजली बनेगी। आज हिन्दुस्तान की आवश्यकता का 70 प्रतिशत भाग ताप विद्युत से मिल रहा है और 30 प्रतिशत भाग हाइड्रोइलेक्ट्रिक से मिल रहा है। उसके बैलेंस को मेनटेन करने के लिए 40 प्रतिशत हाइड्रो बिजली चाहिए और 60 प्रतिशत ताप बिजली चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हाइड्रो-इलेक्ट्रिक जनरेशन को प्राथमिकता दी जाए। जब तक नेपाल से निकलने वाली पंचेश्वरी, करनाली, भालूबांध तीनों डैम का निर्माण नहीं होता, घाघरा, शारदा, राप्ति तीनों नदियां नेपाल से निकलतों है, इसमें भाखड़ा जैसा डैम नहीं बनता है, नागार्जुन सागर जैसा डैम नहीं बनता है तब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को बाढ़ विभीषिका से नहीं बचाया जा सकता है। जब तक इस इलाके को बाढ़ की विभीषिका से नहीं बचाया जा सकता तब तक अरबों-खरबों की सम्पत्ति हर साल नष्ट होती रहेगी और उत्तर प्रदेश, बिहार जिससे हम पूरे एशिया को उत्पादन करके खिला सकते हैं, उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। पंचेश्वरी, करनाली, भालूबांध से जहां बाढ़ रुकेगी वहीं 25 हजार मैगावाट बिजली बनेगी जिसके माध्यम से हिन्दुस्तान के घर-घर में बिजली पहुंच सकती है। दामनीति जब तक निर्धारित नहीं होती, खेत में पैदा होने वाला सामान जितना काश्त में पैदा होता है, उस पर दाम बढ़ा कर बेचा जाए, अगर किसान अपना गेहूं 200 रुपये क्विंटल बेचता है तो 210 रुपये क्विंटल के हिसाब से साल भर में जब चाहे, उसको मिल जाए ऐसा होना चाहिए। औद्योगिक सामान चाहे प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर में बनता है उसका जो दाम है, जितने दाम में वह माल बनता है उसका डेढ़ा दाम में जनता को उपलब्ध होना चाहिए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार हो, जब तक डैम बांधों नीति, वैज्ञानिक नीति का अनुसरण नहीं करेगी तब तक हिंदुस्तान में जो असमानता होती जा रही है, ग्रामीण इलाके के लोग भाग कर शहरों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं, जब तक किसी को प्रोफिट ओरिऐन्टेड नहीं बनाया जाएगा तब तक कृषि के मामले में कुछ नहीं हो सकता है। आज से 20-30 साल पहले गांव का सुनार उजड़ गया, गांव के खेत मजदूर अपना काम छोड़कर शहरों की तरफ रिक्शा चलाने के लिए भाग आए, गांव की आधे से ज्यादा आबादी औद्योगीकरण के इस दौर में गांव छोड़कर शहर की तरफ आ गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक खेती को हिन्दुस्तान में लाभप्रद नहीं बनाएंगे तब तक हिंदुस्तान में रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं। सस्ते नारों से देश की जनता को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते हैं। "आराम हराम है" यह नारा राष्ट्र के उद्देश्य का होना चाहिए। जब तक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, कठोर परिश्रम की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र निर्माण के काम में नहीं लगेगा तब तक समता [illegible] गांधी या आजादी की लड़ाई के उद्देश्य के सपने को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए आजादी की लड़ाई के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें अतीत के इतिहास को सामने रखकर भविष्य के सुहावने दिन का निर्माण करना होगा ताकि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के उद्देश्य को, एक शक्तिशाली भारत बनाने के उद्देश्य को पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम बहस करना चाहते हैं वह बहुत ही विशाल है, उसमें अनेकों समस्याएं हैं और इस देश के अस्सी करोड़ लोगों की जिन्दगी से जुड़े हुए ये सवाल हैं, यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि जितनी गरीब की बात करें, जितनी इस देश के किसान की बात करें, उतनी ही मुसीबत इस देश के किसान और गरीब पर पड़ी और इस देश के अन्दर एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया चाहे वह खेती करने वाला बड़ा जमींदार हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़े ठेकेदार हों, चाहे बड़े नेता हों, उन्हें हमेशा

एक बहुत अच्छा नारा मिल गया और उस नारे के प्रलोभन में उन्होंने इस देश के गरीबों को और गरीब किया और इससे उन पर और ज्यादा मार पड़ी और उन अमीरों को और ज्यादा अमीर किया। यह चालीस साल का लबो-लबाब है हमारे देश की राजनीति में।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के लिये खुशी है, मैं उसके लिए शाबाशी और धन्यवाद नहीं दूंगा कि हमारी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है जो चालीस साल पहले और 42 साल पहले कांग्रेस ने कही थी "लैंड टू दी टिल्लर" जमीन उसकी जो काश्त करेगा, फसल उसकी जो बोएगा। यह कुदरत का न्याय है। हम आज देख रहे हैं कि जमीन का मालिक कौन है ? यह अधिकार किसने दिया ? यह अंग्रेजों की देन है, वे राजाओं की देन है कि अपने दलालों और एजेंटों को वे जमीनें देते थे, बड़ी-बड़ी जागीरें देते थे ताकि वे उनकी रक्षा करें। इन 40 सालों के अन्दर भी उनके पास जमीन है। हम बात समाजवाद की करते हैं। मैं कल्पनाथ जी के दर्द को अनुभव करता हूं। अगर यह दर्द सत्ता में रहते हुए करते तो बहुत अच्छा होता और मुझे थोड़ा आनन्द आता लेकिन सत्ता से बाहर आने के बाद एक ख्याय आया है, यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है।

मैं राजस्थान के उस इलाके से आता हूं जो कि बार्डर पर है। वहां गांवों में मकान नहीं हैं। बाड़ ही बाड़ है और वह कांटों की बाड़ है। वहां पीने के लिए मीठा पानी नहीं है। गायें वहां मर रही हैं। मैंने कल इस सवाल को उठाया था। झुंड के झुंड गायें पानी की कमी की वजह से मर रही हैं। वहां अकाल पड़ गया है। लोग पलायन कर रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई हरियाणा की तरफ जा रहा है और कोई अपने पशु, भेड़-बकरी लेकर पंजाब की तरफ जा रहा है। चाहे कितना ही खतरा पंजाब में हो, वह खतरा उन्हें रोक नहीं रहा है। उनकी मौत और जिन्दगी का सवाल है। एक तरफ हम दिल्ली में और दूसरी राजधानियों में जब पांच सितारा होटल, गगन चुम्बी इमारतें देखते हैं और सीमेंट और लोहे के बड़े-बड़े मकानों में रहने वाले लोगों को जिन्दगी बसर करते हुए देखते हैं तो हमारा दिल बैठ जाता है। कल्पनाथ राय जी, पांच सितारा होटलों में 2500 रुपए हर रोज देने वालों को जब हम देखते हैं तो हमें बात समझ में नहीं आती है। दिमाग में पागलपन आ जाता है और सोचते हैं कि यह देश किसका है ?

अभी फलों की बात मैं कर रहा था। कल्पनाथ राय जी कह रहे थे कि हम फल खाते थे। मैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम भी बचपन में फल खाते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल्पनाथ राय जी पर भाषण दे रहे हैं या एग्रिकल्चर पर भाषण दे रहे हैं।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : जो चीजें कृषि से ताल्लुक रखती हैं उनकी बात कर रहा था। आम और अंगूर की बात भी कृषि से ताल्लुक रखती है। आज कोई आदमी किसी सब्जी या फल की दुकान पर चला जाये तो दूसरा आदमी सोचता है कि डाक्टर ने इसको प्रिसक्राइब किया होगा। दूध का गिलास हलवाई की दुकान पर पीते कोई किसी को देख लेता है तो वह निश्चित रूप से सोचता है कि डाक्टर ने इसको पीने के लिए बताया होगा। आज दूध और फल एक डाक्टर की लिखी खुराक बन गई हैं। आज ये चीजें आम आदमी के पहुंच से बाहर की चीजें हैं। आज हमारे बच्चे उस आम की गुठली को दौड़ कर चसते हैं। एक बच्चा नहीं लाखों बच्चे रोटी की तलाश में स्टेशनों में और चौराहों में भीख मांगते मिलते हैं। चौराहों में लाल बत्ती पर जब गाड़ी दो मिनट के लिए रुकती है तो उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि एक्सीडेन्ट न हो जाए और वे घेर न लें। यह

हालत आज देश में पैदा हो रही है, यह किसने पैदा की, इसका जिम्मेदार कौन है, किसको सजा दें, यह बहुत बड़ा सवाल है, आज देश के सामने। मैं इसीलिए राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को धन्यवाद नहीं देना चाहता कि आपने अभी नारा दिया है, नारा बड़ा लुभावना है, कर्ज का हो, बुढ़ापा पेंशन का हो या बीमे की बात हो, आप लागू कर दीजिए। हम आपसे आपसे और कुछ नहीं चाहते, हम यह नहीं कहते, हमारी पार्टी यह नहीं कहती कि आप हमारी घोषणाओं को, हमारी नीतियों को लागू करो। मेहरबानी करो, आप गम्भीरता के साथ अपने घोषणा-पत्र को लागू करो वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस देश के लोग राजनेताओं पर भरोसा करना छोड़ देंगे, चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे वह बी० जे० पी० के हों, चाहे किसी दल के हों, चाहे मार्क्सवादी पार्टी के हों, चाहे किसी पार्टी के हों। इस देश के करोड़ों लोग, 40 फीसदी लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे हैं, क्या डेफिनीशन है, उन्हें एक वक्त रोटी नसीब होती है,.आप यहां पर किसके विकास की बात कर रहे हैं, यहां पर बैठ कर हम क्या कर रहे हैं, हमने आज तक किसके विकास की बात की है।

मैं सीलिंग के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। इस देश की जमीन आज किसके पास है, लेकिन जमीन से पहले मैं किसान को आखिरकार चीज क्या चाहिए, उसकी बात कर दूं। खेती के विकास के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं, जमीन, पानी और उसके बाद में भाव। हम फसल अधिक पैदा कर दें तो हमारे ऊपर पैनल्टी लगती है। भाव तय नहीं हैं, यह बिचौलिया इस देश के अन्दर ऐसा है कि अभी 1987 में भयंकर अकाल हमने राजस्थान में देखा, 800 करोड़ रुपए कांग्रेस ले गई लेकिन हमको पता नहीं लगता है, अकाल के नाम से राजस्थान में जितना रुपया लगाया गया है, वह किसने खाया है, अब आप अन्दाजा लगाइए, जिसकी हुकूमत थी, उन्होंने खाया है। इतिहास बताएगा, हमने राजाओं के राज के लूट के किस्से सुने हैं, देखते थे, सुनते थे और 1987 के अन्दर 800 करोड़ रुपया राजस्थान के अन्दर खर्च हुआ, उसका कहीं नामोनिशान नहीं है, किस काम आया, आप मुझे वह 800 करोड़ रुपया दीजिए, वह 800 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में चाहे कोई परिस्थितियों पैदा हो जाएं, राजस्थान में अकाल नहीं पड़ेगा, कोई जानवर नहीं मरेगा, राजस्थान का कोई आदमी प्यासा नहीं रहेगा, मगर वह पैसा कहां गया, किसके पास गया रुपया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि 15 रुपया पहुंचता है, कल्पनाथ जी, अंदाजा करो, कहां गया 85 रुपया, जो सरकार उनको सजा नहीं दे सकी, आज तक किसी आदमी को रोक नहीं सकी, भ्रष्टाचार के लिए, जिसने 100 में से 85 रुपया खाया तो आप देश के विकास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं। ठीक है, आप रहिए अभी लेकिन 5 साल के बाद तो बेकार हो जाएंगे, यहां से, यह एयर कंडीशनर हमको बिगाड़ देगा, जहां ठहरते हैं, वहां भी एयर कण्डीशनर और यहां आते हैं तो भी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में बैठकर आप सोचते हैं कि इस देश का विकास कर सकते हैं? विकास माओत्से तुंग ने किया चीन का, आज जाकर देखिए वहां क्या हालत है। चीन की नीतियों का सवाल छोड़ दीजिए, उनसे हमारे मतभेद हो सकते हैं, आप उस समाजवादी व्यवस्था को पसन्द करें, न करें, यह अलग बात है मगर आज चीन कितना अनाज पैदा कर रहा है। दो-तीन साल पहले मुझे चीन जाने का मौका मिला, मैंने देखा निर्माण कार्यों में क्रेन ही क्रेन लगी हुई हैं, दुनिया भर का निर्माण हो रहा है, मकानों का। मुझे अचम्भा हुआ कि इतनी क्रेनें इतने मकान क्यों बना रहे हैं तो वहां के लोग बोले, वहां के नेता बोले, हमने रोटी और कपड़े का इन्तजाम तो कर लिया, हमारे पास इतना कपड़ा है कि हम दुनिया में भेज रहे हैं, हमारे पास इतना अनाज पैदा हो गया है, 110 करोड़ की आबादी चीन की है, हमारी आबादी 80 करोड़ है, इस वक्त, चीन के अन्दर 400 मिलियन टन से भी ज्यादा अनाज पैदा हो रहा है लेकिन आज हम कहां हैं। पिछले 10 साल से हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं।

भजनलाल जी ने जोर लगाया, बारिश हो गई तो यह सेहरा अपने सिर पर बांधना शुरू कर दिया और जिस वक्त अकाल पड़ा, उस वक्त राम जी को गालियां दे रहे थे कि यह राम जी ने पैदा कर दिया। अच्छी फसल हो जाए, तो खुद सेहरा बांधा और फसल खराब हो जाए तो दोष भगवान को दें। मैं आपसे यह कह रहा था कि हमारी खेती की पैदावार कैसे बढ़े। पिछले दस सालों में हमारी हरित क्रांति के बाद हम गेहूं के बड़े अच्छे बीज लाए, धान के बड़े अच्छे बीज लाए और दूसरे बीज लाए। खाद्यान्न के अन्दर हमारी खेती में पन्द्रह से सतरह करोड़ टन के बीच में स्टैगनेशन आ गया। सन 1975 में इमरजेंसी में जेल जाने से पहले राजस्थान की विधान सभा में एक झगड़ा हुआ, उस समय हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं। छः लाख टन धतूरा मिली हुई ज्वार अमरीका से लाए, जहां उसको सुअर खाता था, आदमी नहीं खाता था। अमरीका में ज्वार आदमी नहीं खाता, वहां सुअर खाता है। धतूरा मिली हुई ज्वार थी और हमने सन 1975 में खाई और विधान सभा में झगड़ा खड़ा हुआ। धतूरा मिली हुई ज्वार खाने से लोग बीमार हो गये। सरकार ने कहा, मन्त्री जी ने कहा खड़े होकर कि हमने नोटिस टांग दिया है, जहां राशन की दुकान पर ज्वार बिकती है। इसलिए इतिश्री हो गई। आज खेती की पैदावार में स्टैगनेशन आ गया है, यह तो पंजाब के लोग थे, हरियाणा के बहादुर लोग थे, बहादुर किसान थे, जिन्होंने इस देश का पेट भरा, वरना हमको कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं दिखाई देती। पंजाब का सूरमा किसान नहीं होता, हरियाणा का मेहनती किसान नहीं होता तो आज क्या हालत होती। हमको कौन खिलाता और कहां से आता अनाज? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसान चाहे कितना ही पैदा कर दे, उसको क्या मिलता है। हमने गुवार ज्यादा पैदा की। 1987 के अकाल के बाद जब हम गुवार के बीज लेने के लिए शहर से व्यापारी के पास गए तो 15 रुपए किलो का गुवार का बीज मिला। मेरे इलाके में जहां गुवार ज्यादा होती है, मोठ की सफल ज्यादा होती है और जब मोठ के बीज लेने के लिए गए तो बीस रुपए किलो में मोठ मिली। 1987 के अकाल के बाद जब 1988 में अच्छी वर्षा हुई, बम्पर क्राप हुई तो मेरे इलाके का किसान इस ख्याल से खेत में जाता था कि बेटी का ब्याह करना है, कर्ज को उतारना है और फलां-फलां कर्ज उतारना है, उसके अरमान उसके दिमाग में थे और जब वह उसको मण्डी में बेचने के लिए गए तो ढाई रुपए से ज्यादा गुवार और चार रुपए से ज्यादा मोठ का खरीददार नहीं था। आपने बिचौलियों को छूट दे दी लूटने की, कोई रोक-टोक नहीं है, कहीं कोई पाबन्दी नहीं है, तो कैसे कीमत ज्यादा मिल सकती है। मैं राजस्थान की बात ही नहीं कर रहा हूं, केरल में आप काजू को पैदा करने वाले की हालत को देखिए कि उसका क्या मिलता है। ये मेरे साथी केरल के बैठे हैं। काजू डिब्बे में बन्द होने के बाद 125 रुपए में बिकता है और खेत में काजू बिकता है तो किसान को दस रुपए किलो से ज्यादा कीमत नहीं मिलती है। सेब सवा रुपए किलो के भाव पर मिलता है। दिल्ली और हिन्दुस्तान के दूसरे बाजारों में वही सेब 12-14 रुपए किलो के भाव पर बिकता है। आप किसान को पांच रुपए दे दीजिए, फिर देखिए कि तकदीर बदलती है या नहीं बदलती है। लेकिन मेरे कौम, इरादे किसके हैं।

मैं बहुत-सी बातें कहना चाहता था, लेकिन आखिर में मैं एक ही बात कहता हूं कि हमारे देश के किसान की हालत क्या है?

एक माननीय सदस्य : स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिए।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिए। सारे का सारा अनाज सरकार ले ले और बीच में मिडिल मेन को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। यह जो लुटेरा वर्ग बैठा है, देश में बदमनी पैदा करता है, कोई काम नहीं करता है, बहियों में काला धन रखता है, भावों में लूटता, इसलिए इस

पर वोट करने की जरूरत है। आप नहीं करेंगे तो इस देश के लोग करेंगे। लोग सड़-सड़ कर नहीं मरेंगे, बल्कि लोग लड़ कर मरना चाहेंगे।

मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में किसान की कृषि में क्या हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय किसान की हालत किस तरह से कर्ज में डूबी है। यह सरकार भी डूबेगी अगर किसान को कर्ज में छोड़ कर जाएगी। एक लाख करोड़ रुपय। हमने विदेशों से कर्ज लिया हुआ है। 15 हजार करोड़ रुपए का सूदखोरों का कर्जा हिन्दुस्तान के किसानों पर है। आज सूदखोर किसानों को लूट रहे हैं। हमारे जो बैंक हैं वे भी सूदखोर हो गये हैं। पहले वे एक साल में ब्याज को मूलधन में बदलते थे, अब वे 6 महीने में ही ब्याज को मूलधन में बदलने लगे हैं। आज किसान की कर्जे की यह हालत है। बैंक भी सूदखोर हो गये हैं।

इसके साथ-साथ कितनी जमीन देश की किसानों के पास है। इस देश की 75 फीसदी आबादी जमीन के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन इस देश की कुल जमीन का केवल 26.8 प्रतिशत ही इस देश की 75 फीसदी आबादी, जिसके पास दो एकड़ से कम जमीन है, के पास है। इस देश का 2.4% आबादी जो कि बड़े-बड़े किसानों और जमींदारों की है जिनके पास दस हेक्टेयर या इससे ज्यादा जमीन है, उनके पास 22.6 प्रतिशत जमीन है। इस देश के सीमांत और लघु किसान की जमीन के मामले में यह हालत है। आपने क्या छेड़ा है किसी बड़े किसान को छेड़ा है बादल को, चौधरी बलराम को या किसी और चौधरी को जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है। न आपने किसी सेठ या बिरला को छेड़ा है। आज बड़े-बड़े सेठ जनप्रतिनिधि बन कर आ गए हैं।

यहां पर आडवाणी जी जब चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात कर रहे थे तो उन्होंने इंग्लैंड के एक सांसद की बात कही थी—"इस बार मैं एक और चुनाव क्षेत्र को खरीद लूंगा।" सेठ लोग इस देश की पार्टियों को खरीद लेते हैं। इस देश के सेठ लोग जो कि बहुत बड़े-बड़े हैं वे खरीद लेते हैं। मैं यहां पर बैठता हूं और बाहर भी चारों तरफ देखता हूं। राजस्थान के अन्दर आपने किसी भी राजा की एक एकड़ जमीन भी नहीं ली। छोटे किसान की आप जमीन ले लेते हैं, उसकी जमीन को तोड़ देते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस सरकार की हिम्मत हुई किसी महाराजा की जमीन सीलिंग में लेने की। चाहे वह जयपुर का महाराजा हो, चाहे उदयपुर का हो, चाहे बीकानेर का महाराजा हो। अभी अभी बिहार के साथी की चर्चा कर रहे थे कि बड़ी-बड़ी जमींदारियां हैं। वे यह फैसला करते हैं कि इस देश को कैसे चलाएं। हमारे कल्पनाथ राय जी गरीबों की बात कर रहे थे। यह बड़ी अर्ज.ब विडम्बना है कि इस देश के गरीब को आप सिर्फ नारों से बहकाते रहे। इस देश की जंगे आजादी में गरीबों के बेटों ने कुर्बानियां दीं, मजदूरों के बेटों ने कुर्बानियां दीं। वह इस नियत से नहीं दी थी कि हमें कोई पद मिलेगा। उन कुर्बानियों के पीछे भावना थी।

कांग्रेस ने नारा दिया था कि इस देश से गरीबी मिटेगी, इस देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में सिंचाई और खेती ये दो ही बातें हैं। अगर इस देश का किसान खुशहाल रहेगा तो इस देश के कारखाने भी बढ़ेंगे। अगर किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कारखाने भी बढ़ेंगे। अगर इस देश के अन्दर गरीबी इसी तरह से रही तो न कोई औद्योगिक विकास होगा, न इस देश के बाजार बढ़ेंगे, न इस देश में सामाजिक परिवर्तन होगा।

मुझे आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, हमारे भी कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं और वे परसों नहीं आ सकते। अतः मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे मान लिया जाए।

जल-संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : हम 1/2 घण्टे के लिए अर्थात् 7.30 म० प० तक समय बढ़ा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि सदन इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री सिंगरावडीवेल।

7.00 म० प०

श्री एस० सिंगरावडीवेल (तंजावूर) : मानव संसाधन मंत्रालय और कृषि मन्त्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिए जाने पर मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। ये मन्त्रालय देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जल कृषि की आधारभूत आवश्यकता है। हमें कृषि के लिए पीने के लिए और औद्योगिक विकास के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए शीघ्र कदम उठाए। इस देश में, एक असंतुलन है। देश के एक भाग में पानी उपलब्ध है तो दूसरे भागों में पानी उपलब्ध नहीं है। हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जहां पानो उपलब्ध है वहां से उसे ऐसी जगह ले जाएं जहां पानी उपलब्ध नहीं है।

गंगा नदी को कावेरी से जोड़ने की मांग कई दशकों से की जा रही है। अगर यह किया जाता है, तो यह दक्षिण के लोगों को, दक्षिण के किसानों को लाभ पहुंचायेगा। इसी तरह, मुख्य नदियों को जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को पर्याप्त पानी दे सकते हैं। हम इस असंतुलन को भी हटा सकते हैं। इस सन्दर्भ में, मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि महानदी को दक्षिण में तांबरवरनी नदी के साथ जोड़ देना चाहिए। केरल में पानी पश्चिम की तरफ बह रहा है और यह बर्बाद जा रहा है। पश्चिम में बहने वाली नदी का पानी तमिलनाडु की तरफ मोड़ने से तमिलनाडु के किसानों को सहायता मिलेगी।

मद्रास नगर में पीने के पानी की समस्या है। पानी लेने के लिए लोगों को लम्बी पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। एक दिन छोड़कर उन्हें पानी दिया जाता है। कई योजनाएं बनायी गयीं किन्तु किसी न किसी कारण से उन्हें छोड़ देना पड़ा। तेलगू-गंगा योजना ही अब आखिरी आशा है। संबंधित राज्य तमिलनाडु को पानी देने के लिए सहमत हैं, पर योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। भारत सरकार को स्वयं यह देखना है कि शीघ्रातिशीघ्र यह योजना कार्यान्वित हो।

कावेरी-जल विवाद 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है। मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के पक्ष में फैसला दिया है। इसने भारत सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि ट्रिब्यूनल का गठन एक महीने के अन्दर कर दिया जाए। मैं सभी संबंधित दलों से अनुरोध करता हूं कि वे इस सुझाव को मान लें और इस विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए सहयोग दें। इस विवाद के लम्बे खिंचने के कारण तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा, विशेषकर तंजावूर जिले में कृषि बुरी तरह

प्रभावित हुई है। लाखों व्यक्ति जो कृषि में लगे हुए थे अब बेरोजगार हैं। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ढह गई है। तमिलनाडु को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। इसे 1971-72 तक प्रतिवर्ष औसतन 380 टी० एम० सी० पानी मिल रहा था। तत्पश्चात् इसे कम कर दिया गया। अब, हमें लगभग इसका तिहाई पानी मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने कम से कम 280 टी०एम० सी० पानी की मांग की थी, किन्तु कर्नाटक सरकार इससे सहमत नहीं थी। इसी कारण, इन दोनों मुख्य मन्त्रियों के बीच हुई वार्ता के 26 दौर असफल हो गए। हमने एक ट्रिब्यूनल के लिए जोर दिया था। सौभाग्य से, उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु की सहायता के लिए आगे आया। इसने भारत सरकार को ट्रिब्यूनल के गठन को निर्देश दिया। मैं आशा करता हूं कि तमिलनाडु के किसानों की समस्या सुलझाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे।

मैं सरकार को विश्व बेंक की सहायता से कावेरी डेल्टा के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण को अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इसकी अनुमानित लागत 78.80 करोड़ रुपये है। अगर इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो यह 70,000 हेक्टेयर जमीन को लाभ पहुंचाएगी। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए कि नवीनीकरण शीघ्रता से हो व उचित ढंग से कार्यान्वित हो।

मैं कहना चाहूंगा कि हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां असाधारण हैं और काफी हैं। हालांकि, किसान अभी भी खुश नहीं हैं क्योंकि अपने उत्पादन के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। तमिलनाडु में किसान धान के प्रत्येक क्विंटल पर 250 रुपए के समर्थन मूल्य और गन्ने के प्रत्येक टन पर 500 रुपये समर्थन मूल्य की अपेक्षा करते हैं। अन्य अत्पादों पर भी सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को ऐसा मूल्य प्राप्त हो जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें।

हमारे पास तिलहन की कमी है। हमें इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में तिलहन के उत्पादन के लिए हमें और प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए।

फिर, कृषकों के ऋण के संबंध में, जन मोर्चा ने वायदा किया था कि किसानों को 10,000 रुपये तक के ऋणों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन किसानों को जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंको से ऋण लिया था, इसका फायदा मिलना चाहिए। अब स्वेच्छाकृत बकायादारों और अन्य बकायादारों में भेद किया जा रहा है। उन्होंने 10,000 रुपये तक के ऋणों को ऋण मुक्त करने का निश्चय किया है। इसे लागू कर दिया जाना चाहिए, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

महोदय, मुझे बताया गया है कि कल और आज तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई और तूफान आए। कल अवकाश है, मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि मद्रास और तमिलनाडु के अन्य भागों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करें और सभी सम्भव सहायता करें और तमिलनाडु के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि और जल संसाधन मन्त्रालय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह कहा जाता है कि यहां पर 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। इस देश की धरती बड़ी उपजाऊ है, मजदूर सस्ता मिलता है, किसान मेहनती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात के मौसम यहां पर हैं, अर्थात कुल मिलाकर इस देश में ऐसी परिस्थिति है, जिसके माध्तम से इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनना चाहिए था, यहां पर अच्छी उपज होनी चाहिए थी और इस देश को केवल अपने देशवासियों का ही भरण-पोषण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पूरी दुनिया को अनाज निर्यात करना चाहिए था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सभी विशेषताओं के बावजूद भी हमारे यहां लाखों आदमी आज दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और तिलहन, दलहन, चीनी आदि चीजों का विदेशों से आयात करना पड़ता है। इसके कुछ कारण अवश्य होंगे। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से हमारा देश इन सारी विशेषताओं के बावजूद कृषि के मामले में पीछे है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला कारण तो यह है कि जिन लोगों के हाथ में जमीन है, वे खेती नहीं करते हैं और जो लोग खेती करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है। जमीन सब लोग रखना चाहते हैं, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आज 90 प्रतिशत जमीन केवल 15 प्रतिशत लोगों के हाथ में है, जो स्वयं खेती नहीं करते। नारा दिया जाता है—टिलर इज दी ओनर आफ दी लैंड, लेकिन व्यवहार में जो खेती करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है और जो खेती नहीं करते हैं, उनके पास जमीन है। इसलिए आज हमारे देश में खेती के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। कानूनन जो लोग खेती नहीं करते हैं, उनके हाथ से जमीन ले ली जानी चाहिए। यह जमीन या तो किसानों में बांट दी जानी चाहिए या फिर कोआपरेटिव अथवा कलेक्टिव फार्मिंग आधार पर इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाना चानिए।

दूसरा कारण यह है कि इस देश में जितनी जमीन जोती जाती है, जितनी जमीन हल के नीचे है, उससे दुगुनी जमीन पड़ती पड़ी हुई है। सरकार उन जमीनों को भूमिहीन किसानों में इसलिए नहीं बांटना चाहती अगर यह जमीन किसानों-मजदूरों को दे दी जाएगी, छोटे आदमियों को दे दी जाएगी, तो बड़े जमींदारों सामंतों के यहां वह खेती करना बन्द कर देंगे और उनसे खेती नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार की खुद नीयत ही नहीं है। जो बंजर जमीन है वह जोती जाने वाली जमीन से दो गुणा है। सरकार को चाहिए कि जो परती जमीन है, खाली जमीन है, बंजर जमीन है वह जमीन उन लोगों में बांटी जाए जो खेती करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जो सही मायनों में जमीन पर काम करना चाहते हैं। यदि परती जमीन को बांट दिया जाए तो दो तरह से फायदा हो सकता है— पहला तो किसान को फायदा होगा और दूसरा देश को फायदा होगा।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की खेती औद्योगिक नहीं है। हमारे देश में किसान जो खेती करता है उसको उसका लाभ नहीं मिलता है। वह घाटे में चला जा रहा है। चाहे कांग्रेस सरकार हो या मौजूद सरकार हो, जितना फायदा पूंजीपतियों को पहुंचता है उतना किसानों को फायदा नहीं पहुंचाती है। किसान घाटे का सौदा करता है। खेती घाटे में जाने के कारण लोग परिश्रम से उदासीन हो चुके हैं और खेती से भाग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से पूंजीपतियों को फायदा पहुंच रहा है उसी तरह से किसानों को भी फायदा पहुंचना चाहिए।

चौथा, मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश की खेती वैज्ञानिक नहीं है। हमारे देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास लंगड़े-लूले बैल हैं, पुराने हल हैं और खेती करने के साधन भी पुराने है। उनके पास कोई वैज्ञानिक साधन नहीं हैं जिससे किसानों की उन्नति हो सके। उनको अच्छे बीज मिलने चाहिए, खाद मिलनी चाहिए और अच्छे साधन मिलने चाहिएं जिससे अच्छी तरह से खेती का विकास

हो सके। हमारे देश में वैज्ञानिक तकनीकि साधारण किसानों तक नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती है तो फार्मिंग करने वाले लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, जो खेती करते हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। हमारे देश का किसान यह नहीं जानता है कि क्या वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं और उनका सहारा कैसे लिया जा सकता है। गांवों में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि कैसे अन्न का भण्डारण हो और कैसे किसी चीज को सुरक्षित रखा जाए, कैसे फलों का संरक्षण हो सकता है। इस कमी के कारण हमारे किसानों में रूढ़ीवादी मनोवृत्ति पैदा हो रही है। किसानों को वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ न होने के कारण कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वैज्ञानिक उपलब्धियां किसानों तक पहुंचायी जाएं। इनके पहुंचाए जाने से मेरा विश्वास है कि किसान उसका फायदा उठा कर खेती में आगे बढ़ सकता है।

मेरा एक और निवेदन है कि देश में मानसिकता की लड़ाई जारी है। जो खेती करने वाले आदमी हैं उनको नीच कहा जाता है, शूद्र और अछूत कहा जाता है। जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं जैसे क्लर्क हैं, क्लैक्टर हैं, कैप्टन हैं, इन्जीनियर हैं उसको अभिजात्य वर्गीय एवं ऊंचे दर्जे से देखा जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि जब तक परिश्रम करने वाले लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा जब तक उनको नीच कहा जाएगा, अछूत कहा जाएगा तब तक इस देश में कृषि का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को, जो खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तब तक खेती का विकास नहीं हो सकता है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं के हाथ में बड़ी सम्पत्ति है। आज हमारे प्रधान मन्त्री जी भी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राजा-महाराजाओं के हाथ में बड़ी सम्पत्ति है। इन सारे लोगों से जमीन जबरदस्ती ले ली जाए। लैंड होल्डर्स से जमीन ले ली जाए। जब तक खेती किसानों के हाथ में नहीं जाएगी, गरीबों के हाथ में नहीं जाएगी, काम करने वालों के हाथ में नहीं जाएगी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, नारे जो भी दिए जाएं, वे पूरे नहीं हो सकते, खेती का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि जो सही मायनों में खेतों में काम करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हल जोतना जानते हैं, पार्लियामेंट में इतने लोग बैठे हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि सारे लोग नारे लगाते हैं, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाते हैं कि सारी जमीन सरकार की मान ली जाए और सरकारी जमीन मान कर उनको निजी संपत्ति न माना जाए, सरकार के हाथों में जमीन चली जाए को-आपरेटिव फार्म के रूप में उसका प्रयोग किया जाए तभी इससे लाभ हो सकता है।

मेरा निवेदन है कि हमारे देश के किसान को ट्रेनिंग देकर सिखाया-पढ़ाया जाए ताकि वे जान सकें कि दूसरे देशों में जैसे विकास हो रहा है वैसे हमारे देश में भी हो। हमारे देश के आदमी जो बाहर जाते हैं या तो नेता बाहर जाते हैं या दूसरे लोग बाहर जाते हैं, किसान का बेटा कभी चीन नहीं जाता, रूस नहीं जाता है। दूसरे देशों में कैसे वैज्ञानिक तकनीक बढ़ती जा रही है, किसान का बेटा इसको नहीं जान पा रहा है। मेरा निवेदन है कि किसान का बेटा जब तक विदेशों में जाकर वैज्ञानिक तकनीक प्राप्त नहीं करेगा, जान नहीं पाएगा तब तक कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर मौलिक परिवर्तन हो जाए तो हमारे देश के लोग कृषि का उत्पादन निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां के किसान बहुत मेहनती हैं।

मैं कुछ बातें जल संसाधन मन्त्रालय के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे देश में इतने वर्षों की आजादी के बाद पीने का पानी नहीं मिल पाया है। मैं अभी मध्य प्रदेश गया था वहां मैंने देखा कि तीन-तीन, चार-चार मील दूरी से औरतें पानी लाती हैं। इतने बड़े देश में 43 वर्षों की आजादी के बाद भी गांव का आदमी पानी के लिए तरसता रहे यह बड़े शर्म की बात है। इसी देश में तैरने के लिए जलाशय बनाये जाते हैं और फव्वारों का निर्माण किया जाता है सुन्दरता के लिए। मेरी मांग है कि जब तक पीने का पानी गांव में न पहुंच जाये और देश के सभी लोगों को पानी उपलब्ध न हो तब तक ऐशो-आराम के लिए इन फव्वारों और जलाशयों का निर्माण नहीं किया जाए। वह बंद होने चाहिए। दूसरे देशों में भी नदियां बहती हैं, लेकिन वहां पर बड़ी-बड़ी नदियों के बहाव को रोक दिया गया है। परन्तु हमारे देश में मामूली नहरें भी नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए जब तक बुनियादी और मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक न जल संसाधन का विकास होगा और न ही कृषि का विकास होगा। इसलिए कृषि और जल संसाधन जो हमारे देश की दो बड़ी संपत्ति हैं इन दोनों संसाधनों पर हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए ताकि हमारे देश में इन दोनों संसाधनों की शक्तियां तेजी से बढ़ सकें और हमारे देश का विकास हो सके।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : मुझे यह अवसर प्रदान करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। जन-मोर्चा सरकार का सबसे पहला बजट जाने-माने समाजवादी और माननीय मन्त्री प्रो० मधु दंडवते ने प्रस्तुत किया। किन्तु, कृषि विभाग और अन्य विभागों में भी बजट 'मधु' और फिर 'दंड' है। माता-पिता अपने बच्चों को दंड देकर जबरदस्ती कड़वी गोलियां या कड़वे स्वाद वाली दवाईयां पिलाते हैं। किंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चों, देश के नागरिकों को, जबरदस्ती पीटकर शहद पिलाया जाता है। यह मार इतनी दर्दनाक है कि वे शहद की दो अथवा तीन बूंदों को स्वीकार करने से घबराते हैं। इस बजट का जो सबसे अच्छा विशेषण दिया जा सकता है वह मेरे विचार में है कि फंस गए। उनके भाषण के आरम्भिक शब्द मुझे आज भी याद हैं, "करीब सौ दिन पहले राजनैतिक परिवर्तन की एक लहर आई थी।" जो एकदम अब्राहम लिंकन के भाषण के समान है कि सत्तासी साल पहले हमारे पूर्वज देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़े। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि यह बजट स्पष्टतः समाजवादी हस्तक्षेपवादी है। यह वैसा है जैसा 'पेट्रियट' ने कहा है, 'दंडवते की द्विविधा'। किसानों को इनाम की उम्मीद थी, किन्तु यह इनाम उनके लिए कुछ ज्यादा ही भारी है जिसे वे सहन नहीं कर सकते।

मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याएं बहुत जटिल हैं। हमें विपक्षी सदस्य प्रो० मधु दंडवते की सद्भावना की प्रशंसा करते हैं। किन्तु, उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए भाग्य और हिम्मत की आवश्यकता है। जैसा भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री एस० बी० चव्हाण, ने टिप्पणी की, नया बजट केवल 'आंकड़ों का जाल' है।

यद्यपि सबसे पहले उसमें 'धातु' शब्द है, मैं सोचती हूं कि किसान को इस बजट से क्या फायदा हुआ। मेहम और मांडा के कुछ अमीर किसानों का शायद और उत्थान हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है किन्तु हमें उन लाखों सामान्य किसानों की चिंता है जिन्हें अपना जीवन-निर्वाह करने में कठिनाई होती है हमें सभी नागरिकों की मदद करनी है। सामान्य मनुष्यों की बेटियों को भी उसी प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए जैसी मंत्रियों की बेटियों को प्राप्त होती है ऋण। मुक्ति कार्यक्रम अमीर किसानों के लिए शायद सौभाग्य की बात हो, किन्तु सामान्य किसानों का क्या होगा ?

अपने राज्य, केरल की ओर आते हुए, हमारी यह इच्छा है कि नारियल की तिलहन निगम

की सूची में तिलहन के रूप में घोषित किया जाए। खोपरा के प्रति क्विटल मूल्य को कम से कम 2,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। काली मिर्च, जो 'भारत का काला मोती' है, के पौधे जल्दी मुर्झा जाते हैं और इसमें कीड़े लग जाते हैं। कृषि के इस विभाग की ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है, सरकार उदार हृदय बनेगी और काली मिर्च के प्रति क्विटल का मूल्य 5,000 रुपए निर्धारित करेगी। मैं असने राज्य के अन्य विभागों के बारे में बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे राज्य की कम से कम ये दो उम्मीदें पूरी हो जाएं।

मुझे यह सुनकर अति प्रसन्नता हुई कि आप किसानों के ऋण माफ करने जा रहे हैं। किन्तु फिर इसका वृतांत आया—कि यह योजना बाद में पेश की जाएगी। एकदम मुझे याद आया—**अश्वत्थामा हतः मुंकुजंश**—अश्वत्थामा मर गया किन्तु यह केवल मिट्टी से बना हुआ एक हाथी है। इसके बावजूद भी, मैं एक अपील करने का साहस कर रही हूं कि कृपया वित्तीय संस्थाओं या अन्य स्रोतों द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध कराए जाएं जिससे वे उपजाऊ भूमि खरीद सकें। किसानों की जिन्दगी के अंधेरे में रोशनी की किरणें फैलाने के लिए, कृपया एक कानून बनाकर इस बात को स्थापित करें।

फिर, किसानों पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि, उन गरीब, अनपढ़ किसानों को पता नहीं होता कि उन्हें क्या रकम चुकानी है। पुराने समय में एक बुद्धू राजा चतुरंगम के एक खिलाड़ी ने बड़ी बुरी तरह से धोखा दिया था। यदि राजा हार जाता है, तो उस चतुर आदमी ने केवल एक शर्त की मांग की थी। जिस बोर्ड पर वे खेल रहे थे उसमें कुल 64 खाने थे। उस चतुर आदमी ने कहा कि एक खाने में अनाज का एक टुकड़ा रखो, दूसरे में दो टुकड़े, तीसरे में चार टुकड़े, चौथे में आठ टुकड़े, अगले में सौलह टुकड़े और इस प्रकार पूरे चौंसठ खानों को भरो और उन चौंसठ खानों को भरने में जितने टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है उतने ही उसे चाहिए। वह बेफकूफ राजा मान गया। उसे अनाज की संख्या की चिन्ता नहीं थी। जब वह उस खेल में हार गया, केवल तभी वह समझ पाया कि उसकी पूरी सम्पत्ति भी उन खानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी प्रकार, यह चक्रवृद्धि ब्याज आज किसान को निगल रहा है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि किसानों को यह आश्वासन दिए जाने संबंधी सूचना जारी की जाए कि कृषि खंड में ऋण पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

विभिन्न प्राकृतिक विपत्तियां फसलों पर प्रभाव डाल रही हैं। इसलिए, कृपया बजट में कुछ स्थान बनाया जाए जिसमें फसल बीमा योजना को लागू किया जा सके। किसी भी मौसम में किसी फसल के लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

अनगिनत कीड़े-मकोड़ों की दवाइयों द्वारा उत्पन्न बीमारियों पर नियन्त्रण करने के लिए बहुत से उपकरण हैं। कभी-कभी हमें कुछ प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का आयात करना पड़ता है। गांवों के स्तर पर कृषि केन्द्रों को स्थापित करके अनपढ़ किसानों को आधुनिक उपकरणों के प्रयोग, मूल्य-वृद्धि की जानकारी, किसानों द्वारा बीजों की आवश्यकता और बेहतर किस्म के उपकरणों के सम्बन्ध में शिक्षित किया जा सकता है।

महोदय, मैं 'फर्टीलाइजर कारपोरेशन' के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। केरल स्थित "फर्टीलाइजर कैमिकल्स ट्रैवनकोर" ("फैक्ट") पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारी इस पुरानी फैक्टरी को और अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

बिजली की कमी से, किसानों के लिए उन आधुनिक उपकरणों का प्रयोग बहुत कठिन हो जाता

है जिन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है।

महोदय, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल योजनाओं के निर्माण, बेहतर सड़कों निर्माण, ट्रैक्टरों की उपलब्धता, डेयरी के विकास में सुधार, मछली पालन को प्रोत्साहन, फसलों के विपणन, बारानी खेती योजना और अन्य योजनाओं जैसे पानी के जमाव की समस्या का समाधान, मछली-पत्तनों का विकास या, मछुआरों के कल्याण के लिए एक संस्था शुरू करना, इत्यादि की ओर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे खारे पानी के क्षेत्रों में भी फसलों का उत्पादन वैज्ञानिक तरीकों से मुर्गी-पालन फार्मों की बेहतरी, गन्दे पानी की निकासी, ग्रामीण क्षेत्रों में नालियां और सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने इत्यादि के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मांगों पर मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सहमति प्रकट की गई थी कि हम शाम 7.30 बजे तक बैठा करेंगे। इस समय मेरे पास चार सदस्यों के नाम हैं तथा उनमें से एक सदस्य मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मैं उनको उतना समय देना चाहता हूं जब तक कि हम इन सदस्यों के सम्बन्ध में अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे केवल दो अथवा तीन मिनट का ही समय लें। अब मैं श्री भू० विजयकुमार राजू को कहूंगा कि वे अपनी बात कहें।

श्री भू० विजयकुमार राजू (नरसापुर) : महोदय, मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूं और अब समय की कमी है। मैं एक दिन पश्चात अपनी बात कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस समय माननीय सदस्य श्री मैथ्यू अपनी बात कहेंगे।

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, धन्यवाद, जैसाकि इस समय लगभग पूरा दिन समाप्त होने को है, मैं केवल विषय से सम्बन्धित बातें ही कहूंगा। वास्तव में, मैं जल संसाधन मन्त्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था। अब मैं सिर्फ विषय से सम्बन्धित बातें ही कहूंगा क्योंकि आप मुझे सीमित समय दे रहे हैं। महोदय, हमारा देश नदियों के कारण जल संसाधनों से परिपूर्ण है और हमारे यहां औसतन वर्षा 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक होती है। मैं इन तथ्यों को केवल इसलिए बता रहा हूं कि संसाधन तो पहले से ही मौजूद हैं परन्तु हमारे पास संपूर्ण देश के लिए एक अच्छी और एकीकृत योजना की कमी है। अतः मेरा निवेदन अथवा सुझाव यह है कि हमारे पास प्रत्येक राज्य के लिए एक समन्वित स्वीकृत जब संसाधन विकास योजना होनी चाहिए जिसे इस प्रकार समन्वित किया जाए कि इसमें संपूर्ण देश की मुख्य योजना भी शामिल हो। बल्कि मैं यह सुझाव दूंगा कि राष्ट्रीय मुख्य योजना में सभी राज्यों की योजनाएं शामिल होनी चाहिए। यह मेरा पहला सुझाव है। हमारे पास काफी संसाधन हैं जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ है। यदि इन संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है तब हम इस कृषि प्रधान देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।

महोदय, हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं तथा उनमें से कम से कम एक लाख गांवों में जल उपलब्ध नहीं है तथा 37,000 गांवों में जल का एक भी स्रोत नहीं है। लगभग तीन लाख गांवों में जल पूर्ति का केवल एक स्रोत है तथा इनमें से आधे गांव जल समस्या से पीड़ित हैं। 90,000

गांवों में जल उपलब्ध नहीं है यहां तक कि 50 फीट की गहराई पर तथा एक मील की दूरी पर भी जल उपलब्ध नहीं है। यह अत्यन्त खेदजनक है कि एक तिहाई गांवों में जल सुविधा नहीं है। 2.1 लाख गांवों में जल की अत्यधिक कमी है तथा लगभग एक लाख गांवों में जल उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि मैंने यह सुझाव दिया है कि इस समस्या का समाधान इस प्रकार से नहीं होगा। प्रत्येक राज्य की अपनी जल संसाधन विकास से सम्बन्धित मुख्य योजना होनी चाहिए और उसके बाद हमारे पास संपूर्ण देश के लिए एक मुख्य योजना होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने विशेष रूप से जल संसाधन मन्त्रालय के बजट आबंटन के संबंध में जनता की आशाओं के अनुरूप कार्यवाही नहीं की है। हम यह आशा कर रहे थे कि अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए लम्बे-चौड़े चुनावी वायदों के कारण यह सरकार देश की काफी उन्नति करेगी। परन्तु हमारी सभी आशाओं पर पानी फिर रहा है। आज इस अत्यन्त गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए बजट की आबंटन राशि अत्यन्त कम तथा अपर्याप्त है। पिछले वर्षों के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं में धनराशि बढ़ाई जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए 385 करोड़ रु०, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 475 करोड़ रु० तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में 845 करोड़ रु०, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 3,073 करोड़ रु०, छठी पंचवर्षीय योजना में 7,516 करोड़ रु० तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 11,555 करोड़ रु० की धनराशि आबंटित की गई थी। इसकी तुलना में वार्षिक आबंटन राशि इस समय काफी अपर्याप्त है। अत: नदियों के जल का उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई योजनाएं, बरमे, नलकूलों, टैंकों, स्प्रिंग, तालाबों, नहरों आदि से संबंधित योजनाएं कम और अपर्याप्त हैं। वे इन सब क्षेत्रों के एक छोटे से हिस्से से भी संबंधित नहीं हैं। यदि आप इसी दर को लेकर चलते हैं तब सूखे क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। बाढ़ नियन्त्रण तथा बाढ़ से हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी नगण्य है। भूजल सर्वेक्षण तथा इसी तरह की अन्य परियोजनाओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा आदिवासी लोग रह रहे हैं वहां पर कोई विशेष जोर नहीं दिया जा रहा है तथा जल की कमी के कारण इन सभी व्यक्तियों को अत्यन्त कठिनाइयां हो रही हैं।

अब मैं अपने राज्य केरल के बारे में कुछ कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बातें समाप्त कीजिए, समय समाप्त हो रहा है।

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : महोदय, मैं केवल विषय से सम्बन्धित बातें ही कह रहा हूं। मैं अन्य सभी सामान्य तर्कों को छोड़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वही अत्यंत उपयोगी तथा प्रभावशाली होगा।

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : धन्यवाद। केरलवासियों का निवास स्थल एक ही स्थान पर न होकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर होता है जबकि गांवों में लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं। वनस्पति, भू-जल स्थिति, मिट्टी, स्थलाकृति इत्यादि के दृष्टिकोण से पश्चिमी तटीय निचले इलाके, मध्यम ऊंचाई पर स्थित स्थानों तथा ऊंचाई पर स्थित स्थानों की परिस्थितियां विभिन्न हैं। परन्तु केरल में हर स्थान पर मार्च से जुलाई के बीच में गर्मी पड़ती है तथा जिसमें अत्यधिक जल की कमी रहती है तथा सूखा पड़ता है। हजारों पंचायतों में से केवल 300 में जल पूर्ति होती है। ऐसा विशेष रूप से इदुक्की मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिलों के ऊंचाई पर स्थित स्थानों में होता है। इदुक्की में छयालीस पंचायतों में गर्मी के मौसम में पूरी तरह से सूखा पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आंकड़े मत दीजिए क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार द्वारा भी कुछ किया जाना है। हम देश भर में पेय जल प्रदान करने सम्बन्धित नीति के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : महोदय, मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल प्रदान करने की योजनाओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया है तथा उनमें भी पूर्ण अव्यवस्था व्याप्त है। मैं यही कहना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 18 सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकार ने पूरी नहीं की हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि केन्द्र, राज्य सरकार को यह निर्देश दे कि वह इस कार्य में तत्परता दिखाए तथा देखे कि ये कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही पूरे किए जायें।

दूसरा सुझाव मेरे माननीय मित्र ने दिया था। मैं केवल इस बात पर जोर दे रहा हूं कि काली मिर्च के दाम काफी कम हैं। केरल में 95 प्रतिशत काली मिर्च का उत्पादन हो रहा है। दो वर्ष पूर्व यह कीमत 6,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस समय यह कीमत लगभग 3,000 रुपए है यद्यपि उत्पादन लागत कम नहीं हुई है। यही स्थिति अब भी है जैसी कि यह दो वर्ष पूर्व थी जब कीमत 6,000 रुपए थी। मन्त्रालय को यह देखने के लिए कदम उठाने चाहिए कि काली मिर्च की कीमतें कम हो जाने के कारण कृषक को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

अब मैं 'केरा' अर्थात नारियल के संबंध में कुछ कहूंगा। केरल में नारियल की भरमार हुई है। हमारी जनता अधिकतर नारियल पर निर्भर रहती है परन्तु नारियल की कीमतें कम हो गई हैं। कोपरा की कीमत कम से कम 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ायी जानी चाहिए। रबड़ की कीमतें भी कम से कम 26 रु० प्रति कि० ग्रा० से ऊपर रखी जानी चाहिए।

मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह लघु सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ केन्द्रीय योजना तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल पूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए तथा उनको कायम रखने के लिए केरल को अधिक महत्व दें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन और कृषि विभाग के मन्त्रालय से सम्बन्धित मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने जो संकल्प लिया है या निर्णय किया है 49 प्रतिशत बजट का हिस्सा गांव पर खर्च किया जाएगा, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं। आज 40 वर्षों में देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण पर जो जोर दिया गया है वह जोर बाढ़ नियंत्रण और जल योजना पर दिया जाना चाहिए क्योंकि जो देश पानी का सही उपयोग नहीं कर पाएगा वह देश समृद्ध नहीं हो सकता, जिस देश में खेत और गांव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा वह देश खुशहाल नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान जो गांवों का देश है, गांव, किसान, खेत जब तक खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। बाढ़ नियन्त्रण पर कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। भारत विशेषकर कुछ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के लिए बाढ़ समस्या के बारे में सब माननीय सदस्य अवगत हैं। बाढ़ प्रबंध के लिए आजादी के बाद जो भी योजनाएं बनी हैं, जो भी कदम उठाए गए, उससे संपूर्ण भारत में बाढ़ नियंत्रण के ऊपर समय-समय पर प्रथम योजना से लेकर 1954-56 में 1320.80 लाख और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 94,729.00 लाख रुपए की राशि है। इन आंकड़ों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हम

दिन-प्रतिदिन अपने बजट की राशि बढ़ाते जा रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राशि का अधिकांश भाग बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जायें, तटबंधों, ड्रेनेज चेनेल सिस्टम एवं शहरी बचाव कार्य पर ही व्यय किया गया। दूसरे संबंधित कार्य जैसे बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क पर उस अनुपात में बहुत कम खर्च हुआ है जबकि उन पर प्राथमिकता देना जरूरी था।

बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए कार्य की उपयोगिता को समझने के लिए औसतन बाढ़ से होने वाली हानि पर अगर हम नजर डालें तो वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। 1961 से 66 तक 8209.20 लाख रुपया बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया गया और बाढ़ द्वारा जो हानि हुई थ्री टाइम्स यानी कि 23,660 लाख और 1980-85 में आठ टाइम्स नुकसान हुआ। इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो जाता है कि 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की'। यह शायद बाढ़ नियंत्रण कार्य मात्र अपने आप को संतुष्ट करने हेतु ही किए गए। आवश्यकता इस बात की है कि हम नए सिरे से अपनी बाढ़ समस्या संबंधी नीतियों पर विचार करें और उन खामियों को तलाशें।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि बाढ़ संबंधी समस्याओं के विस्तृत गहन एवं उन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक रिकमंडेशंस देने हेतु भारता सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा की। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उन रिपोर्टों में दी गई रिकमंडेशंस पर आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। सारे काम पूर्वत: ही चलते रहे और शायद बाढ़ नियंत्रण कार्य से लगे अधिकारीगण अब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट को भूल गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार जहां से मैं आता हूं वह नेपाल का सीमावर्ती इलाका है। संपूर्ण देश में 39% आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। उसमें अकेले बिहार के 67 से 69% लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं और इसमें उत्तरी बिहार तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उत्तरी बिहार की नदियां कोसी, कमला, गंडक, बागमति, अधवारा समूह, भूतही ब्लान में बाढ़ का मुख्य कारण उन नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र जिनका अधिकांश भाग नेपाल में पड़ता है, में होने वाली तीव्र वर्षा है। अतः इन नदियों के लिए बाढ़ प्रबन्ध के बारे में कोई परियोजना उस समय तक कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक नेपाल अधिग्रहण क्षेत्रों में, कैचमैंट एरिया में समुचित ध्यान न दिया जाये। काफी समय से इन नदियों के ऊपर नेपाल क्षेत्र में एक डैम बनाने का विचार आजादी के बाद से ही लम्बित है। 1977-78 से (ड्यूरिंग दी लास्ट जनता गवर्नमेंट) भारत और नेपाल के विदेश मन्त्रियों की आपस में हुई बातचीत के दौरान भारत-नेपाल की नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित करने के विचार पर सहमति हो गई थी। लेकिन यह योजना अभी भी अमली रूप धारण नहीं कर सकी है। मतलब यह है कि योजना ज्यों की त्यों पड़ी हुई है।

मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी जमीन बाढ़ से डूबती है, अकेले बिहार की 37% जमीन बाढ़ से डूबती है। जनसंख्या के आधार पर आधी से अधिक आबादी 69% प्रतिशत आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। बिहार में बाढ़ रोकने पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया किन्तु बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है और उसको रोकने पर होने वाला खर्च भी बढ़ता जा रहा है और बाढ़ग्रस्त इलाका भी बढ़ता जा रहा है, मतलब साफ है। पहले केवल उत्तरी बिहार में बाढ़ समस्या साढ़े तीन चार करोड़ लोगों को प्रभावित करती थी लेकिन अब दक्षिण बिहार में मुंगर, भागलपुर, संथाल परगना और गंगा किनारे भी बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ऐसा है कि उसको कोई अधिकार नहीं है, वह सिर्फ अपनी रिकमैंडेशंस यहां

भेजता है, जो भारत सरकार में वर्षों तक लम्बित रहती हैं और कोई योजना यहां से क्लियर होकर नहीं जा पाती है। पिछले दिनों भी जो योजनाएं आई हैं वह भी आज तक लम्बित हैं। मैं इसलिए इन बातों का जिक्र करता हूं कि 1948 में भी कोसी नदी पर हाई लेविल डैम बनाने की बात हुई थी और आजादी के बाद इसका एक प्रस्ताव भी हुआ था कि कोसी पर बरार क्षेत्र में हाई लेविल बहुउद्देशीय डैम, मल्टी परपज डैम बनाया जाए और कोसी के बाद कमला पर उच्चस्तरीय समिति ने शीशापानी जगह में, नेपाल के एरिया में हाई लेविल डैम बने थे, उसके लिए भी इसकी अनुशंसा की थी, हाथी कमीशन जो बना था, नेपाल के सीमावर्ती इलाके में जो रीवर्स हैं, उनके बेसिन्स में सारी हिस्ट्री को देखते हुए उस पर हाई लेविल टैक्नीकल कमेटी ने भी रिपोर्ट दी थी कि कमला पर शीशा-पानी में और बागमती नदी पर लून्थर में हाई लेविल डैम बनाया जाए क्योंकि, स्वतंत्रता के बाद हाई लेविल डैम बनाने के बारे में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि कोसी नदी पर हाई लेविल डैम बनाने से 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है लेकिन उस समय यह कहकर टाल दिया गया कि बिहार 20 हजार मेगावाट बिजली क्या करेगा। आज की स्थिति में जो बिहार का संकट है या देश में बिजली का जो संकट है, उसको देखते हुए उस समय योजना को गलत ढंग से मोड़ दिया गया। बैराज बिना दिया गया, नदी पर, चाहे गंडक हो, कोसी हो, बागमती हो, कमला हो सब पर बैराज बनाया गया या नहर खोदी गई। बैराज बनाकर नहर के जरिये कमला, बागमती, गंडक, सभी नदियों पर बैराज या नहर सिस्टम चलाया गया लेकिन नहर योजना आज नाकारा साबित हो गई है, चूंकि, नहर का पेट बालू से भर गया है और पानी ऊपर आ गया है। यही हालत यदि रही तो 10 वर्षों के बाद पूरा उत्तरी बिहार दलदल होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही नहीं बंगाल और असम का भी भाग, जहां इस तरह से वाटर लोगिंग बढ़ता जा रहा है, पानी ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा है, तटबंधों से नहरों में जो सिस्टम बनाया गया, बनानी तो बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना थी और बन गई सिंचाई के लिए योजना लेकिन सिंचाई भी नहीं हो पाई और सारी नहरें टूटी हुई हैं चाहे वह सिस्टम कोसी कैनाल का हो, इसीलिए निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए कि कुल मिलाकर यदि नदियों पर आज भी हाई लेविल डैम बनाए जायें तो 35 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है, हाइड्रो इलैक्ट्रिक, पनबिजली पैदा हो सकती है, जिस बिजली से न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा बल्कि पूरे भारत को बिजली देने का काम हो सकता है, ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योग लग सकते हैं और सीमांचल और पूर्वांचल इलाकों में बिजली का संकट दूर हो सकता है और उद्योग लग सकते हैं।

समय कम है, मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जल नीति में विभिन्न जल को एक यूनिट मानकर योजना तैयार करने की बात आती है। मैं कहना चाहता हूं कि देश भर में उपलब्ध जल को एक यूनिट बनाया जाये, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे सतह का जल हो, भूगर्भ का जल हो, जो भी जल हो, उसको एक यूनिट बनाकर योजना बनाई जाए और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस नीति पर एक मॉडल परियोजना तैयार की जाए ताकि परियोजना और बना सकें और राज्य सरकारें भी उस अनुरूप योजना बनाएं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों प्रदेशों को मिलाकर उच्चाधिकार प्राप्त जल आयोग बने और उस आयोग को अधिकार प्राप्त हों कि विदेश से आने वाली नदी के बारे में नेपाल से बात करे, इसके लिए विदेश विभाग से संपर्क करने की जरूरत नहीं हो, नहीं तो योजना में विलम्ब हो जाता है और बाढ़ नियंत्रण को ही प्राथमिकता दें, इस आधार पर एक आयोग का गठन हो। चौथी बात, उत्तरी बिहार में बाढ़ से बचाव हेतु निश्चित रूप से एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उस मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने की दिशा में पहल की जाए, तभी छुटकारा हो सकता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल उन्हीं मुद्दों को दोहरा रहे हैं । अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी ।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री आर० जीवरत्नम बोलेंगे । आप केवल दो मिनट तक अपनी बात कह सकते हैं । यह समय केवल आपके लिए ही बढ़ाया गया है क्योंकि आपका राज्य समुद्री तूफान से प्रभावित है ।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर कुछ कहना चाहता हूं ।

उत्तरी आर्कोट में बहुत बड़ी संख्या में चीनी मिलें हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे जिले में चीनी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाए । मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करता हूं कि गुड़ का उत्पादन बढाने के लिए कार्रवाई की जाए ताकि इसका निर्यात किया जा सके ।

सरकार ने मतदाताओं से दस हजार रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का वायदा किया है जिसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए । इसके अलावा सरकार को यह चाहिए कि छोटे किसानों द्वारा बड़े किसानों से लिया गया ऋण भी माफ कर दे । मैं यह भी निवेदन करता हूं कि किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण किया जाए ताकि किसानों को उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता का सीधा लाभ मिल सके ।

वैसे किसान जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है उन्हें भूमि कर के भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिए । वैसे किसान जो अपने खेत की सिंचाई पांच अश्व शक्ति के पम्प छोटे पैमाने पर से करते हैं उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए । छोटे किसानों को विशेष बीमा योजना में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

महोदय, हमारे क्षेत्र में धान की खेती मुख्य फसल है । मैं माननीय मंत्री महोदय से अपने जिले में एक धान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निवेदन करता हूं ।

कावेरी को गंगा से जोड़ने की वार्ता श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर के समय से चल रही है । इस परियोजना को गंभीरतापूर्वक लेने का समय आ गया है ! तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री श्री एम० करुणानिधि ने भी इस मामले में पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है । इस परियोजना को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए । तेलुगु-गंगा परियोजना को भी अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए । इस परियोजना के अन्तर्गत जल को रायलसीमा से पलार नदी तक की सौ मील की दूरी तक पलामानेरू होते हुए लाना चाहिए । इससे तमिलनाडु के बहुत बड़े सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी ।

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

महोदय, हमारे जिले की बड़े झीलों जैसे कावेरी पक्कम, थुसीमंडूर और पेरंगत्तूर जिसकी क्षमता दस हजार एकड़ जमीन की सिंचाई करने की है, की गाद हटा कर सफाई करना चाहिए। सरकार को विश्व बैंक से झीलों की गाद हटाने के लिए सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए।

आर्कोनम में पेय जल की भीषण कमी है। सतह से तीन सौ से चार सौ फुट की गहराई पर भी पानी उपलब्ध नहीं है। कई बार मैंने राज्य सरकार से अपील की है कि वह बड़े कुओं की खुदाई के लिए सेना की सहायता लें ताकि पेयजल की समस्या का सामना किया जा सके। मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह निर्देश जारी करे कि राज्य सरकार पेयजल की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। कावेरी नदी जल विवाद, जो 24 से भी अधिक वर्षों से चल रहा था, अब सुलझने के दौर में पहुंच चुका है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार का इस मामले में न्यायिक निर्णय देने हेतु एक ट्रिब्यूनल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस और ए० आई० ए० डी० एम० के० के सांसदों ने प्रधान मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। सरकार को चाहिए कि वह ट्रिब्यूनल के सदस्यों के नामों की घोषणा शीघ्र करे ताकि विवाद को शीघ्र निपटाया जा सके।

महोदय, मेरे जिले में बहुत बड़े क्षेत्र में परती जमीन बेकार पड़ी है। सरकार अपने खर्च पर इस जमीन पर बड़े कुएं खुदवाए और इसे गरीबों को बांट दे।

महोदय, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि मद्रास में कृषि अनुसंधान परिषद की एक क्षेत्रीय शाखा खोली जाए। बहुत दिनों से दुग्ध सहकारी समिति का चुनाव संपन्न नहीं हुआ है। वहां कुछ अनियमितताओं की भी खबर है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह दुग्ध सहकारी समिति का चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दे।

हमारे देश में फल और सब्जी प्रचुर मात्रा में पैदा की जाती है। उनकी पैदावार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से उन किसानों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जो फल और सब्जी की खेती करते हैं। जीवनधारा और जवाहर रोजगार योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक गुरुवार के ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.58 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 मई, 1990/20 वैशाख, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, दिल्ली।